

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eighth Session
(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XVII contains Nos.11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora
Joint Secretary

Mahavir Singh
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Arora
Joint Director

Meenakshi Rawat
Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XVII, Eighth Session, 2022/1943 (Saka)
No. 11, Monday, March 14, 2022/ Phalguna 23, 1943 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER	
Welcome to Parliamentary Delegation from Austria	12
OBITUARY REFERENCES	13
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 161 to 167	14-40
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 168 to 180	41-110
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	111-714

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	715-723
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	
29 th Report	724
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS	
11 th Report	724
STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	
30 th Report	725
STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS	
238 th and 239 th Reports	725
STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE	
314 th to 318 th Reports	726
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 905 DATED 7 FEBRUARY, 2022 REGARDING CTET EXAM IN MAITHILI LANGUAGE	727-731
ELECTION TO COMMITTEE	
Court of University of Delhi	732
MOTION RE: REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE BIOLOGICAL DIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2021- EXTENSION OF TIME	733
UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR BUDGET, 2022-2023	734

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR, 2021-2022	734
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS, 2021-2022	735
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2018-2019	735
MATTERS UNDER RULE 377	736-757
(i) Regarding participation of Members of Lok Sabha in programmes meant for implementation of various Government schemes	
Shri Arun Kumar Sagar	736-737
(ii) Need to address the problem of acute shortage of drinking water in Sikar district, Rajasthan	
Shri Sumedhanand Saraswati	737
(iii) Need to connect villages in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar with high speed broadband network	
Shri Janardan Singh Sigrwal	738
(iv) Regarding paddy procurement in Odisha	
Shrimati Aparajita Sarangi	739
(v) Regarding completion of development projects in Deoghar, Jharkhand	
Dr. Nishikant Dubey	740-741

- (vi) Need to re-open the path between village Ujhah and Bapauli Anaj Mandi in Panipat district, Haryana

Shri Sanjay Bhatia

742

- (vii) Need to improve digital platform for online education in Jharkhand

Shri Jayant Sinha

743

- (viii) Need to enhance the pension under EPS-1995

Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil

744

- (ix) Need for restoration of train services affected due to Covid-19 Pandemic in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Ramdas Tadas

745

- (x) Need to provide financial assistance to farmers to promote organic farming

Shri Dharambir Singh

746

- (xi) Regarding setting up of an AIIMS at Kinalur in Kozhikode district of Kerala

Shri K. Muraleedharan

747

- (xii) Regarding plight of Indian Students enrolled in various universities in Ukraine

Shri T.N. Prathapan

748

- (xiii) Regarding operationalisation of Vellore Airport,
Tamil Nadu

Shri D.M. Kathir Anand

749

- (xiv) Regarding completion of pending railway
works in Parbhani Parliamentary Constituency,
Maharashtra

Shri Sanjay Jadhav

750

- (xv) Regarding present status of smart cities
mission in Bihar

Shri Kaushlendra Kumar

751

- (xvi) Regarding inclusion of Asrukhala Jora, Cuttack
district, Odisha in National Wetland
Conservation Programme

Shri Bhartruhari Mahtab

752

- (xvii) Regarding ground-water pollution caused
by industrial units in Amroha district, Uttar
Pradesh

Kunwar Danish Ali

753-754

- (xviii) Regarding grant of funds for National
Investment and Manufacturing Zone (NIMZ) at
Zaheerabad in Telangana

Shri B.B. Patil

755

- (xix) Regarding storm water drainage scheme in
Samastipur, Bihar

Shri Prince Raj

756

- (xx) Need to conduct Army recruitment in Satara
Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Shriniwas Dadasaheb Patil

757

MOTION RE: SUSPENSION OF RULE 205

758-762

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Increase of wage ceiling for employees
being covered under ESI Scheme

770-771

UNION TERRITORY OF JAMMU AND

KASHMIR BUDGET, 2022-23

AND

DEMANDS FOR GRANTS - UNION TERRITORY OF

JAMMU AND KASHMIR , 2022-23

AND

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – UNION

TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR , 2021–2022

AND

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS

– THIRD AND FINAL BATCH , 2021–2022

AND

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2018–2019

790-954

Shri Manish Tewari

805-814

Shri Jugal Kishore Sharma

815-819

Prof. Sougata Ray

820-827

Shri Magunta Sreenivasulu Reddy	827-831
Dr. Jitendra Singh	831-846
Shri Sunil Kumar Pintu	846-849
Kunwar Danish Ali	850-856
Shrimati Supriya Sadanand Sule	857-867
Shri Bhartruhari Mahtab	867-873
Shri Jamyang Tsering Namgyal	873-879
Shri Jasbir Singh Gill	880-881
Shri Hasnain Masoodi	882-892
Shri E.T. Mohammed Basheer	893-895
Adv. A.M. Ariff	896-898
Shri B.B. Patil	899-901
Shri Asaduddin Owaisi	902-909
Shri N.K. Premachandran	910-913
Shri Hanuman Beniwal	914-918
Dr. D. Ravikumar	919-920
Dr. Thol Thirumaavalavan	921-923
Shri Abdul Khaleque	924-926
Shri Malook Nagar	926-927
Shri Ravneet Singh	928-929
Shrimati Nirmala Sitharaman	930-952
Demands – Voted	952-954

GOVERNMENT BILLS – Introduced

(i) Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2022	955-956
Motion to Introduce	955
Motion to Consider	955-956
Clause 2, 3 and 1	956
Motion to Pass	956
(ii) Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022	957-958
Motion to Introduce	957
Motion to Consider	957-958
Clause 2, 3 and 1	958
Motion to Pass	958
(iii) Appropriation (No.3) Bill, 2022	959-960
Motion to Introduce	959
Motion to Consider	959-960
Clause 2, 3 and 1	960
Motion to Pass	960
(iv) Appropriation (No.2) Bill, 2022	961-962
Motion to Introduce	961
Motion to Consider	962
Clause 2, 3 and 1	962
Motion to Pass	962

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	894
Member-wise Index to Unstarred Questions	895-901

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	902
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	903

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, March 14, 2022/ Phalguna 23, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Welcome to Parliamentary Delegation from Austria

माननीय अध्यक्ष : मुझे बेहद प्रसन्नता है कि हमारे आमंत्रण पर ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय परिषद के प्रेसिडेंट महामहिम मिस्टर वुल्फ गैंग सोबोत्का और ऑस्ट्रिया की संघीय परिषद की प्रेसिडेंट महामहिम मिस क्रिस्टीन श्वार्जफुक्स के साथ ऑस्ट्रिया का एक संसदीय शिष्टमंडल भारत दौरे पर आया हुआ है।

मैं सदन के माननीय सदस्यों की ओर से तथा अपनी ओर से भारत पधारे ऑस्ट्रिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस समय वे सदन के स्पेशल बॉक्स में विराजमान हैं। ...(व्यवधान)

ऑस्ट्रिया का संसदीय शिष्टमंडल रविवार, 13 मार्च, 2022 को भारत पहुंचा। उसी दिन उन्होंने आगरा का भ्रमण किया। गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को भारत से प्रस्थान करने से पहले वे हैदराबाद की भी यात्रा करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं।

हम उनके माध्यम से ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय परिषद, संघीय परिषद, सरकार और ऑस्ट्रिया की मैत्रीपूर्ण जनता को अपनी ओर से तथा सभा की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं।

11.03 hrs**OBITUARY REFERENCES**

माननीय अध्यक्ष : मैं सभा के अपने तीन पूर्व साथियों के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूँ।

श्री एस. सिंगरवादिवेल तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोकसभा के सदस्य थे। वे लोक लेखा समिति और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

श्री एस. सिंगरवादिवेल का निधन 87 वर्ष की आयु में 31 जनवरी, 2022 को तंजावुर में हुआ।

श्री एच. बी. पाटील कर्नाटक के बागलकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आठवीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पाटील याचिका समिति के सदस्य रहे।

श्री एच. बी. पाटील का निधन 82 वर्ष की आयु में 1 फरवरी, 2022 को बागलकोट में हुआ।

श्री हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के सुंदरगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने श्रम संबंधी समिति के सभापति के रूप में तथा सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता, श्री हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे। वे छः कार्यकालों तक ओडिशा विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री हेमानंद बिस्वाल का निधन 82 वर्ष की आयु में 25 फरवरी, 2022 को भुवनेश्वर में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

The Members then stood in silence for a short while.

11.06 hrs**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS****माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न संख्या 161, श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' ।**(Q. 161)**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा माँगा था। पूरा ब्यौरा तो नहीं मिला है, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने एक अनुशंसा की कि 17 ऐसे राज्य हैं, जहाँ रेवेन्यू डेफिसिट है। उन राज्यों के लिए 2,94,518 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। अब रेवेन्यू डेफिसिट वहाँ होता है, जहाँ वित्तीय कुप्रबंधन है। जिन राज्यों में वित्तीय कुशलता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर है, उन राज्यों को इस स्पेशल ग्रांट से वंचित कर दिया गया। जो हमारी समझ से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को बढ़ावा देता है। लेकिन, फिर भी हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि कोविड काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को भरपूर मदद की। प्रधानमंत्री जी के हाथ में जितना संभव था, उतना उन्होंने मदद की। लेकिन, उसके बावजूद भी जो विकासशील राज्य हैं, उन पर आर्थिक बोझ पड़ा। बिहार जैसे प्रदेश में भी वर्ष 2019-20 और 2020-21 में फाइनेंस रेवेन्यू डेफिसिट हुआ।

हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि क्या उसी तर्ज पर बिहार के इन दो वर्षों का, यानी वर्ष 2019-20 और 2020-21 का जो रेवेन्यू डेफिसिट है, उस पर क्या आप स्पेशल ग्रांट देने पर विचार करेंगे?

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड काल की बात माननीय सदस्य ने की है। हम सब को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हृदय बड़ा करके एक बहुत बड़ा पैकेज, आत्मनिर्भर भारत का पैकेज देने का काम किया। इससे सभी प्रदेशों को लाभ पहुँचाने का काम किया गया। इसी के अंतर्गत बिहार में भी विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों को अभूतपूर्व सहायता दी गई। जिन मुद्दों के अंतर्गत बिहार राज्य को कोविड के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की गई, इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, पीएम जनधन

योजना, राष्ट्रीय सामाजिक योजना, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान योजना, जिला खनिज योजना इत्यादि है। उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2021-22 में बिहार में लगभग 1136 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की बिहार के प्रति हमेशा चिंता रहती है। इसके पूर्व में भी सवा लाख करोड़ रुपये का एक पैकेज दिया गया। अगर हम पिछली सरकारों की तुलना करें, वर्ष 2009 से 2014 और वर्ष 2014 से 2019 की तुलना करें तो टैक्स ट्रांसफर में करीब 107 परसेंट की वृद्धि हुई है। वहीं पर अगर हम वित्तीय अनुदान की बात करें तो 119 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर मोदी जी की सरकार ने बिहार के आर्थिक विकास और पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए, बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा सीधा सवाल था और प्वाइंटेड सवाल था, जो रेवेन्यू डेफिसिट पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को मदद कर रहे हैं। कोविड काल में भी उन्होंने मदद की, यह मैंने खुद ही कहा और उन्होंने भरपूर मदद की। हमने सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट का सवाल पूछा था कि जो 17 फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट वाले स्टेट्स हैं, उनको आपने 2,94,514 करोड़ रुपये का स्पेशल ग्रांट दिया। बिहार जैसे प्रदेश को सारी मदद देने के बावजूद भी अगर आज बिहार का विकास दोहरे अंक का है तो वह अपने संसाधनों के बल पर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मदद की है, उसके बल पर है। लेकिन, हमारा सीधा सवाल था कि कोविड काल में जो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, उसके लिए आप उसी तर्ज पर व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसका उतर नहीं मिला।

खैर, मेरा दूसरा सवाल है कि 15वें वित्त आयोग ने ही स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स के लिए अनुशंसा की है। स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स में बिहार के आठ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया। उनके लिए लगभग 2,200 करोड़ रुपये के प्रावधान की अनुशंसा की गई है। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या आप उस तर्ज पर बिहार को भी स्पेशल इंसेंटिव देंगे? दूसरा, आठ परियोजनाओं पर जो अनुशंसा 15वें वित्त आयोग ने की है, उन योजनाओं को स्वीकृति और राज्य सरकार को उसकी राशि कब उपलब्ध कराई जाएगी?

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग ने बिहार सहित सभी राज्यों को विभिन्न प्रकार की निधियों का स्थान्तरण करने के बारे में इन राज्यों की पात्रता के आधार पर सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग, 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए सिफारिश की गई धनराशि को चार मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है, जो इस तरह है, राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय अनुदान, ग्रामीण स्थानीय अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी अनुदान और राष्ट्र पर जब आपदा पड़ती है, तो उसके लिए जब जोखिम भरा समय होता है, तो डिमांड के आधार पर सहायता की जाती है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 162, श्री सदाशिव किसान लोखंडे ।

(Q. 162)

श्री सदाशिव किसान लोखंडे : देश में बच्चे मजदूरी का काम करते हैं। देश के जो मजदूर हैं, अकुशल कामगार हैं या खेती में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। उसका एकमेव कारण है कि जो मजदूर है, अकुशल कामगार है, उसके पिता जी दिन भर काम करते हैं और उनको जो पैसा मिलता है, वे उसे शराब पर खर्च कर देते हैं। इस वजह से वे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। मेरा कहना है कि जो बच्चे अकुशल कामगार हैं, खेती में काम करने वाले हैं, क्या उन बच्चों के लिए शासन कुछ काम करने वाला है? मेरा अकुशल बच्चों के संबंध में प्रश्न है कि इन बच्चों के लिए क्या शासन कुछ करने वाला है?

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, अकुशल क्षेत्र में जो हमारे कारीगर काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए जो समग्र शिक्षा अभियान है, उसके अंतर्गत वैसी ही कार्यवाही की जा रही है। उनके परिवार की स्थिति को देखते हुए, मिड-डे-मील, स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स से लेकर हॉस्टल की व्यवस्था भी समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है।

श्री सदाशिव किसान लोखंडे : ये जो बच्चे हैं, उन अकुशल कामगारों के लिए मेरा एक सुझाव है। उनके पिता जी दिन भर काम करते हैं, रात में आते समय फुल दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद उनके घर में जो पैसा आने वाला था, वह पैसा नहीं आता है। पैसा नहीं आने से जो उसकी माता है, जो घर में काम करने वाली है, उसको तकलीफ होती है तो वे बच्चों से बाल मजदूरी कराती है। वे उनको पढ़ाई के लिए स्कूल में नहीं भेजते हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चों को वे हॉस्टल में रखना चाहते हैं। मेरा प्रश्न है कि वे बाल मजदूर न बनें और उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या शासन कोई प्रावधान करने वाला है? वे बाल कामगार न बनें और उन्हें देश की मुख्य धारा में लाया जाए, क्या इसके लिए शासन प्रयत्न करेगा?

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी स्कीम चल रही है। मैंने पूर्व में उत्तर में भी बताया है। मैं माननीय सदस्य महोदय को सारी स्कीम्स की जानकारी भेज दूंगा।

SHRI B. MANICKAM TAGORE : Thank you very much, Sir. It is a very important subject. It is very unfortunate that the hon. Minister has said that there is no data available with the Government in this regard. It is a very, very sensitive thing when we have a Prime Minister who speaks about data-driven programmes. That the Government is not having data with regard to child labour is very unfortunate.

I would like to bring a very important issue to your notice which is with regard to the National Child Labour Project (NCLP). The Government of India has not released the requisite fund particularly to the State of Tamil Nadu. A total number of 4314 children are studying in various schools in districts like Virudhunagar, Dharmapuri, Tiruppur, Coimbatore and Salem. The Government of India has not released the money since 2016.

I would like to ask the hon. Minister when that money will be released. A stipend of only Rs.400 is given to the students. The Government is not releasing that too, which is very, very unfortunate.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मूल प्रश्न यह था कि जो बच्चे अपने परिवार में मजदूरी कर रहे हैं, क्या उनका डाटा एवेलबल है? यह डाटा डायनेमिक डाटा होता है इसलिए इस प्रकार का डाटा किसी भी सरकार के पास उपलब्ध नहीं होता है। कुछ बच्चे अपने पारिवारिक संस्थानों में भी कार्य करते हैं, यह बाल मजदूर के लिए डाटा नहीं था, समग्र डाटा था। जहां तक बाल श्रम के डाटा की बात है, बाल श्रम का डाटा एनसीआरबी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मैं माननीय सदस्य को इसे उपलब्ध भी करा सकता हूँ।

जहां तक एनसीएलबी की बात है, वह प्रोग्राम इस समय समग्र शिक्षा के तहत हस्तांतरित कर दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा श्रम मंत्रालय में पेन्सिल नाम से एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें पिछले दो वर्षों में तीन हजार से ज्यादा कम्प्लेंट्स आई हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन

बाल श्रम में शिक्षा और बाकी के जो विषय हैं, वह सारा कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान में ले लिया गया है।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, I have gone through the written reply given by the hon. Minister. I must say with respect that it is really an evasive reply. Just now he said that the data is dynamic. Somewhere it is static. Then, he has not said where that data is.

Now, I tell you the data. One out of ten children is in child labour in India. It is rising for the first time in 20 years. Nine million more children are at risk of being forced into child labour by the end of 2022 as a result of the pandemic. The closure of 1.5 million schools due to the pandemic and lockdowns in India has impacted 247 million children enrolled in elementary and secondary schools, and added to the risk of many of them slipping into child labour and unsafe migration. I understand that there are certain Acts. No doubt, if these Acts are fully implemented, these children cannot go into it, but these children also need to earn a livelihood, at least, for their parents. Now, what is the scheme? What do you want to do? If you want to stop child labour and want that they should not go to job at all, then you have to give substitutes to the families of those children. What have you done for that purpose? This is what I would like to know from the hon. Minister.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक चाइल्ड लेबर का प्रश्न है और उसकी रोकथाम की बात है, सरकार उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने एक टास्क फोर्स बनायी है और टास्क फोर्स की अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है। चाइल्ड लेबर के जो केसेज रजिस्टर्ड होते हैं, उसका डाटा मेरे पास उपलब्ध है।

इसे पूर्व में भी दिया गया है। जहां तक चाइल्ड लेबर की बात है, ऐसे कार्य जो हैजर्डस हैं, उसमें बाल मजदूर काम नहीं कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त भी सरकार वर्ष 2016 में संशोधन लेकर आई थी, जो हैजर्डस काम नहीं हैं, लेकिन बच्चों के लिए उपयोगी नहीं हैं, उसमें भी बाल श्रम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन पारिवारिक संस्थानों के अंतर्गत जैसे आपकी कॉन्स्टीट्यूएंसी है, उसमें सोला वुड का काम होता है, उसमें पारिवारिक बच्चे काम करते हैं। यह बाल मजदूरी के अंतर्गत नहीं आता है। जो देश की सामाजिक परिस्थिति है, उसके हिसाब से डाटा बहुत व्यापक है, सभी को बाल मजदूर नहीं माना जाता है। लेकिन बाल श्रमिकों के ऊपर जो कार्रवाई करने का विषय है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है, वह डाटा पूरी तरह से उपलब्ध है। मूल प्रश्न यह है कि जो बालक अपने परिवार में पढ़ाई के अतिरिक्त काम कर रहे हैं, क्या उनका कोई डाटा है, यह जवाब केवल उस संदर्भ में है। बाल श्रमिक की जो कार्रवाई का डाटा है वह पहले ही मैं सदन के पटल पर अन्य प्रश्नों में दे चुका हूं।

श्री रितेश पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि ये डाटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अभी जैसा कुछ और सदस्यों ने अपनी बात रखी है, कितने बच्चे पैन्डमिक की वजह से या अन्य मजबूरियों के कारण बाल मजदूरी की तरफ धकेल दिए गए हैं। क्या सरकार ने इस पर कोई रिसर्च किया है कि कितने बच्चे पैन्डमिक की वजह से बाल मजदूरी में धकेल दिए गए हैं?

यदि उसका कोई डाटा है तो सरकार ने ऐसी कौन सी स्कीम लांच की है, जिसके जरिए इन बच्चों को पुनः वापस स्कूलों की तरफ लेकर जाएं ताकि उनका जो पिछले दो सालों से शिक्षा का लॉस हुआ है, फिर से उसकी भरपाई की जा सके और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें वापस मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।

श्री भूपेन्द्र यादव: कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की थी। उस समय एनसीएलपी के प्रोजेक्ट्स, जिन्होंने पूरे मानदंडों का पालन नहीं किया था, उनको भी अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके लिए जिला अधिकारियों के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिनको समय-समय पर मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय

द्वारा एक पेंसिल पोर्टल का निर्माण किया गया है। इस पेंसिल पोर्टल के अंतर्गत जो शिकायतें आती हैं, उनका संबंधित अधिकारियों द्वारा निस्तारण किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 163, सुश्री सुनीता दुग्गल ।

(Q. 163)

सुश्री सुनीता दुग्गल : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो सवाल किया है, उसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विशेष दिशा निर्देश दिया है, मैं पूछना चाहती हूँ कि विशेषकर हरियाणा और अन्य राज्यों की क्या प्रोग्रेस है? सरकार की तरफ से इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को पांच लाख वीजा निःशुल्क देने का प्रावधान किया है। ऐसे कितने अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट्स ने इंडिया में विजिट किया है और उनकी संख्या कितनी है?

श्री जी. किशन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष जी, टूरिज्म सबसे बड़ा सैक्टर है जो कि कोविड के कारण अफेक्ट हुआ है। आपको मालूम है कि देश में 180 करोड़ 14 लाख वैक्सीनेशन हुआ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बना है। अगर दुनिया के अन्य देशों से कम्पेयर करें तो 10 परसेंट वैक्सीनेशन भारत में हुआ है और इसके कारण आज टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। हम इस महीने 27 तारीख को इंटरनेशनल टूरिज्म में फ्लाइट्स खोलने वाले हैं।

भारत सरकार की ओर से अलग-अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे स्वदेशी दर्शन के द्वारा हो या सेंट्रल फाइनेंशियल फंड के द्वारा हो। मेरी भी कुछ कार्यक्रमों में भागीदारी थी, कुरुक्षेत्र में भी थी। इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं।

दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कोरोना के संदर्भ में कितने वीजा दिए गए? कोरोना के बाद ई-वीजा इश्यू किए गए। भारत में 15 अगस्त, 2021 से वीजा शुरू हुआ है और 7 मार्च तक लगभग रैगुलर टूरिस्ट वीजा 51,916 और ई-वीजा 1,05,916 दिए गए। कोरोना के बाद भारत में 1,57,662 वीजा विदेशी पर्यटकों को दिया गया।

सुश्री सुनीता दुग्गल : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऑस्ट्रिया के महामहिम को रात को ढाई बजे रिसीव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि लोकल स्टेट्स टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। आप विश्वास कीजिए कि वहां ढोल की थाप पर कम से कम पांच से दस मिनट तक

ऑस्ट्रिया के महामहिम एन्जॉए करते रहे। अगर हम इस तरह से लोकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे तो इससे भारत के टूरिज़्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष: आप ढोल की थाप कैसे ठीक करोगे।

... (व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष जी, हम भारत सरकार की ओर से अलग-अलग टूरिज़्म देश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें हेरिटेज, हिस्टॉरिकल, रिलीजियस, कल्चरल, फेस्टिवल, एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट, वैलनेस, ईको, रूरल, रिस्पांसिबल, मेडिकल टूरिज़्म आदि हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में भारत का दुनिया में 52 रैंक था। अभी 52 वें रैंक से आगे बढ़कर पांच सालों के अंदर वर्ष 2019 में 34 वें रैंक पर आ गया है। लगभग 20 देशों को पीछे छोड़कर भारत आगे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वह भारतीय संस्कृति और भारतीय गांव का जो हैरिटेज और कल्चर है, जैसा आदरणीय सांसद महोदया ने बताया है, उसके हिसाब से सरकार आगे के लिए प्लान करेगी।

DR. FAROOQ ABDULLAH: Speaker Sir, thank you for giving me the privilege of asking a question on tourism. It is good that in our country, tourism is increasing, but one of the most important factors, which reduces the tourists, is the fare that the airlines are charging. There should be a control on airlines charge, whether it is Kashmir, whether it is Ladakh or whether it is other parts of India which are full of tourist spots, so that people in the country can afford to come to these destinations. This is number one.

Secondly, what I would like to ask is this. What is the possibility of reducing the charges that are made by the Government on the tourists in various sectors like hotels or in the other things? Is Government of India deciding to reduce that charge, so that more people can afford to come into these destinations?

श्री जी. किशन रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे सीनियर मेम्बर फारुख अब्दुल्ला ने बताया है, उसके बारे में भारत सरकार ने जरूर सोचा है। जो फ्लाइट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन्स से जाती हैं, उनके लिए हम सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उड़ान स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी देते हैं। जितने भी टूरिस्ट्स जाते हैं, वे कम रेट पर जाएं और हवाई चप्पल पहने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से जाए, यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की इच्छा है। इसी दृष्टिकोण से गरीब लोग जो टूरिज्म के लिए जाते हैं, हम उनको भारत सरकार द्वारा के अंतर्गत सब्सिडी देते 'उड़ान स्कीम' हैं।

दूसरा, जितने भी टूरिस्ट्स विदेशों से आते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने पांच लाख वीजाज़ फ्री चार्ज पर देने के लिए तय किया है। आपने जो समस्या उठाई है, उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। कुछ होटल्स तो इंडिपेंडेंट हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समर सीजन में, अप्रैल-मई महीने में देश में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स हैं, उनके लिए पूरे रूम्स बुक हो चुके हैं। अभी बहुत ज्यादा डिमांड है। आने वाले दिनों में भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था कि हर परिवार को कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स घूमना चाहिए, उस दृष्टिकोण से भी भारत सरकार काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप यह भी बता देते कि जम्मू-कश्मीर में इस बार 300 से ज्यादा मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स गए हैं। मैं खुद भी गया हूं।

डॉ. फारुख अब्दुल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही बात है। यह आपकी मेहरबानी से हुआ है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शारजाह की फ्लाइट जो कश्मीर से जाती थी, उसको मेहरबानी करके फिर से शुरू करवाइए।

PROF. SOUGATA RAY : The Minister has given a very long reply, but I do not know if he has studied the question before giving the reply. The question relates to negative growth in the tourism sector. The Minister's reply deals with how they are developing rural tourism, then how they are developing wellness tourism, without

taking into consideration the holistic policy of tourism. What I want to know from the hon. Minister is this. You said that there is a negative growth. What are the numbers in terms of tourists from abroad in 2020, 2021, and up to February, 2022? What is your target for the coming Financial Year in respect of the foreign tourists? Farooq Sahib has said that fares are very high. A new thing is happening now. Today I saw in the papers that domestic airfares will go up and foreign airfares will come down. What is the policy? Does the Government have any policy to really raise the number of tourists travelling within the country or coming from outside?

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में टूरिज्म इकोनॉमी बहुत सारी समस्याएं फेस कर रही है। इस दौरान टूरिज्म इकोनॉमी बहुत कम हुई है। फर्स्ट फेज में 42.8 प्रतिशत इकोनॉमी कम हुई है। दूसरे फेज में 15.5 प्रतिशत और थर्ड फेज में 1.1 प्रतिशत इकोनॉमी कम हुई है। विदेशों से जो टूरिस्ट आते थे, फर्स्ट फेज में 93.3 प्रतिशत टूरिस्ट नहीं आए हैं। दूसरे फेज में 79.5 प्रतिशत और थर्ड फेज में 64.3 प्रतिशत टूरिस्ट कम आए हैं। हमने पूरी स्टडी की है। भारत सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के माध्यम से एक सर्वे करवाया है। मैं उस सर्वे के आधार पर बोलना चाहता हूँ कि जॉब लॉसेज भी हुआ है। कोरोना की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सभी देशों में टूरिज्म के दृष्टिकोण से जॉब लॉसेज हुआ है। इसमें 14.5 मिलियन जॉब्स का नुकसान हुआ है। सेकेंड फेज में 5.2 मिलियन और थर्ड फेज में 1.8 मिलियन जॉब लॉसेज हुआ है। इस पैंडेमिक से पहले भारत में 34.8 मिलियन जॉब्स टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर रहती थी। अब वह कम हो गई है। इसीलिए भारत सरकार promotion of domestic tourism, diverting outbound tourists to domestic tourist trips, target to incentivise industries contributing most to tourism economy, provide tax benefits, subsidies and income to industry players इत्यादि पर काम कर रही है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो टूरिस्ट डिवीजन है, वह राज्य सरकार के पास है, वह केन्द्र सरकार के पास नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए। कुछ राज्यों ने इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य ने दिया है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसको इंडस्ट्रियल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : इसका प्रोजेक्शन क्या है? यह कब बढ़ेगा?... (व्यवधान) आप देखिए कि बहुत जॉब लॉसेज हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : पूरे विश्व में जॉब लॉसेज हुआ है।

... (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I appreciate that the Minister is concerned about the well-being of tourists, but he has also got to pay some attention to the well-being of the people in India who have to run the services that tourists use.

For example, in my State, the Contract Carriage Association who run tourist busses have been begging for the last two years of the COVID-19 pandemic to please reduce the tax by 30 per cent, but nothing has been done neither by the State Government nor by the Central Government. Now, the result is that these people are selling their tourist busses below price because they cannot make a living.

Now, we are talking about improving tourism. How about the Indians who need to be helped at a time when unemployment is high, economy is going down, and we are not doing enough to support our people in order to be able to welcome tourists more effectively?

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, कोरोना के कारण टूर एंड ट्रैवलर्स पर जो इफेक्ट पड़ा है, भारत सरकार के रेकगनेशन में जो भी टूर एंड ट्रैवलर्स हैं, भारत सरकार उन सभी को 10-10 लाख रुपये बिना

ब्याज के देना चाहती है। उसके साथ-साथ जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, भारत सरकार ने उनको भी 1-1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह राज्य सरकार का विषय है, फिर भी भारत सरकार की तरफ से जितना कुछ हो सकता है, हम राज्य सरकारों को उतना सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस दृष्टिकोण से सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनके यहां पर अलग-अलग पॉलिसीज़ बननी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 164, श्री रविन्दर कुशवाहा ।

(Q. 164)

श्री रविन्दर कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री श्री धमेन्द्र प्रधान जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ और मेरा प्रश्न भी उन्हीं के लिए है। चूंकि अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में कार्य किया है और वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर आई है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आपका और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आईआईटी, वाराणसी और निगाता यूनिवर्सिटी, जापान है, इन दोनों विश्वविद्यालयों में शिक्षा पर संयुक्त अनुसंधान संगोष्ठियों के लिए छात्रों या संकाय सदस्यों के चयन हेतु क्या किसी समिति या बोर्ड का गठन कर दिया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? इनमें निष्पक्ष चयन हेतु क्या कोई मापदंड बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य की जानकारी सही है। दिनांक 1 फरवरी, 2022 को आईआईटी-बीएचयू और निगाता यूनिवर्सिटी (जापान) के बीच रिसर्च के सेक्टर में एक एमओयू हुआ है। विशेषकर पोस्ट कोरोना चैलेंजे सबके सामने आया है। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल साइंस के ऊपर ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे सारे फ्रंटियर एरियाज में हर एक साल तीन-तीन विद्यार्थी एक साल की अवधि के लिए दोनों यूनिवर्सिटीज के तय शुदा मानक के तहत जाएंगे। उनका खर्चा दोनों यूनिवर्सिटी उठाएंगी। जापान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में और इकोनॉमिक सेक्टर में हमारा बहुत भरोसेमंद मित्र है। एमओयू और विशेषकर हमारी जो एनईपी बनी है, एनईपी में दुनिया के क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशन्स के साथ भारत के रिसर्च को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाने का हमारा इनिशिएटिव है। सारी यूनिवर्सिटीज अपना एमओयू करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस दिशा में पूर्वांचल का और भारत का एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट आईआईटी-बीएचयू ने जापान के साथ एमओयू किया है। यह आने वाले दिनों में भारत के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप बहुत देर से खड़ी होकर बात कर रही हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि इस सदन में बातचीत ना करें।

श्री रविन्दर कुशवाहा : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के इलाके में जब से यशस्वी मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और हम यह चाहते हैं कि क्या मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शिक्षा का केन्द्र है, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 12बी स्टेटस मिल चुका है तो क्या सरकार किसी अन्य देश के ऐसे ही विश्वविद्यालय के साथ ऐसा ही कोई समझौता करने का विचार रखती है, जिससे गोरखपुर एवं निकटवर्ती जनपदों के छात्रों को भी वैश्विक ज्ञान का लाभ मिल सके? यदि हाँ, तो इसका क्या विवरण है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, यह एक अलग प्रश्न है, लेकिन अगर आपकी अनुमति है तो मैं इसका विस्तार से उत्तर देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रांत है। उत्तर प्रदेश पूरे देश की 1/5 पॉपुलेशन की आबादी रखता है और इसका भौगोलिक एरिया भी बहुत बड़ा है। माननीय सदस्य सलेमपुर से आते हैं और उन्होंने गोरखपुर की मदन मोहन मालवीय टेक्निकल युनिवर्सिटी का नाम लिया है। वहां इन दिनों में भारत सरकार के कई तरह के इनिशिएटिव रहे हैं। वहां पर एम्स पहुंचा है। वहां पर स्वास्थ्य, पर्यटन और अर्थनीति के विषय पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। रिसर्च की दृष्टि से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की देश के लिए जो प्रतिबद्धता है, उसमें शिक्षा एक प्रमुख अंश है। गोरखपुर पहले से पूर्वांचल का शिक्षापीठ है। उसे 21वीं सदी का एक आधुनिक शिक्षा पीठ बनाने के लिए निश्चित रूप से भारत सरकार पूरा प्रयास करेगी।

माननीय अध्यक्ष: श्री रवि किशन जी - उपस्थित नहीं।

श्री गौरव गोगोई जी.

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यूक्रेन से बहुत से भारत के छात्र आज भारत वापस आए हैं और हम सभी को उनके भविष्य के बारे में चिंता है। विशेष रूप से वे बच्चे जो आज अपनी शिक्षा में पांचवें या छठे सेमेस्टर में हैं, उनके भविष्य की शिक्षा के लिए भारत सरकार वर्तमान में क्या कदम उठा रही है?

माननीय अध्यक्ष: यह तो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेगा।

श्री गौरव गोगोई : सर, मेडिकल विभाग भी है और दूसरे भी हैं। अगर इनके पास डिटेल्स हैं तो बता सकते हैं। उनके भविष्य के लिए भारत सरकार, देश के अंदर या यूक्रेन के निकटवर्ती विभिन्न देशों में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, क्या उनके साथ कोई नीति बनाने या वार्तालाप करने के बारे में सोच रही है, ताकि इन बच्चों के भविष्य में अन्धकार न आए और इनकी शिक्षा पूरे तरीके से सम्पूर्ण हो? शायद इसमें स्वास्थ्य विभाग भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा मंत्री जी यहां हैं और यह सभी की चिन्ता है। मेरी आशा है कि इस पर शिक्षा मंत्री जी कुछ बोल पाएंगे। धन्यवाद।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, आपने सही कहा है कि यह एक अलग प्रश्न है। गौरव जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और प्रजातंत्र में कभी-कभी अच्छी बातों को पसन्द भी करना चाहिए। विशेषकर गौरव गोगोई जी जिस विरासत से आते हैं और व्यक्तिगत रूप में मेरी उनसे मित्रता है, मैं अपेक्षा कर रहा था कि वह, उनकी पार्टी और सदन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को 'ऑपरेशन गंगा' के लिए बधाई देनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 'ऑपरेशन गंगा' प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की अपने बच्चों के लिए एक कलेक्टिव विज़डम कैसी होती है, यह उसका प्रमाण है। जब ले ही आए हैं, तो उनके भविष्य के लिए, भारत सरकार उनको सामूहिक रूप में डॉक्टर बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं होंगी, उनकी चिन्ता करेगी। आप उसमें आश्वस्त रहिए। आज उनको संभालने का और शॉक से निकालने का टाइम है, हम सभी उसी में लगे हैं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 165, श्री चुन्नीलाल साहू ।

(Q. 165)

श्री चुन्नीलाल साहू : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निजी और शासकीय विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के प्रवेश के संबंध में प्रश्न किया था । माननीय मंत्री जी की ओर से जो जवाब आया है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ ।

क्या सरकार कक्षा 9 से 12वीं तक सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में, सभी राज्यों में एक समान पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने जा रही है और यह कब तक होगा, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रान्तों के विद्यार्थी भी केन्द्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि प्रवेश परीक्षाओं में अन्य प्रान्तों के विद्यार्थियों के साथ प्रवेश में सक्षम हो सकें?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 के तहत गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी और गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों में भी पढ़ाने के लिए जो एक कमिटमेंट है, वह एक सेंट्रली स्पाँशर्ड स्कीम है । इसमें भारत सरकार 60 प्रतिशत देनदारी देती है और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारें देती हैं । यह योजना बड़ी सफलता के साथ देश भर में चल रही है । माननीय सदस्य जिस राज्य से आते हैं – छत्तीसगढ़, वहां भी अभी लगभग 2 लाख 76 हजार विद्यार्थी दो साल से पढ़ रहे हैं । हम धीरे-धीरे ऐसे विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं । हमारी सरकार के वित्त विभाग की एक प्रायोरिटी है कि भारत सरकार के जो भी लाभ हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से पहुंचाएं, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं ।

माननीय सदस्य ने एक पूरक प्रश्न पूछा है कि क्या देश भर में एक ही पाठ्यक्रम होगा, शायद यह व्यावहारिक भी नहीं है, लेकिन जो मूल भावना है, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क बनाने का काम शुरू हो गया है । सारे राज्य भी अपना-अपना करीकुलम बना ही रहे हैं । इसमें एनईपी का जो एक ग्रेटर फ्रेमवर्क है – ‘पढ़ाई के साथ कमाई’ – वोकेशनल एजुकेशन और स्किल को महत्व देना, इसमें समानता लाने के लिए काम शुरू हुआ है ।

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बहुत वर्षों के बाद पहली बार भारत सरकार के शिक्षा विभाग का खर्च एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हुआ है। यह सब पैसा इसी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं में खर्च हो रहा है। भारत सरकार भारत के बच्चों को 21वीं सदी में एक सक्षम नागरिक बनाने के लिए कटिबद्ध है।

श्री मनीष तिवारी : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वर्ष 2009 में जब यूपीए की सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून लेकर आई थी और जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं, उनमें 25 प्रतिशत आरक्षण का जो प्रावधान किया था, उससे करोड़ों बच्चों को इस देश में फायदा हुआ है और उनको शिक्षा मिल पाई है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या आ रही है। वह प्रैक्टिकल समस्या यह है कि जो यह कानून है, यह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। जब बच्चा 9 वीं क्लास में पहुंचता है और वह किसी प्राइवेट अनएडेड स्कूल में है तो स्कूल उनको यह कहता है कि 10 वीं क्लास से या तो आप फीस दीजिए या अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिए। वह जो मां-बाप हैं, उनके पास प्राइवेट स्कूल की फीस देने की क्षमता नहीं है और 9 वीं क्लास में अगर वह अपने बच्चे को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकालकर किसी और स्कूल में लेकर जाते हैं तो वहां पर उस बच्चे का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो यह कानून है, इसमें संशोधन करके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक कीजिए, जिससे जो बच्चा नर्सरी में भर्ती होता है, वह 12 वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। यह मेरा सुझाव है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, देर से ही सही, यूपीए का वर्ष 2009 का क्रेडिट उन्होंने लिया। वह एक अष्टवक्र कानून लाए, यह उन्होंने आज स्वीकार किया। मनीष जी, प्रामाणिक आदमी हैं, उनको धन्यवाद है। वह पार्टी के बारे में भी बीच-बीच में दिल की बात अच्छी बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 वाला कानून पर्याप्त नहीं था, मैं भी एज ए पार्लियामेंट सदस्य, एज ए पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट

उसको स्वीकार करता हूँ। उसमें 8 वीं के बाद वह समस्या आती है। शिक्षा राज्य का विषय है। कन्क्रेट लिस्ट में प्राथमिक शिक्षा राज्य का विषय है। भारत सरकार अपनी देनदारी देती है। कुछ निजी विद्यालय 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पढ़ा देते हैं। कानून में परिवर्तन करने के लिए राज्यों से चर्चा करनी पड़ेगी और शेयरिंग की बात करनी पड़ेगी। यह बात सबके ध्यान में आई है। जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो उसे हॉलिस्टिक बनाते हैं। यह प्रश्न तो वर्ष 2009 में भी सोचा जा सकता था। ... (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : आप अब सोच लीजिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : हम कई चीजें सोच रहे हैं। मनीष जी, वित्त मंत्री जी ने इस बार एक लाख करोड़ रुपये दिये हैं और उसके लिए भी धीरे-धीरे सोचेंगे। ... (व्यवधान) Raja ji, why are you jumping up? A lot of things will come up. ... (*Interruptions*) Kani ji, this is not NEET issue. ... (*Interruptions*) I am not yielding to you. Please sit down. मनीष जी, आपका सुझाव अच्छा है। सदन को मूल विषय को समझना पड़ेगा कि यह राज्य का विषय है। भारत सरकार अपनी जवाबदेही ले रही है। हम इस बार बजट बढ़ाते-बढ़ाते चीजों को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। ... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, on behalf of my leader Dr. M.K. Stalin, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, I profoundly congratulate the Modi Government, especially Shri Jaishankar who has brought all our students from Ukraine to Chennai. Sir, a problem arises now. These students are not able to complete their medical courses as they had to come back to Tamil Nadu and other places in India. I would like to ask whether the students hailing from India who had gone to Ukraine for further studies could now be taken to Russia using Prime Minister Modi's clout with the Russian Government. Is it possible to have them admitted in Russian universities so that they can continue their studies? ... (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Why not in India?

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है कि इस पर एक धन्यवाद प्रस्ताव माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : अभी आपको इजाजत नहीं दी है।

SHRI T. R. BAALU : The same subjects are dealt with in Russian universities. My friend the Minister may kindly answer in affirmative because lives of these students are going to be adversely affected. All the students who have gone from Tamil Nadu are wards of salaried people.

माननीय अध्यक्ष : यह मेडिकल एजुकेशन का विषय है। मेडिकल के स्टूडेंट्स हेल्थ मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। मंत्री जी इसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं।

SHRI T. R. BAALU : He is a senior Minister, Sir.

HON. SPEAKER: No. There is no senior or junior, all Ministers are equal.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 166, श्री कृष्णपालसिंह यादव ।

(Q. 166)

श्री कृष्णपालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम यशस्वी प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोविड वॉरियर्स कोर्सेज की निर्मिति की है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा व प्रशिक्षण ले कर कई युवाओं को कोविड पेशेंट्स की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है एवं उनको रोजगार भी उपलब्ध हुआ है । माननीय मंत्री जी कोविड काल में, जब पेट्रोलियम मंत्री थे, तब भी मेरे क्षेत्र को काफी राहत दी थी । वहां पर सीएसआर फंड से ऑक्सीजन प्लांट्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स, वेटिलेटर्स जैसी काफी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री कृष्णपालसिंह यादव: माननीय अध्यक्ष जी, कोविड वॉरियर्स कोर्सेज लगभग पूरे देश में चालू हुए । मध्य प्रदेश में करीब 130 कोर्सेज चालू हुए, पर मेरे लोक सभा क्षेत्र में गुना और अशोक नगर, जो कि ग्रामीण इलाका है, वहां पर इस तरह के कोर्सेज चालू नहीं हुए हैं, तो माननीय मंत्री जी से मेरा यह आग्रह है कि गुना आकांक्षी जिला है और अशोक नगर ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में कोविड वॉरियर्स कोर्सेज के लिए स्किल सेंटर्स खोलने का क्या आपका कोई विचार है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि देश भर के लिए हमारा टारगेट था कि हम लोग दो लाख कोविड वॉरियर्स क्रेश कोर्सेज शुरू करें । उसमें अंत तक ऑनजॉब वाले ट्रेनिंग कोर्सेज थे । 1,18,386 कैंडिडेट्स सफलता के साथ ट्रेड हो चुके हैं, उनमें से मध्य प्रदेश में 130 सेंटर्स में 10,718 कैंडिडेट्स हैं । माननीय सदस्य ने गुना जिले के बारे में कहा है । गुना जिले में दो सेंटर्स में 208 नौजवानों को ऑनजॉब ट्रेनिंग दी गई है । वह इमर्जेंसी की व्यस्था के लिए था । धीरे-धीरे हम लोग आगे एक डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी बना कर जिले की जो आवश्यकता है और जिले से लोग जहां काम कर रहे थे, उस प्रकार की स्किलिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष : आपका सुझाव सही है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना कर उनके सुझाव के आधार पर काउंसिलिंग कराएंगे तो ज्यादा बेटर होगा ।

माननीय सदस्य, क्या आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री कृष्णपालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई युवाओं की प्रतिभाओं को निखारा गया है, उन्हें कई कोर्सेज से रोजगार भी उपलब्ध हुआ है और ऐसे रोजगार मेले हर जिले में लगातार लगते हैं । शायद सभी माननीय सांसद उन मेलों में जाते हैं । मैं अपने संसदीय क्षेत्र के युवाओं की तरफ से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ ।

अभी सरकारी अस्पतालों और कोविड सेंटर्स में सेफ्टी ऑडिट की बहुत जरूरत है । कई बार देखने में आया है कि आइसीयू, इमर्जेंसी वार्ड्स में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण कई जगहों पर कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं । मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या कोविड सेंटर्स उन हॉस्पिटल्स की सेफ्टी ऑडिट, आवश्यक टेक्निशियंस के स्किल डेवलपमेंट के लिए कोविड वॉरियर्स कोर्सेज में कुछ ऐसा प्रावधान करने का विचार है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न उठाया है । जैसे-जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग के सामने यह चैलेंज आया कि हॉस्पिटल्स, इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन, इस प्रकार की नई-नई चीजें आ रही हैं, तो उनकी सुरक्षा संबंधी चिंता बढ़ रही है । उस दृष्टि से भारत सरकार, विशेषकर एनसीवीटी, संबंधित स्टैक होल्डर्स से चर्चा करके हम नए-नए कोर्सेज बना रहे हैं । यह एक डायनैमिक प्रोसेस है । मेडिकल सेफ्टी, मेडिकल इक्विपमेंट्स और हॉस्पिटल्स की सेफ्टी सिक्यूरिटी की ऑडिट के लिए जो स्किल चाहिए, हम उन कोर्सेज को भी खोलना चाहेंगे ।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सरकार ने कोविड वॉरियर्स के क्रेश कोर्स के लिए एक अच्छी योजना बनाई है । पिछले दो वर्षों में हमने देखा है कि कोविड वॉरियर्स के साथ-साथ आशा वर्कर्स ने भी अच्छा काम किया है । पूरे देश में

उनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। आज वे एडहॉक बेसिस पर कार्यरत हैं। उनकी सेवा रेगुलर हो और उनका पे-स्केल बढ़े, इसके लिए वे लोग बहुत वर्षों मांग कर रहे हैं और आन्दोलन कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस कोर्स में कितनी आशा वर्कर्स ने एनरोल किया है? क्या सरकार इस कोर्स के माध्यम से आशा वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड री-स्किलिंग या अप-स्किलिंग के लिए कोई प्रावधान करेगी ताकि उनको कोई गेन-फुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 1 लाख 18 हजार 386 ऑन जॉब ट्रेड किए गए, उनमें कितने आशा वर्कर्स हैं, अभी इसके बारे में मेरे पास तथ्य नहीं हैं। इसके बारे में, मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा। लेकिन यह बात सही है कि सारे कामों में जो मैनपावर लग रहे हैं, उनकी अप-स्किलिंग या री-स्किलिंग की निरन्तर आवश्यकता है। भारत सरकार की योजनाएं उस दिशा में काम कर रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहनभाई कुंडारिया - उपस्थित नहीं । श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा ।

(Q.167)

श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वन्यजीवों द्वारा फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचाए जाने की संख्या में पिछले काफी समय से वृद्धि हुई है । सरकार द्वारा किसानों और उनके परिवार को नुकसान का मुआवजा तो दिया जाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इस समस्या के समाधान और मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या नहीं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इसके ऊपर विचार किया जाएगा या नहीं?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्यजीवों के द्वारा दो तरह के नुकसान होते हैं । एक, सामान्य रूप से जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, मैन-ह्युमन कांफ्लिक्ट के कारण वहाँ पर उनकी जान को खतरा होता है या दुर्घटना के कारण वे घायल होते हैं, तो उसके लिए हमारे मंत्रालय के द्वारा मुआवजे का प्रावधान किया जाता है । ऐसी स्थिति में यदि किसी की मृत्यु होती है तो पाँच लाख रुपए और ग्रिवियस इंजुरी होती है तो दो लाख रुपए और माइनर इंजुरी होती है तो घटना के हिसाब से राशि दी जाती है । अन्य राज्य सरकारों के द्वारा इसके लिए एडिशनल राशि भी दी जाती है, लेकिन जहाँ तक फसलों के नुकसान की बात है, तो फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों के नुकसान की राशि प्रदान की जाती है, जो मुख्यतः राज्य सरकारों के द्वारा ही वितरित की जाती है ।

SHRI A. RAJA : In my constituency Nilgiris, human-wildlife conflict is a big issue. I have come across one incident in which, within one month, three persons were attacked by the tigers and consequently they lost their lives. So, people's lives are at risk. As per the Government's advisory, if any direction has to be given or a final decision has to be taken, the Chief Wildlife Warden of the State concerned has to

go to the area, and discuss with the Collector, Gram Panchayat, and the District Forest Officer. It takes a number of days to arrive at the final decision. In the meanwhile, we may lose innocent lives.

My humble suggestion is whenever a new advisory is to be issued, the local District Collector, District Magistrate, and the District Forest Officer in consultation with the Gram Panchayat should take the decision as to whether such an animal has to be removed from the area or relocated to some other area. At present the authority to take such a decision is with the Government. The Government official has to go to the remote areas.

My constituency is 300 kms. away from Chennai. The Chief Wildlife Warden, the Chief Conservator of Forest, and the Forest Secretary have to go and have a discussion with the Chief District Forest Officer and then they take a decision. This whole process takes minimum 15 days, and in the meanwhile, a lot of people may be losing their lives. So, this is a serious issue which must be addressed properly. A new Advisory may be issued in this regard.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, फरवरी, 2021 में हम लोगों ने एक गाइडलाइन जारी की थी, उसमें यह कहा गया था कि जहाँ पर कांफ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पर एडहॉक राशि तुरन्त उपलब्ध करा दी जाए ताकि मरने वाले के आश्रितों को तुरन्त राशि मिले और बाद में उसका निष्पादन होता रहे। इसके लिए हमने स्टेट लेवल पर एक को-ऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। अगर तमिलनाडु के संबंध में कोई बात है, तो हम तमिलनाडु गवर्नमेंट से बात करेंगे कि वह इतना इन-इफेक्टिव क्यों है।

SHRI A. RAJA: Let there be guidelines in this regard.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जंगली जानवरों से फसलों को जो नुकसान होता है, उसके लिए भी एक विस्तृत गाइडलाइन होनी चाहिए। आपने उत्तर में लिखा है कि जंगली जानवरों से जो फसलों को नुकसान होता

है, उसकी गाइडलाइन के लिए आपने ग्राम पंचायत को अधिकार दिए हैं, उसकी एक व्यापक गाइडलाइन पुनः सभी प्रदेशों को चली जाए।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से मंत्रालय इसकी गाइडलाइन को जारी करेगी।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
(Starred Question Nos. 168 to 180
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070)
(Page No. 50 to 714)**

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त ।

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

12.00 hrs(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

... (व्यवधान)

12.01 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे - श्री पंकज चौधरी जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) का.आ.5226(अ) जो 15 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं.36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (2) दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 98/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (3) दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 99/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं

को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (4) दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 100/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (5) दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 101/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (6) दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 102/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (7) दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 103/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (8) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 104/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (9) दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 105/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (10) दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 106/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (11) का.आ.5496(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं.36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) दिनांक 3 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 01/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित

करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (13) दिनांक 6 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 02/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (14) का.आ.194(अ) जो 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं.36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (15) दिनांक 20 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6508/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Commerce and Industry for the year 2022-2023.
- (2) Output Outcome Monitoring Framework of the Department of Commerce and Industry, Ministry of Commerce and Industry for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 6509/17/22]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2022-2023 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 6510/17/22]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6511/17/22]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की

विस्तृत मांगें।

- (2) वर्ष 2022-2023 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 6512/17/22]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6513/17/22]

- (3) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6514/17/22]

- (5) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6515/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2020-2021, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pension Fund Regulatory

and Development Authority, New Delhi, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 6516/17/22]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2020-2021.
- (ii) Annual Report of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6517/17/22]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the period from 01.10.2021 to 31.12.2021.
- (ii) Liquidator's Report on the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the period from 01.10.2021 to 31.12.2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (a) of (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 6518/17/22]

- (4) A copy of the Payment and Settlement Systems (Amendment) Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. CO.DPSS/Ovrst.No.S1417/06.08.001/2021-22 in weekly Gazette of India dated 16th February, 2022 under sub-section (3) of Section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 6519/17/22]

- (5) A copy of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Amendment Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.58(E) in Gazette of India dated 31st January, 2022 under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 6520/17/22]

- (6) A copy of the Notification No. F. No. IRDAI/RI/1/180/2022 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th January, 2022 regarding 'Obligatory Cession for the financial year 2022-23' under sub-section (3) of Section 114A of the Insurance Act, 1938 and Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 6521/17/22]

12.03 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

29th Report

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN
RAM MEGHWAL):** Hon. Chairperson, Sir, I beg to present the Twenty-ninth
Report of the Business Advisory Committee.

12.03 ¼ hrs

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS

11th Report

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, श्री राधा मोहन सिंह की ओर से, मैं
'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों(2022-23)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का ग्यारहवां
प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

30th Report

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : माननीय सभापति महोदय, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की 'मांगों(2022-23)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

12.03 ¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS

238th and 239th Reports

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार) : माननीय सभापति महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. 'गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 238 वां प्रतिवेदन।
 2. 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 239 वां प्रतिवेदन।
-

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

314th to 318th Reports

SHRI SUNIL BABURAO MENDHE (BHANDARA-GONDIYA): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

- (1) Three Hundred Fourteenth Report on Demands for Grants (2022-23) of Ministry of Civil Aviation.
 - (2) Three Hundred Fifteenth Report on Demands for Grants (2022-23) of Ministry of Culture.
 - (3) Three Hundred Sixteenth Report on Demands for Grants (2022-23) of Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
 - (4) Three Hundred Seventeenth Report on Demands for Grants (2022-23) of Ministry of Road Transport and Highways.
 - (5) Three Hundred Eighteenth Report on Demands for Grants (2022-23) of Ministry of Tourism.
-

माननीय सभापति: आइटम नम्बर -15, डॉ. सुभाष सरकार।

12.05 hrs

**STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 905
DATED 7 FEBRUARY, 2022 REGARDING CTET EXAM IN MAITHILI LANGUAGE***

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति महोदय, मैं 'मैथिली भाषा में सीटीईटी परीक्षा' के बारे में श्री गोपाल ठाकुर, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 905 के 7 फरवरी, 2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

महोदय, संक्षिप्त उत्तर सीटीईटी को सलाहकार और कार्यान्वयन समिति ने 24.04.2014 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में केवल उपरोक्त भाषाओं के साथ यह परीक्षा जारी रखने का निर्णय लिया है।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6507/17/22

अनुबंध-III

प्रारूप

मैथिली भाषा में सीटीईटी परीक्षा के संबंध में दिनांक 07.02.2022 को लोकसभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 905 के भाग (क) से (ग) के उत्तर को सही करने के लिए शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य

में "मैथिली भाषा में सीटीईटी परीक्षा" के संबंध में दिनांक 07.02.2022 को लोकसभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 905 के भाग (क) से (ग) के उत्तर को सही करने का अनुरोध करता हूँ:


प्रश्न का/के भाग, जिसका/जिनका उत्तर दिया गया	के लिए	पढ़ें
(क) क्या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) बीस भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;	(क) से (ग): राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने के लिए पैरा 8 के प्रावधानों के अनुसार इस शर्त के अध्यक्षीन दिशानिर्देश परिचालित किए हैं कि प्रश्न पत्र द्विभाषी होगा (i) समुचित सरकार द्वारा तय की गई भाषाओं में; और (ii) अंग्रेजी भाषा में।	(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने इस शर्त के अध्यक्षीन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने के लिए पैरा 8 के प्रावधानों के अनुसार दिशानिर्देश परिचालित किए हैं कि प्रश्न पत्र (i) समुचित सरकार द्वारा यथा निर्धारित भाषाओं में; और (ii) अंग्रेजी भाषा में द्विभाषी होगा।
(ख) क्या मैथिली भाषा, जो विश्व की सबसे मधुर और प्राचीन भाषा है और जिसे संविधान की आठवीं अनुसूची और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, को सीटीईटी में शामिल किए जाने की संभावना है और	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा दिनांक 01.04.2011 को आयोजित इसकी पहली परीक्षा के बाद से केंद्रीय शिक्षक पात्रता	01.04.2011 को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) की
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं,		

88/2022

724

<p>तो इसके क्या कारण हैं?</p>	<p>परीक्षा (सीटीईटी) 20 भाषाओं अर्थात्, (i) अंग्रेजी, (ii) हिंदी, (iii) असमिया, (iv) बंगाली, (v) गारो, (vi) गुजराती, (vii) कन्नड़, (viii) खासी, (ix) मलयालम, (x) मणिपुरी, (xi) मराठी, (xii) मिजो, (xiii) नेपाली, (xiv) उड़िया, (xv) पंजाबी, (xvi) संस्कृत, (xvii) तमिल, (xviii) तेलुगु, (xix) तिब्बती, (xx) उर्दू में आयोजित की जाती है। सीटीईटी की सलाहकार और कार्यान्वयन समिति ने 24.04.2014 को आयोजित इसकी चौथी बैठक में निर्णय लिया कि "मैथिली भाषा कक्षा I-VIII के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है और यह हिंदी की उप भाषा भी है, इसलिए इसे सीटीईटी परीक्षा के लिए भाषा विकल्प के रूप में नहीं दिया गया है।"</p>	<p>पहली परीक्षा से ही यह परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा 20 भाषाओं में आयोजित की जाती है: (i) अंग्रेजी, (ii) हिंदी, (iii) असमिया, (iv) बंगाली, (v) गारो, (vi) गुजराती, (vii) कन्नड़, (viii) खासी, (ix) मलयालम, (x) मणिपुरी, (xi) मराठी, (xii) मिजो, (xiii) नेपाली, (xiv) उड़िया, (xv) पंजाबी, (xvi) संस्कृत, (xvii) तमिल, (xviii) तेलुगु, (xix) तिब्बती, (xx) उर्दू। सीटीईटी की सलाहकार और कार्यान्वयन समिति ने 24.04.2014 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में केवल उपरोक्त भाषाओं के साथ यह परीक्षा जारी रखने का निर्णय लिया।</p>
-------------------------------	---	---

असुविधा के लिए खेद है।


 डॉ. सुभाष सरकार
 Dr. Subhas Sarkar
 शिक्षा राज्य मंत्री
 Minister of State for Education
 भारत सरकार/Govt. of India
 नई दिल्ली/New Delhi

ANNEXURE-III

FORMAT

**STATEMENT TO BE LAID BY THE MINISTER OF STATE FOR EDUCATION
CORRECTING THE ANSWER TO PART (A) TO (C) OF THE UNSTARRED
QUESTION NO 905 GIVEN IN THE LOK SABHA ON THE 07.02.2022
REGARDING CTET EXAM IN MAITHILI LANGUAGE**


I beg to correct the part (a) to (c) given in the answer to Unstarred Question No. 905 in the Lok Sabha on the 07.02.2022 regarding "CTET Exam in Maithili Language" as follows :

Part/(s) of the Question answered	For	Read
(a) whether Central Teacher Eligibility Test (CTET) is held in twenty Indian languages and if so, the details thereof; (b) whether Maithili language, which is world's sweetest and classical language and included both in the Eighth Schedule to the Constitution and in the syllabus of Central Board of Secondary Education, is likely to be included in CTET; and (c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?	(a) to (c): The National Council for Teacher Education (NCTE) has circulated guidelines in accordance with the provisions of Para 8 for conducting Teacher Eligibility Test (TET) under Right of Education of Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 subject to the condition that the Question Paper shall be bilingual (i) in languages as decided by the appropriate Government; and (ii) English Language. The Central Teacher Eligibility Test (CTET) is conducted by Central Board of Secondary Education (CBSE) in 20 languages viz., (i) English, (ii) Hindi, (iii) Assamese, (iv) Bengali, (v) Garo, (vi) Gujarati, (vii) Kannada, (viii) Khasi, (ix) Malayalam, (x) Manipuri, (xi) Marathi, (xii)	(a) to (c): The National Council for Teacher Education (NCTE) has circulated guidelines in accordance with the provisions of Para 8 for conducting Teacher Eligibility Test (TET) under Right of Education of Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 subject to the condition that the Question Paper shall be bilingual (i) in languages as decided by the appropriate Government; and (ii) English Language. The Central Teacher Eligibility Test (CTET) is conducted by Central Board of Secondary Education (CBSE) in 20 languages viz., (i) English, (ii) Hindi, (iii) Assamese, (iv) Bengali, (v) Garo, (vi) Gujarati, (vii) Kannada, (viii) Khasi, (ix) Malayalam, (x) Manipuri, (xi) Marathi, (xii)

226

	<p>Mizo, (xiii) Nepali, (xiv) Oriya, (xv) Punjabi, (xvi) Sanskrit, (xvii) Tamil, (xviii) Telugu, (xix) Tibetan, (xx) Urdu, since its first examination held on 01.04.2011. Advisory and implementation Committee of CTET in its 4th meeting held on 24.04.2014 decided that "Maithili language is not used as the medium of instruction for class I-VIII and is also a sub language of Hindi, the same has not therefore, been given as language option for the CTET examination."</p>	<p>Mizo, (xiii) Nepali, (xiv) Oriya, (xv) Punjabi, (xvi) Sanskrit, (xvii) Tamil, (xviii) Telugu, (xix) Tibetan, (xx) Urdu, since its first examination held on 01.04.2011. Advisory and implementation Committee of CTET in its 4th meeting held on 24.04.2014 decided to continue with the above languages only.</p>
--	---	--

The inconvenience caused is regretted.


 डॉ. सुभाष सरकार
 Dr. Subhas Sarkar
 शिक्षा राज्य मंत्री
 Minister of State for Education
 भारत सरकार/Govt. of India
 नई दिल्ली/New Delhi

1

माननीय अध्यक्ष : आईएम नम्बर 16, श्री धर्मेन्द्र प्रधान ।

12.06 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Court of University of Delhi

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 2(1)(उन्नीस) और (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसे रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 2(1)(उन्नीस) और (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसे रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.07 hrs

**MOTION RE: REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON BIOLOGICAL
DIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2021 – EXTENSION OF TIME**

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): I beg to move the following motion:-

“That this House do extend up to the 03 June, 2022, the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को 3 जून, 2022 तक बढ़ाती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.07 ½ hrs

UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR BUDGET, 2022-2023

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to present a statement (Hindi and English versions) of estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 2022-23.

12.08 hrs

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS - UNION TERRITORY OF
JAMMU AND KASHMIR, 2021-2022**

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing the Supplementary Demands for Grants in respect of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 2021-22.

12.08 ¼ hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS , 2021-2022

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants – Third and Final Batch for 2021-22.

12.08 ½ hrs

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2018-2019

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Demands for Excess Grants for 2018-2019.

12.09 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों के नियम 377 के मामले स्वीकृत किए गए हैं, वे कृपया निर्धारित समय पर उन्हें सभा पटल पर पहुंचा दें।

(i) Regarding participation of Members of Lok Sabha in programmes meant for implementation of various Government schemes

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहाँपुर (उ0प्र0) में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केन्द्रीय संचालित योजनाओं यथा - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), अटल पेंशन योजना इत्यादि से संबंधित जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बैंकों द्वारा उसकी कोई भी जानकारी स्थानीय सांसद को नहीं दी जाती है और न ही उनके द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में स्थानीय सांसद को आमंत्रित किया जाता है। यह एक जन-प्रतिनिधि का अपमान है। जबकि केन्द्र सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के कार्यक्रम में स्थानीय सांसदों की भी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए।

अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहाँपुर में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों के विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक किन-किन तिथियों में केन्द्रीय योजनाओं के संचालन हेतु कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा उनमें स्थानीय सांसद को किन-किन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है और किन-किन में नहीं, इसकी केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर जांच करवाकर बैंक अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेवारी सुनिश्चित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाए और भविष्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से शाहजहाँपुर

* Treated as laid on the Table.

संसदीय क्षेत्र में संचालित होने वाली केन्द्रीय योजनाओं में क्षेत्रीय सांसद की भूमिका सुनिश्चित किए जाने हेतु भी समुचित कदम उठाए जाएं।

(ii) Need to address the problem of acute shortage of drinking water in Sikar district, Rajasthan

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): राजस्थान के सीकर जिले सहित पूरे शेखावाटी में भूजल स्तर जमीन में नीचे जाने की वजह से पेयजल की गंभीर स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। मेरे लोकसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा डार्क जोन की स्थिति में है, वहां खेती करना तो दूर की बात, पीने के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होती जा रही है। मेरा माननीय जलशक्ति मंत्री जी से निवेदन है कि सीकर जिले को अति शीघ्र नहरों के माध्यम से जोड़कर पानी उपलब्ध करवाने की कृपा करें ताकि आमजन को इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके।

(iii) Need to connect villages in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar with high speed broadband network

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): बिहार राज्य अंतर्गत महाराजगंज लोकसभा मेरा संसदीय क्षेत्र है। मेरा संसदीय क्षेत्र सारण प्रमंडल के सारण (छपरा) एवं सिवान जिला में परिसीमित है। मेरे संसदीय क्षेत्र की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है। आधुनिक विकास के दौर में संचार के क्षेत्र में हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तन से हमारे देश के गाँवों को भी भारत नेट अभियान के तहत "ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाई स्पीड ब्राडबैंड नेटवर्क" से जोड़ने का फैसला वर्तमान सरकार के द्वारा लिया गया है। इस अभियान के तहत मैं अपने संसदीय क्षेत्र के सभी गांवों को भी "ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाई स्पीड ब्राडबैंड नेटवर्क" से जोड़ने का आग्रह भारत सरकार से करता हूँ ताकि इस घोर प्रतिस्पर्धा के युग में हमारा गांव भी इंटरनेट की सुविधा तीव्रगति से प्राप्त कर सके। अतः मेरा संचार मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सारण (छपरा) जिला अंतर्गत तरैयाँ, पानापुर, इसुआपुर, मशरक, बनियापुर, जलालपुर, माँझी, एकमा, लह्लादपुर (जनताबाजार) तथा सिवान जिला अंतर्गत भगवानपुर हाट, बसंतपुर, गोरियाकोठी एवं महाराजगंज प्रखंडों के सभी गांवों को "ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाई स्पीड ब्राडबैंड नेटवर्क" से जोड़ा जाए।

(iv) Regarding paddy procurement in Odisha

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Farmers in Odisha are left distressed due to the Odisha Government's tardy pace of paddy procurement from the farmers in the state. Despite the lag highlighted back in January itself, the government is yet to act swiftly for mass procurement of paddy, which will also alleviate the woes of the farmers. Due to the delayed procurement, farmers are forced to either sell their produce at a lower price than the MSP or deploy more resources to preserve the produce. The Government is yet to procure produce from farmers to whom tokens were issued. Adding to their distress, some of the tokens have also expired and the civil supplies officials are denying to renew those. All in all, the pace of the process is costing the farmers financially. I urge the Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare to seek a report from the Government of Odisha indicating their plan of action and remedial measures to resolve it.

(v) Regarding completion of development projects in Deoghar, Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar is an important religious hub and is home to one of the twelve Jyotirlingas and a shaktipeeth with upwards of fifty million people visiting the pious city annually. I urge to chalk out a comprehensive programme in which previously sanctioned projects shall be reviewed and new projects will be tabled for further development in the backward region.

1. Q-Complex, which received a grant of Rs. Twenty-five crores from the Government of India in the year 2012 is lying unfinished.
2. The Ministry of Tourism has included Deoghar city in the Prasad yojana. At the time of its inclusion, I had raised an issue concerning the narrow streets of the city leading to the temple should be widened.
3. The Prime Minister in the year 2015 had announced a package for the development of religious sites in the region, especially the Sultanganj to Deoghar corridor for the betterment of the facilities in the Kanwar Yatra and the overall holistic development of religious sites in the area.
4. The Deoghar, Santhal Pargana, and Jharkhand region is the hub of numerous religions, including Jainism and Hinduism. A comprehensive plan should be chalked out for the development of a circuit which connects the major religious hubs of the pious region. This circuit will impact India's reputation globally. Parasnath, Deoghar, Basukinath Maluti, Tarapith, Vikramshila, Bateshwarsthan, Mandar, Champapuri, Sultanganj, Karangari in Munger are all

pivotal religious hubs with hundreds of millions of devotees flocking to these temples annually to pay their respects.

5. The Food Craft Institute is an incomplete project in Deoghar.

Thus, I request to complete the projects for the development of the backward region.

**(vi) Need to re-open the path between village Ujhah and Bapauli Anaj
Mandi in Panipat district, Haryana**

श्री संजय भाटिया (करनाल): मेरे संसदीय क्षेत्र में जिला पानीपत के गांव उझाह, रसलापुर जो मार्केट कमेटी का रास्ता रसूलपुर होते हुए बापौली अनाज मंडी जाता है वह रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बंद कर दिया गया है रास्ता बंद होने के कारण गांव रिसालू, गांव उझाह व आसपास के किसानों को फसल बेचने व खेतों में आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय सड़क परिवहन मंत्री से आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बंद किये गए गांव उजाह, रसलापुर व रिसालु जो मार्केट कमेटी का रास्ता रसूलपुर होते हुए बापौली अनाज मंडी में जाता है, उस मार्ग पुनः खुलवाने का विचार करें।

(vii) Need to improve digital platform for online education in Jharkhand

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): नीति आयोग की शिक्षा रैंकिंग के अनुसार मेरा गृह-राज्य झारखंड बड़े राज्यों में सबसे नीचे अंकित 5 नामों में एक है, और वृद्धिशील प्रगति के मामले में सबसे पीछे है। यह शोचनीय विषय है कि झारखंड में केवल 30% बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 70% है। कोविड-19 महामारी ने शिक्षा प्रणाली को हिला कर रख दिया है। झारखंड, जो पहले से ही खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, यहाँ स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। बिना आवश्यक बुनियादी ढांचे के ऑनलाइन शिक्षा ने राज्य में परिस्थितियों को और भी निराशाजनक बना दिया है और लोगों तक शिक्षा-स्रोतों की पहुंच को कम कर दिया है। कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा में झारखंड बड़े राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर है। राज्य में खराब डिजिटल बुनियादी ढांचे के कारण, राज्य दीक्षा और ई-पाठशाला जैसे केंद्रीय कार्यक्रमों के लाभों को जनता तक पहुंचाने में असमर्थ रहा है। इंटरनेट कनेक्शन के बिना ऑनलाइन शिक्षा संभव नहीं है। कहने को तो झारखंड के लगभग 80% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर हैं किन्तु केवल 30% के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। ऐसी खराब कनेक्टिविटी के कारण, अधिकांश स्कूलों में शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हैं। रिपोर्टों के अनुसार, झारखंड में केवल 15.3% स्कूली छात्रों के पास कोविड लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध थे। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के उचित प्रबंधन के अभाव के कारण लाखों छात्रों का नुकसान हुआ है। पूरी संभावना है कि इसका प्रभाव उनके जीवन में बहुत व्यापक हो और एक पूरी पीढ़ी सीमित अवसरों के साथ बड़ी हो। केंद्र सरकार के निवेदन करता हूँ कि झारखंड राज्य शिक्षा के प्रति सजग हो और वह देश के भविष्य की रक्षा के लिए प्राथमिकता से काम करे, इस हेतु केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश झारखंड राज्य सरकार को दिये जाएँ।

(viii) Need to enhance the pension under EPS-1995

श्री उन्मेश भैयासाहेब पाटिल (जलगाँव): ईपीएस -95 पेंशन लाभार्थियों ने अपने परिश्रम से देश के विभिन्न संगठनों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दिया है। देशभर के 65 लाख से ज़्यादा ईपीएस - 95 पेंशनरों के लिए वर्तमान में दी जानेवाली पेंशन राशि बहुत ही कम है जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं. 2018 में श्रम संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट और ईपीएफओ की संबंधित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि ईपीएस -95 पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त 2013 में कोशियारी समिति ने भी इस राशि को बढ़ाने का अनुमोदन किया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ईपीएस -95 योजना के तहत आने वाले पेंशनरों की मांगों पर कार्रवाई करे और इसके लिए, केंद्र सरकार EPS-95 पेंशन योजना में आवश्यक परिवर्तन करके EPS-95 पेंशनरों और उनके परिवारों को 9000 / - रुपये प्रतिमाह की मूल पेंशन दी जानी चाहिए और साथ में महंगाई भत्ता या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए जिससे इन पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिले और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।

**(ix) Need for restoration of train services affected due to Covid-19 Pandemic
in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra**

श्री रामदास तडस (वर्धा): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा की जनता के समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि कोविड- 19 महामारी के बाद अनेक रेल सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

1. नागपुर मंडल मध्य रेल के अंतर्गत MST/QST पास का वितरण त्वरित पुनर्प्रारंभ किया जाए।
2. सिंदी (रिल्वे), तुळजापूर, सेवाग्राम वर्धा, हिंगणघाट, पुलगांव, धामणगांव, चांदूर, वरुड, मोर्शी रेल स्थानकोपर कोविड-19 के पूर्व मेल / एक्सप्रेस गाड़ियों के जो ठहराव स्वीकृत थे उन्हें त्वरित बहाल किया जाए।
3. 12159 / 12160 अमरावती-जवलपूर-अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसे नागपुर रेल स्थानक तक टर्मिनेट किया गया है, उसे पुनश्च अमरावती तक प्रारंभ किया जाए।
4. 12119/12120 अजनी-अमरावती-अजनी इंटरसिटी एक्सप्रेस सेवा कोविड के पश्चात रद्द की गई है, उसे तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किया जाए। इन सभी विषयों पर मैंने विस्तृत रूप से मंडल रेल कार्यालय नागपुर मध्य रेल को समय-समय पर अवगत कराया है, तथा प्रवासी संगठनों से अनेक आवेदन उपर्युक्त विषयों पर प्राप्त हुये हैं। अतः उपरोक्त मुद्दे पर विचार कर शीघ्र व्यवस्था करने का कष्ट करें।

**(x) Need to provide financial assistance to farmers to
promote organic farming**

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): देश में दिन प्रतिदिन कैंसर जैसी भयंकर बीमारी बढ़ रही है। यह बीमारी ग्रामीण स्तर पर बहुत तेजी से फैल रही है इस बीमारी के मुख्य कारण खान-पान है। वर्तमान में सभी फसलों व सब्जियों और फलों आदि में रासायनिक खाद के नाम पर जहर मिलाया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि अगर रासायनिक खाद की जगह किसान को जैविक खेती करने के लिए प्रति वर्ष 10000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे दी जाए तो किसान रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक खेती की और अग्रसर होगा. प्रति वर्ष 63222 करोड़ रुपए के करीब रासायनिक खाद के लिए बजट रखा गया है, दूसरा रासायनिक खाद से जो बीमारियाँ फैल रही उनके इलाज पर भी सरकार का प्रतिवर्ष लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। रासायनिक खाद के ज्यादा प्रयोग से हमारे देश के चावल व गेहूं के निर्यात में भी भारी कमी देखने को मिल रही है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसान को हरवर्ष प्रति एकड़ दस हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाए।

**(xi) Regarding setting up of an AIIMS at Kinalur in
Kozhikode district of Kerala**

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Kerala is facing new challenges in health sector. The health infrastructure is inadequate to overcome these challenges. Medical education facilities are limited in the state. The COVID pandemic exposed the vulnerable condition of the health infrastructure of Kerala. The students are migrating to foreign countries in search of quality health education. Lifestyle diseases are rampant in the state. In this context, the state government proposed an All India Institute of Medical Science (AIIMS) at Kinalur in Kozhikode district of Kerala under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. Kerala is the only major state not having an AIIMS. Kerala had been expecting allocation of funds for the proposed AIIMS in the Union Budget 2022-23, but the budget didn't mention about AIIMS for Kerala. Hence, I request the Ministry of Health and Family Welfare to take urgent initiative to set up the AIIMS at Kinalur in Kozhikode district of Kerala.

(xii) Regarding plight of Indian Students enrolled in various universities in Ukraine

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Around 20,000 Indian students are back in the country from the war torn Ukraine. There were medical, engineering and aeronautical engineering students from India in various universities of Ukraine. All these students are in a deep desperation as their educational future is already doomed in a war torn country. None of them can go back to their institutions after all the mess, trauma and hurdles they faced in this Russian war in Ukraine. The GOI should facilitate all educational possibilities for all those who want to continue their education in India. After completion of the course, they will be ready for FMG Eligibility Examinations. It is a matter of future of the thousands of Indian talents which should not be neglected. And after all the trauma they faced amidst the war and terror, their case must be considered now, otherwise, it will be a terrible injustice towards them.

(xiii) Regarding operationalisation of Vellore Airport, Tamil Nadu

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): The Government has recently announced that five airports in Tamil Nadu are being built under the 'Ude Desh Ka Aam Naagrik' (UDAN) programme. Among this, Vellore airport is likely to be completed and made operational very soon. Unfortunately, the much-awaited opening of the Vellore airport is getting delayed further due to reasons better known to the Airports Authority of India. Vellore is one of the fastest growing City Corporations in Tamil Nadu. The CMC hospital at Vellore attracts lots of patients everyday from surrounding Districts and States. Apart from commercial success, Vellore is known for Educational excellence. Lots of students from other states and countries are visiting Vellore. Like-wise, pilgrims from all over India and abroad are visiting Vellore. Vellore is the most important historical city which has tremendous growth potential and will be a wonderful place if the government or any private player starts a flying school at Vellore to train commercial pilots which requires a flying school. Therefore, I request the union Government to expedite the completion of the airport at Vellore and facilitate the air travel to Vellore from Cities in Tamil Nadu and neighbouring States like Andhra, Telangana, Karnataka and Kerala.

**(xiv) Regarding completion of pending railways works in Parbhani
Parliamentary Constituency, Maharashtra**

श्री संजय जाधव (परभणी): पूर्णा रेलवे जंक्शन देश के जाने माने जंक्शनों में से एक और परभणी के पास बना है, जो देश के विभिन्न शहरों को जोड़ता है यहां पर रेलवे हॉस्पिटल और स्कूल सहित अन्य सुविधाएं भी हैं परन्तु परभणी पूर्णा जंक्शन पर कार सेड का काम नहीं हुआ है और परभणी- मनमाड डबल ट्रैक का काम अभी बाकी है! अतः परभणी पूर्णा जंक्शन में कार सेड और परभणी -मनमाड डबल ट्रैक के काम तथा उसके साथ ही परभणी में जो भी रेलवे के बाकी बचे काम हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए इसका मुख्य कार्यालय जो अभी नांदेड़ चला गया है, उसको वापस पुर्णा जंक्शन या परभणी में लाया जाय, यहां पर रेलवे 300 एकड़ भूमि खाली पड़ी है इस जगह पर औद्योगिक हब बनाया जाय तांकि यहाँ पर यात्रियों को सुविधा और परभणी की क्षेत्रीय जनता को रोजगार मिल सके ।

(xv) Regarding present status of smart cities mission in Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): केन्द्र सरकार ने 25 जून, 2015 को एक बड़ी महत्वाकांक्षी स्मार्ट-सिटी योजना की शुरुआत की थी। इसमें 100 शहरों को विकसित कर सभी सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रस्ताव पारित कर 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उन 100 शहरों की योजना में वर्ष 2016 में बिहार के भागलपुर और 2017 में पटना व मुजफ्फरपुर और 2018 में मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ को चयनित किया गया। योजना के अधीन भागलपुर को 1309.30 करोड़ रुपये, पटना 2776.16 करोड़ रुपये, मुजफ्फरपुर को 1028 करोड़ रुपये और बिहार शरीफ को 900 करोड़ रुपये की कुल व्यय की परियोजना स्वीकृत हुई। जिसमें अभी तक कुल 980 करोड़ रुपये यानि पटना के लिए 380 करोड़ रुपये, मुजफ्फरपुर के लिए 112.50 करोड़ रुपये, भागलपुर के लिए 382 करोड़ रुपये और बिहार शरीफ के लिए 110 करोड़ रुपये की राशि निर्गत हुआ है। चारों शहरों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। काम की गति काफी धीमी है। टेण्डर हुए, परन्तु सब लम्बित है। कुछ कार्य ही दिखावे के लिए किए जा रहे हैं। यह विडम्बना ही है कि परियोजना के लिए एसपीवी जो बना है, उसमें नियुक्तियाँ भी लम्बित हैं। पद रिक्त हैं, फिर काम की रफ्तार और निगरानी कैसे होगी? किसी भी स्मार्ट-सिटी को एयरपोर्ट की जरूरत होती है, मगर पटना को छोड़कर तीनों शहरों में एयरपोर्ट के लिए अभी तक किसी योजना की स्वीकृति नहीं हुई है। यहाँ पर अनियमितताओं की भी काफी शिकायतें आ रही हैं। अतः मैं मा. आवासन और शहरी कार्य मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बिहार के चारों चयनित स्मार्ट-सिटी परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए जरूरी कदम उठाये।

**(xvi) Regarding inclusion of Asrukhal Jora, Cuttack district, Odisha in
National Wetland Conservation Programme**

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Asrukhal Jora of Cuttack district is a vast wetland. This needs to be included in National Wetland Conservation Programme. This wetland has become defunct because of the closing of the mouth of the river Mahanadi- Suka Paika in the early Sixties. Earlier Suka Paika river was feeding water to the wetland and resultant flow generated the wetland for its self-maintenance. Asrukhal Jora wetland of Odisha is the largest wetland of 63 kms which needs to be included in NWCP by geo-tagging, assigning of UID and granting Bio-diversity Park for its long term management in order to shape it as a Tourist spot. I urge upon the Government to take up this project on urgent basis.

(xvii) Regarding ground-water pollution caused by industrial units in Amroha district, Uttar Pradesh

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): ग्राम चंदनपुर ब्लाक गंगेश्वरी में चीनी मिल तथा ग्राम पंचायत चौधरपुर ब्लॉक जोया जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाई खास कर ब्रास, कम्बल व अन्य उद्योगों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP)/प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्र नहीं चलाते हैं। ग्राम पंचायत के समीप लगी कारखानों द्वारा रसायन युक्त पानी बोर वेल के माध्यम से सीधे जमीन के अन्दर डाला जाता है। कारखानों में इस्तमाल होने वाला जानलेवा हानिकारक रसायन जल में मिल कर जमीन के अन्दर जाता है। जिस से पूरे क्षेत्र का जल स्तर दूषित हो गया है। क्षेत्रीय जनता व मवेशी यहाँ दूषित जल पीने को बेबस हैं, दूषित जल पीने की वजह से जानलेवा भयंकर बीमारियों जैसे कैंसर एवं अन्य कई लाईलाज बिमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रवासियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। अतः सरकार से मेरी मांग है कि इन क्षेत्रों में लगे उद्योगों तथा आसपास के कारखानों द्वारा किए गए उल्लंघन की जांच की जाए एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए जिससे लोगों के जीवन की रक्षा हो सके।

کنور دانش علی (امروہ): محترم اسپیکر صاحب، گاؤں چندن پور بلاک گنگیشوری میں چینی مل اور گاؤں پنچایت چودھرپور بلاک جويا، امروہ ضلع، اتر پردیش میں صنعتی اکائی خاص کر براس، کمبل اور دوسری صنعتوں کے ذریعہ ایفلیوینٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ آلودگی کنٹرول پلانٹ نہیں چلاتے ہیں۔ گرام پنچایت کے قریب لگے کارخانوں کے ذریعہ کیمیکل ملا ہوا پانی بور ویل کے ذریعہ سیدھے زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ کارخانوں میں استعمال ہونے والا جان لیوا، بہت خطرناک کیمیکل پانی میں مل کر زمین کے اندر جاتا ہے۔ جس سے پورے علاقے کا پانی آلودہ ہو گیا ہے۔ مقامی لوگ اور مویشی یہاں آلودہ پانی پینے کو مجبور ہیں، اور آلودہ پانی پینے کی وجہ سے وہاں جان لیوا خطرناک بیماریاں جیسے کینسر اور دوسری کئی

لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جس سے وہاں کے مقامی حضرات میں خوف کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس لئے سرکار سے میری مانگ ہے کہ ان علاقوں میں صنعتوں اور آس پاس کے کارخانوں کے ذریعہ کئے گئے وائیولیشن کی جانچ کی جائے اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جس سے لوگوں کی زندگی کی حفاظت ہو سکے۔ شکریہ

(xviii) Regarding grant of funds for National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ) at Zaheerabad in Telangana

SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD): The National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ) at Zaheerabad in Telangana was accorded final approval by DIPP, Ministry of Commerce on 22.01.2016. The project envisages developing an extent of 12,365 acres with an investment of Rs. 13,000 crore with funding from the Govt. of India & the State government. In this context the State government has taken pro-active steps for acquisition of 3500 acres of land with its own funds. The detailed master plan for development of Phase-1 is also ready. Telangana State government has requested DIPP, Ministry of Commerce for release of an amount of Rs, 500 cr. towards Govt. of India share for development of external & internal infrastructure under Phase-1. Telangana State Government is committed to provide the matching state share as per norms. In keeping with the priorities of the Government of India & Make in India campaign, it is requested that funding for this project may be started at the earliest for promoting manufacturing activity in Telangana.

(xix) Regarding storm water drainage scheme in Samastipur, Bihar

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर (बिहार) अंतर्गत समस्तीपुर शहर जल जमाव की विकराल समस्या से जूझ रहा है। पिछले वर्ष बरसात में शहरी आबादी बुरी तरह इस समस्या से प्रभावित रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार ने Storm Water Drainage Scheme, Samastipur के नाम से DPR भी बनाया है, जिसके प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। जनहित के लिए इस स्कीम पर शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

**(xx) Need to conduct Army recruitment in Satara Parliamentary
Constituency, Maharashtra**

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): कोरोना महामारी की वजह से पिछले दो सालों से भारत देश की थल सेना, नौ सेना और वायु सेना की भर्ती महाराष्ट्र में बंद है। देश में कोरोना महामारी का असर अभी कम हो गया है। मैं सतारा लोकसभा क्षेत्र का सांसद हूँ। सतारा जिले के अनेक गांव ऐसे हैं जहाँ हर घर से नौजवान देश की सेवा करने हेतु सेना में भर्ती होते हैं। पिछले दो सालों से भारतीय सेना की भर्ती सतारा और आस पास के जिलों में नहीं हुई। मेरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बहुत सारे नौजवान सेना में भर्ती होने की उम्मीद से तैयारी कर रहे हैं। जिनकी तैयारी हुई ऐसे नौजवान मुझे मिलकर भर्ती शुरू करने की बिनती रक्षा मंत्रीजी से करने के लिए मुझे अर्जी दे चुके हैं। मेरा रक्षा मंत्री जी से आग्रह है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया बंद है, उसे जल्द से जल्द शुरू करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

12.10 hrs

MOTION RE: SUSPENSION OF RULE 205

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move:

“That this House do suspend rule 205 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, which provides that there shall be no discussion of the Budget on the day it is presented to the House, in its application to discussion of the Budget for 2022-23 and Supplementary Demands for Grants for 2021-22 of the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir, to enable same day presentation of and discussion on the Budget. ”

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

“That this House do suspend rule 205 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, which provides that there shall be no discussion of the Budget on the day it is presented to the House, in its application to discussion of the Budget for 2022-23 and Supplementary Demands for Grants for 2021-22 of the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir, to enable same day presentation of and discussion on the Budget.”

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Chairperson, Sir, I rise to oppose this Motion. If we look at Rule 205, Rule 205 says, ‘there shall’. The word used is ‘shall’. There shall be no discussion of Budget on the day on which it is presented in the House.

Mr. Chairperson, Sir, while Rule 88 provides for Suspension of Rules on a Motion moved by any Member, my submission is that there are certain Rules which form the basic structure of the Rules of Procedure and Conduct of Business in this House. Therefore, these are beyond the amending power of the House.

Similarly, like certain features of the Constitution which have been held by the Supreme Court in Kesavananda Bharti's case to be beyond the amending power of article 368, which applies to this House; there are certain rules which are sacrosanct. It is because the scrutiny of Budgets is the primary responsibility of this House and in the case of Jammu and Kashmir which does not have an elected Legislature, and this House substitutes itself for the Legislature of Jammu and Kashmir, that duty becomes far more compounded. Therefore, under those circumstances, my objections are two-fold.

My first objection is this. I want a ruling from the Chair whether rule 205 is within the scope of amendment as proposed by rule 388, or it is beyond the amending power because it constitutes the basic structure of these rules.

My second submission is that the Budget which the hon. Finance Minister has presented is a serious document; it is an important document. We should be given time to study it. Therefore, heavens will not fall if we do not have the discussion now. We do not even have the Budget in front of us. We do not have the papers in front of us. What are we supposed to discuss in the House when we do not even have the papers in front of us? If this Motion is carried and the rule is suspended, then what is this House going to discuss? Where are the papers? Where is the Budget?

So, under those circumstances, my submission is that heavens will not fall and please allow us time and let us have this discussion tomorrow. More important than that, I want a ruling from the Chair whether rule 205 can at all be suspended because it constitutes the basic structure of the rules.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you. I have given notice of my objection for allowing this Motion of rule 205 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. I fully support the observations made by Shri Manish Tewari ji. Regarding rule 205 I would like to submit that it is specifically mentioned that 'there shall not be'. I would like to reiterate rule 205, which says, "There shall be no discussion of the Budget on the day on which it is presented to the House". Today, the hon. Finance Minister has presented the Budget of Jammu and Kashmir for the year 2022-23. We fully agree with it. But there cannot be a discussion on the same subject matter today.

That is my first observation. It is because the Constitution of India provides for the scrupulous scrutiny of each and every penny which is being spent out of the Consolidated Fund of India. It has to be approved by the Parliament. Each and every penny spent out of the Consolidated Fund of India has to be approved by this Parliament. This is the right of the Parliament and the right of the Members of this House. We do not have a Budget. Just now the Budget has been presented. We do not have the copy of the Budget. Now we have to go to the Publication counter and get the copy of the Budget and see whether the interests of the people of Jammu and Kashmir are being protected or not. So, by no means can this Motion be allowed to go through. That is my first point.

Secondly, I have an objection arising out of rule 215 and 216 and for this I am seeking a ruling from the Chair. The List of Business for today shows that if item No. 23 is carried through, then item nos. 24 to 26 will be taken together for discussion. If this motion is carried by this House, then we are also going to take up item Nos. 24 to 26 together. I would like to refer to rule 215 and rule 216 of the Rules of Procedure.

Rule 216 says:

“216. The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.”

Sir, rule 216 is very clear that the original Demands for Grants shall never be discussed with the Supplementary Demands for Grants. Yes, I do accept if the Speaker has suspended the rule. The Speaker has ample right to suspend the rule to which I agree but there is a specific provision in the Rules of Procedure and Conduct of Business by virtue of rule 216. The original Demands for Grants shall never be discussed with the Supplementary for Grants.

Kindly see the item which says that the original Demands for Grants for the Budget is there and along with that, Supplementary Demands for Grants is also there. Supplementary Demands for Grants and original Demands for Grants are never discussed together. That is stated in Rule 216.

Rule 205 is a mandatory provision by virtue of the Constitution of India. It is having a constitutional backing also because Budget is the annual revenue and expenditure statement and a scrupulous scrutiny of Budget provisions is required for which time is required.

Hence, my submission is, in no way, can this Motion be carried. I strongly oppose this Motion.

SHRI MANISH TEWARI : Sir, there should be Division.... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है। आज की बिजनेस के अन्दर यदि यह एजेंडा स्वीकृत हुआ है तो निश्चित रूप से यह माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से स्वीकृत हुआ है। जैसा कि ऑनरेबल मेम्बर ने भी कहा है कि यह उनका अधिकार है, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। आपने आपत्ति दर्ज कर दी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 205, जिसमें उपबंध है कि बजट पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी, जिस दिन इसे सभा में प्रस्तुत किया जाता है, को इसके जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के वर्ष 2022-23 के बजट तथा वर्ष 2021-22 की अनुदानों की अनुपूरक माँगों पर चर्चा पर लागू करने के संबंध में निलंबित करती है ताकि बजट को उसी दिन प्रस्तुत किया जा सके और उस पर चर्चा की जा सके।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, please give a ruling on this matter..... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have given my ruling. मैंने यह कहा कि यदि ऑनरेबल स्पीकर ने इसे एजेंडा में लिया है तो यह फाइनल है। आपने भी इस बात को कहा है कि यह उनका अधिकार है। उस अधिकार को मानित करना ही चाहिए, उस पर कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the Government of India is the largest employer of the country.... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : जब उस पर चर्चा होगी, तब बोलिएगा।

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU : Sir, more than 23.55 crores organised employees are there in this country. They are contributing to EPF. In 2016, according to the Seventh Pay Commission, the employees are entitled to get Rs. 18,000 as minimum wages. But, the Government of India has not come forward to extend Rs. 18,000, or divided by two, Rs. 9000 as pension per month. That means, they have to extend Rs. 9000 as pension per month. The Government of India has not given any consent to Rs. 9000 as pension but they have slashed the amount to Rs. 3000. Even after slashing to Rs. 3000, they are not extending that amount. They are extending only the minimum pension of Rs. 1000. I do not know the reason behind it.

Now, adding insult to the injury, yesterday or day before yesterday, they have slashed the interest from 8.5 per cent to 8.1 per cent. It is the most

dangerous issue as the Committee on EPF has agreed to 8.1 per cent. This is not good, Sir.

I demand that the Committee on EPF should restore the interest rate at 8.5 per cent on EPF and at the same time, they should give the minimum pension of Rs. 3000 to which they have agreed during the discussion with the labourers. Thank you.

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): सर, हमारे सुदीप दा को बोलने दीजिए।

माननीय सभापति : सुदीप दा, क्या आप ज़ीरो आवर में बोलना चाहते हैं? क्या आप ज़ीरो आवर का कोई विषय रखना चाहते हैं? वह विषय पूर्ण हो चुका।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कल्याण दा, आप प्लीज़ बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सुदीप जी, अगर आपका ज़ीरो आवर के लिए कोई सबमिशन हो तो प्लीज़ रखिए।

... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, on the previous issue which was raised by Shri Manish Tewari, it was discussed in the meeting of the Business Advisory Committee today.

HON. CHAIRPERSON: It does not come under the Zero Hour matter.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, this issue was discussed in that meeting.

HON. CHAIRPERSON: That issue is over now.

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : सर, पहले आप सुनिए। उसके बाद आप एक्सपंज कर देंगे। This issue was discussed in the Business Advisory Committee. The Minister was also present

there. There, hon. Speaker agreed that without circulation of the Budget papers the Members cannot take part in the discussion.

माननीय सभापति : सुदीप दा, आप बहुत वरिष्ठ सांसद हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, the decision has already been taken that at least two hours' time should be given ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: डॉ. संजीव कुमार सिंगारी।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record.

... (*Interruptions*) ... *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): It will be discussed after two hours ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आपका कोई नोटिस नहीं है और वह विषय भी पूरा हो चुका है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कल्याण दा, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: क्या डॉ. संजीव कुमार सिंगारी जी है?

... (व्यवधान)

* Not recorded

माननीय सभापति: डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव ।

Nothing will go on record except the speech of Shri Krishnapalsingh Yadav.

... (व्यवधान) *

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया ।

महोदय, सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के इन चार राज्यों में प्रचंड जीत के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी.नड्डा जी, सम्माननीय श्री अमित शाह जी व वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे द्वारा रखी गई, मेरे संसदीय क्षेत्र गुना लोक सभा की क्षेत्रीय माँगों को स्वीकृति प्रदान की गई, परंतु प्रशासनिक व अन्य कारणों से उन योजनाओं व स्वीकृत सुविधाओं का क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया है । इसमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एन.एच.एम. के माध्यम से सभी जिला अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि, अशोक नगर में केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण सुप्रीम है । क्रांतिवीर तात्या टोपे जी का विश्वस्तरीय संग्राहलय का निर्माण तथा गुना में पासपोर्ट सेवा केन्द्र का निर्माण भी सुप्रीम है । माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी संचालित करना तथा और अन्य कई कार्य हैं, जो स्वीकृत हुए हैं, परंतु धरातल पर आज तक ठीक से क्रियान्वयन नहीं हुए हैं ।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में केन्द्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी को तत्काल संज्ञान में लेकर गंभीरता से विचार करते हुए, उचित व आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें ।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, thousands of students not only from Andhra Pradesh but also from other parts of the country who had been

* Not recorded

pursuing medical education in Ukraine have been evacuated. Their future is very uncertain. We do not know when things will become normal. Most of them are poor students. Their parents have put their life-time earnings into their medical education.

So, I am making a demand to the Government through you that these students may be relocated in Indian colleges. The tuition fees of medical education are very high in our country. It should be feasible for them to get admission in the colleges. The Government should devise a mechanism for all the students who have come back as a one-time case.

They should be relocated in various colleges in our country. The Government should also take steps to build more medical colleges. This will also encourage the States. Thank you.

माननीय सभापति: श्री मारगनी भरत जी - उपस्थित नहीं ।

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): माननीय सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति जी, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बस्ती सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश में छूटा पशुओं से होने वाली समस्याओं की ओर दिलाना चाहूँगा ।

महोदय, छूटा पशुओं की वजह से विशेषकर किसान भाइयों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । ऐसे पशु मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों की खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे किसानों की गाढ़ी कमायी और खून-पसीने की मेहनत बर्बाद होती जा रही है । साथ ही साथ छूटा पशु गली-मोहल्लों से लेकर व्यस्त सड़कों, विशेषकर हाइवे आदि पर दुर्घटना व यातायात जाम का कारण बन रहे हैं । इससे राहगीरों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः उपरोक्त समस्या की गंभीरता को देखते हुए, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि मनरेगा निधि के अंतर्गत प्रत्येक गाँव में गौशालाओं का निर्माण कर, उनमें छूटा पशुओं के रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों की फसलों का नुकसान होने से बचाया जा सके।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Mr. Chairman, Sir, while we are rightly focussing on saving lives in Ukraine, I would like to take this opportunity to remind about the living. The incidents that unfolded in Ukraine on 24th February, 2022 have left the whole world dumbstruck.

The crisis is one that Indians cannot ignore, owing to the sizeable population of Indians who live in Ukraine. According to the data tabled by the Ministry of External Affairs in 2021, India had over 18,000 students enrolled in various universities in Ukraine. Almost a quarter of international students in Ukraine are Indians, more than the students of Russia and France.

The Government of India claimed that over 15,920 Indian nationals have been brought back to India on 76 flights under the evacuation mission “Operation Ganga”. However, more than 1,000 students, mostly Keralites, are still trapped in Sumy. They are waging a grim battle for survival with supplies depleting fast and exit routes to safety blocked by fierce fighting.

So, I request the hon. Minister of External Affairs Minister to take necessary and quick steps to bring back the Keralite students stranded in Sumy. As we all know, their life is at stake in Ukraine.

It is also a fact that thousands of Indian students returning from war-torn Ukraine are facing the issue of rehabilitation. The course of events in Ukraine has dashed their hopes and dreams. It is difficult to predict how long it will take for

things to return to normalcy in the country and how long it will take for the stranded students at various stages of education to complete their education.

So, I request the Government of India to let the Indian students from Ukraine complete their MBBS and pursue other streams in Indian universities. If they are accommodated in Indian colleges, their careers will not be jeopardised. If not, their future will be in peril.

12.27 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Increase of wage ceiling for employees being covered under ESI Scheme

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Labour Minister Bhupender Yadavji regarding the ESI ceiling limit.

Sir, Employees' State Insurance Scheme is one of the major social security schemes which is benefiting lakhs of workers in our country, both in the organised sector as well as in the unorganised sector. But it is quite unfortunate to note that the wage ceiling limit for entitlement of ESI benefit scheme is Rs. 21,000 per month. This ceiling limit of Rs. 21,000 was fixed in the month of January, 2017. Subsequent to that, many wage revisions have taken place, many long-term agreements have come into force and the cost of living index has also increased very much. Since salary has been enhanced, lakhs of workers are now out of the purview of the Employees' State Insurance Scheme. There is a proposal which is pending before the Labour Ministry and that proposal is that the wage ceiling limit may be enhanced to Rs. 50,000 or whatever it may be. So, I urge upon the hon. Minister to kindly respond whether the Government is thinking to enhance the wage ceiling limit for ESIS entitlement. If so, I request him to please respond to this serious matter.

So, I urge upon the Government to enhance the wage ceiling limit for ESIS entitlement from Rs. 21,000 to Rs. 50,000 per month so that lakhs of workers in the organised and unorganised sectors will be benefited by means of the

Employees' State Insurance Scheme. The Employees' State Insurance Scheme is one of the best schemes available in our country through which workers are getting super-speciality treatment like liver transplantation and all other special treatments.

So, kindly enhance the wage ceiling limit to Rs. 50,000 per month. I request him to please respond to this matter because this is a very important issue as far as workers are concerned.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): सरकार के द्वारा नया सोशल सिक्योरिटी कोड आया है। हम यह जानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी कोड, सरकार ने जो नया लेबर कोड पास किया है, उसमें ईएसआईसी का दायरा और स्कोप बढ़ने वाला है। विभिन्न राज्यों में सोशल सिक्योरिटी कोड के अन्तर्गत नियम बनाने का काम जारी है। केवल सोशल सिक्योरिटी कोड आने के बाद संगठित क्षेत्र ही नहीं, असंगठित क्षेत्र में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे जो लोग हैं, वे भी स्कीम में व्यापक रूप से स्वीकार किये जाएंगे।

श्रम मंत्रालय द्वारा इसके फ्यूचर कैपिसिटी बिल्डिंग के लिए विभिन्न सब-कमेटियों का गठन किया गया है, विभिन्न निर्णय बोर्ड के द्वारा लिए गए हैं। हम जानते हैं कि माननीय सदस्य महोदय ने जिस प्रकार कहा कि वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। हम इसको सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत विस्तृत करने का कार्य कर रहे हैं।

माननीय सभापति : डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर) - उपस्थित नहीं।

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर जी।

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिला में मध्यवर्ती सहकारी बैंक में संचालक मंडल का कार्यकाल वर्ष 2012 से 2017 तक खत्म हो गया, उसके बावजूद 2021 तक दो बार नौकरी भर्ती में घोटोले होने पर दो क्रिमिनल केस दर्ज हैं। हाल ही में मार्च, 2022 को महाराष्ट्र सरकार के सहकार विभाग ने 165 पदों के लिए नौकरी भर्ती की मंजूरी दी है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 को जारी अपने आदेश में कहा था कि जिन जिला बैंकों के संचालक मंडल का कार्यकाल पूरा हो गया है, वहां प्रशासक नियुक्त करे और चुनाव हो। लेकिन सीडीसीसी बैंक में प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया। इसी बैंक के जनरल मैनेजर पर धोखाधड़ी के दो क्रिमिनल केसेज दर्ज होने पर भी रिजर्व बैंक, नाबार्ड और सहकारी विभाग की गाइडलाइन की अवहेलना करके वर्ष 2021 को जीएम नियुक्त किया गया। इन्हीं सब बातों पर कम्प्लेंट्स होने पर महाराष्ट्र सरकार के सहकार विभाग ने कोई कार्रवाई सीडीसीसी बैंक पर नहीं की है।

महोदय, एबीजी शिपयार्ड घोटाला देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। वर्ष 2014 के बाद 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी हुई है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि गुजरात राज्य से एक विशेष व्यवसायी हैं, जिसे 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद एबीजी समूह को सबसे अधिक लाभ बैंकिंग धोखाधड़ी से हुआ है। इसी समूह को विशेष सुविधा के साथ जमीन भी दी गई थी। फिर भी सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए दो साल से अधिक समय लगा। मेरी सरकार से दरखास्त है कि सरकार और सहकार मंत्री जी क्या इसकी जांच का आदेश देंगे। धन्यवाद।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, in Zero Hour today, I rise to oppose the privatisation and disinvestment policy of the Government of India.

The Government should not take whatever victories the ruling party has had in the Assembly elections to ride roughshod on the workers. Already, it has shown its teeth by reducing the interest rate on Employees' Provident Fund from 8.5 per cent to 8.1 per cent.

Now, our fear is that with this victory, the Government would go in for indiscriminate privatisation of public sector undertakings by selling the family silver. The Finance Minister mentioned in her Budget Speech that Air India had already been disinvested. Nilachal Ispat Nigam has been selected for disinvestment. The public issue of the LIC is expected shortly. Two nationalised banks are soon to be privatised.

Not only that, I have got a list of 36 public sector undertakings which are listed for strategic disinvestment. They include Alloy Steels Plant, Bharat Petroleum Corporation Limited, BEML, Project Development, Ferro Scrap Nigam Limited, Bhadravati Steel Plant, Bengal Chemicals, ITDC, Hindustan Antibiotics and all that.

Sir, the Government is planning to sell all the airports to private parties. It is also planning to sell the ports to private parties. In a big way, it is also going for disinvestment in the railways.

So, on behalf of the people in my State, we oppose this indiscriminate policy of privatisation. This is anti-labour, and the corporation built up with people's money, over the years, is going to be given to private sector, who include *Adanis*, *Ambanis* and now, *Tatas* who are the new favourites of the Government.

I totally oppose the disinvestment of public sector undertakings including banks, railways, LIC, airports, ports and big industries in the public sector.

श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे): मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ठाणे रेलवे स्टेशन में पूर्व की ओर मल्टीमॉडल ट्रांजिट हब के निर्माण की लागत 260 करोड़ रुपये है। इसमें 50 प्रतिशत राशि ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड, 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और 25 प्रतिशत राशि ठाणे कॉर्पोरेशन खर्च करेगी।

ठाणे रेलवे स्टेशन की पूर्व दिशा में 2.4 किलोमीटर लंबाई का उन्नत एलिवेटेड बस मार्ग, 18,000 स्कवेयर मीटर उन्नत बस डेक का निर्माण ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। उन्नत बस डेक के ऊपर मध्य रेलवे को भविष्य में 16,000 स्कवेयर मीटर की व्यवसायिक इमारत का निर्माण करने से फायदा मिलेगा। इस परियोजना में 110 कार और 130 टूव्हीलर वाहनों के पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके निर्माण से यातायात की भीड़ में कमी होगी और पैदल चलकर बस पकड़ने में भी आसानी होगी। इस परियोजना का 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और 39 प्रतिशत राशि भी मिल चुकी है। इस परियोजना को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना के बचे हुए काम को समय से पूरा करें। इसके साथ ही परियोजना में आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिलने वाली 50 प्रतिशत निधि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने हेतु और परियोजना से संबंधित रुकावटों को जल्द से जल्द हल करने के लिए दिशा निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Sir. The impact of the raging war in Ukraine on the lives of Indian students and other citizens remains a humanitarian and ethical issue. It should be dealt with by the Government seriously as they have survived a war and are victims of the war due to the loss of

education, abrupt halt in studies and uncertain future compounded by looming debt traps for families who took loans for securing the future of their children.

The Government must devise and establish a comprehensive policy for ensuring the future of students and guarantee their education to be unaffected. The Government should grant compensation to the students for their losses and their emotional and physical well-being restored thus. The Government has announced that the students who returned from Ukraine will be able to complete their education in India after a screening test. This entire process must be held in a student-friendly manner where the condition of students, who are suffering trauma, must be given due consideration. The majority of families of the students, who returned from Ukraine, are staring at significant debts and by taking note of the situation that it is an act of war which neither the students nor their families could foresee and is absolutely unexpected, their educational loans must be waived. The students who have faced emotional trauma must be provided with specialized care to help them overcome the terrifying experience they had to face in the battle zone. The students must also be given a supporting hand by the Government to find their own livelihood.

By sensing the shortcomings in coordination and evacuation mission, the Government must appoint a Student's Welfare Wing in every Embassy and Consular Office of India in foreign countries that will function round the clock. A master control room should also be set up in the External Affairs Ministry Headquarters as a policy intervention mechanism for any eventuality arising against the Indian students.

I would like to request the hon. External Affairs Minister through you, Sir, to come forward and make a statement in this regard in the House.

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity.

I stand here to raise an important issue pertaining to Ponduru Khadi. Sir, Ponduru town is located in the Srikakulam district of Andhra Pradesh. For several decades, the weaver families belonging to backward communities of Padmasali and Devanga in Ponduru have been spinning khadi. Therefore, this khadi is popularly known as Ponduru Khadi.

The Ponduru Khadi has shown its mark during the Indian Freedom Movement. Khadi became the favourite handmade garment of Mahatma Gandhi. Fabrics at Ponduru village are spun using a special variety of indigenous red and hill cotton. This cotton is mostly brought from Nimmalavalasa village in Laveru Mandal of Srikakulam district. Moreover, weavers use single spindle for spinning the fabric. The usage of red cotton and single spindle for spinning the fabric makes Ponduru Khadi garments unique in terms of quality and quantity.

The Geographical Indication tag could help the Ponduru Khadi gain prominence in domestic and international markets and also boost export of fabric while providing legal protection. Further, I wish to inform that Shrimati Nirmala Sitharaman, hon. Minister of Finance, visited Ponduru and conveyed her satisfaction about Ponduru Khadi. Hence, I would request the Ministry of Commerce and Industry to take necessary steps towards issuing a Geographical

Indication tag for Ponduru Khadi. The Geographical Indication will help promote the product for the benefit of Ponduru weavers and spinners.

Thank you.

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र इटावा में एक बहुत बड़ा क्षेत्र यमुना और चंबल का है। ये दोनों नदी हैं। मध्य प्रदेश की सीमा पर बीहड़ का बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में लंबे समय से एक सबसे बड़ी समस्या पानी की है। वहां पर बहुत दिनों तक पंचनद पर परियोजना बनाने की मांग की जाती रही।

दूसरा, उस बड़े क्षेत्र में लंबे समय से मांग होती रही कि वहां पर कोई बैंक खोली जाए। वहां लगभग डेढ़ सौ ऐसे गाँव हैं, जिनको जंगल से होकर, जहां रास्ता नहीं है, जाना पड़ता है। वन विभाग के कारण वहां के गाँव जो जंगल में बसे हुए हैं, वहां पर आजादी के इतने दिनों बाद भी अभी तक पक्की सड़क नहीं बन सकी है। उस पूरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग सेना में काम कर रहे हैं। उनके घर की जो महिलाएं हैं, उनको एक लंबी दूरी तय करके बैंक में जाना पड़ता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर वहां पर वर्ष 1990 में दो सेंट्रल बैंक खोली गई थीं। एक बैंक हनुमंतपुरा चौराहे पर और दूसरी बैंक पिपरौली गढ़िया के पास खोली गई थीं।

महोदय, इसके बाद वहां पर बहुत सारे दस्यु सम्राट और बड़े-बड़े गिरोह बन गए। उनके भय के कारण वे दोनों बैंक लखना और चाकन नगर शिफ्ट कर दी गईं।

महोदय, अब उन डेढ़ सौ गाँव में कोई दस्यु सम्राट और कोई बड़े गिरोह नहीं रहे। लेकिन, उन डेढ़ सौ गाँव के लोग आज भी जहां रास्ता नहीं है, वहां की महिलाओं को 30 किलोमीटर दूर लखना स्थित बैंक में जाना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हनुमंतपुरा चौराहे और पिपरौली गढ़िया के पास पुनः सेंट्रल बैंक खोला जाए, जिससे वहां के डेढ़ सौ गाँव के लोगों को इस समस्या से मुक्ति मिल सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, I would like to raise an important issue regarding EV charging infrastructure. In line with the 2030 vision of converting all the vehicles to electric vehicles, the Government has encouraged usage of electric vehicles through initiatives like introduction of FAME Scheme, PLI Scheme for automotive sector, and creation of E-Amrit portal to boost consumer knowledge and solve queries related to electric vehicles.

According to Vahan portal, as of January 2022, there are 9.13 lakh total registered EVs in India. Among the total EVs sold in 2021-22, the share of two-wheelers was the highest at 49 per cent, followed by three-wheelers at 45 per cent. As per Bureau of Energy Efficiency, a total of 1028 Public Charging Stations have been installed throughout the country by January 2022 and the gap between the number of available Public Charging Stations and the number of registered EVs is very high.

Nine mega cities, namely, Surat, Pune, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai, account for more than 900 stations, creating a disparity among cities across other States. For example, Tirupati of Andhra Pradesh with a floating population of 5.8 crore per annum is not having a single Public Charging Station which is much useful for the people.

I would, therefore, request the Government to expedite the process of providing accessibility to charging infrastructure and solve the issue of fragmented charging stations in India, especially in Tirupati of Andhra Pradesh. Thank you for giving this opportunity.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I stand here today to draw the attention of the Ministry of Commerce as the Whole Sale Price Index from November 2020-21 has risen exponentially by 14.21 per cent, and due to that, the food and fuel prices have really gone up. The prices of diesel and petrol have crossed over Rs.100 in various States. The LPG cylinder has reached over Rs.850 as well. Even the circumstances, which are right now globally faced, which is what is happening in Russia and Ukraine, are going to impact our lives exceptionally and it is really going to put the economy under a lot of pressure.

The Consumer Affairs Department says that between 2018 and 2021 – I will give 2-3 examples –the cooking oil prices have increased by 67 per cent; palm oil by 61 per cent; Moong Dal by 44 per cent, Urad Dal by 54 per cent; Tur Dal by 49 per cent and so on. Sir, I request the hon. Government of India to step in. Anyway, the States are strapped and are under a lot of financial pressures. The GST money is not coming on time. So, our social sector programmes are affected. So, how does the poor live in this country?

Even under the Consolidated Fund of India, all the cess is collected, be it road, be it agriculture, be it on all the petrol-related issues, but we do not even know where this cess goes. It goes to a Centralised fund but it is not necessarily spent only on these issues.

So, I would like to bring this to the notice of the Central Government and request it to please bring the prices down and help the State Governments because the people are just recovering from the pandemic. There is a problem with the economy and the people are struggling to make both ends meet. So, we all

need to collectively put our minds, discuss this and resolve this, and reduce the cess on all these items.

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, we are all aware of the humanitarian crisis faced in Ukraine because of the war. Many Indians and Indian students were stuck in the hostile war zone for several days. The Government could have acted before-hand to warn Indians to leave the country and got them away from Ukraine itself much before the start of the war.

The Indian citizens and students had to survive in such environment and had to crossover to the neighbouring countries on their own. The Indian Government provided aircraft to bring back people but the Indians had to risk their lives and cross the borders to find their own means to reach to one of the borders. So, in reality, this was not an evacuation from the war zone as being claimed.

Having said that, the most important part now is, what will be the fate of Indian students studying in Ukraine? Their future is full of uncertainties. The students are from various batches or years in medical colleges in Ukraine. Will the Government of India bring out a policy whereby these affected students will be accommodated in various medical colleges across the country to complete their remaining medical studies? Having said that, it must also be kept in mind that these students should not be burdened with additional financial burden for completion of the courses. Along with the students, the interns should also be equally placed in various medical colleges and qualification degrees be awarded to them. Thank you, Sir.

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Thank you very much, Chairman, Sir. I would like to bring to your knowledge a very important issue related to vacant seats of Doctor of Medicine (MD) and Master of Surgery (MS) in our country. As all of us are aware that these seats for specialist doctors remain vacant each year due to very high cut off score of NEET PG. As per the data available in public domain, in the years of 2019 and 2020, a total number of 4002 and 4614 MD/ MS seats respectively remained vacant.

Sir, the criteria for MBBS students to qualify for the NEET PG exam is based on 50 percentiles. Although cut off percentile reduces after two rounds of medical counselling, as it reduced from 50 percentile to 30 percentile in 2020, yet 4614 MD/ MS seats remained vacant in that year itself. My humble request to the Government is to further reduce this high cut off score.

Otherwise, we would be losing a lot of valuable doctors in our country. During COVID-19 pandemic we all had struggled due to shortage of doctors in our country. Through you, I humbly request the hon. Health Minister to look into it and reduce the cut off percentile.

I have one more submission and that is with regard to the students who have come back from Ukraine. Many other colleagues have also spoken on this issue. In my parliamentary constituency itself, a lot of students have come back. Our hon. Chief Minister, Y.S. Jaganmohan Reddy *Garu* has set up a special team to bring these students back. But there is a big question mark on continuation of their further studies. So, they have to be accommodated in Indian medical colleges at reasonable fee. The reason for these students going abroad to study is the low

fee there. So, this has to be taken as emergency and should be considered seriously. Thank you.

माननीय सभापति : कट ऑफ के बारे में तो निर्णय हुआ है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए। इतने सारे सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया है। आज सुबह शिक्षा मंत्री जी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि इस पर कुछ कार्य हो रहा है। ... (व्यवधान) इतने वरिष्ठ सदस्यों ने इस विषय पर प्रश्न किए हैं तो कोई स्पष्टीकरण तो आना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सारी बातें सुनी गई हैं, जब वे उचित समझेंगे तो उसका उत्तर देंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है।

... (व्यवधान)

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Thank you, Chairman, Sir. Vellore city is known for prestigious educational and medical institutions. It is one of the fastest growing cities in the country. It enjoys a unique blend of rich heritage and culture to emerge as a model city. The upcoming defence corridor from Chennai to Bangalore adds more potential to Vellore.

Our hon. Chief Minister, *Thiru M.K. Stalin* after assuming office in May 2021, has swiftly swung into action and initiated several measures to give an impetus to various infrastructural development projects to develop it as a Smart City.

Sir, the infrastructural and civic needs of the city need to be taken up at the earliest. Power, water supply and waste disposal are the common problems. Vellore is an ancient town with many monuments and temples and these need to be developed as tourist spots.

Sir, Vellore is like a bridging city which connects South Andhra Pradesh and Tamil Nadu. It extends from Vellore city to Ambur, Vaniyambadi, Walajah, Ranipet, Arcot, and to some border areas of Tiruvannamalai also. These are dedicated business centres and need civic infrastructure like road, rail connectivity, power and IT connectivity. There is also a big leather industry with a number of tanning units. So, the ground water recharge mechanism has to be built in. It needs great attention. The total project cost required for all this is estimated to be Rs.4500 crore.

In the previous years, Vellore has been selected as one of the model cities and thousands of crores of rupees have been put in. But still not even 25 per cent projects have been completed. Rest of the city has also to be developed through infrastructure projects. Therefore, through you, I request the hon. Finance Minister to allocate about Rs.4500 crore for the Vellore city projects.

Also, I would like to highlight that if you are on the NHAI highway from Chennai to Bengaluru, whenever any accident happens on the highway, there are no medical institutions on this highway. Since a lot of accidents are taking place, I would request the NHAI, through you, Sir, that the need of the hour is to instal the first-aid mechanism on this highway.

Thank you.

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): धन्यवाद, सभापति महोदय । आपने मुझे अपने वक्तव्य को बांग्ला भाषा में रखने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

* Hon'ble Chairman Sir, through you I would like to draw the kind attention of this august House to the busiest railway station of my constituency, Malda Town, from where every day for medical treatment, business purposes and other personal work, hundreds of people travel to Delhi, Bengaluru, Chennai and various other places of South India. Sir, in comparison to the number of passengers, the number of train is less. The allotted seats are also very less. Therefore the passengers do not get confirmed tickets and they face lots of problems as a result. Thus, through you Sir, I would like to present the following proposals before Hon'ble Minister of Railways.

Sir, my first proposal is that new superfast premium express trains should be introduced from Malda Town station to Delhi, Chennai, Bengaluru. Secondly, a halt for Vande Bharat Express may be given at Malda Town Station and at least one coach may be allotted for Malda in each class. The third proposal is that in every long distance train passing through Malda Town station, number of allotted seats may be increased.

Thank you Sir.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र में हो रहे मनरेगा के काम में अनुचित प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, मनरेगा की करीब 800 करोड़ रुपये की राशि जो खर्च नहीं हुई है, वह उन्हें स्किल काम के ऊपर खर्च करनी है, आवंटित करनी है। मगर वे लोग स्थानिक एमएलए को विश्वास में रखते हुए, बिना ग्राम पंचायत के ध्यान में लाए हुए, डायरेक्टली सभी काम महाराष्ट्र सरकार मंत्रालय की ओर से एक यादी निकाली जाती है और एमएलए जिन लोगों को चाहते हैं, उन लोगों को डायरेक्टली वे काम दिए जाते हैं। यह एक अनुचित प्रक्रिया का पालन है। केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक जितने पैसे – करीब 800 करोड़ रुपये भेजे गए हैं, उनमें से 25 करोड़ रुपये मेरे जिले के लिए आवंटित हुए हैं, जो डायरेक्टली, बिना प्रक्रिया का पालन करते हुए आवंटित हुए हैं। इसके बारे में मेरी आपसे विनती है कि इस पैसे का गलत इस्तेमाल होने की आशंका है। इसलिए आदरणीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि इसका आवंटन रद्द किया जाए और जिस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, ग्राम पंचायत के माध्यम से जो पैसा आना चाहिए, उसी तरह से ही वह पैसा आवंटित किया जाए। मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय सभापति : डॉ. संजीव कुमार शिंगरी - उपस्थित नहीं।

श्री मारगनी भरत – उपस्थित नहीं।

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak in 'Zero Hour' on a very important issue which has been pending for the last few years.

Sir, I represent the Ahmednagar Lok Sabha constituency and my district has got an immense religious tourism potential due to holy places, such as Shirdi Sai Baba Temple and Shani Shingnapur Temple. Both these places draw a lot of devotees from across the world, the number of which has been increasing since the temples have been opened for worship post-COVID.

The increase in the number of tourists has resulted in demand for providing better transport connectivity to Shirdi through an intercity train between Shirdi, Ahmednagar and Pune. The demand for an intercity express has been pending for a long time because due to limited connectivity by train, the commuters and the tourists have to travel *via* road which usually takes five to six hours and due to heavy traffic on this route, there is a lot of inconvenience as well.

13.00 hrs

Sir, I would like to request the Government, through you, to start an inter-city train between Shirdi, Ahmednagar and Pune, which will not only benefit tourists travelling to Shirdi but also provide relief to thousands of working professionals, students, businessmen, and citizens who travel on this route frequently for work or educational purposes.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, through this submission, I want to bring to the notice of the august House the problems faced by the type-1 diabetic patients and the kidney patients. There are approximately 2,00,000 children in India living with type-1 diabetes. It is an auto-immune disorder characterized by insulin deficiency resulting from progressive destruction or damage of the insulin-producing beta cells in the pancreas. High sugar condition or hyperglycaemia and low sugar condition or hypoglycaemia, both lead to further complications in the brain, kidney, heart, etc., of a type-1 diabetic child.

These children can live only with the help of life-saving devices and medications such as insulin, glucometer, glucometer strips, lab tests, etc., which

are so expensive that even a moderate-income family cannot afford them. It is learnt that many countries consider type-1 diabetes a disability and provide special assistance to these children. This also ensures universal availability of insulin and sugar monitors to children with type-1 diabetes, and also in providing them with a suitable environment outside their homes. According to the statistics available with the Government of Kerala, there are about 2,000 children in my State of Kerala with diabetes.

Therefore, I urge the Government to include these children with type-1 diabetes in the disability category and also to provide reservation for all such children in areas of higher studies along with all possible assistance and relief for these children. Besides, it will be of immense help if the mothers of these children are given priority for daily-wage work under Government schemes as it will bring partial relief in their daily struggle to meet the huge expenses for medical treatment of their children. A similarly placed community in our society are persons with chronic kidney disease.

These patients have to undergo dialysis twice or even thrice in a week depending on the stage of the disease of each patient. The expense of dialysis varies depending on the number of dialysis required and it may be up to 30,000 each month. A patient in stage 5 kidney disease may even require renal transplantation which costs Rs. 10 lakh to Rs. 20 lakh. These patients and their family members are facing severe mental pain. Therefore, I request the

Government to include both type-1 diabetic patients and kidney patients in the disability category so that they will get other benefits.

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये ।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया ।
Shri Rajmohan Unnithan	Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri T.R. Baalu	Dr. DNV Senthilkumar S. Shri N.K. Premachandran Shri B. Manickam Tagore
Shri Magunta Sreenivasulu Reddy Shri Abdul Khaleque Shrimati Supriya Sadanand Sule Shri Maddila Gurumoorthy	Dr. DNV Senthilkumar S.
Prof. Sougata Ray	Shri Malook Nagar Dr. DNV Senthilkumar S.
Shri N.K. Premachandran	Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shrimati Supriya Sadanand Sule
Shri Rajan Baburao Vichare Dr. Ram Shankar Katheria	Shri Malook Nagar
Shri Krishnapalsingh Yadav Dr. Ram Shankar Katheria	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Harish Dwivedi	Shri Malook Nagar Shri Uday Pratap Singh Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Kodikunnil Suresh	Shri N.K. Premachandran Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

13.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.06 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Six Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair)

**UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR BUDGET, 2022-2023
AND
DEMANDS FOR GRANTS – UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR,
2022-2023
AND
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – UNION TERRITORY OF
JAMMU AND KASHMIR, 2021-2022
AND
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS –THIRD AND FINAL BATCH,
2021-2022
AND
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS , 2018-2019**

HON. CHAIRPERSON: Now, we take up Item Nos. 24 to 28 together.

Motions moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of Union Territory of Jammu and Kashmir, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 2023, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4 and 6 to 36.”

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of Union Territory of Jammu and Kashmir, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 2022, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 3, 8, 15 to 19, 26, 30, 32 and 36.”

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2022 in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 1 to 13, 15, 17 to 27, 29, 31, 33 to 36, 39 to 44, 46, 50 to 54, 56 to 59, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 75 to 78, 80, 84 to 94 and 96 to 101.”

“That the respective excess sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2019, in respect of the

heads of Demands entered in the second column thereof against
Demand Nos. 20 and 21.”

लोक सभा LOK SABHA

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों
(जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार) की सूची
(मार्च, 2022 के लिए कार्य सूची के अनुसार)

List of Demands for Grants (Government of Union Territory of Jammu & Kashmir) for 2022-2023 to be submitted to the vote
of the House Lok Sabha
(Vide List of Business for March, 2022)

(राशि रुपये में)

(Amount in Rupees)

संख्या और मांग का शीर्षक No. & Name of the Demand			सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखा- अनुदानों संबंधी मांगों की राशि Amount of Demands for Grants to be submitted to the vote of the House	
1	2		3	
			राजस्व Revenue	पूँजीगत Capital
01	सामान्य प्रशासन विभाग	General Administration Department	560,10,65,000	206,58,64,000
02	गृह विभाग	Home Department	9588,36,54,000	1242,82,07,000
03	योजना विभाग	Planning Department	154,67,06,000	974,92,00,000
04	सूचना विभाग	Information Department	131,95,38,000	100,47,70,000
06	बिजली विकास विभाग	Power Development Department	6310,51,27,000	2457,58,01,000
07	शिक्षा विभाग	Education Department	10888,36,88,000	944,40,52,000
08	वित्त विभाग	Finance Department	10840,70,49,000	1564,82,00,000
09	संसदीय कार्य विभाग	Parliamentary Affairs Department	57,81,90,000	4,00,00,000
10	अधि विभाग	Law Department	637,10,64,000	122,00,00,000
11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	Industry & Commerce Department	447,18,45,000	555,80,00,000
12	कृषि विभाग	Agriculture Department	1339,36,18,000	1496,03,55,000
13	पशु/भेड़ पालन विभाग	Animal/Sheep Husbandry Department	722,21,01,000	266,10,00,000
14	राजस्व विभाग	Revenue Department	906,72,38,000	93,50,00,000
15	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता समिति विभाग	Food Civil Supplies and Consumer Affairs Dept	318,25,55,000	306,26,30,000
16	लोक निर्माण विभाग	Public Works Department	1078,70,10,000	5217,87,00,000

764

लोक सभा LOK SABHA

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों

(जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार) की सूची

(मार्च, 2022 के लिए कार्य सूची के अनुसार)

List of Demands for Grants (Government of Union Territory of Jammu & Kashmir) for 2022-2023 to be submitted to the vote of the House Lok Sabha
(Vide List of Business for March, 2022)

(राशि रुपये में)

(Amount in Rupees)

-संख्या और मांग का शीर्षक-			Amount in Rupees	
No. & Name of the Demand			सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखा अनुदानों संबंधी मांगों की राशि Amount of Demands for Grants to be submitted to the vote of the House	
1	2		3	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	Health & Medical Education Department	6388,62,75,000	1484,72,12,000
18	समाज कल्याण विभाग	Social Welfare Department	3004,64,37,000	198,07,23,000
19	आवास और शहरी विकास विभाग	Housing And Urban Development Department	1137,00,39,000	3112,88,20,000
20	पर्यटन विभाग	Tourism Department	228,85,18,000	278,95,00,000
21	वन विभाग	Forest Department	1688,42,93,000	200,76,09,000
22	सिंचाई विभाग-	Irrigation Department	810,28,76,000	1237,68,83,000
23	लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग	Public Health Engineering Department	1805,63,02,000	8051,45,69,000
24	अतिथि और प्रोटोकॉल विभाग	Hospitality & Protocol Department	226,55,02,000	51,00,00,000
25	श्रम,स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	Labour, Stationery & Printing Department	108,49,97,000	67,57,80,000
26	मत्स्य विभाग-	Fisheries Department	119,04,45,000	125,80,00,000
27	उच्च शिक्षा विभाग	Higher Education Department	1482,66,34,000	862,25,00,000
28	ग्रामीण विकास विभाग	Rural Development Department	815,31,72,000	4627,85,46,000
29	परिवहन विभाग-	Transport Department	117,31,57,000	65,50,00,000
30	जनजातीय कार्य विभाग-	Tribal Affairs Department	135,10,09,000	282,22,95,000
31	संस्कृति विभाग-	Culture Department	67,35,34,000	325,82,16,000

लोक सभा LOK SABHA

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों
(जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार) की सूची
(मार्च, 2022 के लिए कार्य सूची के अनुसार)

List of Demands for Grants (Government of Union Territory of Jammu & Kashmir) for 2022-2023 to be submitted to the vote
of the House Lok Sabha
(Vide List of Business for March, 2022)

(रुपये में)

(Amount in Rupees)

संख्या और मांग का शीर्षक No. & Name of the Demand			सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखा अनुदानों संबंधी मांगों की राशि Amount of Demands for Grants to be submitted to the vote of the House	
1			2	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
32	बगवानी विभाग	Horticulture Department	192,93,37,000	454,00,00,000
33	आपत्त प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्विर्माण विभाग	Disaster Management, Relief, Rehab. & Reconst. Dept	994,10,88,000	566,62,00,000
34	युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा विभाग	Youth Services & Technical Education Department	666,86,83,000	244,99,25,000
35	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Science & Technology Department	21,02,98,000	127,91,00,000
36	सहकारिता विभाग	Cooperative Department	85,08,19,000	15,00,00,000
जोड़ - राजस्व/पूंजीगत			Total - Revenue / Capital	64077,38,63,000 37934,26,57,000

766

लोक सभा LOK SABHA

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पूरक मांगों

(जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार) की सूची

(मार्च, 2022 के लिए कार्य सूची के अनुसार)

List of Supplementary Demands for Grants (Government of Union Territory of Jammu & Kashmir) for 2021-2022 to be submitted to the vote of the House

(Vide List of Business for March, 2022)

(राशि रुपये में)

(Amount in Rupees)

संख्या और मांग का शीर्षक No. & Name of the Demand			सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखा- अनुदानों की पूरक मांगों संबंधी राशि Amount of Supplementary Demands for Grants to be submitted to the vote of the House	
1	2		3	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
03	योजना विभाग	Planning Department	11,86,52,000	651,79,90,000
08	वित्त विभाग	Finance Department	1032,82,35,000	0
15	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मांगों विभाग	Food Civil Supplies and Consumer Affairs Dept	12,30,000	0
16	लोक निर्माण विभाग	Public Works Department	0	1431,90,47,000
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	Health & Medical Education Department	416,97,48,000	0
18	समाज कल्याण विभाग	Social Welfare Department	481,14,53,000	0
19	आवास और शहरी विकास विभाग	Housing And Urban Development Department	32,36,07,000	159,31,99,000
26	मत्स्य विभाग	Fisheries Department	0	3,10,51,000
30	जनजातीय कार्य विभाग	Tribal Affairs Department	30,42,94,000	3,28,68,000
32	बागवानी विभाग	Horticulture Department	0	31,38,46,000
36	सहकारिता विभाग	Cooperative Department	9,35,88,000	0
जोड़ - राजस्व/ पूंजीगत			Total - Revenue / Capital	2015,08,07,000 2280,80,01,000

लोक सभा LOK SABHA

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पूरक मांगों के तीसरी और अंतिम बैच की सूची
List of Supplementary Demands for Grants-Third and Final Batch for 2021-2022
to be submitted to the Vote of the House Lok Sabha

संख्या और मांग का शीर्षक No. and Title of the Demand		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि Amount of Demand for Grant to be submitted to the Vote of the House		
1	2	3	4	5
		राजस्व Revenue ₹	पूंजी Capital ₹	कुल Total ₹
1 कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	3,00,000	...	3,00,000
2 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education	2,00,000	...	2,00,000
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy	1,00,000	1346,98,00,000	1346,99,00,000
4 आयुष मंत्रालय	4 Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	1,00,000	...	1,00,000
5 रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals	1,00,000	...	1,00,000
6 उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilizers	15265,15,00,000	...	15265,15,00,000
7 भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals	113,70,00,000	...	113,70,00,000
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation	1,00,000	329,49,00,000	329,50,00,000
9 कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal	109,22,00,000	...	109,22,00,000
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce	266,07,00,000	...	266,07,00,000
11 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade	3,00,000	...	3,00,000
12 डाक विभाग	12 Department of Posts	...	22,24,00,000	22,24,00,000
13 दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunications	1,00,000	1,00,000	2,00,000
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution	1,00,000	1,00,000	2,00,000
17 संस्कृति मंत्रालय	17 Ministry of Culture	2,00,000	...	2,00,000
18 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	18 Ministry of Defence (Civil)	468,97,00,000	1774,63,00,000	2243,60,00,000
19 रक्षा सेवा (व्यय)	19 Defence Services (Revenue)	1659,96,00,000	...	1659,96,00,000
20 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	20 Capital Outlay on Defence Services	...	1,00,000	1,00,000
21 रक्षा पेंशन	21 Defence Pensions	1028,50,00,000	...	1028,50,00,000
22 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	22 Ministry of Development of North Eastern Region	1,00,000	29,67,00,000	29,68,00,000
23 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	23 Ministry of Earth Sciences	7,01,00,000	1,00,000	7,02,00,000
24 विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	24 Department of School Education and Literacy	1,00,000	...	1,00,000
25 उच्चतर शिक्षा विभाग	25 Department of Higher Education	3,00,000	...	3,00,000
26 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26 Ministry of Electronics and Information Technology	3,00,000	...	3,00,000
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change	1,00,000	...	1,00,000
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs	1069,86,00,000	1,00,000	1069,87,00,000
31 वित्तीय सेवा विभाग	31 Department of Financial Services	7623,91,00,000	26317,97,00,000	33941,88,00,000
33 राजस्व विभाग	33 Department of Revenue	8294,11,00,000	...	8294,11,00,000
34 प्रत्यक्ष कर	34 Direct Taxes	26,55,00,000	2,00,000	26,57,00,000
35 अप्रत्यक्ष कर	35 Indirect Taxes	1,00,000	...	1,00,000
36 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	36 Indian Audit and Accounts Department	...	30,00,00,000	30,00,00,000
39 पेंशन	39 Pensions	7132,00,00,000	...	7132,00,00,000
40 राज्यों को अंतरण	40 Transfers to States	8838,21,00,000	5000,01,00,000	13838,22,00,000
41 मत्स्यपालन विभाग	41 Department of Fisheries	197,40,00,000	...	197,40,00,000
42 पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग	42 Department of Animal Husbandry and Dairying	10,02,00,000	...	10,02,00,000
43 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	43 Ministry of Food Processing Industries	2,00,000	...	2,00,000
44 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	44 Department of Health and Family Welfare	6,00,000	500,00,00,000	500,06,00,000
46 भारी उद्योग विभाग	46 Department of Heavy Industry	1,00,000	...	1,00,000
49 पुलिस	50 Police	1480,00,00,000	1,00,000	1480,01,00,000
51 अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	51 Andaman and Nicobar Islands	154,14,00,000	17,00,000	154,31,00,000
52 चंडीगढ़	52 Chandigarh	9,00,000	7,00,000	16,00,000

2

1	2	3	4	5
		राजस्व Revenue ₹	मूली Capital ₹	जोड़ Total ₹
53 दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव	53 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	1,00,000	...	1,00,000
54 लद्दाख	54 Ladakh	1265,65,00,000	...	1265,65,00,000
56 दिल्ली को अंतरण	56 Transfers to Delhi	72,50,00,000	...	72,50,00,000
57 जम्मू और कश्मीर को अंतरण	57 Transfers to Jammu and Kashmir	3989,18,00,000	...	3989,18,00,000
58 पुडुचेरी को अंतरण	58 Transfers to Puducherry	150,00,00,000	...	150,00,00,000
59 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	59 Ministry of Housing and Urban Affairs	30232,70,00,000	82,47,00,000	30315,17,00,000
61 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	61 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	4,00,000	2,00,000	6,00,000
63 श्रम और रोजगार मंत्रालय	63 Ministry of Labour and Employment	10260,62,00,000	...	10260,62,00,000
64 विधि और न्याय	64 Law and Justice	1,00,000	...	1,00,000
67 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	2,00,000	...	2,00,000
68 खान मंत्रालय	68 Ministry of Mines	2786,57,00,000	...	2786,57,00,000
70 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	70 Ministry of New and Renewable Energy	1,00,000	2500,00,00,000	2500,01,00,000
71 पंचायती राज मंत्रालय	71 Ministry of Panchayati Raj	1,00,000	...	1,00,000
73 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	2,00,000	2,00,000	4,00,000
75 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas	1,00,000	...	1,00,000
76 योजना मंत्रालय	76 Ministry of Planning	1,00,000	...	1,00,000
77 पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	77 Ministry of Ports, Shipping and Waterways	2,00,000	402,35,00,000	402,37,00,000
78 विद्युत मंत्रालय	78 Ministry of Power	2296,04,00,000	1277,54,00,000	3573,58,00,000
80 लोक सभा	80 Lok Sabha	1,00,000	...	1,00,000
84 रेल मंत्रालय	84 Ministry of Railways	1,00,000	1415,51,00,000	1415,52,00,000
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	85 Ministry of Road Transport and Highways	396,55,00,000	1629,00,00,000	2025,55,00,000
86 ग्रामीण विकास विभाग	86 Department of Rural Development	9668,01,00,000	...	9668,01,00,000
87 भूमि संसाधन विभाग	87 Department of Land Resources	1,00,000	...	1,00,000
88 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	88 Department of Science and Technology	1,00,000	...	1,00,000
89 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	89 Department of Biotechnology	2,00,000	...	2,00,000
90 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	90 Department of Scientific and Industrial Research	10,00,00,000	...	10,00,00,000
91 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	91 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	2,00,000	25,00,00,000	25,02,00,000
92 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	92 Department of Social Justice and Empowerment	1,00,000	...	1,00,000
93 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	93 Department of Empowerment of Persons with Disabilities	1,00,000	...	1,00,000
94 अंतरिक्ष विभाग	94 Department of Space	1,00,000	1,00,000	2,00,000
96 इस्पात मंत्रालय	96 Ministry of Steel	1,00,000	...	1,00,000
97 वस्त्र मंत्रालय	97 Ministry of Textiles	3,00,000	...	3,00,000
98 पर्यटन मंत्रालय	98 Ministry of Tourism	1,00,000	...	1,00,000
99 जनजातीय कार्य मंत्रालय	99 Ministry of Tribal Affairs	1,00,000	...	1,00,000
100 महिला और बाल विकास मंत्रालय	100 Ministry of Women and Child Development	1,00,000	...	1,00,000
101 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	101 Ministry of Youth Affairs and Sports	52,00,000	...	52,00,000
जोड़	Total	114873,90,00,000	42683,23,00,000	157557,13,00,000

7

लोक सभा LOK SABHA

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2018-19 की अतिरिक्त अनुदानों की मांग सूची
List of Demands for Excess Grants for 2018-19 to be submitted to the Vote of the House Lok Sabha

संख्या और मांग का शीर्षक No. and Title of the Demand		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि Amount of Demand for Grant to be submitted to the Vote of the House		
1	2	3	4	5
		पूँजी Revenue ₹	पूँजी Capital ₹	जोड़ Total ₹
20. रक्षा सेवाएं	20 Defence Services	3841,32,51,641	...	3841,32,51,641
21. रक्षा सेवाओं पर पूँजी परियोजना	21 Capital Outlay on Defence Services	...	1257,28,88,482	1257,28,88,482
जोड़	TOTAL	3841,32,51,641	1257,28,88,482	5098,61,40,123

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have a Point of Order. My Point of Order is under Rule 216 and also under Article 113 of the Constitution of India.

Sir, just now we have received this much of documents from the Publication Counter. For the time being, it may be applicable only to the Union Territory of Jammu and Kashmir.

HON. CHAIRPERSON: You have mentioned Rule 216.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Yes, Rule 216.

HON. CHAIRPERSON: But that relates to the scope of debate on supplementary grants.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Yeah. Today morning I have read it and it is already on record. The sum and substance of Rule 216 is that the original Grants shall never be discussed along with the Supplementary Demands for Grants. If you want to discuss, then the hon. Speaker has to suspend it under Rule 388. How can we have the discussion on the original Grants as well as the Supplementary Demands for Grants without suspending Rule 216?

Now, two Supplementary Demands for Grants in respect of Union Territory of Jammu and Kashmir have already been placed before the House and that statement is before the House.

Kindly go through Article 113 of the Constitution also. Article 113 of the Constitution is a constitutional right conferred upon the Members of Parliament and the country as such. Article 113 states that : "Procedure in Parliament with respect to estimates (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of Parliament, but

nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either House of Parliament of any of those estimates ...”.

Even those estimates, which were not being voted by the Parliament, have to be placed before the House for discussion. It is because the House wants to know what the receipts and estimates are.

I have heard that the BAC has already approved it. My point is that the BAC has no authority to flout the Rules. The Rules are having paramount consideration.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, of course the BAC takes decisions, but the ultimate decision is taken by the Speaker.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : No, I am not questioning the decision of the hon. Speaker. If the Speaker took the view, it is fine.

HON. CHAIRPERSON: Your point has been taken.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, in this context, I would want to have one word said if you permit.

HON. CHAIRPERSON: Yes.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : I am not saying something which was done against the law or Rules of the House, we should repeat it. If it was wrong, it was wrong and it should not be done and I agree to it. But how is it that in 2014 when the Delhi Government's National Capital Territory's Budget was presented and Supplementary Demands for Grants were raised, that day the same thing was allowed? ... (*Interruptions*)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Do two wrongs make a right?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : No, I knew that this will come up and that is why I have said that if wrongs were done earlier, we should not repeat it. But it was not a wrong and that was allowed by the Chair then. It is established and therefore to say that was wrong, but you do not do wrong itself is wrong. ... (*Interruptions*) That time the Chair allowed it, and this time also the Chair may kindly allow it is my appeal.

Therefore, to say that was wrong but you don't do wrong, itself is wrong. At that time, the Chair allowed it. This time, I would kindly appeal to the Chair not to allow it. Therefore, to say that is wrong now for a party which was in power and seated here at that time is such a matter of shame. You will do it and the Chair would allow the same at that time whereas it is not right now. How is that, Sir? ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं सुबह से ओपोजीशन को सुन रहा हूँ। ये लोक सभा का रूल क्वोट कर रहे हैं। रूल क्वोट करें, हम सभी लोक सभा के सदस्य हैं, रूल्स से बाइंडेड हैं। भारत का जो संविधान है, यही बाइबल है, यही रामायण है और यही महाभारत है। इसका रूल 357 और आर्टिकल 118 यदि प्रेमचन्द्रन साहब और मनीष तिवारी साहब, जो बहुत अच्छे वकील हैं, यदि इसे पढ़ लें, तो मुझे नहीं लगता कि शायद बहस की कोई गुंजाइश रहेगी।

रूल 357 कहता है कि यदि लेजिस्लेशन फंक्शनल नहीं है, तो पार्लियामेंट को इसका अधिकार है। संविधान का आर्टिकल-118 यह कहता है कि पार्लियामेंट को इसको जल्दी क्लियर कराने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, वह इमीडिएटली करना चाहिए। फाइनेंशियल बिल के लिए पार्लियामेंट एक दम क्लियर है।

HON. CHAIRPERSON: Okay.

... (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : What is the hurry? I can't understand. Even I have gone through the Demands for Grants.....

HON. CHAIRPERSON: Let me give the direction. Let the Chair be allowed to give the direction.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Demand No. 5 is missing. Yes, it is in respect of Ladakh but the House should know. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: While deliberating you can raise.

... (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : If any Demand is missing, it is to be re-serialised. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You want to say something.

... (*Interruptions*)

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): You cannot make a departure from the fundamental rules. ... (*Interruptions*) You cannot deprive me of my right to articulate my viewpoint on whatever has been presented. I am not being allowed. Just a minute back, this was handed over to me. It is humanly impossible to go through it and to articulate my viewpoint. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : That point has already been noted here. There is a time constraint. ... (*Interruptions*)

SHRI HASNAIN MASOODI: You cannot make a departure. It is true that the hon. Speaker has the right but this cannot be done. ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी ने नियम-216 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माननीय सदस्य का तर्क है कि जम्मू तथा कश्मीर से संबंधित वर्ष 2022-23 की मूल मांगों के साथ वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुदानों की चर्चा नहीं हो सकती है। इस संबंध में मैं अध्यक्ष महोदय की तरफ से सदन को बताना चाहता हूँ कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की मांगें वित्त वर्ष की शुरुआत के पूर्व ही प्रस्तुत की जाती हैं और पारित भी होती हैं। संविधान के अनुच्छेद-115 में प्रावधान है कि यदि सभा द्वारा पारित की गई मूल मांगों द्वारा प्राधिकृत रकम वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती हैं अथवा किसी ऐसी नई सेवा पर जिसका अनुदान उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं किया जा सकता है, सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार ऐसी आवश्यकता हेतु पूर्ववर्ती सत्रों की अनुपूरक मांगें ली जा सकती हैं। जब ऐसी अनुपूरक मांगें किसी सत्र में सदन के सामने लाई जाती हैं, उस स्थिति में नियम-116 यह निषेध करता है कि अनुपूरक अनुदानों पर बोलते समय सदस्य उन मूल मांगों पर चर्चा न करें, जो सभा द्वारा पहले ही सामान्यतः बजट सत्र में पारित की जा चुकी हैं। अतः अनुपूरक मांगों पर बोलते समय सदस्य केवल उन ही मांगों पर बोलें जिनसे अनुपूरक मांग बनी है, सदस्य पहले ही पारित मूल मांगों को चर्चा में लाएं। मद संख्या - 25 पर सूचीबद्ध मूल मांगें आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रकम का प्रावधान करने के बारे में हैं, जबकि मद संख्या -26 पर सूचीबद्ध अनुपूरक अनुदान वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित है।

वर्ष 2021-22 की मूल मांगें यह सदन पहले ही 18 मार्च, 2021 को पारित कर चुका है। मद संख्या-25 पर सूचीबद्ध आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की मूल मांगों तथा मद संख्या-26 पर सूचीबद्ध अनुपूरक मांगों का परस्पर कोई संबंध नहीं है और इन पर एक साथ चर्चा करने से नियम-216 का उल्लंघन नहीं होता है। अतः मैं व्यवस्था के प्रश्न को खारिज करता हूँ। माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे प्रक्रिया से संबंधित नहीं हैं। यह मुद्दा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय मंत्री जी इस विषय की जांच करवा लें। मिसिंड डिमांड नम्बर-5..... मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब किसी राज्य के बजट पर चर्चा उसके प्रस्तुत किए जाने के दिन ही हो रही हो। पूर्व में भी राज्यों का बजट एक ही दिन में प्रस्तुत किया गया है तथा चर्चा के

लिए भी गया है। इसी प्रकार अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत किए जाने के दिन ही चर्चा के लिए ली गई हैं।

श्री मनीष तिवारी जी।

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Before I commence the discussion on the Budget on the Demands for Grants for Jammu & Kashmir, may I once again reiterate my objection? Rule 205 of the Rules of Procedure and the Conduct of Business in the Lok Sabha is a fundamental rule. It constitutes what could be called one of the pillars of the basic structure on which this temple of democracy runs. Therefore, it is my contention, I asked for a ruling on it in the morning also, that that cannot be amended or waived using the amending powers or suspension powers of Rule 388. I would in all humility request the Chair for a ruling on this particular point where the word used in Rule 205 is not 'may', it is 'shall'. There are no extraordinary or exceptional circumstances. Why does the debate have to be held on the same day as the Budget documents have been tabled? This, in my respectful submission, sets in an extremely unhealthy precedent and may in future be extrapolated to the situations which are far, far more serious than what we are confronting today. Therefore, I would request that my objection be noted. ... (*Interruptions*)

Yadav sahib, I have requested for a ruling. I am not yielding.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं लेकिन नियम 388 में स्पीकर महोदय को पावर है। उसे अंडरमाइन नहीं करना चाहिए।

श्री मनीष तिवारी : मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे रूल्स हैं, जो इस नियमावली के बेसिक स्ट्रक्चर हैं। मैं इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय से रूलिंग चाहता हूँ कि क्या वह रूल जिसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है कि 'the House shall not discuss'. Can those rules be respected? ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Why did you do it in 2014? You please explain that also. ... (*Interruptions*)

SHRI MANISH TEWARI : You should have pointed it out in 2014. You were sitting here. That is not an excuse. Mr. Parliamentary Affairs Minister, you were sitting here on these benches. If we were doing wrong, why did you not point out at that point in time? Is that a defence? I am sorry, that is not a defence. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, let me say this. 'You could have pointed out' is a very powerful line to say. But all of us will have to accept the Chair's pronouncements. We followed that in 2014. Forgetting that you raised the question again. The Chair's ruling exists on this even as far back as 2014. This should not have been raised at all. There is a precedent.

SHRI MANISH TEWARI : Mr. Chairperson, Sir, I am asking for a ruling. In fact, I did not yield to the hon. Finance Minister. Notwithstanding that, if she wanted to make her point, well, she has that discretion. But I would again like to reiterate before I start this discussion, Mr. Chairperson, that on this particular point with regard to the Budget which is the sacrosanct duty of this House, can a violation of procedure in this manner be done?

My second fundamental objection, Mr. Chair, and I would request you to please do not subtract this from my time, is this. Jammu and Kashmir is not the only Union Territory in this country. जम्मू-कश्मीर कोई अकेला केन्द्र शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़ भी है, लक्षद्वीप भी है, दमन और दीव भी है। मैं आपके माध्यम से सत्ता-पक्ष से यह जानना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर के बजट के ऊपर इस सदन में अलग से चर्चा आखिर कैसे हो रही है और क्यों हो रही है? अगर आप यह परंपरा डालना चाहते हैं कि केन्द्र शासित प्रदेशों के जो बजट हैं, उनकी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए, तो फिर सारे केन्द्र शासित प्रदेशों के बजट की चर्चा होनी चाहिए। फिर चंडीगढ़ के बजट की भी चर्चा होनी चाहिए, दमन और दीव के बजट की चर्चा भी होनी चाहिए, फिर लक्षद्वीप के बजट की भी चर्चा होनी चाहिए। केवल जम्मू-कश्मीर के बजट के ऊपर अलग से चर्चा क्यों हो रही है, यह एक व्यवस्था का विषय है और इसके ऊपर मैं यह उम्मीद करूंगा कि चेयर की तरफ से इसके ऊपर कोई न कोई रूलिंग दी जानी चाहिए कि यदि यह परंपरा हम डाल रहे हैं, तो फिर अगली बार हर केन्द्र शासित प्रदेश के बजट की चर्चा इस हाउस में होगी। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं उसका स्वागत करता हूँ। But, there cannot be different strokes for different folks. Rules need to be applied in a uniform manner.

माननीय सभापति : मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ। The record should be clear. Suspension of Rule 205 has been agreed to by the House and not only by the Speaker. That was first approved here in the House.

SHRI MANISH TEWARI : Mr. Chairperson, Sir, we asked for a division which was not allowed.

HON. CHAIRPERSON: It is for the House to take a view whether any Rule is to be suspended or not when any such motion for suspension is brought before the House by hon. Minister or any other Member subject to the permission of hon. Speaker.

As regards the other point which you want a ruling on, I think the matter is clear now. The House functions not only by Rules and Directions, the House functions on precedents also. We have a Rules Committee. If there is some difference during implementation of certain Rules, the Rules Committee will take cognizance of it. In that respect I believe what is being raised by hon. Member Mr. Tewari can also be deliberated in the Rules Committee. But the final say is of the hon. Speaker and also of the House.

The Budget of a Union Territory, I would just like to mention here, without a legislature is included in Demands for Grants of the Union Ministry of Home Affairs. I think that settles it. Let us start the discussion.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मनीष जी, वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। जब वे अपनी सरकार में भी थे तो कई एक बार उन्होंने जो देश के लिए जेनुअन चीज थी, उसे उठाया है, इसलिए मैं उनका आदर करता हूँ। संयोग से हम दोनों साथ ही इस पार्लियामेंट में आए। मैं पहली बार यह देख रहा हूँ और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मनीष तिवारी जी कह रहे हैं, सभी रूल का अंतिम जिस्ट रूल 389 है, जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि वह स्पीकर को इस सभा को संचालित करने के लिए सारा अधिकार देता है कि स्पीकर सारे रूल्स को, सारे कानूनों को स्थगित कर सकते हैं और रूल 389 के बाद यदि स्पीकर की रूलिंग आ गई है, तो फिर इसके ऊपर चर्चा को मैं कहीं से भी उचित नहीं समझता हूँ।

माननीय सभापति : ठीक है। धन्यवाद।

मिस्टर तिवारी, आप बोलिए।

श्री मनीष तिवारी : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं इस चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ कि मुझे 12 बजकर 45 मिनट पर ये बजट के कागज प्राप्त हुए और मुझे नहीं लगता कि अगर आइन्स्टाइन भी चाहते तो वे सवा घंटे में

इस बजट के सारे दस्तावेजों को, शायद सात किताबें हैं, उनको अपने संज्ञान में ले पाते और मैं अपने आपको कोई आइन्स्टाइन नहीं मानता हूँ। I would like to plead ignorance that I have not been able to read this Budget. I would like to place it on record that it is humanly impossible to read this Budget और इसलिए, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के ऊपर चर्चा है, बजट उसका एक माध्यम है, तो जो जम्मू-कश्मीर को लेकर एक सार्वजनिक जानकारी है, उसकी आर्थिक परिस्थिति को लेकर, उसके बारे में मैं अपना एक वक्तव्य इस सदन के समक्ष रखूँगा।

मैंने बहुत जल्दी से कोशिश की कि जम्मू-कश्मीर को लेकर जो माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है, उसको पढ़ने की कोशिश करूँ। उनके बजट भाषण के 35वें सफे पर जो पैरा 13.1 है, उसमें वह कहती हैं कि the Budget 2022-23 for Union Territory of Jammu and Kashmir shall focus on good governance, deepening grassroot democracy, accelerated development and inclusive growth, facilitating investment and industrial growth, infrastructural development for improving quality of life and employment, youth initiatives and women empowerment and broadening social inclusion.

महोदय, ये बहुत ही अच्छे अल्फाज हैं और जिसे अंग्रेजी में extremely noble sentiments कहते हैं। जो जमीन की हकीकत है, जो जमीनी परिस्थिति है, वह जमीनी परिस्थिति कुछ अलग है। इस सदन में 6 अगस्त, 2019 को जब यह फैसला हुआ कि धारा 370 को हटाया जाएगा और जम्मू-कश्मीर राज्य जिसकी संरचना वर्ष 1822 से लेकर वर्ष 1846 के बीच में की गई, उसका विभाजन करके उसको दो केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, तो सत्ता पक्ष की तरफ से दो दलीलें रखी गईं। पहली दलील यह रखी गई कि इस प्रक्रिया से जम्मू और कश्मीर का जो भारत के साथ विलय है, वह और सुदृढ़ होगा। The State will be emotionally integrated. इसका दूसरा उद्देश्य यह बताया गया कि इससे जम्मू और कश्मीर में विकास का कार्य और तीव्र गति से होगा। आज 33 महीने हो गए हैं और इन 33 महीनों में क्या ये जो दोनों लक्ष्य हैं, इनको पूरा करने में सरकार सफल हो पाई है? मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ यह बात कहना चाहता हूँ कि उसका जवाब में है 'ना'। मैं उसको

प्रमाणित करने के लिए इस सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। आज भी जम्मू-कश्मीर में जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है, वह चिंताजनक है और जितनी परिस्थिति वर्ष 2019 में संवेदनशील थी, वर्ष 2022 में स्थिति उससे ज्यादा असंवेदनशील है।

जम्मू-कश्मीर सरहद का राज्य है और जो सरहद पर होता है, उसका असर सीधा-सीधा राज्य की अर्थव्यवस्था के ऊपर, राज्य की सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2018 से अगर आप आंकड़े उठा कर देखें तो वर्ष 2018 में 2936 सीज़फायर वॉयलेशन हुए थे। वर्ष 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और प्रदेश को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया तो ये बढ़ कर 3279 हो गए। वर्ष 2020 में यह 5100 हो गए और वर्ष 2021 में इसके बावजूद कि पाकिस्तान के साथ एक सीज़फायर एग्रीमेंट के ऊपर आम सहमति बनी, वर्ष 2021 में भी जो ये सीज़फायर वॉयलेशन थे, ये 664 थे और मैं इसलिए ये आंकड़े सदन के समक्ष रखना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि वर्ष 2004, 2005 और 2006, इन तीनों सालों में तो शून्य थे। पर वर्ष 2013 तक ये सीज़फायर वॉयलेशन सौ से कम रहे। ये आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अप्रैल, 2020 से जो पूर्वी लद्दाख में परिस्थिति है, वह अत्यंत ही संवेदनशील है। चीन की फौज उन इलाकों में घुसी हुई है, जिनको भारत अपनी सरजमीं मानता है।

वर्ष 2020 से ले कर आज तक जो परिस्थिति है, वह और जटिल हो गई है, क्योंकि यह जो रूस और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, इमरान खान का इस झगड़े के बीच में मॉस्को जाना, 4 फरवरी को चीन और रूस के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ है Joint Statement on International Relations Entering a New Era, इससे परिस्थितियां पिछले और तीन सालों में जटिल हुई हैं और उसका सीधा-सीधा प्रभाव भारत के सरहद के सूबों पर पड़ता है और मैं भी एक सरहद के सूबे की यहां पर नुमाइंदगी करता हूँ। इसलिए इस सरकार को बहुत ही गंभीरता से ...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो भी बोल रहे हैं, जम्मू-कश्मीर की व्यवस्था पर, वहां के वॉयलेंस पर, वहां की घटनाओं पर, उस पर उनका जो बयान

आ रहा है, वह सही नहीं है, गलत है। ...(व्यवधान) दूसरा, इसी सदन को फर्स्ट सिटिंग में अवगत कराया गया है कि वहां की क्या स्थिति है। इस पर विपक्ष का एक प्रश्न भी था। ...(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : मंत्री जी, अगर आप मेरे वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो जब आपको मौका मिलेगा, आप तब उत्तर दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : लेकिन बीच में जो गलत आंकड़े दे रहे हैं, सदन में सही आंकड़ों द्वारा अवगत करा दिया गया। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Member is mentioning about Russia and Ukraine.

SHRI MANISH TEWARI: Mr. Chairperson, Sir, I find it incredible that Minister after Minister is standing up and interrupting me. Does a Member not have the right to be able to articulate what he wants to say in this House? Have they not read Article 105(2) of the Constitution? Are they not aware of the privileges which Members of Parliament have?

I find this to be highly objectionable. You are not even allowing me to say, as a Member of this House, what I have a constitutional right to say....
(Interruptions)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): You should be flattered. All Ministers are replying to you.

SHRI MANISH TEWARI : Supriya ji is saying that I should be flattered that all Ministers are replying to me. So, in that spirit I will continue my submission.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : This is a privilege, on the part of the Member, that the Ministers are intervening. It is absolutely a credit to you.

श्री मनीष तिवारी : सभापति जी, मैं बहुत ही जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूँ कि सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए कि वर्ष 2019 में जो कदम उठाए गए, उससे जो भारत की सरहद के ऊपर परिस्थिति है, वह सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई कि उसके ऊपर भारत की जो चिंताएं हैं, वे बढ़ी हैं। यह एक बहुत ही गंभीर संवेदनशील सवाल है। मैं यह उम्मीद करूंगा कि सरकार इसको जरूर अपने संज्ञान में लें।

सभापति जी, दूसरा सवाल मैं यह उठाना चाहता हूँ कि आज मैं सुबह सरकारी आंकड़े पढ़ रहा था और उस वक्तव्य में यह लिखा था कि जम्मू-कश्मीर के जो 70 प्रतिशत नौजवान हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए, उनको मार गिराया गया। *Seventy per cent of those locals -- who had joined the militancy -- were neutralised.* पर, जो चिंता का विषय है, वह यह है कि वर्ष 2019 से, लोकल नौजवानों का इन आतंकवादी गतिविधियों में जो इन्वॉल्वमेंट है, क्या वह बढ़ा है? अगर वह बढ़ा है तो यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जरूर इसको बहुत ही गंभीरता से अपने संज्ञान में ले।

सभापति जी, तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इस सदन में 8 अगस्त, 2019 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा और 18 अक्टूबर, 2020 को माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड का जो विषय है, उसके ऊपर जल्द निर्णय होगा, जल्द फैसला होगा। आज हम मार्च, 2022 में हैं, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जो वक्तव्य माननीय प्रधान मंत्री ने इस सदन में वर्ष 2019 में दिया या उसके बाद कई बार माननीय गृह मंत्री ने दिया, सरकार उसके ऊपर कब अमल करने जा रही है? कब जम्मू-कश्मीर का जो स्टेटहुड है, उसको रिस्टोर करने जा रही है?

सभापति जी, इसके साथ-साथ आजकल जम्मू-कश्मीर में डीलिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। वहां पर विधान सभा के नए क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, उस प्रक्रिया से, वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वे कुछ ज्यादा खुश नहीं हैं। एक आम बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों को उस सारी प्रक्रिया में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व करने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ कई जिले ऐसे हैं, जिन जिलों में आरक्षण की वजह से कहीं ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न न हो जाए कि जो लोग आरक्षण से बाहर हैं, वे कम्प्लीटली अनरिप्रेजेंटेटेड रहें। इसके अलावा, एक चीज मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश की संरचना में महाराजा रणजीत सिंह का एक बहुत बड़ा रोल था। वर्ष 1822 में उन्होंने राजा गुलाब सिंह जी का राजतिलक किया था, इसलिए वहां पर जो सिख माइनॉरिटीज़ हैं, उन्हें जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में प्रावधान देने के लिए, जैसे यहां पर एंग्लो-इंडियन्स को हम रिप्रेजेंटेशन देते थे, क्योंकि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रही तो वहां पर जो सिख माइनॉरिटीज़ हैं, क्या उन्हें आप वहां की विधान सभा में प्रतिनिधित्व देंगे? क्या आप वहां की कुछ सीट्स को रिज़र्व करेंगे? इन मुद्दों के ऊपर चिंता करने की जरूरत है।

महोदय, अब मैं वहां की इंडस्ट्री के ऊपर आता हूं। एक बात कही गयी थी कि जब धारा-370 हट जाएगी तो बाहर से बहुत सारे निवेशक आएंगे और जम्मू-कश्मीर में उद्योग लगाएंगे, जिससे वहां के जो नौजवान हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। अब जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुए हैं, उसके हिसाब से अभी तक 99.9 पर्सेंट, जिन लोगों ने जम्मू-कश्मीर में इंडस्ट्री लगाने की याचिका दी है, वे जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी हैं। The moot point is that there is a negligible interest shown by investors outside Jammu and Kashmir for investing in that State. अब आप स्टेट की इंडस्ट्री की हालत देख लीजिए। मैंने ये आँकड़े सदन के समक्ष एक बार पहले भी रखे थे कि कश्मीर में तो इंडस्ट्री नहीं है, पर जम्मू के तीन जिले जम्मू -, साम्बा और कठुआ में जो इंडस्ट्री थी, उसमें से टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स 12,997 थीं। उनमें से 5,890 यूनिट्स काम कर रही हैं और 7,107 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो चुकी हैं।

सभापति जी, यह बहुत चिंता की बात है कि अगस्त, 2019 में जब धारा-370 को हटाया गया और जम्मू-कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया तो पहले चार महीने में ही ह्यूमन राइट्स इन जे ' नाम से एक संगठन है 'एण्ड के, उसके हिसाब से बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है।

अगर आप जम्मू-कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के आँकड़ों को संज्ञान में लें तो पहले 120 दिन में 17,877 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन एंड हैंडीक्राफ्ट्स का

नुकसान हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर की बेसिक इंडस्ट्रीज़ है। वहाँ टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

मैं ये सारी बातें सदन के समक्ष इसलिए रख रहा हूँ, क्योंकि इन पिछले तीन वर्षों में जम्मू-कश्मीर एक बहुत ज्यादा ही कठिन परिस्थिति से गुजरा है, चाहे आप इंटरनेट शटडाउन्स की बात कर लीजिए। 5 अगस्त, 2019 से मार्च 2020 तक 213 दिन इंटरनेट बंद रहा। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक 100 बार इंटरनेट को बंद करना पड़ा। जम्मू-कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अगर हम पूरे भारत को संज्ञान में लें तो उस मात्रा में जम्मू-कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत ऊपर है। इसके अलावा, वहाँ स्कूल्स बहुत सारे दिन बंद रहे।

सभापति जी, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस विचारात्मक उद्देश्य को लेकर यह सरकार अगस्त 2019 में चली थी, आर्टिकल 370 को धराशायी करके, जम्मू-कश्मीर को केन्द्रशासित प्रदेश बनाकर, जम्मू और कश्मीर का विकास और तरक्की, उनके नौजवानों को रोजगार, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसकी खुशहाली होगी। क्या उन उद्देश्यों में सरकार सफल हो पाई है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है, मैंने जो थोड़े-बहुत आँकड़े देखे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें जो प्रशासनिक बजट है, प्रशासनिक बजट में से 73 परसेंट पैसा होम डिपार्टमेंट पर खर्च किया गया। अगर 73 प्रतिशत पैसा आप सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च कर रहे हैं तो यह अपने आप में प्रमाण है कि जो परिस्थितियाँ हैं, वह सुधरी नहीं हैं।

सभापति जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति जी, आज जम्मू-कश्मीर पर चर्चा हो रही है। इसमें बजट भी शामिल है। मैं वित्त मंत्री जी के इस प्रस्ताव के साथ सहमत हूँ और इसके पक्ष में खड़ा हूँ।

महोदय, हम सब जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के रहते और इसकी आड़ में शक्तियों का दुरुपयोग होता था। नौजवान लोग नौकरी लेने के लिए सत्ताधारी मुखिया के घरों का चक्कर काटते थे, रिश्ततखोरी का धंधा चलता था और लोग दर-बदर होते थे। जहाँ पर विकास के लिए पैसा जाता था, वह विकास के काम पर न लगते हुए, इन्हीं परिवारों के आँगन के विकास में लगता था। अगर कोई प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो गया तो वह कई सालों तक खत्म नहीं होता था।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जा रहा है। जो पैसा विकास के लिए जाता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए जाता है, वह उसी प्रोजेक्ट पर लगता है। जो वर्षों पुराने प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हुए थे, वे पूरे हुए हैं और नए-नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर में अलग-अलग मापदंड अपनाए जाते थे। जो जम्मू प्रोविन्स है, उसके साथ भेदभाव होता था। कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसे लेने के लिए जम्मू प्रोविंस के लोगों को धरना, प्रदर्शन, एजिटेशन करना पड़ता था। उसके बाद भी वह मिले न मिले, कोई पक्का नहीं होता था। आज जम्मू-कश्मीर का पूर्ण विकास हो रहा है और सामान्य विकास हो रहा है। बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जम्मू-कश्मीर में चल रहे हैं। विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि जब से केंद्र में नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, जम्मू-कश्मीर के भाग्य खुल गए हैं और जम्मू-कश्मीर में विकास की गति तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कश्मीर घाटी हो या जम्मू प्रोविंस हो, सामान्य रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। नरेन्द्र भाई मोदी जी का नारा, “सबका साथ, सबका विकास” सिद्ध हो रहा है। और चहुँमुखी विकास हो रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे जाते हुए आपको बताऊँगा कि जो अधिकार जम्मू - कश्मीर के लोगों को वर्षों तक नहीं मिले थे, वे अधिकार अब जाकर नरेन्द्र भाई मोदी जी के प्रधान मंत्री रहते और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उनको मिले हैं। ये अधिकार उन्हें वर्षों पहले मिल जाने चाहिए थे।

14.46 hrs*(Shri N.K. Premachandran in the Chair)*

मैं डीडीसी की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और बीडीसी के जो चुनाव हैं, जम्मू-कश्मीर में लोगों को पहली बार अपने अधिकार मिले हैं और श्री टियर सिस्टम की स्थापना हुई है। पंचायतों को भी अधिकार मिले हैं। अब पंचायतें मिल-बैठकर अपनी पंचायत का विकास कैसा हो, इस पैसे को किस तरह से लगाया जाए, जैसा वे चाहते हैं, अपने विकास के लिए चर्चा करते हैं और वैसा विकास करते हैं। एक बात जरूर है कि पुरानी सरकारों का दबदबा, परिवारवाद अब खत्म हुआ है और स्वार्थ की राजनीति भी खत्म हुई है। जम्मू-कश्मीर में विशेष तौर पर कोरोना काल में जो सराहनीय कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं, उनकी मैं सराहना करना चाहता हूँ।

कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई न होते, तो कोरोना काल में देश के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का क्या हाल होता? लोगों को आज देश में मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। जो गरीब लोग हैं, उन्हें फ्री में राशन भी मुहैया करवाया गया। यह बहुत बड़ा सराहनीय कदम है।

मैं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की चर्चा न करते हुए, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में आज एम्स की बात करो, आईआईएम की बात करो, रिंग रोड की बात करो, नेशनल हाईवे की बात करो या जम्मू एयरपोर्ट की बात करो, ये सारे कार्य धारा 370 हटने के बाद शुरू हुए हैं और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों को कोई शिकायत नहीं है। विशेष तौर पर जम्मू प्रोविंस के लोग भी खुश हैं कि जैसे कश्मीर घाटी में विकास हो रहा है, वैसे ही जम्मू प्रोविंस में भी विकास हो रहा है। जो पैसा आता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आता है, वह उस प्रोजेक्ट में लगता है। विशेष तौर पर जम्मू का जो एयरपोर्ट था, उसमें हमें बहुत दिक्कतें आती थीं। आज यहां पर नाइट सर्विस भी चालू हो गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन के विकास का काम जोरों पर चल रहा है। जम्मू में चारों ओर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहां नेशनल हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वहां रिंग रोड बनने का काम चल रहा है। पुरानी मांगों को लेकर भी बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं, जिनको मंजूरी मिली है। इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और तेजी के

साथ विकास हो रहा है। जम्मू शहर के आसपास और जम्मू शहर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए फंड्स भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। विशेष तौर पर साबरमती नदी की तर्ज पर जम्मूतवी का विकास हो या रोप-वे प्रोजेक्ट की बात हो, इनके साथ-साथ कई प्रोजेक्ट्स पर यहां काम हो रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि बीडीसी विलेज डिफेंस कमेटी को विलेज डिफेंस ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उनकी बहुत पुरानी मांग को भी पूरा किया गया है। उनको सही मानदेय मिले, उसकी भी चिंता की गई है। इसके अलावा, आईआरपी की बटालियन खड़ी की जाए, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हुई है। शहर में बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से या इसके अलावा भी और कार्य किए जा रहे हैं।

महोदय, इस बजट में कई सारे बड़े प्रावधान रखे गए हैं, मैं उन सभी की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हेल्थ सेक्टर में यहां 29 क्लस्टर मॉडल गांव स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं 6 एकलव्य मॉडल बोर्डिंग स्कूल पर काम चल रहा है। यह बड़ी बात है कि जम्मू-कश्मीर में जितने भी विकलांग लोग हैं, उन सभी को तिपहिया साइकिल मुहैया करवाए जाएंगे। इसके साथ ही शहरों के विकास के लिए 3112 करोड़ रुपये रखे गए हैं, यह अच्छी बात है, यह पिछले बजट से भी ज्यादा है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहां बात की गई है। इसके अलावा, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर काम चल रहा है। विशेष तौर पर जल-जीवन मिशन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बहुत बड़ी राशि जम्मू-कश्मीर को प्रदान की गई है ताकि हर घर जल पहुंचाया जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी काम हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के माध्यम से भी कुछ कार्य किया जाए। इसका कारण यह है कि कुछ लोग छूट गए हैं। मैं चाहता हूं कि उन पर भी गौर किया जाए और जो पोर्टल इस समय बंद है, उसको खोला जाए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के माध्यम से वहां के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें।

माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। जम्मू-कश्मीर में बहुत सारे ऐसे नौजवान और कर्मचारी हैं, जो विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारी हैं, वे नीड बेसिस पर काम कर रहे हैं, एडहॉक बेसिस पर काम करते हैं। वे रोजाना धरना प्रदर्शन करते हैं, इसका कारण है कि उनको सही मानदेय नहीं मिल पा रहा है। मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि यूटी प्रशासन को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि जो कर्मचारी हैं, उनको नियमित किया जाए या मिनिमम वेज एक्ट के दायरा में लाया जाए, जिससे वे अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें। यह समस्या बढ़ी हुई है। उप-राज्यपाल महोदय इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों 12 हजार कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है, लेकिन यह क्रम जारी रहे, इसके लिए जम्मू-कश्मीर की मदद करनी होगी।

मनरेगा के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, इसके लिए आपने बजट भी रखा है। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2016-17 में कुछ काम ऐसे हुए हैं, किसी वजह से उन लोगों को उसका पैसा नहीं मिला है, जो मिलना चाहिए था। यूटी प्रशासन पर इसकी लायबिलिटी खड़ी हुई है, उनको बकाया राशि दी जाए, जिन्होंने काम किया है।

मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसके लिए भी आर्थिक सहायता यूटी प्रशासन को दी जाए। इसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूं कि सीआरएफ के माध्यम से बहुत सारे ब्रिज और रोड वहां बन रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पैसा थोड़ा कम पड़ गया, कुछ प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हालांकि केन्द्र और यूटी प्रशासन ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स को किसी और हेड से पैसा दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर सीआरएफ के माध्यम से पैसा नहीं गया है।

मैं प्रार्थना करूंगा कि वह पैसा भी रिलीज किया जाए। मैं मिसाल के तौर पर कहूं तो रोज ही हमारे पास लोग आते हैं, जोडिया-इन्द्रीपटन-टूपरांगल एक बहुत बड़ा ब्रिज है, जिसका बहुत बड़ा लाभ सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होगा।

मैं चाहता हूँ कि इसके लिए भी पैसा उपलब्ध कराया जाए। ऐसे कई सारे रोड्स और ब्रिज हैं, जहां पर काम रुका हुआ है। इससे लोग बहुत दुखी हैं। मैं जानता हूँ कि जम्मू से अखनूर और अखनूर से पुंछ रोड का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो पहले 250 किलोमीटर का फासला था, अब 190-192 किलोमीटर का रह जाएगा। जो सफर सात घंटे का था, तीन या साढ़े तीन घंटे तक सीमित रह जाएगा और सब लोग आराम से जा सकेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो काम चल रहे हैं, चलते रहें और जल्दी सम्पन्न हों। इसके साथ-साथ जो सारे कार्य रुके पड़े हैं, वे भी जल्दी से आगे बढ़ें।

महोदय, आईआरपी की कुछ बटालियन खड़ी करने की बात हुई थी। कुछ बच्चों ने इंटरव्यू दिया और कुछ पास भी हुए, लेकिन अभी रिटन होना है। मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को रियायत दी जाए जिन्होंने रिटन पास किया है। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा योगदान जम्मू-कश्मीर की सरकार को दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्र पर बटालियन खड़ी करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उन बच्चों पर ध्यान दिया जाए, उन्हें मौका दिया जाए और साथ ही नए लोगों को भी मौका दिया जाए। जम्मू-कश्मीर में वीडोसी लोगों के लिए जो किया गया है, उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ।

मनीष तिवारी जी कह रहे थे कि सीमा पर हालात ठीक नहीं हैं। मेरा पिछले दिनों सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा हुआ था। मैं पुंछ, राजौरी और नौशेरा सैक्टर में गया और सीमावर्ती क्षेत्र में भी गया। सीमा पर रहने वाले लोग अत्यंत खुश हैं कि सीज़फायर का पूरा पालन हो रहा है और लोग घरबार छोड़ने को मजबूर नहीं हैं। वे खेतीबाड़ी कर रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं और अपने घरों में रह रहे हैं।

अब रही बात डिलिमिटेशन की, यहां डिलिमिटेशन के बारे में कहा गया। वही पार्टियां नाखुश होंगी जिन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। पहले जो भेदभाव होता रहा, वह आज नहीं हो रहा है। सामान्य रूप से जिसका जो हक बनता था, आज डिलिमिटेशन ने उसे वह हक दिया है। जम्मू-कश्मीर के लोग खुश हैं कि पहली बार डिलिमिटेशन द्वारा इंसाफ किया गया है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Budget of Jammu and Kashmir. The expenditure is roughly about Rs.1,12,000 crore of which capital expenditure is Rs.41,000 crore and the revenue expenditure is Rs.71,615 crore. This is a Budget for bureaucratic expenditure. As you know, the expenditure is mainly on Home Department and Police on which Rs.90,588 crore are being spent.

Let me first start by saying that I opposed the abrogation of Article 370 and I am still opposed to it. It was a wrong step for which the country will have to pay in future. I think that apart from fulfilling BJP's agenda, it has no other meaning.

The Finance Minister had mentioned in her speech that the concept of One Nation, One Constitution, One Flag has been adopted. This was the concept of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. 'एक निशान, एक विधान' । He was a good man, died unfortunately in Jammu and Kashmir. His slogan is being implemented by his successors, presently, by Shrimati Nirmala Sitharaman.

You have read the Budget. What is the meaning of this Budget being read in Parliament? Why could not the Jammu and Kashmir's elected Finance Minister present this Budget? What is there in this Budget that the elected representatives of Jammu and Kashmir could not speak on? This is deprivation of the rights of people of Jammu and Kashmir to have their own Government. I am totally opposing this undemocratic step.

15.00 hrs

Sir, one gentleman called Mr. Kakru has written in *Kashmir Times* about the situation today in Jammu and Kashmir. The per capita income in Jammu and Kashmir is recorded less than average in India; the literacy rate is recorded below

the average in India; the unemployment among educated persons is recorded as 22 per cent against the average of 7 per cent in India; the electricity available to public for domestic purposes is dismal. यह मेरा नहीं है । This is written in *Kashmir Times* on 2.3.2022; it is written by a Kashmiri. ... (*Interruptions*) आपको तो प्रोफेशनल ... * का पोस्ट मिला है । हम लोग ऑफिशियली दे देंगे ।

Sir, I want to ask this. What is the Finance Minister seeking to achieve through this Budget? Now, let me also say that this Budget is basically a revenue budget; only 37 per cent is capital outlay, 63 per cent is revenue expenditure, that is salary expenditure, establishment expenditure, and other similar expenditure. With this, the situation of Jammu and Kashmir will not change.

Sir, please see what the people of Jammu and Kashmir have to say about this? I was just reading some statement. The Jammu and Kashmir Chamber of Commerce said that the Budget has nothing significant for trade and industry; it is a big disappointment for traders and industrialists who are under mounting pressure due to restrictions and continuous setbacks in the last two years due to the pandemic and its related problems. The Government has announced certain benefits for the overall development of the country. But what is missing in the Budget is a big announcement for marginal traders who were hit by the pandemic and expecting a relief from the Modi Government. ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, बजट तो आज पेश हुआ है ।

HON. CHAIRPERSON : No, he is not yielding.

* Not recorded.

PROF. SOUGATA RAY : Sir, one Opposition Party in Jammu and Kashmir has said that this Budget does not address the rising unemployment and unprecedented prices of all essential items of regular use. ... (*Interruptions*) Have I said anything wrong?

HON. CHAIRPERSON: Saugata Rayji, are you yielding?

PROF. SOUGATA RAY : No, I am not yielding. No Sir. Let him speak after me.

DR. NISHIKANT DUBEY : Sir, I am on a point of order.

PROF. SOUGATA RAY : Sir, he is a professional ... * put up by the BJP to disturb anybody who speaks against them. टैगोर की एक पोएम है-

“Joy Kore Tabu Bhoy Tor Jaay Na”

HON. CHAIRPERSON: Saugata Rayji, his point of order is on Rule 349 (1), which says that any Member shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House. This is absolutely the business of the House.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, यह बिजनेस ऑफ द हाउस नहीं है, क्योंकि बजट आज पेश हुआ है। ये बजट को कोट कर रहे हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये कहा, इस पार्टी ने ये कहा, लेकिन बजट तो आज पेश हुआ है। यह न्यूज पेपर में कैसे छप गया? इसका मतलब ये पुराना स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON: Factually correct or incorrect is not a matter of concern.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, यह बिजनेस ऑफ द हाउस नहीं है। आज का बिजनेस ऑफ द हाउस बजट है और बजट आज पेश हुआ है।

* Not recorded.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Nishikant Dubey, what he is reading is with me also. I got this from the Parliament Library.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Saugata Rayji, you please continue.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, यह गलत है। यह पुराने साल का बजट है। यह लॉस्ट ईयर का है। बजट तो आज पेश हुआ है। वह अखबार में कैसे छप जाएगा? ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He is reading about the Budget which has been presented on 1st February in which the allocation for Jammu and Kashmir has been mentioned as Rs. 35,000 crore. The trade and industry people have stated something about that. He is quoting that. What is the point of order in it?

Saugata Rayji, please continue.

PROF. SOUGATA RAY : Sir, on any single point of criticism, the BJP is on a roll. They think that any single criticism must be opposed. That is why they receive kudos from Mr. Modi -- "Yeah, Well done, boys." All this is an effort to attract his attention.

HON. CHAIRPERSON : Now, please come to the subject.

PROF. SOUGATA RAY : About Jammu and Kashmir, let me remind you of Shri Sheikh Abdullah. He formed the Jammu and Kashmir National Conference in 1931. One of the main jobs of Shri Sheikh Abdullah was to lead the movement for land reforms in Jammu and Kashmir. He was such a nationalist that later he converted Jammu and Kashmir Conference to National Conference; and I pay my tributes to Shri Sheikh Abdullah who always remained in the national mainstream.

The country did not treat him well but he never deviated from the path of nationalism.

Now, what is the problem from outside? We go as tourists to Jammu and Kashmir; we take a Shikara ride on Dal Lake; we go to Pahalgam; we go to Gulmarg; and we go up the skiing slopes of Gulmarg. But the people of Jammu and Kashmir remain poor. It is because there is not so much scope for employment. Land is limited. Even after land reforms people have not received land. The other thing is handicrafts. That is solely dependent on tourists' inflow to Jammu and Kashmir.

Now, what has the Government successfully done to improve agriculture? Then, comes floriculture, arboriculture, pomology, that is, development of food, vegetables and flowers. Now, how much fillip have these things received?

I remember the point Mr. Amit Shah made in this House. The other day, he said: "We will control militancy and we will bring Jammu and Kashmir into the national mainstream."

Sir, I have also got a copy of the speech of the young Minister, Shri Nityanand Rai. He had given me a reply in the month of December by saying: "I mentioned the death of armed police personnel in J&K. On 13.12.2021, a police bus carrying police personnel was attacked by terrorists; 15 police personnel got injured, among them three died." He further said: "On 10th December, some terrorists fired upon a police party, Police Station Bandipora. In this incident, two police personnel received injuries." He again said: "Two terrorists responsible for

the incident have been killed.” He said that the Government has adopted a policy of zero tolerance.

But you know what is happening in Jammu and Kashmir. I have got a very nice report which says about drop in law and order in Jammu and Kashmir ...
(Interruptions) I have read from his letter ... (Interruptions)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहूंगा।...(व्यवधान) आप जो बोल रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

महोदय, ये मेरे जवाब का एक पार्ट बोल रहे हैं। पुलिस पर जो अटैक हुआ, हमारे जो पुलिसवाले शहीद हुए हैं, मैंने उन आंकड़ों को भी प्रस्तुत किया है।

प्रो. सौगत राय : क्या मुझे आपके पूरे जवाब को पढ़ना चाहिए? क्या मेरे पास कोई और काम नहीं है?

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, उसका एक पार्ट यह भी था कि हमारे जम्मू पुलिस के जवान, सीएपीएफ और मिलिट्री ने मिलकर कितने आतंकवादियों को मारा है, वह आंकड़ा भी उसी में है। कृपया आप उसे भी पढ़ दें, तो उचित रहेगा।...(व्यवधान) कितने आतंकवादी मारे गए हैं, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: महोदय, मंत्री जी के पास धैर्य (पेशेंस) कम है। उनकी उम्र कम है, इसलिए मैं उनको माफ कर देता हूँ।...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, धैर्य तो पूरा है, लेकिन मैं गलत चीजों को सुनना नहीं चाहता हूँ। हमारे देश के पुलिस जवान, मिलिट्री और सीएपीएफ किस प्रकार से आतंकवादियों के सफाए में लगे हुए हैं, इनको उसके बारे में भी कहना चाहिए। आपको उन पर गर्व करना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): आप चाहते हैं कि जो सत्ता पक्ष बोल रहा है, वही विपक्ष भी बोले। ...
(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Gaurav ji, please sit down.

... (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, what is happening in J&K is that they have posted three lakh army personnel there. They have deployed huge CRPF, BSF and CISF personnel there. So, incidents have become fewer but what is worrisome is that there is an uptick in militant recruitment. Between January and December, 2020, 225 militants were killed by the security forces. Of them, 207 were killed in 90 gunfights in Kashmir and 18 in 13 gunfights in Jammu region. But there is improvement on counts of terrorist incidents as there are more people joining the militants every day. Why is this happening? It is because there is no functional democracy in Jammu and Kashmir. They say: "We held the Panchayat elections." But, every other day, Sarpanchs are being killed by terrorists. The Sarpanchs do not come out of their houses. So, the promise made by Shri Amit Shah ji that we improve Jammu and Kashmir significantly has not been redeemed.

Sir, I end with saying one thing. I know, Nirmala ji is not the boss in this matter but Amit Shah is. She only brought the Budget but Jammu and Kashmir must have Assembly elections at the earliest. This excuse given that you are doing delimitation is bogus. That is a bogus excuse. You must have elections to the Assembly in Jammu and Kashmir. You must have a proper representative Government in Jammu and Kashmir. You must have a way to keep the young people away from the path of militancy, to give them the offer of participating in the open elections, and also in giving them the jobs. The problems of unemployment and under-development are the biggest problems in Jammu and Kashmir. This Government had significantly failed in providing employment and jobs to the people. They talk of big projects. They say: "We will build a road from Katra to

Amritsar. We will build a road *via* Zojila Pass to Ladakh or we will build road to Pahalgam.” No, that is not enough. Jammu and Kashmir lives in small hamlets. I would like to know whether those hamlets are connected. I want to ask them last of all: What happened to your promise of rehabilitating Kashmiri Pandits in the valley? You have not re-established one single Pandit family in the Kashmir valley. This is all tall talk. ‘एक निशान, एक विधान, एक प्रधानमन्त्री बीजेपी का पॉलिटिकल स्लोगन है’। यह उसी का बजट है।

That is why, I oppose the Budget. Thank you.

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Thank you very much, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on this issue.

The YSR Congress Party has always reposed its trust in the wisdom of hon. Prime Minister and the hon. Home Minister to bring Jammu and Kashmir closer to Delhi and the rest of the country. To a large extent, this has been achieved. By expediting the connectivity projects like Chenani-Nashri Tunnel and the Navayug Tunnel, the Government has ensured that this preaching does not remain mere talks. It was a dream for all the South Indians to visit Srinagar, Leh, Ladakh or Pahalgam but after the abrogation of Article 370, our hon. Prime Minister and hon. Home Minister have brought this dream into reality.

Sir, in my life time, I have never been to Kashmir. ... (*Interruptions*) Two months back, I went there on a Committee tour. It was so attractive. I have been asking all the South Indians to go and visit Srinagar, Pahalgam or Leh-Ladakh. Now, we are seeing the development in these places. A lot of development is there. But actually, we have to promote budget tourism there. When we had gone

to that place, we saw that all the airports, railway stations and bus stops were full of passengers. Due to COVID-19, for almost one and a half years, tourists could not go to that place. But now, slowly, tourism is growing. Locally also, people are getting employed there. So, through you, I would request the hon. Finance Minister to encourage budget tourism and not the luxury tourism. Only a few people can afford to go there. Kashmir has to be shown to the entire country. A lot of foreigners have also started to go and visit this place.

Sir, here, there is a shortage of power. The Ratle and Kiru hydroelectric projects have been actually sanctioned and only Rs. 500 crore have been allocated. The Ratle hydroelectric project is an 820 MW project. The Jammu and Kashmir Government is paying Rs. 6500 crore for buying the power.

Sir, as Prof. Sougata Ray has rightly mentioned, there is unemployment problem. There is no doubt about that. There should be a structural development and not a concrete development. So, through you, I would request the hon. Finance Minister and also the hon. Home Minister. The employment potential is there. The industrial development is required. If we see the weavers' community, we all know pretty well that Kashmir shawls are very famous.

These are hand woven shawls which the people are making. The pashmina shawls are very famous but there is no support to the weavers from the Central Government or the State Government. That is very much required so that it reaches the international market. Then only, the local people will get employment and earn revenue.

Sir, if we see the Budget at a glance, the State's own revenue is very less. The Centre is supporting J&K to a very great extent. How long can you support that? The potentiality to earn revenue should be developed. It is not possible for anyone to support for a long time.

Sir, we are happy to know that MoUs have been signed for executing the Uri, Dulhasti and Sawlakot projects. When these projects will be completed, then only the power generation capacity can be developed. Altogether, it is a cycle. It is spread over a larger area. J&K is not a small State. It remains at the head of the country. It is also a prestigious place. We do not want to see Srinagar and all these places only in the films. We want to show the reality to the people. The tour operators should be encouraged. This marketing has to be done in a big way.

Sir, I must tell you that this year, two substantial allocations have been made for the Ratle and Kiru hydroelectric projects. It is very much required. But as a Member of Parliament from Andhra Pradesh, I would point out the disappointing parallel with respect to the allocation made for the Polavaram project. The Polavaram project being a mega project with a capacity to generate 960 MW power, set to be one of the Asia's largest projects has been allocated a paltry Rs. 320 crore in 2022-23 by the Jal Shakti Ministry.

I would also like you to convey it to the hon. Finance Minister. This also has to be looked into. ... (*Interruptions*) I am sorry, Sir. The tourism industry should be made very much attractive. As I told you, budget tourism has to be made attractive there. Rs.786 crore has been allocated to the State. But actually, in what form this amount of Rs.786 crore is going also has to be highlighted to all the Members.

Then only, it can be seen whether it is reaching or not. Funds for reviving Nigeen Dal Lake have been allocated in 2022, which will create a more conducive tourism ecosystem in Srinagar.

Not only that the tourists be encouraged to visit Dal Lake, but also it has to be maintained very cleanly. For that, the ecosystem is very much required. Meagre fund is not sufficient. Once for all, you have to create a big atmosphere there so that you can attract a lot of tourists. Efforts to improve the crowd management at the famous Vaishno Devi temple should be prioritised. You know lakhs of people are visiting that temple. Some facilities have to be increased there in that place. But during the 2-3 months period, there will be heavy rush but the pilgrims will not be provided with much facility if there is no crowd management. New trekking routes in various wildlife protected areas is a good move and sustainable eco-tourism should be promoted to help domestic and international tourists discover the beauty of the atmosphere. It is no wonder that 87,000 tourists have already visited J&K in the six weeks since the reopening after Omicron. As our colleagues have mentioned about Kashmir Pandits, post- abrogation of Article 370, less than 1000 Kashmiri Pandits have returned to Kashmir for taking up the jobs that have been provided to them under the Rehabilitation Package framed in 2015.

The policy is not wholly sufficient to ensure rehabilitation, and permanent rehabilitation can be facilitated by earmarking funds in the budget for their settlement process, as most of them are still living in camps for the last 32 years.

The initiative of making the Jammu-Srinagar National Highway an express highway is a good move. There has been a doubling of the blacktopping and

macadamising of roads in J&K in the last few years. This Government is doing a lot for J&K. But I would like to say this because the Lieutenant Governor has pointed out that investment proposals worth Rs.25,000 crore have been received. We hope all these are facilitated into actual investments on the ground.

My last request in this regard is that roads have to be developed in J&K. Under the Central Road Fund, only Rs.94 crore has been allocated to Jammu and Kashmir. However, only Rs.16.40 crore has been released. I request you to increase the amount under that.

I am going to tell you one more thing about which my colleagues have told. *Kashmiriyat, Insaniyat and Jamhooriyat* will be realised when the pace is quickened on achieving delimitation through consensus. Thank you very much, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Now, the hon. Minister, Dr. Jitendra Singh would like to intervene.

... (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, he has presented us with a Pashmina shawl. ...

(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF

SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Next time, I will certainly present one to *Dada*.

... (*Interruptions*) *Dada*, next time I will present one to you.

Respected Chairperson, Sir, I think in the last couple of minutes the most amusing part of this discussion is that we are virtually discussing everything but the Budget. ... (*Interruptions*) But nevertheless, I am glad at least *Dada* hinted at the amount of the budget that is going to be allocated for Jammu and Kashmir. But since I said everything else has been discussed but the Budget, I think sensing the sense of the House, some of those points also need to be responded. *Dada* is our senior *guru*, veteran. But *Dada*, forgive me, I thought you are a reasonable Bengali intellectual. ... (*Interruptions*) Yeah, I still believe. Yes, I appreciate you mentioned our Founding Member, Shyama Prasad Mukherjee in complimentary terms.

You also referred to the slogan, the mantra given by him *Ek Vidhan, Ek Nishan, EK Pradhan*. You would also appreciate like a good Bengali when Shyama Prasad Mukherjee gave this mantra, and virtually no takers were around. But he followed the dictum of another great Bengali, son of Bengal, Rabindranath Tagore – ‘*Jadi tor dak shune keu na ase, tobey ekla cholo, ekla cholo, ekla cholo re*’

So, I belong to an organization which has a rich legacy connected to the land to which Shyama Prasad Mukherjee belonged.(*Interruptions*) But I was a little confused when *Dada* suddenly took a turn and said that all this is being said to appease the Prime Minister so that he says, ‘good boys’.(*Interruptions*)

Dada you reminded me of Rabindranath Tagore’s poetry. That is why I mentioned *Ekla Chalo*. You also reminded me of Shakespeare, ‘*Et Tu, Brutus?*’,

Julius Caesar.(Interruptions) I thought, Dada is also talking like that.

....(Interruptions)

So, in your brief discourse you have taken me from Tagore to Shakespeare. But my moot question, before I respond to some of the points, is this. My friend Manish ji is not here. We have known each other for a very long time. We are very close to each other. He too belongs to a border area. He along with his family has faced the threat of terrorism for a very long time. I thought he would start by complimenting us that on the lines of the Wagah Border we have also started something at the Suchetgarh Border, where we have similar exchange of salute in the evening.(Interruptions)

जिस तरह से मनीष जी ने सुनाया है कि 5-6 अगस्त, 2019 के बाद यह हुआ, वह हुआ, आपने क्या किया, कुछ नहीं किया और अनुच्छेद 370 हटाया, क्यों हटाया? Let me first begin by placing a small question. क्या कांग्रेस पार्टी on the Floor of this House आज यह कहेगी कि अगर वह सत्ता में वापस आएगी, तो अनुच्छेद 370 वापस लाएगी?... (व्यवधान)

So, let us settle down this question.(Interruptions) You do not say that because you know what the public sentiment is.(Interruptions) So, you want to beat about the bush, and have it both ways.(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : I request the hon. Minister to please address the Chair.

DR. JITENDRA SINGH: दूसरा, मनीष जी और दादा ने भी कहा है कि गृह मंत्री जी कह गए थे कि statehood will be restored. यह कब होगा? शायद कांग्रेस को याद नहीं है, पं. नेहरू कॉन्स्टिट्यूट असेम्बली में श्यामाप्रसाद मुखर्जी से कह गए थे कि अनुच्छेद-370 घिसते-घिसते घिस जाएगी, लेकिन वह 70 साल नहीं घिस सकी, हम ने घिसाई। जब प्रधान मंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली, and he

showed the courage, the conviction, the capacity and the legislation was removed by the hon. Home Minister, Amit Shah.

मैं आपको सिर्फ इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि –because I do not have to add to what the hon. Home Minister has said, and he has said that at the appropriate time the statehood would be restored. Can I take the permission of just making a small point? The small point is that it will not take 70 years. आपने अनुच्छेद-370 हटाने में 70 साल लगाए, फिर भी उसे हटा नहीं सके। हम 70 साल नहीं लगाएंगे, उससे पहले ही, as the hon. Home Minister has said, at the appropriate time it will be restored.(*Interruptions*)

My friend Raja ji asked me how long we are going to accuse Nehru, and I said that as long as he is accusable, and as long as generation after generation continue to pay for the follies and Nehruvian blunders.(*Interruptions*)

हुआ क्या है? On a serious note, there is a vested interest in Jammu and Kashmir also which survives, thrives and flourishes in an atmosphere of mayhem, insurgency, terrorism and uncertainty. 5-10 परसेंट वोटिंग हो, चुनाव हो जाएं, लोक सभा और विधान सभा के सदस्य बन जाएं, सरकार बन जाए। And, they flourish in an atmosphere of vacuum. धारा 370 का जाना सबसे ज्यादा उन्हीं की पीड़ा का कारण है।

In fact, I had said this earlier about three years back, that I hope someday somebody would suggest that there should be a minimal threshold voting percentage for any candidate to qualify to become a Member of the Lok Sabha. Otherwise, we will have to bear with Members getting elected with seven or eight per cent voter turnout. ... (*Interruptions*) Yes, I am sure that *dada's* party, the TMC, will support us when we do that. So, to keep the pot boiling, everyday, a new story is manufactured, the latest is only a few hours ago. It also relates to the subject

that *dada* mentioned, that of Kashmiri pandits. Just around the time when this House sat in the morning, कांग्रेस पार्टी ने एक बयान जारी किया कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का कारण जगमोहन थे। जगमोहन ने उनको वहाँ से भगाया। It is such an inhuman and insensitive observation of a historic tragedy because I do not know whether we realise. ... (*Interruptions*) पहले उन बातों का जवाब देना पड़ेगा। ... (व्यवधान) क्योंकि मुझे मालूम है, आप भी यही बातें करेंगे। ... (व्यवधान) It was the biggest, I think the only instance in the history of the world where a huge population of a community became homeless in their own homeland, refugees in their own country, and the biggest exodus possibly that has happened after that of the 1947 partition when there was exchange of Hindus and Muslims and the riots followed. यह बात, जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं क्योंकि इनकी मेमोरी शॉर्ट है, ये सोचते हैं कि बाकियों की मेमोरी नहीं है, लेकिन we have an elephant memory. हमने तो काम ही यही किया। I vividly remember that in early nineties when the exodus had just taken place, the same Congress Party had said that 'Jagmohan has generated this exodus because he wants Kashmiri pandits to go and get free plots in Jammu and Delhi.' At that time also, I had said this. मोहसिन भोपाली नाम के एक शायर हुए, उन्होंने बंटवारे के समय में कहा था, जब बड़ी संख्या में आबादी इधर से उधर जा रही थी और कत्लोगारत हो रही थी, तब भी कुछ लोगों ने व्यंग्य किया था, तो उन्होंने एक शेर लिखा था:

बेसबब लोग बदलते नहीं मनसक अपना,

तुमने देखा है जलता हुआ नशेमन अपना?

जिस आदमी ने कभी कल्पना न की हो, कभी तसव्वुर न की हो कि मेरे घर को आग लग जाए, वह आतिशे-नज़र हो, तो उसका क्या मंज़र होगा, उसका क्या दृश्य होगा, वही आदमी इस तरह की संवेदनहीन बातें कह सकता है। कोई अपना घर नहीं छोड़ता है, in the manner in which they

were asked to leave their home and hearth. I do not want to go back because इन्होंने श्री नेहरू के बारे में कहा, and I said that in the last debate also, if only Nehru had allowed his Home Minister to handle Jammu and Kashmir as he was handling the rest of the princely States, I think, we would not have arrived at a pass that we have. ... (*Interruptions*) Absolutely. ... (*Interruptions*) That is why, in the spirit of comradeship and a good Cabinet's collective responsibility, he allowed his own Prime Minister to intrude into his domain. It was naturally his domain as Home Minister. ... (*Interruptions*) मोदी जी ने सरदार पटेल को वह रूतबा दिया, वह दर्जा दिया, जो न कांग्रेस दे सकी और न टीएमसी दे सकी। ... (व्यवधान)

महात्मा गांधी जी भी इधर आ गए, पटेल भी आ गए, बाबासाहेब अंबेडकर भी आ गए, सुभाष चन्द्र बोस भी आ गए। ... (व्यवधान) मोइत्रा जी, अब दादा भी इधर आ गए हैं। ... (व्यवधान) 'सबका साथ, सबका विकासमें आपका भी विकास है'। बेसिकली यह हुआ है कि they are losing their icons. They are searching कि पटेल कहां हैं, गांधी कहां हैं, अंबेडकर कहां हैं और सुभाष कहां हैं। But it had to happen because Modi Ji has introduced a new political culture in this land. ... (*Interruptions*) You have been seeking votes to come here. Who else not? All of us are here with votes but we are not using votes as a vote bank. We are using it where it is required and to reach out, not for appeasement. But what we are talking here in the context of Kashmir is absolute appeasement. नैशनल कांग्रेस के जज साहब बैठे हैं। What happened in 1987? This entire exodus was triggered by a rigged election. आप कह रहे हैं कि जगमोहन ने निकाला, बीजेपी ने निकाला। ... (व्यवधान) श्री राजीव गांधी और डॉ. फारुख अब्दुल्ला का अकॉर्ड था, आप साथ-साथ थे, इलेक्शन रिग्ड हुआ, उसके बाद किलिंग हुई। Squadron Leader Khanna and others got killed in their Air Force uniform, and the killers were still at large. The action has started against

them only after the Governor's rule came into effect. कश्मीरी पंडित इसलिए वहां से निकले ...(व्यवधान) लेकिन छोड़ा भी हम ही ने। ...(व्यवधान) आप दाद दीजिए कि कोई मजबूरी नहीं थी। ...(व्यवधान) हमने सत्ता त्याग दी, जब हमें लगा कि हमारे सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान) For the first time in the history we walked out of the coalition by a voluntary decision, not under any compulsion.

HON. CHAIRPERSON : You are responding to all the queries, not making a speech.

DR. JITENDRA SINGH: Sorry, Mr. Chairman, Sir.

There were selective killings of Kashmiri pandits. Kill one, threaten thousand. That was the formula being followed. There are many examples like, Tika Lal Taploo, then another Director from Doordarshan, just because he happened to be a Kashmiri pandit. They had to leave their home and hearth and run away. But apart from that, this has been triggered with this film called The Kashmir Files which is released recently. ... (*Interruptions*) अगर वे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही जाएंगे। ...(व्यवधान) दादा, मुझे हैरत इस बात की होती है। ... (व्यवधान) जज साहब और कांग्रेस भी मुझे टोक रही थी। ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि अब तो सबक सीख लीजिए। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के सारे के सारे नेता धीरे-धीरे एक-एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ...(व्यवधान) सिर्फ हाई-कमांड किसी वहम में है। ... (व्यवधान) And those who have not joined are waiting to join. I think that is a vindication, a huge vindication that the Bharatiya Janata Party led Government under Prime Minister Modi Ji is on the right course. We have redeemed Kashmir. We have done what Congress should have done. We have done what Congress promised to have done. It was the Congress stalwarts who in the Constituent

Assembly also suggested and agreed to include the temporary clause phrase. They could not do it because over the years vested interests developed, and they thought this was going to serve to their advantage.

अब मैं एक-एक करके दो-चार मिनट लेकर जो मुद्दे उठाए गए हैं, उनके बारे में बोलूंगा। Incidentally, the statistics have also been translated into political phrase while being presented in this House. Manish Ji was very much concerned about the governance part of it. He was saying that साहब, 30 महीनों में गवर्नेंस का क्या होगा?

Before 5th and 6th August, and before this area became a Union Territory, there were a host of such rules/laws, which I am sure, no political party would have an objection to be implemented, not even Dada's Party. For example, the Prevention of Corruption Act, 1988. Dada, why would you oppose it? Nobody would oppose it. It was not implemented in Jammu and Kashmir under the alibi of 370. So, 370 was actually being used for guarding their own interests. Since I am also dealing with DoPT, it was a DoPT law, and after 30 long years, it was amended in 2018 wherein we introduced certain modifications/improvisations.

Even the bribe giver was made answerable for this crime. But in Jammu and Kashmir, this law was introduced only about one and a half year back. Now, this has nothing to do with the special status or identity or autonomy or all those tall, tall claims.

Similar is the case with the Prohibition of Child Marriage Act. Dada, tell me, which country in the world will have an objection to punish a person who encourages child marriage? बाल विवाह पाप माना जाता है, गुनाह माना जाता है चाहे कोई भी धर्म या मजहब हो। ...(व्यवधान) What prevented the successive Congress and

National Conference Governments in Jammu and Kashmir from not allowing this law to be implemented?

Talking about the Dowry Act, I am sure, our sisters on both the sides would bear me out, what was wrong in implementing the Dowry Prohibition Act? This has been implemented only one and a half year ago. Today, it is an era of evidence-based argument. Unfortunately, we do not cite arguments. ... (*Interruptions*). यह कैसे गलत है। This is on record. ... (*Interruptions*). जो आप कहना चाह रहे हैं, उस पर भी मैं आता हूँ। This is on record. ... (*Interruptions*). I am not yielding. मैं आपको समझाता हूँ। To cover up for that, they had their own anti-corruption Act. ... (*Interruptions*). जो आप कह रहे हैं, मैं वही कहना चाहता हूँ।

HON. CHAIRPERSON : The Minister is not yielding. You can counter his argument in your speech.

डॉ. जितेन्द्र सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूँ। You had your own anti-corruption Act. Why did you not implement the Prevention of Corruption Act of India which even West Bengal was implementing? Why could you not do it?

HON. CHAIRPERSON: If you are responding to all the queries

... (*Interruptions*)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : सभापति जी, इन्होंने ऐसा एक्ट बनाया कि जिसे जेल में डालना है, उसे डाल दो और जिस बरी करना है उसके खिलाफ केस लगाओ ताकि 25-30 साल नौकरी करके वह सेवानिवृत्त हो जाए या भगवान को प्यारा भी हो जाए और तब तक केस का फैसला न हो। That was the kind of anti-corruption Act that they had.

PROF. SOUGATA RAY : You are raising petty points.

DR. JITENDRA SINGH: These are petty points! I am sorry Dada, if the Child Marriage Act issue is a petty point, it is a matter of shame. ... (*Interruptions*). No. ... (*Interruptions*). I think the whole country is watching you Dada. It does not behove you saying so. ... (*Interruptions*).

If you say Dowry Act and SC/ST Reservations ... (*Interruptions*) सारी दुनिया जानती है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन अभी हुई है। It is part of the record. What are you saying Masoodi sahib? ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Masoodi Ji, you can counter their points in your speech.

डॉ. जितेन्द्र सिंह : मैं जानता हूँ कि मसूदी जी आप कानूनसाज़ हैं लेकिन मार्क ट्वेन इकॉनोमी के बारे में एक बात कह गए थे, "Economy is too serious a subject to be left to economists alone." We saw this happening in this country also. So, I think the law is too serious to be left to Judges alone. Let the Members of the House deal with this. It is a matter of fact. It is on record.

आरटीआई एक्ट आपका अपना था। वह नहीं था जो वाकई हिंदुस्तान में था। यह सारे पिछले दो सालों में लगे हैं। ... (व्यवधान) हिंदुस्तान वाला ही लगाया है। 73-74 अमेंडमेंट जिसकी अभी जुगल किशोर जी बात कह रहे थे, what prevented you? Do you know something? Who brought in Article 73 and Article 74? Gaurav Gogoi Ji you will be happy and I want to compliment you that it was Rajiv Gandhi Government. ... (*Interruptions*). Let us have a fair debate. ... (*Interruptions*). I compliment you. ... (*Interruptions*). I am complimenting you. उसमें यह था कि जो राशि केंद्र से स्थानीय ईकाइयों के लिए निर्धारित की जाए, सीधे-सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे पंचों, सरपंचों, बीडीसी, डीडीसी आदि। जम्मू-कश्मीर में क्यों नहीं हुआ, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार गठबंधन में थी। वहां उन्होंने अपना बनाया एक्ट ही नहीं लागू किया।

National Conference and Congress were ruling the State and still not implementing what they cherished as Rajiv Gandhi's hallmark. हमने लगाया है। यह अब लग चुका है। Now, Rs. 10,000 crore is directly going to the kitty of the local bodies. Why was it not implemented earlier? It was because the Central grant would go to the Chief Minister's office or the Parliamentary Minister's office and then he or she would decide how much is to be given to whom and when.

इंटरव्यू समाप्त करने का कार्य 6 महीने पहले हुआ। प्रधान मंत्री मोदी जी ने वर्ष 2016 में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि क्या इस प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में शिकायतें आती थीं कि 100 अंक कोई रिटन टेस्ट में पाता था, लेकिन उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता था। जो रिटन में कम अंक लाता था, उसे इंटरव्यू में 100 अंक देकर पास कर दिया जाता था। भाई-भतीजावाद था, पक्षपात था और लेन-देन के इल्जाम भी लगाए जाते थे। सारे देश में इसे खत्म किया गया। पहले मेरा विभाग डीओपीटी था। मैंने स्वयं एक के बाद एक पत्र व्यवहार किए to respective heads of the State in Jammu and Kashmir including sometimes the Chief Minister, but it did not happen.

It was possible and it could be done only after the Lieutenant Governor took over. The interviews have been abolished like in rest of the country. Prime Minister Modi gave a level playing field in job recruitments.

As regards delimitation, I will not go into that because I am sure at least for that Judge saab would appreciate me because it is a constitutionally constituted body. So, we respect its integrity. We do not have to question its motives.

Now, as regards industry, Manish ji would appreciate if I just correct his figures. वह कह रहे थे कि बाहर से कोई निवेश नहीं हुआ। Officially, more than Rs. 50,000 crore has already been invested in Jammu and Kashmir and leading houses

including the Apollo corporate in the medical sector, Haldiram and so many other leading houses have already put in their investments over there and it is in the process of acquirement of land, etc.

अब इम्प्लॉयमेंट की बारी आती है। Like rest of the country, there have been issue of employment. But no Government in the world can give a salaried Government job to each and every individual. But Yes, I agree that for a responsible Government the duty is to prepare means of livelihood. Now, the question is why these means of livelihood were not made available in Jammu and Kashmir even in spite of the fact that they were available in rest of the country, especially after 2016 when Stand-up India and Start-up India movements started in a big way. Again, Prime Minister Modi announced it from the Red Fort. Why did it not pick up in Jammu and Kashmir? It is because the atmosphere was created in such a way that they lived in a cocoon and they are not given exposure from outside world and then you can thrive in that atmosphere.

न कोई रिक्रूटमेंट रूल था, न कोई प्रॉसेस था। जो सरकार आती, वह अपनी मनमानी से नियुक्तियां करती। We have about one lakh daily wagers, and Government is seriously working on it -- both the Home Ministry at the Centre and the Lieutenant Governor's office -- to find out a solution of how best to address their problems. उनको ठगा गया। उनका खुद का कोई कसूर नहीं है। उनको कहा गया कि आप जम्मू-कश्मीर में पैर फंसा दीजिए, बाद में खुद ही परमानेंट हो जाएंगे। But we have all the sympathies for them. They have been left in the lurch and fending for themselves for a few thousand rupees, but we have accepted that challenge because there are certain complications involved.

कोई ऐसा रास्ता हो, जिसमें लिटिगेशन न आए, जो दूसरा अनइम्प्लॉयड है, उसे बेचैनी न हो, वे ऐतराज न करे। But we are seriously seized of the matter. मनीष जी ने कहा कि माइनोंरिटीज की रिजर्वेशन होनी चाहिए। हैरत की बात है कि इतने साल कांग्रेस रही, लेकिन उसने यह बात नहीं सोची। अगर आपको यह ज्ञान पहले आ गया होता, तो आप हमसे यह मांग क्यों करते, आप पहले ही इसे कर देते। आपने तो माइनोंरिटी कमीशन भी नहीं बनाया। सिक्ख समाज इसकी मांग करता रहा। आपने क्यों नहीं बनाया? I do not want to go into that history because then it will trigger something else.

Dada also expressed concern that 63 per cent of the Budget is going to security. So also, Manish *ji*. *Dada*, you may be right but I would tell Manish *ji*, कि यह उन्हीं की देन है। यह उन्हीं की विरासत है, जिसको भुगतने के लिए इतना बजट वहाँ लगाना पड़ता है। If the militancy and terrorism were not allowed to flourish in the manner they did, with the tacit connivance of the government in place, maybe, we would not have reached such a stage. As of today, it is wrong to say, I have figures with me, if the Chairperson allows, I will read out one or two important figures which were pointed out by my friend, Manish *ji*. He was particularly mentioning to the infiltrations. As far as infiltrations are concerned, in 2010, during the UPA-II Government, 489 attempts were made. When this Government came, and we took the oath in the evening of 26th May, 2014 under the Prime Minister, Modi *ji*, in that year 2014, the number of infiltration attempts were 222. Last year, that is, 2021, under Prime Minister, Modi *ji*, the number of attempts has come down to two figures, just 77. This year, in the first one month or so, it has been only four. So, in the last full year, it was only 77, and this year, in the first one month or so, it has been only four. Now, compare it with the huge number. The figures speak for themselves.

HON. CHAIRPERSON : Mr. Minister, why don't you give us the status of pre-abrogation of Article 370 and post-abrogation of Article 370?

DR. JITENDRA SINGH: Yes, hon. Chairperson. I have those details also. If you allow me, I will give those figures also. Why I didn't go into them was because my colleague, MoS of Home Affairs, Nityanand ji, has already furnished these details as a reply of the Government. In fact, I have only borrowed them from the Parliament Library.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister, even subsequent statement would be good. Isn't it?

DR. JITENDRA SINGH: Sure. I can also suggest to MoS of Home Affairs, Nityanand ji, एक बार फिर से स्टेटमेंट देकर सारे फिगर्स दे दिए जाएं।

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

DR. JITENDRA SINGH: As far as development is concerned, I am not going into details because it would be repetitive. जुगल किशोर जी ने पूरा आपको बताया। Not only new projects have been introduced but some of those projects which were of national and vital interests were also held back. Again, I am going back to Gaurav Gogoi ji. वर्ष 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जब पंडित जी प्रधान मंत्री थे। जनरल अयूब खान पाकिस्तान में थे। उस ट्रीटी के तहत India got three rivers; Pakistan got three rivers. Indus, Jhelum and Chenab went to Pakistan – it is about sharing of river waters because Partition had happened. This was another issue which was pending. India got Sutlej, Beas, and Ravi rivers and Ravi being the biggest river. जब भी हमारा पाकिस्तान से कोई झगड़ा होता तो कोई बुद्धिमान नेता खड़ा होकर के कह देता कि पाकिस्तान का पानी रोक दीजिए। It happened four to five years back. I raised this issue. कि जो लोग यह

कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक दीजिए, उनको शायद इस बात का भी इल्म नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं कि हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान जा रहा है। With the Indus Water Treaty, the major share of our water was from Ravi river. There was a dam called Shahpurkandi. During Sheikh Abdullah's regime, it was conceived and also stalled. रोक दिया जाए। Why? Maybe there was some consideration about the region. It would have irrigated and made surplus the entire border belts of Punjab and Jammu & Kashmir. As a result of which, the entire share of India's water through river Ravi was flowing into Pakistan. It was only with the personal intervention of the Prime Minister, Modi ji, a few years back, a fresh draft was prepared and the project is going to be completed by this year-end. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister.

DR. JITENDRA SINGH: Ravi River is as much yours as Hooghly River is mine. Do you not agree?

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, please continue.

DR. JITENDRA SINGH: What I am trying to say, hon. Chairman, is that these are serious subjects. Let us not get into the politicking of it. Let us take the rationale of it. It is very easy to say अरे साहब! जब से यह हुआ था, यह हो गया। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप पहले हमारे लिए क्या राम राज्य छोड़ कर गए थे, जो हमने बिगाड़ दिया। If you are saying this with conviction कि आर्टिकल-370 के हटने के बाद ही सारा तहस-नहस हुआ then, have the courage also to say that if the Congress Government comes back tomorrow, their main agenda would be to restore article 370. आप वह भी नहीं कहते। क्योंकि लगता है कि फिर एक-आध जो प्रदेश बचा है, वह भी जाएगा। Let us be rational and grounded in making arguments on the subject as sensitive as Jammu & Kashmir. I hope in the

rest of the discussion when we hear the hon. Finance Minister, we will confine ourselves concentrating only on the Budget.

HON. CHAIRPERSON: You started your speech but there was nothing about Budget and the entire responsibility to answer is now shifted to the hon. Finance Minister.

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, आज जम्मू-कश्मीर के बजट पर, जो वर्ष 2022-23 के लिए सदन में लाया गया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं अपने दल की तरफ से खड़ा हूँ। इस बजट में 35,581.44 करोड़ रुपये का जो ग्रांट है एवं लोन जो दिया जा रहा है, वह पिछले साल से 876.88 करोड़ रुपये ज्यादा है। लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपये की राशि का अलग से इसके अंदर एलोकेशन किया गया है।

सभापति महोदय, 5 अगस्त, 2019 को आर्टिकल-370 हटने के बाद का जम्मू-कश्मीर आज विकास कर रहा है। पहले वहां पर सबसे ज्यादा उग्रवाद तथा पत्थरबाजी होती थी। हमारे वहां के नौजवान, जो पथ से भ्रमित हो गए थे, आर्टिकल-370 हटने के बाद लगातार माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, और वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर विकास किया जा रहा है और विकास की मुख्य धारा से वहां के लोगों ने जुड़ने का काम किया है। जिन बच्चों के हाथ में कल पत्थर था, आज उन बच्चों के हाथों में कलम और कम्प्यूटर है और वे देश की मुख्य धारा से जुड़ कर, वहां पर इस विकास में साथ देने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

इसका एक सबूत यह भी है कि वहां पर जब लोकल बॉडीज़, पंचायत, सरपंच, प्रमुखों और प्रधान के चुनाव कराए गए तो लोगों ने उस चुनाव में भाग लेने का काम किया और अपने लोकल जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम किया, उनके ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया। महोदय, इससे पहले जब बजट में जम्मू-कश्मीर को जो राशि दी जाती थी, उस राशि का ज्यादातर हिस्सा, वहां जो अलगावादी थे, जो हमेशा कहते थे कि कश्मीर अलग होना चाहिए, उनके ऐशोआराम और उनके ऊपर

खर्च होता था। पहली बार है कि अब भारत के बजट का पैसा जम्मू-कश्मीर के विकास पर खर्च होता है। सारे अलगावादियों के सारे खर्चे बंद कर दिए गए।

पहले उनके एक-एक खर्च का भुगतान भारत सरकार के इसी बजट से निकाल कर उनको दिया जाता था। इस पर सबसे बड़ी रोक लगाई गई।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आर्टिकल-370 हटा तो पार्लियामेंट की पहली कमिटी - ट्रांसपोर्ट एण्ड टूरिज्म वहां गई थी। उसके माननीय सभी सदस्य यहां से गए थे। सौभाग्य से मुझे भी उसमें एक सदस्य के रूप में जाने का मौका मिला था। उससे पहले भी मैं कश्मीर गया था। लेकिन बाद में जब मैं कश्मीर गया, तो मुझे जमीन और आसमान का फर्क दिखा। वहां के लोगों के अंदर में वह विश्वास दिखा कि भारत सरकार और इस देश की सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है और सदन की कमिटी हमारे सुख-दुख और हमारी बातों को सुनने के लिए आई है। हमने वहां सभी लोगों को समिति के सामने बुलाया था। वहां जो होटल वाले हैं, जो शिकारा चलाते हैं, ट्रिस्ट के आने पर जो सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनके सुख-दुख को सुना गया।

16.00 hrs

उन लोगों ने बताया कि किस प्रकार कोविड काल में उनकी कमर टूटी है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वहां के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पैकेज दिए जाने की जरूरत है। उस पैकेज के बिना वहां के होटलों को सरवाइव कर पाना, शिकारा वालों को सरवाइव कर पाना मुश्किल है। वहां के जो टैक्सी चालक हैं या वहां के जो लोकल लोग हैं, जिनकी आय का स्रोत ही टूरिज्म है, उस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पैकेज दिए जाने की सख्त जरूरत है, इस ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, आज सभी कमेटियां वहां जाना चाहती हैं। जो वहां से घूम कर आते हैं, वे कहते हैं कि पहले और अब के जम्मू-कश्मीर में बहुत सारे चेंजेज आए हैं। सदन में किसी पार्टी की मजबूरी है। पार्टी की गाइडलाइन पर उन्हें बोलना है। वे जो भी बोलें, परन्तु सभी सदस्य, जो यहां से कश्मीर गए हैं और वहां घूम कर आए हैं, वे जानते हैं। कश्मीर के बारे में जो कहा जाता है कि अगर इस दुनिया में और इस

धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है। यह स्वर्ग आज वहां दिखता है। अगर आज आप वहां जाएंगे तो देश और दुनिया का स्वर्ग वहां पर दिखता है। वहां पर जाने पर यह लगता है कि हम अपने देश के स्वर्ग में आए हैं।

महोदय, पहली बार बजट में लद्दाख के लिए अलग से प्रोविजन दिया गया है। धारा-370 के हटने के बाद लद्दाख में विकास हो रहा है। वहां स्टेडियम्स बन रहे हैं। वहां के बच्चों को 'खेलो इंडिया' के तहत आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि हमारे लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बच्चे विदेशों में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।

माननीय मनीष तिवारी जी इसी सदन के एक सम्मानित और बड़े सीनियर सदस्य हैं। वे अभी बोल रहे थे। वे बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। मैंने देखा कि जब वे बोल रहे थे तो बोलने के दरम्यान वे अपने चश्मे को अपनी आँखों से ऊपर रखे हुए थे और यह कह रहे थे कि जम्मू-कश्मीर में मुझे कहीं भी निवेश नहीं दिख रहा है। मेरा अनुरोध होगा कि चश्मे को आँखों पर लगाइए और उसके बाद आप देखिएगा तो आपको जम्मू-कश्मीर में निवेश दिखेगा। वहां सिर्फ देश के लोग ही निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि विदेशी लोग भी आकर वहां निवेश कर रहे हैं। आज अरब देशों के लोग भी वहां आकर निवेश कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा सबूत है कि माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर में जो शांति आई है, वहां जो विकास हो रहा है, इसके कारण दूसरे देशों के लोग भी वहां आकर निवेश कर रहे हैं। पहले की बात अब वहां नहीं दिखती है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध होगा कि वे इस पर जरूर ध्यान दें।

महोदय, दूसरी चीज़, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी एक फिल्म आई है – द कश्मीर फाइल्स। इसमें कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों को चित्रित किया गया है। इस सदन के माध्यम से मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे पूरे भारत में टैक्स-फ्री किया जाए। मैं इसकी बात रखता हूँ। कुछ राज्यों ने यह किया है।

कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों का सही चित्रण जिस फिल्म में हुआ है, उस फिल्म को पूरे देश में टैक्स-फ्री किया जाए, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा।

मैं वित्त मंत्री महोदया से यह कहना चाहूंगा कि यह बजट अभी जम्मू-कश्मीर के लिए लाया गया है। पी.ओ.के., जो हमारा है, जिस पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, इस सदन के माध्यम से मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जब आप अगले साल बजट लाएं तो हमारे पी.ओ.के. के विकास के लिए भी आप इस सदन में बजट रखें और यह सदन उसे पारित करे। वह हमारा हिस्सा है। उस पर हम विशेष ध्यान देकर उसका भी विकास करें और हम अपने उस हिस्से को अपने भारत में सम्मिलित करें। आज हमारा यह कश्मीर हमारे देश का सरताज है, ताज है। हम सब आज यह महसूस करते हैं कि हमारा कश्मीर हमारे साथ है। हमसे अलग हमारे जो भाई हैं, वे आज वहां इस बात पर विश्वास व्यक्त करते हैं, अपनी माँग रखते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी, हमें जो अलग किया गया है, उससे हमें जोड़ने का काम करेंगे। यह उनकी तरफ से जो माँग है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि आज वहाँ पर जो अमन-चैन व शांति है, उसे हमें बरकरार रखने की जरूरत है। डिलिमिटेशन होने के बाद, जब सरकार को समझ में आएगी, तब चुनाव कराएगी। वहाँ के लोग पूरी तरह से लोकतंत्र और इस चुनावी व्यवस्था को मानते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने भी खुद इस सदन के अंदर बयान दिया है कि जब समय आएगा, तब वहाँ पर चुनाव होगा। इस पूरे सदन की हमेशा से लगातार चिंता रही है कि हमारे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमेशा शांति बना रहे। वहाँ के लोग भी अमन-चैन व शांति के साथ इस देश से जुड़े रहें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, जम्मू-कश्मीर के जिस बजट और अनुपूरक माँगों के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, यह अधिकार जम्मू-कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार है। इस सदन ने उनके इस अधिकार को छीना हुआ है। सरकार ने यहाँ बकायदा यह वादा किया था, आदरणीय गृहमंत्री जी ने वादा किया था कि बहुत जल्दी ही जम्मू व कश्मीर में इलेक्टेड असेम्बली होगी। वहाँ के राज्य को पूर्ण दर्जा दिया जाएगा। लेकिन, ऐसी कौन-सी वजह है कि जम्मू-कश्मीर के लोग 5 अगस्त, 2019 के बाद एक साल से ज्यादा बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति में रहे, न इंटरनेट कनेक्शन था, न टेलीफोन था और न ही कोई दूसरी सुविधा थी। हम लोगों को उनकी पीड़ा उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन, जब कोरोना आया तो इस देश की जनता और पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि लॉकडाउन की स्थिति कैसी होती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। डिलिमिटेशन का बहाना लेकर वहाँ चुनाव स्थगित नहीं रखा जाए। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इसका अधिकार दिया जाए। यह किसी से छुपा नहीं है कि जम्मू-कश्मीर की क्या हालत है। पिछले तीन दशकों में कितने लोग मारे गए। वहाँ हजारों की संख्या में लोग मारे गए। कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया। हाफ विडो का 10 हजार से ऊपर का आँकड़ा है। जब मैं एक डेलीगेशन में जम्मू-कश्मीर गया था तो मेरे सामने यह टर्मिनोलॉजी आई। मैंने कहा कि यह हाफ विडो क्या है, तब मुझे बताया कि हाफ विडो यह है कि जम्मू-कश्मीर के जिन नौजवानों को रातों-रात गायब कर दिया गया, उनकी पत्नियाँ उनको ढूँढ रही हैं कि वे जिंदा हैं या मर गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में यह व्यवस्था है, मैं केवल इस्लामिक लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, यह भारतीय संस्कृति में भी है कि अगर किसी औरत का शौहर गायब हो जाता है, जब तक उसका सबूत न मिल जाए कि हाँ, उसका पति जिंदा नहीं है तो वह दूसरी शादी भी नहीं कर सकती है। वहाँ पर दस हजार से ज्यादा हाफ विडोज़ यह स्थिति झेल रही हैं। पचासों हजार बेगुनाह लोग वहाँ मारे गए हैं। जब यह सरकार आई थी, तो इन्होंने

वाद किया था कि कश्मीरी पंडितों को वहां पुनर्स्थापित किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में आपने कितने कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया? पिछले सात वर्षों में आपने कितने कश्मीरी पंडितों को जम्मू-कश्मीर के अंदर पुनर्स्थापित किया?... (व्यवधान)

16.10 hrs

(Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

मैं समझता हूं कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमने यह किया। हां, आपने किया।

जिस आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वह आतंकवादी था, अफजल गुरू, जिसने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था, उसको शहीद बताने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के अंदर सरकार चलाई थी। यहां पर अभी एक बात आई कि कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है, उसको देखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर फाइल्स हो या गुजरात फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स पर या गुजरात फाइल्स पर मूवीज़ बनाकर लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। यह नफरत हमें खा जाएगी। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ऐसी किसी भी मूवी पर, ऐसी किसी भी फिल्म के ऊपर तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए, जो इस देश में नफरत की भावना पैदा करती है, नफरत की भावना फैलाती है। हम कब तक गुजरात फाइल्स याद करें, हम कब तक कश्मीर फाइल्स याद करें? हमें देश के नौजवानों को देश के निर्माण में लगाना है। हमें बांटने का काम नहीं करना है। हो सकता है कि नफरत फैलाकर आपको कुछ पॉलिटिकल फायदा हो जाए, आपको राजनीतिक फायदा हो जाए, कश्मीर जलता रहे, जले, आपको दूसरे प्रदेशों में फायदा हो जाए, लेकिन यह देश के लिए अच्छा नहीं है।

वर्ष 2019 के बाद जब यहां पर कश्मीर पर डिसकशन हो रहा था, जब जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को खत्म किया गया, जब जम्मू-कश्मीर राज्य के टुकड़े किए गए, जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकार छीने गए, उस वक्त यहां पर बड़े जोर-जोर से भाषण हो रहा था। मुझे भी सामने से गृह मंत्री जी ने उठकर कहा था कि दानिश अली जी, अब आप भी जम्मू-कश्मीर में प्लॉट, जमीन खरीद सकते हैं, पहले नहीं खरीद सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने उत्तर प्रदेश या गुजरात के लोगों ने कश्मीर के

अंदर प्लॉट खरीदे हैं? कितना वहां पर इनवेस्टमेंट हुआ है? मैं चाहता हूं कि वहां पर इनवेस्टमेंट हो, वहां के नौजवानों को रोजगार मिले और वहां पर अमन और शांति रहे। सुबह आदरणीय स्पीकर साहब बैठे थे, तब उन्होंने भी यह बात कोट की। मेरे ख्याल से इस लोक सभा के तीन सौ के करीब सांसद कश्मीर गए हैं। मैं भी अपने परिवार के साथ वहां गया था। वहां पर शाम छः बजे के बाद जो सिक्योरिटी में लोग रहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाकर कह रहे थे कि छः के बाद हम भी आपके साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद होटल में बंद कर दिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल हो। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिले और उनको रोजगार मिले। डीलिमिटेशन का बहाना करके वहां के चुनाव न टाले जाएं। जम्मू-कश्मीर की असेंबली बहाल की जाए। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।

आखिर में, मैं यह कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि यह सरकार आत्ममंथन करे कि जम्मू-कश्मीर का बंटवारा करके कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और बार्डर पर आज क्या स्थिति पैदा हुई है? इसकी जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता, सरकार नहीं बच सकती। मैं इन्हीं अलफाजों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। सरकार इस पर ध्यान दे। हम चाहते हैं कि जब हम लोग वहां जाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां जाएं तो खुलेआम आम आदमी की तरह जाकर घूमे न कि हमारे साथ सिक्योरिटी जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

کنور دانش علی (امروہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔

جناب، جموں و کشمیر کے جس بجٹ اور سپلیمینٹری گرانٹس کے بارے میں ہم یہاں پر بحث کر رہے ہیں، یہ حق جموں و کشمیر کے الیکٹڈ نمائندوں کا حق ہے۔ اس ایوان نے ان کے اس حق کو چھینا ہوا ہے۔ سرکار نے باقائدہ یہاں یہ وعدہ کیا تھا محترم وزیر داخلہ نے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد ہی جموں و کشمیر میں الیکٹڈ اسمبلی ہوگی۔ وہاں کی ریاست کو پوری ریاست کا درجہ دیا جائے گا۔ لیکن ایسی کونسی وجہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ 5 اگست، 2019 کے بعد ایک سال سے زیادہ بالکل لاک ڈاؤن کی حالت میں رہے، نہ انٹر نیٹ کنیکشن تھا، نہ ٹیلیفون تھا اور نہ ہی کوئی دوسری سہولیات مہیا تھیں، ہم لوگوں کو ان کا درد اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب کورونا آیا، تو ملک کی عوام اور پوری دنیا کو احساس ہوا کہ لاک ڈاؤن کی حالت کیسی ہوتی ہے۔

جناب، میں آپ کے ذریعہ سرکار سے یہی کہوں گا کہ جموں و کشمیر میں جلد سے جلد انتخابات کرائے جائیں۔ ڈیلیمیٹیشن کا بہانہ لیکر وہاں انتخابات ملتوی نہ کئے جائیں۔ جو الیکٹیو نمائندے ہیں، ان کو انکا حق دیا جائے۔ یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ جموں کشمیر کی کیا حالت ہے۔ پچھلے تین دہائیوں میں کتنے لوگ مارے گئے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ ہاف وڈوں کا 10 ہزار سے اوپر کا انکڑہ ہے۔ جب میں ایک ڈیلیگیشن میں جموں کشمیر گیا تھا تو میرے سامنے یہ ٹرمینولوجی آئی۔ میں نے کہا کہ یہ ہاف وڈو کیا ہے، تب مجھے بتایا گیا کہ ہاف وڈو یہ ہے کہ جن جموں

کشمیر کے نوجوانوں کو راتو رات غائب کر دیا گیا، ان کی بیویاں ان کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ ہماری ہندوستانی تہذیب میں یہ ویوستھا ہے، میں صرف اسلامی قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہندوستانی تہذیب میں بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جاتا ہے، جب تک اس کا ثبوت نہ مل جائے کہ ہاں اس کا شوہر زندہ نہیں ہے تو وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ وہاں پر دس ہزار سے زیادہ ہاف وڈوز ان حالات کا سامنا کر رہی ہیں۔ پچاسوں ہزار بے گناہ لوگ وہاں مارے گئے ہیں۔ جب یہ سرکار آئی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیری پنڈتوں کو وہاں دوبارہ آباد کیا جائے گا۔ میں آپ کے ذریعہ سے سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو سالوں میں آپ نے کتنے کشمیری پنڈتوں کو دوبارہ وہاں بسایا ہے۔ پچھلے سات سالوں میں آپ نے کتنے کشمیری پنڈتوں کو جموں کشمیر کے اندر دوبارہ بسایا ہے (مداخلت)۔

میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ابھی معزز منتری جی کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا، ہاں آپ نے کیا۔

جس آتک وادی کے لئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ وہ آتک وادی تھا، افضل گرو، جس نے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا، اس کے شہید بتانے والوں کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر کے اندر سرکار چلائی تھی۔ یہاں پر ابھی ایک بات آئی کہ کشمیر فائلز ایک مووی آئی ہے، اس کو دیکھنا چاہئیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر فائلز ہو یا گجرات فائلز ہو، کشمیر فائلز یا گجرات فائلز پر موویز بنا کر لوگوں میں نفرت کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہئیے۔ یہ نفرت ہمیں کھا جائے گی۔ میری آپ سے مانگ ہے کہ ایسی کسی مووی پر، ایسی کسی بھی فلم پر فوراً بین لگایا جانا چاہئیے، جو اس ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرتی ہیں، نفرت کا ماحول پھیلاتی ہیں۔ ہم کب تک گجرات فائلز کو یاد

کریں، ہم کب تک کشمیر فائلز یاد کریں، ہمیں ملک کے جوانوں کو ملک کی تعمیر میں لگانا ہے۔ ہمیں بائٹے کا کام نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نفرت پھیلا کر آپ کو کچھ سیاسی فائدہ ہو جائے، کشمیر جلتا رہے، جلے، آپ کو دوسری ریاستوں میں فائدہ ہو جائے، لیکن یہ ملک کے لئے اچھا نہیں ہے۔

سال 2019 کے بعد جب یہاں پر کشمیر پر بحث ہو رہی تھی، جب جموں کشمیر کی اسمبلی کو ختم کیا گیا، جب جموں کشمیر ریاست کے ٹکڑے کئے گئے، جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق چھینے گئے، اس وقت یہاں پر بڑے زور زور سے بھاشن ہو رہا تھا۔ مجھے بھی سامنے سے وزیر داخلہ نے اُٹھ کر کہا تھا کہ دانش علی جی، اب آپ جموں کشمیر میں پلاٹ، زمین خرید سکتے ہیں، پہلے نہیں خرید سکتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے اتر پردیش یا گجرات کے لوگوں نے کشمیر کے اندر پلاٹ خریدیں ہیں؟ کتنا وہاں پر انویسٹمنٹ ہوا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر انویسٹمنٹ ہو، وہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے اور وہاں پر امن و امان قائم رہے۔ صبح محترم اسپیکر صاحب بیٹھے تھے، تب انہوں نے بھی یہ بات کوٹ کی۔ میرے خیال سے اس لوک سبھا کے 300 کے قریب ممبران کشمیر گئے ہیں۔ میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر گیا تھا۔ وہاں پر شام 6 بجے کے بعد جس سیکوریٹی میں لوگ رہتے ہیں، بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھا کر کہہ رہے تھے کہ 6 بجے کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ہوٹل میں بند کر دئے جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں امن و امان بحال ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے ان کو انصاف ملے، ان کو روزگار ملے۔ ڈیلیمیٹیشن کا بہانا کر کے انتخابات نہ ٹالے جائیں۔ جموں کشمیر کی اسمبلی بحال کی جائے۔ جموں کشمیر کو پوری ریاست کا درجہ دیا جائے۔

آخر میں، میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ سرکار آتم منتہن کرے کہ جموں کشمیر کا بٹوارہ کر کے کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے اور بارڈر پر آج کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں؟

اس کی ذمہ داری سے کوئی نہیں بچ سکتا، سرکار نہیں بچ سکتی۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ سرکار اس طرف دھیان دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں جائیں، ممبر آف پارلیمنٹ وہاں جائیں تو کھلے عام، عام آدمی کی طرح جا کر گھومیں نہ کہ ہمارے ساتھ سیکیوریٹی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔
(ختم شد)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

On behalf of the NCP, I stand here to participate in the debate on the Demands for Grants for the Union Territory of Jammu and Kashmir. I would just like to humbly ask the hon. Finance Minister. It is a request. This is not about right or wrong. But deeply, all of us are very proud Indians and very committed to every State which is going through a difficult and challenging time and Jammu and Kashmir is one of them. We are having an important discussion on the Budget of a certain important Union Territory. If you give us 24 hours in the future, I hope, we do not have to discuss it again. You will have elections soon there. So, it will be discussed in their own Assembly. But if such circumstances do occur, we would appreciate if you give us a little more time so that we can have a more extensive debate. It is a humble request.

I want to speak only on the Budget but I am too tempted to reply to the hon. Minister, Dr. Jitendra Singh. I do understand that he comes from the State. He has lived there. He was born and brought up there. But like most Indians, Kashmir is a dream holiday for us also. I went to Jammu several times because my mother is very God-loving and she had taken me to Vaishno Devi several times with her. As a family, we did not go abroad in those days. We travelled in India and Kashmir was the best holiday destination. अगर इस देश में कहीं स्वर्ग या जन्नत है तो वह कश्मीर में है। मैं जब छोटी थी, तब से बहुत बार कश्मीर जा चुकी हूँ। I also happened to go with my family. I was not privileged enough to go to Kashmir on any Committee tour. But I did go

with my husband and my daughter to Srinagar. There are a few observations that I would like to bring to his notice.

I met a person who runs the Delhi Public School there. The school is run by Mr. Dhar's family, which happened to be Kashmiri Pandits. I am not going to make this an issue of Pandits or locals. Since he specifically spoke so much about them, I would like to bring something to his notice. He talked so much that this Government wants to do so much for Kashmiri Pandits and that so much injustice has been done to them. I would like to ask pointed questions to the hon. Minister, Dr. Jitendra Singh Ji. This Delhi Public School has five thousand children.

Even through the extended challenging times, one family which did not leave and which had fought, survived and ran a school there, was Mr. Dhar's family. It was this Mr. Dhar's family which ran that Delhi Public School. It was not the Government's agency. They had faced attacks. They run their own buses. Today, what is this Government doing to them? The Government is sending notices after notices. They are questioning them on who their teachers are. They are sending him notices on some fee structure -- whether it is running efficiently. So, is this how you are helping Kashmiri Pandits who really stuck it out with you? Dr. Jitendra Singh was talking about the Kashmiri Pandits and the pain that he feels for them. Is this the justice that Dr. Jitendra Singh talks about? He does not feel the pain of these five thousand children who are studying there today and the teachers who are teaching there. ... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): They also run specially-abled children's school inside that campus.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I am so glad, Mahtab Ji. Thank you very much.

This is one school which accommodates children with special needs. Is this how the Government wants to treat them? Is this their love for Kashmiri Pandits? Is it only limited to what happened seventy years ago? Those things happened before even I was born? How many years are you going to be a prisoner of the past and blame somebody? अगर मेरे फादर ने मुझे और पढ़ाया होता तो मैं हावर्ड जाती। Obviously, they do not read Vedanta. 'Could', 'would', 'should', are all given. आप थोड़ा सा वेदांत पढ़िए। Just stop being a prisoner, live in the moment, and go ahead. What are we going to do, as Indians, for our Kashmiri Pandits and people of Kashmir today and for their future? This is what we are debating on this Budget and I think, that is what this Budget Document is all about.

He talked so much about corruption. I am glad he did. Who does not want a corruption-free environment? Shri Satya Pal Malik has not been appointed by us. He was your Governor. He was the one who made an allegation. 200 करोड़ रुपये का एलिगेशन लगाया था, कुछ फाइल का चक्कर था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं, इसे सभी ने पढ़ा, इस देश ने पढ़ा है।

So, what has happened about that corruption after all these wonderful changes that you have made? It is so easy to sit on one side and criticise somebody. Really, why do you not go and see what the ground reality of Jammu and Kashmir is today? How many hotels have you built? Today, the hon. Tourism Minister was saying that all hotels are full. How many new hotels have you built? How many roads have you built? I have been to Srinagar all my life. I have been to

Pahalgam. Nothing has changed. It is the same beautiful simple people of Jammu and Kashmir whom I met for years and years and years. So, I want to ask what big interventions that your Government has made.

Funnily enough, I want to bring something to his notice. Mr. Manoj Nanaware, Chief of Staff, Mr. Pole, Divisional Commissioner, Srinagar, Mr. Mahesh Dixit, IB Chief, Major General Sanjay Vishwasrao, Mr. Anand Jain, Burhanpur, IPS and Mr. Sanjay Nahar who works with all the children from Kashmir are all from *Jai Maharashtra*. All people are from Maharashtra who are today based in Srinagar. We do not think about you versus us. We all are Indians. So, when you make such serious allegations to other people, it is so unfortunate.

DR. JITENDRA SINGH: Who said that?

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : No, I am not yielding. You missed my first part of the speech which I was asking you for.

DR. JITENDRA SINGH: I am as much Maharashtrian as you are a Dogra.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I am glad that you are but I do not bring up the history and say अटल जी ने अच्छा किया या गलत किया । You have forgotten Atal Ji and I have not and it is because he was a great leader. ... (*Interruptions*) No, I am not yielding.

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Chairman, Sir, I heard her saying sometime back हम नहीं कहते कि हमारे माता-पिता ने क्या किया । नहीं कहते हो तो नाशुक्रे हैं । आपके माता-पिता ने आपको इस काबिल बनाया कि आज आप लोकसभा में हो । ऐसा नहीं कहिए । We cannot forget what we have got or not got from माता-पिता । आप भी तो यहां माता-पिता की वजह से पहुंची हैं ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : मैंने तो डाइनेस्टी को कभी नहीं कहा । मैंने तो हमारी डाइनेस्टी को अच्छा ही बोला है । कोई दिक्कत नहीं । डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो तो आपको चल जाता है, आपको हमारे में क्या दिक्कत है? अभी छोड़ दीजिए । फादर-मदर को छोड़कर कुछ भी बोल सकते हैं । मां-बाप मत निकालिए ।

DR. JITENDRA SINGH: It is not to get over the legacy. That is what, I am saying - legacy of our nation, legacy of our country and legacy of our society. There is nothing personal.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : You should have heard the whole speech that I spoke.

DR. JITENDRA SINGH: But you only referred.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I referred to you for a reason because you referred to a story about Kashmiri Pandits. So, I was just bringing to the notice, unfortunately, you were not here, about the Delhi Public School which is in Srinagar and has 5,000 children and what that family is going through. Mahtab Ji was very kind enough to even add a point that children with special needs are also there. I am just bringing to the kind notice of this Government of what a Kashmiri Pandit has contributed to Jammu and Kashmir. Five thousand Indian children are taught there. There is much suffering in policy and trouble in the education department. Unfortunately, there is no specific giving to them.

HON. CHAIRPERSON: She is informing an important matter in the House.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I am only trying to help somebody's child. I do not care about everybody's children. I am very proud of my parents. I have no problem with my lineage, anyway.

HON. CHAIRPERSON: Supriya ji is making a good speech. Why are you all disturbing the House?

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : What I wanted to talk is seriously more about the Budget. I was not going to bring this in but since he had asked, I really felt because I have visited that school. Even during challenging times, I have seen how their families pained and what all they and their teachers have contributed for education. It is something that really deserves an award and recognition in this country. I would like to talk about the Budget which nobody unfortunately, even the hon. Minister did not say. There are a few questions I would like to ask or bring to the notice of the hon. Finance Minister.

Now, in the Budget, there is sectorwise revenue expenditure. I would like to come to page 13 on the note that she has circulated. It says the hospitality and protocol is minus 4.72 per cent. In infrastructure sector, public works is minus 8.76 per cent, public health engineering is minus 1.42 per cent, in social sector, it is also a little concerning. Health and medical education is minus 5.40 per cent. Then, there is infrastructure sector about which even Mr. Reddy and Saugata Babu have already spoken. I will not revisit it but power development is minus 9.25 per cent. In that public works of infrastructure sector is minus 6.9 per cent, transport is minus 52 per cent. In totality, the finance sector, planning development monitoring is

minus 41.7 per cent and finance is minus 18.62 per cent. Total finance sector is minus 23 per cent and overall is minus 17.4 per cent.

The most worrisome number in this entire document is that – this is the book which the Finance Ministry has given us – the debt as a percentage of GDP is 53 per cent. It has been the highest ever. This is what it says. So, the State Gross Domestic Product, the debt liability number has been the highest since 2010. So, this Budget is very worrisome. There are so many sectors where the Government is claiming that there are so much improvements. Then, how come these numbers are in minus? In the power sector, the same numbers have come and the same projects have come, about which all the earlier speakers have mentioned. The words used are 'likely investment in the projects'. What does 'likely investments' mean? Whatever little English that I understand, 'likely' means 'it may happen'. It does not assure anything. In the last six years we have been hearing the same thing. So, this 'likely investment' is a very worrying statement.

Shri Reddy talked about shawls. He is such a gracious man that when we went, he gave all of us gifts from Srinagar just to support it. It was such a large-hearted thing that he did for us and pashmina shawl is something that we all are proud of and all of us would like to have. To extend that, the Government has started an Integrated Sheep Development Programme. I did not understand this programme. If the hon. Minister could kindly say about it. It says that they are importing, please note, around 1200 sheep/goat units to be established for creation of employment opportunities for 2400 people. Two-hundred elite cross-breed imported Merino sheep are to be introduced for genetic upgradation of local sheep

for production. When all these years, when Jammu and Kashmir has done so well, I see no reason for this. It makes no sense. I do not know who has really planned it. At other times we are only talking about 'Be Indian', 'Atmanirbhar Bharat', and 'Vocal for Local' and I do not know whose intervention is this.

There is another question, this is my ignorance, on which I would like to seek a clarification. A sum of Rs. 7750 crore have been provided for the *Jal Jivan Mission* for achieving the objective of 100 per cent pipeline supply in each household. In this case, the States have to contribute the same amount. Is there some different package being given to Jammu and Kashmir? If it is given, I have no problem. If a State needs help, we are happy to help. But in case of other States, the States have to contribute an equal amount to match it. Looking at this ratio, at the way infrastructure cuts have happened, how are we going to achieve this?

Then there is a provision for a sum of Rs. 200 crore for smart city and then there is also some mention about AMRUT city. Last time also I had spoken about this. AMRUT and Smart cities are not great success stories in this country. In the State I come from, Smart city is a failed project. The Government has spent over Rs. 1.5 lakh crore on Smart and AMRUT cities together. What have we achieved? Has anybody looked at the impact assessment of this? Nobody has done this. So, I would really like to know, through the discussion on the Budget, what this Government is going to achieve?

Now, talking about periodic blockages of Internet, Prof. Saugata Roy ji talked about the Kashmir Council and I think, Shri Nishikant Dubey ji had a big objection to it.

I think, the point that he was trying to make was -- with the permission of the Chair, I would like to correct it a little bit, 'correct it' may not be the right word -- all the industrialists who are there for the last several years in Jammu and Kashmir are very upset because of the Internet connections being stopped erratically. What happens is that business gets affected and so a lot of money, over a period of time, has been lost because of this. Electricity is still a problem. Just because our delegations go and in Srinagar you see electricity, that does not mean that is the situation in the entire State.

Another quick question is this. Are all Government schemes being totally implemented today on the field? I would be happy if the hon. Minister could reply to this. At Vaishno Devi, as I mentioned earlier, there was a huge stampede. Now, the Amarnath *Yatra* will soon start. Has there been big improvements for both these *Yatras* infrastructure-wise, since this Government constantly talks about improvement? What are the kinds of improvements that have taken place? I cannot see them after my visit? What really have they achieved? Which hotel have they improved? How many airports have they done? What railway interventions have they done? There is a lot of money being put in. But do we have better roads today? Like, when I went to Srinagar as a child it was one of the most beautiful cities in the country, probably in the world. It had *Char Chinar*. This time when I went, it had only one *Chinar*. Actually, I would hate to use this word, probably little

unparliamentary, it is a 'filthy Dal Lake'. It is not as beautiful and as clean as it used to be.

So, what have you really achieved in the last few years as you have been in governance? Let us not get tied up with only Article 370. There was life before that and there is life after that. People still lived there. वहां पर लोग रहते थे । It is not like a magic wand which changes your life completely. It has to be a combination of things that really have to make a difference in their lives.

I have one last point to make. They keep talking about jobs. I would like to ask one question to the Government on this issue. They promised about thousands of jobs. Nothing like that has really happened. J&K Bank is mentioned in the Budget. I am sticking to everything which they have mentioned in the Budget.

They have mentioned about Rs. 200 crores and thousands of jobs to be created. Have they really created those many jobs? One thousand jobs are barely created according to the Budget document. So, what is this intervention?

The hon. Minister talked about Jhelum, Dal Lake and other things. There was a big project about Wular, Jhelum and Dal Lake. There was a big beautiful programme. In the last six to seven years that you have been in power in the Centre, why nothing has happened regarding them? These are many questions which we want to ask because we want to work with you. This is not only about criticising you. We really feel that Jammu and Kashmir deserves the visibility, the investment, a better and safe livelihood for every woman, child and citizen who lives there. अगर इतना अच्छा होता, तो वहां के बेचारे शॉल वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक

भटकते नहीं रहते। अगर आप कश्मीर में सब कुछ ठीक कर देते, तो वे बेचारे आज भटक नहीं रहे होते।

I request the Government for their welfare.

I have one last question. I cannot resist this punch. They said that they wanted to speak so much about Kashmiri pandits and their love for them. I could not read about them in the document. I am not Einstein like my colleague, Shri Manish Tewari said nor am I such a Speedy Gonsalves who can read very fast. But in this entire big document, there is no mention of Kashmir pandits or any specific intervention done for refugees who left Kashmir during the insurgency or who have come back. If you feel so solidly for them, please include them in documents and make it a reality for their life. Let us not live only in a bubble. It is time that they deliver. आपने 60 सालों तक क्या किया, अभी वह बोरिंग हो गया है। आप कुछ नया डायलॉग निकालिए। Seven years is a long time to do something. बच्चा कुपोषित है, कुपोषित है, 7 साल में मां उसको खाना खिलाकर, दौड़ाकर स्कूल भी भेज देती है। एक मां 7 साल में इतना कुछ कर सकती है। So, let us get out of this 60-year debate.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) : Sir, it is always gratifying to discuss about Jammu and Kashmir. When anyone who stands up in this House, either from this side or the other side, to talk about Jammu and Kashmir, he becomes quite emotional. Of course, that emotion, at times, is bereft of facts.

One needs to understand one thing. When you talk about Jammu and Kashmir and Ladakh, why do we forget about Baltistan and Gilgit? I believe that there are two seats still vacant in this House as per our commitment. As per the Constitution of this country, two seats still remain vacant and we never ever discuss about Baltistan and Gilgit. ... (*Interruptions*) I was talking about two seats.

When we are talking about Pak Occupied Kashmir, that is something which we lost which is under the occupation of Pakistan.

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, हम जो बिल लाए थे कि वह सीट वैकेंट होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू-कश्मीर असेंबली में विधान सभा की सीटें सुरक्षित हैं और वह सीट वैकेंट है। लोक सभा और राज्य सभा में वह प्रोविजन नहीं है, हमने उसके लिए भारत सरकार से कहा था और स्थिति यही है।
...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Shri Mahtab, why are you stopping your speech? He has not taken the permission of the Chair. When he is speaking without the permission of the Chair, why are you stopping your speech?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: There was a historic transformation in August, 2019. This should have happened much, much earlier. Today, the concept of One Nation, One Constitution, One Flag is being implemented in this country. We should take pride in that. Every Indian, every patriot will take pride in it that no more, we have two flags and two Constitutions. It has been done away with from August, 2019. But still I hear and read that people say नहीं-नहीं यह गलत हुआ है, गलत हुआ है। संशोधन कई सालों पहले हो जाना चाहिए था, 1950 में हो जाना चाहिए था। After the Constitution was adopted in Jammu and Kashmir Assembly itself, that concept of having two flags, two Constitutions should have been abandoned after 1957 or 1958. But it continued. Why did it continue? Was it to garner votes or was somebody very much emotionally attached to that State? Why did it continue? Have we ever asked this question to ourselves? We have not.

I would say that all unjust and discriminatory laws have been removed. Have we talked about it today or during the last two years or since August, 2019? We

have been lawmakers for some time. Whenever a Bill used to come before us for consideration, there was always an asterisk mark on it and it said, "This will not be applicable for Jammu and Kashmir". Did it not pinch us whenever such message was being printed in the Bill which was being moved in this House, in the Parliament? But now-a-days, it is not like that. स्लोगन तो बहुत होते थे कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। सन् 1975 में यह स्लोगन भी दीवारों पर लिखा गया था, लेकिन क्या उस समय भारत एक था? आज वास्तव में एक नेशन, एक फ्लैग, एक कॉन्स्टिट्यूशन है।

One good thing that has happened is that the grass-roots democracy is being strengthened. Of course, the Finance Minister or any other Member from the Treasury Bench will define how much money has been allocated for specific programmes or specific departments. As far as I understand, around a thousand crore of rupees as grant has been provided to 4,290 gram panchayats. As far as I understand because of my profession, earlier the fund that was being provided or that was being generated as revenue from Jammu and Kashmir State or that was being provided from the Union Government was getting itself absorbed in Srinagar or Jammu only. It never percolated to the gram panchayats. When we used to interact with the people, not as a Member of Parliament but as a journalist, the reaction of the people of Jammu and Kashmir was that यह पैसा कहां आ रहा है? हमारे गांव में तो नहीं आ रहा है। हमारे यहां तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यह सब राज्यों की राजधानियों में ही रह जाता है। उनके हिसाब से राजधानी क्या है? The beneficiaries are those only who are around the capital of the State. They take away the cream. It never percolated to the rural areas of the State. It never percolated to the rural areas. आजकल हमारा दायित्व बनता है कि यह जो पैसा सरकारी व्यवस्था में दिया जा रहा है, जैसा मैंने कहा

कि एक करोड़ रुपये 4290 ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, whether this money has actually been distributed for the benefit of the people in the rural areas. Many years ago, as Members of the Public Accounts Committee, on a report we just wanted to find out the position. The C & AG, of course, during that time, was unable to go into the details of the expenditure in Jammu and Kashmir.

But there were some reports and we were interacting in some district headquarter relating to the Food and Civil Supply Department. We asked them this. How are you actually distributing it? We wanted to know how the system that is prevalent in different other States of the country is beneficial to them and how the beneficiaries are actually getting the succour. We were surprised to know that it was not at all reaching the beneficiaries. तीन महीने में अगर एक बार मिल जाता था तो वह काफी है। This was the problem in the administrative mechanism that was prevalent in Jammu and Kashmir. Now-a-days, we always hear about financial inclusion and specially during COVID times and in this Supplementary Budget, certain provisions have also been made.

I would also like to draw the attention of the Minister of Finance that this Direct Benefit Transfer should reach every beneficiary. Brick and mortar branches of banks are quite less; no doubt. But how can we make the DBT reach all the beneficiaries? Though that, we can remove the middlemen.

Sir, the Budget for 2022-23 shall again cross Rs. 1,00,000 crore mark. This is an indication of the commitment of this Government for the Union Territory and it is time that we make it a model of development. The total Budget Estimate, of

course, is Rs. 1,12,950 crore. There are so many things to do there in agriculture, horticulture, sericulture, sheep husbandry and fisheries sector.

I was absent for an hour today. I had to approve the Report of our Standing Committee. That is why I had to leave. But I would also like to remind this House and also the Government about one thing. How much money have you provided to keep Srinagar free from flooding? A huge flood had occurred some years ago. It had devastated the whole city. The Ministry of Jal Shakti has provided some funding to prevent flooding. Has this money been utilised there? Have those projects been taken up in right earnest and is there a time frame by which the flooding of Srinagar can be prevented? I also want to know the situation of Jammu in this regard. Now-a-days, in our country, most of the urban areas are actually expanding without much planning. That is one of the major reasons why flooding is taking place. We have seen flooding in Mumbai; we have seen flooding even in Bengaluru; we have seen flooding in Chennai and in many other cities of India. But when you are talking about Jammu and Kashmir, what major steps have been taken to keep these two big cities of the Union Territory free from flooding and how much money has been provided for this?

With regard to Health and Medical Education sector, an allocation of Rs. 14,084 crore has been made under Capital Expenditure. That needs to be properly utilised. I understand that a medical college is being set up there. That also needs to be protected from flood waters. For that, specific programmes also need to be undertaken.

The rural sector, especially in Kashmir Valley and Jammu, needs to be developed. If you are talking about hospitality sector, it would be the villages that need to be developed. Instead of putting up 5-star hotels at some specific places, there is actually a need to develop the villages as it has happened in certain other continents and other places. It is the village life of Jammu and Kashmir which needs to be developed as a tourist destination where hospitality sector can improve.

I would also like to draw the attention of the House about our visit in Jammu and Kashmir. I happened to chair the Committee of Labour, Textiles and Skill Development. During our visit there, we visited the interior, as we call them, the Walled City of Srinagar. We also met boys and girls, who are being trained to upgrade their skills. During that period, we also visited the Delhi Public School where I came across a number of students. Some of our colleagues, who are the Members of this Committee, are also present in this House. The best thing is that those who have passed out from their schools are also very much attached to their schools and they want to develop camaraderie so that they can get employment. That was a very great thing which equally impressed us.

But what I was trying to drive here is that during that period especially relating to those difficult days, as it was a Union Government programme, in order to upgrade the skills of textile workers, specific employment was also generated and centres were also created throughout the State. But since last one year, all those centres have been totally closed down, and no money is being provided to

those people who were imparting training. I have written separately to the Textile Minister, but I do not think, anything has happened till date.

So, I would urge upon the Finance Minister to please look into this aspect. It is necessary. When we see the map of India, कश्मीर हमारा मस्तक है तो उस हिसाब से उसको महिमामण्डित करना भी हमारा कर्तव्य होता है। Thank you very much, Sir.

श्री जामयांग शेरींग नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे जम्मू और कश्मीर के बजट तथा डिमाण्ड्स फॉर ग्रांट्स फॉर जम्मू और कश्मीर पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की लीडरशिप में जम्मू और कश्मीर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इतना अच्छा बजट वे इस सदन में लाई हैं। यह वास्तविकता है कि धारा 370 के हटने के बाद, जम्मू और कश्मीर के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए इस सरकार का पिछले सात सालों से लगातार प्रयास रहा है। विपक्ष की ओर से जो कहा जा रहा था, मैं यहां उसे सुन रहा था। मैं इस बात से हैरान हूं कि यहां पूछा गया कि जम्मू और कश्मीर के बजट की चर्चा हिन्दुस्तान के इस सदन में क्यों हो रही है?

मैं यह जानना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के बजट पर इंडियन पार्लियामेंट में नहीं तो क्या पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। यह सभी लोग जानते हैं कि अभी वहां पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए यहां इस बजट पर चर्चा करके, इसे पास करके जम्मू-कश्मीर में ही इम्प्लिमेंट किया जाएगा। मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि केवल जम्मू-कश्मीर ही क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साईचिन और शक्सगम वैली, तीनों भारत के अभिन्न अंग हैं, तो इनका भी एक सिम्बोलिक बजट यहां पर होना चाहिए। यह केवल इस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा नहीं है, बल्कि पूरे देशवासियों का एसपिरेशन है। इसलिए मैं यहां पर इस बजट का स्वागत करता हूं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक नया युग शुरू हुआ। इस युग को लाने से पहले कुछ लोग कहा करते थे

कि अगर अनुच्छेद 370 हटेगा, तो जम्मू-कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। कुछ लोग यह कहा करते थे कि वहां कोई तिरंगा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, लेकिन आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 अगस्त, 2019 के दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों ने देखा कि एक राष्ट्र में, एक निशान, एक विधान और वह भी एक प्रधान ने किया, जिसका पूरे भारतवर्ष ने स्वागत किया। मैं खुशी से याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन के लगभग 300 से ज्यादा माननीय सांसदों ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख विजिट किया। माननीय सांसदों, पार्लियामेंट्री कमेटीज और बहुत सारे माननीय सांसद अनऑफिशियल टूरर्स पर भी वहां गए। मैं यहां इस बात को रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि रात के नौ बजे भी कश्मीर के लाल चौक पर बिना सुरक्षा के हमारे माननीय सांसद वहां पर विजिट कर पाए। यह इस बात का प्रमाण है कि जम्मू-कश्मीर के हालात में सुधार आई है। मैं भी वहां कमेटी के टूरर पर था। हमारे विपक्ष के माननीय सांसद वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि वाकई मोदी साहब ने कमाल का काम किया है। यहां उन्हें अपनी पार्टी की बात रखनी पड़ेगी। वे लोग भी कश्मीर पहुंच कर कहते हैं कि जहां हुआ बलिदान मुखर्जी का, यह कश्मीर हमारा है।...(व्यवधान)

दादा जी, मैं लद्दाख के बारे में भी कहूंगा। वे वहां यह भी कहते हैं कि वाकई धारा-370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीरियत, कश्मीरियत और इंसानियत को ग्राउंड पर इम्प्लिमेंट करने का काम यदि किसी ने किया है, तो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। वह केवल धारा-370 के हटने तक नहीं रुके, बल्कि धारा-370 हटने के बाद सोशल अपलिफ्टमेंट, जो कि समाज के उत्थान के लिए कितना जरूरी है, मैं यह बताना चाहता हूं। पहाड़ीवासी लोगों को चार प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। जम्मू-कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजाति वर्ग को राजनैतिक आरक्षण दिया गया। इस आरक्षण के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ। जब वहां पर नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसका हमने भुगतान किया और लद्दाख वालों ने भुगतान किया।

वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव तो छोड़िए, वे पंचायत का चुनाव भी नहीं होने देते थे। वहाँ के लोगों की यह मानसिकता थी। कश्मीरी लोगों की मानसिकता नहीं, बल्कि वहाँ के

चंद नेताओं की यह मानसिकता थी कि यदि किसी छोटे-से डिपार्टमेंट की दो हजार रुपए की सब्सिडी भी देना चाहें, तो वह पंचायत के द्वारा न जाए, वह दो परिवारों के जरिए जाए ताकि लोगों को लगे कि कश्मीर के मालिक तो ये दो-तीन परिवार ही हैं। लेकिन आज माननीय मोदी जी के कारण कश्मीर में एक पार्टिसिपेट्री डेमोक्रेसी, एक ग्रासरूट डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। जम्मू क्षेत्र में विलेज डिफेंस कमेटी में कार्यरत हजारों लोगों की मांग को मानते हुए आज विलेज डिफेंस कमेटी का नाम बदलकर विलेज डिफेंस ग्रुप्स कर दिया गया है। इसमें कार्यरत सभी लोगों को सीधे सैलरी दी जाएगी। पहले यह नहीं होता था।

सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में ओबीसी एवं अन्य आरक्षण के लिए आयोग का गठन हुआ, जो पहले नहीं हुआ था। अभी तक कुल 41.5 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान किया जा चुका है। इसमें अनुच्छेद 35 A के प्रताड़ित 55,931 वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी लोगों को बेनिफिट दिया गया। लगभग 2,754 बाल्मिकी समुदाय के लोगों को पहले सिर उठाने का मौका नहीं मिलता था, अब उनको भी बराबरी का दर्जा देकर वहाँ का डोमिसाइल प्रदान किया गया है। 790 गोरखा कम्युनिटी के लोगों को डोमिसाइल प्रदान किया गया। पहले इन सबको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। यह आर्टिकल 370 और 35A के दुरुपयोग के कारण था। केवल सामाजिक अपलिफ्टमेंट का काम ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया गया है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया गया और राज्य में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। राज्य में पहली बार डीडीसी के चुनाव करवाए गए। पाँच चरणों में हुए डीडीसी के चुनावों में 51.7 प्रतिशत वोटर्स ने अपने वोट का प्रयोग किया और 20 जिलों में 278 डीडीसी सदस्य चुने गए। 20 चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन भी चुने गए। अभी जितने भी सेन्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, स्टेट स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, वे ग्रासरूट तक इन पब्लिक रेप्रजेंटेटिव्स के माध्यम से लोगों के घर-घर तक और किचन के चूल्हे तक पहुंच रही हैं।

माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ माननीय सांसदगण पूछ रहे थे कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी तो हुआ, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंटल फण्ड्स कितने दिए गए। मैं इस संबंध में, आंकड़े देना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के माध्यम से 200 करोड़ रुपये, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से 71.25 करोड़ रुपये, पंचायती राज इंस्टिट्यूशंस के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। यदि मैं टोटल बताऊँ, तो 1,271.25 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर के ग्रासरूट डेवलपमेंट के लिए दिए गए, जिसके कारण लोकल पंचायत रेप्रजेंटेटिव्स के द्वारा योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। 3.06. 2019 को एसओ-393 ऑर्डर के जरिए म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल, प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए ऑनरेरियम तय की गई। कमेटी के प्रेसिडेंट्स को 15 हजार रुपये, वाइस प्रेसिडेंट्स को 10 हजार रुपये; म्युनिसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट को 8 हजार रुपये; काउंसिलर, म्युनिसिपल काउंसिल को 5 हजार रुपये; काउंसिलर, म्युनिसिपल कमेटी को 4 हजार रुपये ऑनरेरियम देकर उन लोगों का मनोबल को बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया ताकि लोगों का ग्रासरूट लेवल पर विकास हो।

संसद में आने से पहले मेरी पार्टी ने मुझे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में काम करने का मौका दिया। मैंने वहाँ लगभग सात महीने तक काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर काम किया। वर्ष 2018-19 में, जब मैं काउंसिल का चेयरमैन था, तो उन दिनों पूरे एक साल का बजट 55 करोड़ रुपये था।

17.00 hrs

इन 55 करोड़ में मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे लार्जैस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के 55 डिपार्टमेंट्स चलाने थे, यानी हर डिपार्टमेंट को ठीक तरह से एक करोड़ रुपये भी नहीं मिलते थे, लेकिन आज वही काउंसिल, प्रधान मंत्री जी की लीडरशिप में वही लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आज की डेट में 264 करोड़ रुपये के बजट में काम कर रही है। ... (व्यवधान) कहां 55 करोड़ रुपये और कहां 264 करोड़ रुपये। ... (व्यवधान) यह वृद्धि धारा-370 हटने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख ने देखी है। पहले लद्दाख यह नहीं देखता था। अभी डॉ. जितेन्द्र सिंह जी यहां बता रहे थे। यहां से जो भी

देते थे, वह कश्मीर के कुछ परिवारों के हाथों में देते थे और कश्मीर में थोड़ा-बहुत उसका उपयोग होता था, जम्मू वालों को जो भी चाहिए होता था, उन्हें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता था। लद्दाख वालों को वह भी नहीं मिलता था। आज प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सेंटर का बजट पहुंचाने का जो काम किया है, मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं गवर्नेंस आउटरीच प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्शन जीतते हैं, सत्ता में भी आते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग लोगों की सेवा करना भूल जाते थे। लेकिन आज प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की लीडरशिप में आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से 'बैंक टू विलेज' का प्रोग्राम चलाया और गांव-गांव, घर-घर जाकर, सीनियर लेवल के ऑफिसर्स ने उनके जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो तकलीफें हैं, उनको निपटाने का काम किया, उनका समाधान करने का काम किया। 'बैंक टू विलेज' प्रोग्राम के तहत पांच लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स गांव-गांव जाकर बांटने का काम किया। डेथ-सर्टिफिकेट और बर्थ-सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने में तकलीफ होती थी। ये डेथ-सर्टिफिकेट और बर्थ-सर्टिफिकेट इन लोगों के घरों तक जाकर बनाने का जो काम किया है, वह 'बैंक टू विलेज' प्रोग्राम ने किया है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री जामयांग शेरींग नामग्याल: सभापति जी, मैंने अभी तो बोलना शुरू किया है। ... (व्यवधान) पूरे जम्मू कश्मीर में 50 हजार से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया। पहले कौन यह अनुमान लगा सकता था? पहले अगर आयुष्मान भारत की स्कीम होती, तो जो नेताओं के रिश्तेदार हैं, सिर्फ वे ही इसके ख्वाब देख सकते थे, बाकी लोग नहीं देख सकते थे। आज वे गरीब, वे महिलाएं, जो कभी फील करती थीं कि हमें देखने वाला कौन है, तो आज वे सब भी आयुष्मान भारत के सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। मैं एजुकेशन के क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में 50 नए कॉलेजेज

शुरू किए गए, जिसके परिणामस्वरूप मात्र एक वर्ष में 20 हजार सीट्स की बढ़ोतरी हुई। यह 70 वर्षों में एक साथ होने वाली सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। ... (व्यवधान)

सभापति जी, पहली से पांचवी कक्षा की पुस्तकों का डोगरी, हिंदी और कश्मीरी भाषा में ट्रांसलेशन किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लोकल लैंग्वेज में शिक्षा प्रदान करने की जो योजना बनी, उसके माध्यम से यह सब हो रहा है। जम्मू कश्मीर में छठी से लेकर दसवीं क्लास की इतिहास की पुस्तकों की समीक्षा की जा रही है। यहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे थे कि 'दि कश्मीर फाइल्स' मूवी पर बैन लगाना चाहिए। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. You make your last point.

श्री जामयांग शेरींग नामग्याल : सभापति जी, ये बता रहे थे कि 'दि कश्मीर फाइल्स' मूवी पर बैन लगाना चाहिए। ... (व्यवधान) हिंदी में एक कहावत है, वह मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है।

HON. CHAIRPERSON: You come to the last point.

श्री जामयांग शेरींग नामग्याल : सर, मैं लास्ट पॉइंट पर आ रहा हूं। बिटर टुथ – कड़वे सच को लोगों के सामने लाने का जो काम कर रही है, ऐसी मूवी को बैन नहीं करना चाहिए, पूरे देश में टैक्स फ्री करके दिखाना चाहिए। ... (व्यवधान) पहले जिन्होंने सरकारें चलाईं, 65 वर्षों तक जिन लोगों ने हिन्दुस्तान की युवा पीढ़ी को इतिहास भी गलत तरीके से पढ़ाया, उस इतिहास को करेक्ट करके पढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार जम्मू कश्मीर से शुरू कर रही है।

महोदय, सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे काम हो रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्रीमैट्रिक स्कॉलरशिप ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों को मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन द्वारा सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है। जम्मू-कश्मीर में दो एम्स बन रहे हैं। सात नए मेडिकल कालेज बन रहे हैं। पांच नर्सिंग कालेज बन रहे हैं। दो कैंसर इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं। क्या मोदी सरकार धारा-370 हटाने तक ही सीमित रही है? मोदी सरकार आगे आकर जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए काम भी कर रही है और यह मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। एमबीबीएस सीट्स पांच सौ से बढ़ाकर जम्मू-कश्मीर में ग्यारह सौ कर दी गई हैं। इससे जम्मू-कश्मीर के नौजवानों और विशेष रूप से कश्मीर के

नौजवानों के हाथ में इंजेक्शन, लैपटॉप और पेन देने का काम कर रहे हैं ताकि वे पत्थर फेंके नहीं, बल्कि पत्थर छोड़ें।

महोदय, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए इनवेस्टमेंट की बात मैं बताना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति नोटीफाई की गई है। जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आबंटन नीति मंजूर की गई है और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से वहां इनवेस्टमेंट और इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने का काम हुआ, उसके मैं आंकड़े दे रहा हूं। सदन में आंकड़े जानने की बहुत उत्सुकता दिखाई गई है, इसलिए मैं इन आंकड़ों को बताना जरूरी समझता हूं। जम्मू डिविजन में धारा-370 हटने के बाद 990 एप्लीकेशन्स आईं और लोगों ने इच्छा जताई कि जम्मू-कश्मीर में 24772 करोड़ रुपये इनवेस्ट करना चाहते हैं। कश्मीर डिविजन में 3197 एप्लीकेशन्स आईं, जिसमें इच्छा जताई गई कि 20684 करोड़ रुपये वहां इनवेस्ट करना चाहते हैं। पूरे जम्मू-कश्मीर में 4187 एप्लीकेशन्स आईं, जिन्होंने यह कहा कि हम जम्मू-कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं और 45411 करोड़ रुपये का वहां इनवेस्टमेंट ला रहे हैं। जो लोग चश्मा माथे पर रखकर नहीं देख सकते हैं, वे चश्मा आंखों पर लगाकर इस डेटा को देखें, तब उन्हें पता चलेगा कि जम्मू-कश्मीर किस तरह से आगे जा रहा है।

महोदय, इसी तरह टूरिज्म और हाउस बोट्स के बारे में एक मांग सरकार से रखना चाहता हूं। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, कश्मीर जन्नत है। कुछ लोगों ने इस राज्य को जहन्नूम बनाने का काम किया। आज मोदी जी फिर से इसे जन्नत बनाने का काम कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में बहुत सारे बौद्धिस्ट और आर्किलॉजिकल साइट्स हैं, उन्हें टूरिज्म मैप पर लाने की आवश्यकता है। इतिहास को मिटाने के लिए नहीं, इतिहास को उबारने के लिए सच चाहे जितना भी कड़वा हो, लोगों के सामने सच को लाने की आवश्यकता है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और इस बजट का स्वागत करता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय के प्रति भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सभापति जी, आज मैं जम्मू-कश्मीर के बजट पर बोलने से पहले कश्मीर की बेटी सादिया तारिक का, जिसने सारे देश का मान बढ़ाया है और वर्ल्ड वुशू चैंपियनशिप में जिसने गोल्ड मैडल जीता है, उसे मैं आज बधाई देना चाहता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी यहां विराजमान हैं। मैं कुछ ऐसी बातें जरूर इनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ जो काम इस बजट में रह गए या उनके लिए बजट कम है या किसी कारण छूट गए। मंत्री महोदया ने अपने लैवल पर इन्हें बैलेंस करने की काफी कोशिश की होगी क्योंकि जो अच्छे काम हुए हैं, वह सामने वालों ने सभी को बता दिए हैं लेकिन कुछ बातें मैं इनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

महोदय, मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में *facilitating investment for inclusive growth and accelerating development* कहा। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े-बड़े इनवेस्टमेंट के दावे किए गए हैं। मैं इतने केसेज गिनवा सकता हूँ कि डेढ़-डेढ़, दो-दो साल हो गए हैं, उन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन्स दी हैं, जमीन खरीदी है लेकिन कुछ डीएम या एसडीएम उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करके नहीं दे रहे हैं। उन लोगों ने सरकार की फीस भी जमा करवा दी है। मैडम, इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया आप इसमें दखल दीजिए और अपना ऑफिस यूज कीजिए। उन्होंने मेरे या इन लोगों के आसरे नहीं, बल्कि सरकार के कहने पर इनवेस्टमेंट किए हैं। अगर उन्हें कोई दुख-तकलीफ हो रही है, तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह इसे दूर करे। कृपा करके आप वहां के ऑफिसर्स से बात करें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें और लोगों की जो एप्लीकेशन्स रुकी पड़ी हैं, जिनको डेढ़-डेढ़ साल हो गए हैं, कृपया उनको करवाया जाए।

सभापति महोदय, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें 73 परसेंट के करीब हमने यह बजट लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखा हुआ है, लेकिन फिर भी दिन-दहाड़े हमारे स्कूल टीचर्स और पब्लिक को आज मारा जा रहा है। इनकी जानें बचाना और वहां का माहौल ठीक करना भी हमारा फर्ज बनता है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। टूरिज्म जम्मू-कश्मीर का मेन पॉइंट है। मैं कई बार संसद में यह विनती कर चुका हूँ कि हमें पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को एक टूरिस्ट सर्किट में डेवलप करना होगा। मैं इसके बारे में पहले भी सुझाव दे चुका हूँ। अगर हम टूरिस्ट सर्किट में इनको डेवलप करते हैं,

तो टूरिज्म भी बढ़ेगा और इन तीनों राज्यों को फायदा होगा। इसके साथ ही साथ जॉब्स भी मिलेंगी, ग्रोथ भी होगी और टैक्स प्राप्ति भी बढ़ेगी।

सभापति महोदय, मैं एक और विनती करना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में ऐसे बहुत से स्थान हैं, जिनका धार्मिक तथा ऐतिहासिक रूप से काफी महत्व है। नारानाग शिवजी का एक मंदिर है। यह मंदिर 1200 साल पुराना है। आज इस मंदिर की कोई देखभाल नहीं की जा रही है। दिन-ब-दिन उस मंदिर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बड़े-बड़े पत्थरों को लोग उठाकर लिए जा रहे हैं। मैं हाल ही में वहां गया था। वहां के लोग मंदिर परिसर में गाय, भैंस और बकरियां चरा रहे थे।

यह हमारी बहुत बड़ी जायदाद है। हमारी धार्मिक मर्यादा इसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसी चीजों को संभालने के लिए आइडेंटिफाई किया जाए और इनके लिए पैसे का प्रावधान करने के साथ ही अच्छा मैनेजमेंट किया जाए। इनकी केयर करनी ही चाहिए।

सर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेज जम्मू-कश्मीर की पहचान हैं। चाहे केसर हो, सेब हो, सब्जियां हों या कमल ककड़ी हो। कमल के साथ तो आपको प्यार होना ही चाहिए। इन चीजों के एक्सपोर्ट के लिए तथा फूड प्रॉसेसिंग के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस पर ध्यान दिया जाए।

Sir, Sikhs are the second largest minority in Jammu and Kashmir. आज से 1 साल पहले तक पंजाबी वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन मुझे आज अफसोस हो रहा है कि पंजाबी, जो पूरे विश्व में चौथी या पांचवी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, उसे हटा दिया गया है। यह हमारी मातृभाषा के साथ नाइंसाफी है। कृपा करके इसमें पंजाबी को शामिल किया जाए। जम्मू-कश्मीर अपने लेक्स, अपने दरिया, अपने पहाड़, अपने जंगल, अपने वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है और हमारा आज का पर्यावरण बद से बदतर होता जा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके पर्यावरण के लिए खास ध्यान दिया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): शुक्रिया जनाब । जनाब, यह एक रो में चौथा बजट है, जो जम्मू-कश्मीर की असेम्बली के बजाय पार्लियामेंट में पेश हुआ है । यह खुद में एक सवालिया निशान है, खुद में एक तवज्जो तलब मामला है कि वहाँ करीब 1.5 करोड़ लोगों की आबादी है, वे कैसे 4.5 साल से किसी रिप्रजेंटेशन के बगैर हैं । क्यों नहीं वहाँ असेम्बली है? जो असेम्बली खुद यह फैसला करती कि वहाँ की जरूरियात क्या हैं, वहाँ के लोगों की तक्ककात क्या है, आकांक्षा क्या है और क्या एलोकेशंस होनी चाहिए । जरा खुद इस पर ध्यान दीजिए । यह किस वजह से है कि अपनी असेम्बली जम्मू-कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों के लिए नहीं है । इस सबकी, सारी की सारी जिम्मेदारी 5 अगस्त के वे जो गैर आइनी अनकांस्टीट्यूशनल डिसिजंस थे, उन पर है ।

जनाब, 5 अगस्त, 2019 को आइन को दरकिनार करके जम्मू-कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट्स था, जो आइनी पोजिशन थी, जिसका वादा कांस्टिट्यूट असेम्बली में किया गया था और जिसका आधा रीपर्कशन 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट में किया गया था, उसको बिल्कुल दरकिनार करके उसको वापस लिया गया । उस फैसले के बाद, उतना ही नहीं किया गया, बल्कि गैर आइनी तरीके से दो हिस्से किए गए । आप खुद इसका जवाब दीजिए कि क्या यह पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वह किसी स्टेट के दो हिस्से करे? अगर इख्तियार है तो सारे भारत के कीजिए, सब आपके हाथ में आ जाएगा । क्या आइन का आर्टिकल तीन आपको इजाजत देता है कि आप विभाजन करें, फ्रेगमेंट करें । आप किसी यूनियन टेरेटरी का रूतबा बढ़ाकर उसे स्टेट बना सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता । एक अहंकार की बात है । इतनी ही बात नहीं है, जनाब, हमने आइन का लिहाज रखते हुए, आइन में जो हमें रास्ता दिया गया था, हमें और यहाँ के दानेश्वरों को, सिर्फ हमें नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी बात में वजन है । यह एडमिट करके मामला कांस्टिट्यूशन बेंच को भेजा गया । अब देखिए कैसे अनकांस्टिट्यूशनली आइन को फिर एक बार दरकिनार करके उस कानून को अमलाया जा रहा है, जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई । क्या आइन इसकी इजाजत देता है? हरेक कांस्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में यह उसूल है, एक अनरिटेन लॉ है, यहाँ आपमें से कई एक मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि अगर कोई मामला जूडिशियल स्कूटनी में है तो हमें

सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, आइनी बेंच का इंतजार करना चाहिए। वह आइनी बेंच यह फैसला देती है कि नहीं, यह जो 5-6 अगस्त का विभाजन का फैसला था, धारा 370 वापस लेने का, यह गैर आइनी था, आपने सही नहीं किया तो हम वहाँ से ही शुरुआत करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। यह एक तरीके से अपमान है, यह अदालत की तौहीन है। आप सिर्फ हमसे हुकूक नहीं छीन रहे हैं, बल्कि आप आइन को भी रौंद रहे हैं। आप यही एक कदम नहीं उठा रहे हैं, आप डीलिटेशन कर रहे हैं और वह भी एक डिवाइस बना रहे हैं, फर्दर कश्मीर को डिसएम्पॉवर करने का, जम्मू-कश्मीर के लोगों को डिसएम्पॉवर करने का। क्या कहीं यह सुना गया है कि एक डीलिटेशन पर तजवीज हो, एक रीजन का हिस्सा दूसरे रीजन के साथ मिलाया जाए?

साउथ कश्मीर को पुंछ के साथ मिलाया जाए। अब चलिए वह अलग बात है, वह तो एक तजवीज है, जिस पर बहस होनी है और मुझे उम्मीद है कि वे खुद ही, क्योंकि उनके जो सर्वरा हैं, वे खुद ही इस बात का जायजा लेंगे कि क्या उनके लिए मुनासिब है कि वे कोई अपनी राय दें, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है।

आप एक कॉन्स्टीट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ को इम्प्लिमेंट कर रहे हैं। आज जो बजट की बात है, आपने रूल 205 को सस्पेंड किया। रूल 205 का तकाजा यह है कि जिस दिन आप बजट पेश करेंगे, उसी दिन बजट पर बहस नहीं होगी, बल्कि मैम्बरान को यह मौका दिया जाएगा कि वह बजट के जो भी कागजात हैं, जो मशमुलात है, जो अनेक्जर्स हैं, उनको देख लें और फिर अपनी राय बनाएं। उसमें दो दिन, चार दिन या पाँच दिन का हमेशा समय दिया जाता है। रूल 205 का यह तकाजा है। आज आप यहां पर एक रिजॉल्यूशन लाएं कि हम रूल 205 को सस्पेंड कर रहे हैं। हमें दो बजे ये सारे कागजात थमाए गए और कहा कि बहस कीजिए तो क्या यही एक आइन, जो जम्हूरियत है, उसमें यही कुछ होता है। हमें प्रेक्टिकली डिप्राइव किया गया। सारे मैम्बरान को डिप्राइव किया गया, जैसे मनीष तिवारी ने कहा और उनके बाद जो दूसरे मैम्बरान हैं, उन्होंने कहा। हमें इस हक से डिप्राइव किया गया और महरूम किया गया। मुमकिन हो कि इस बजट के पहलू बड़े अच्छे हों, हम उसकी सराहना करें, लेकिन

हमें उससे भी महरूम किया गया। हमें मौका ही नहीं दिया गया कि जो भी ऐस्टिमेट हैं, जो भी अनेक्जर्स हैं, इन अनेक्जर्स का जो भी एलोकेशन है, उनका मुलाहिजा करके हम अपने पॉइंट बनाते।

5 अगस्त के फैसलों को मार्किट किया गया और कहा गया कि धारा 370, 35ए बाधा है। जो सेपरेटिज्म है, वह इसी से पनपती है, इसी से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वह पनपती है। 5 अगस्त, 2019 के बाद आज तक के जो आंकड़े हैं, आप जरा उस पर नजर दौड़ाइये। जनाब, कोई 500 के करीब एनकाउंटर्स हो गए। अभी इस साल के शुरुआत में, अभी इन दो महीनों में कोई 10-12 के करीब एनकाउंटर्स हुए। आप देखिए कि 500 के करीब अमवात हो गई। अभी भी सैकड़ों लोग जेलों में बंद हैं। हमारे नौजवान अम्बेडकर नगर जेल में बंद है, आगरा में बंद है, तिहाड़ में बंद है, क्या आप इसी को नॉर्मलसी कहते हैं? आपने फेक नॉर्मलसी इवेंट्स की आड़ में जो नेरेटिव बनाया हुआ है, जमीनी सतह पर उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। इसी हफ्ते तीन सरपंच मारे गए। यह ताज्जुब की बात है और कहा यह जा रहा है कि कुलगाम के सरपंच को हमने श्रीनगर में एक कमरा दिया था। यह वहां क्यों नहीं बैठा? अरे, सरपंच किसी गांव का था, उस गांव में उसको लोगों की सेवा करनी थी और वहां से उसे उठा कर आपने कहा कि श्रीनगर में सेफ जोन देंगे। ये बातें मुल्क से नहीं कही जा रही है। जो विलेज हैड था, जो पंचायत का सरबराह था, आप देखिए कि इसी हफ्ते कितनी अमवात हो गई, कितनी सिक्थोरिटी फोर्स की जानें चली गई? जान जो भी चली जाए, जहां भी इंसानी जान तलफ हो, वह तो दुःख है। वह चाहे सिक्थोरिटी फोर्स का जवान हो या कोई और नौजवान हो, लेकिन क्या यह थम रहा है? आपने मुल्क को भरोसा दिया, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर को और परेशानी की तरफ डाल दिया।

जुल्म व सितम का जो आखिरी हरबा होता है, वह यह है कि 500 के करीब जो जवान इन दो सालों में मारे गए, उन 500 के करीब जवानों को आपने अपने गाँव में दफन नहीं होने दिया। जो एक आईनी हक है, जो अपनी जान गंवाता है, उसका यह हक है कि उसको अपने इलाके में दफनाया जाए, ताकि उसकी बहन, उसका भाई, उसका वालदेन उसका मुल्क उसका चेहरा देखें। आपने वह भी डिनाई किया। उसके बावजूद भी मिलिटेंसी की रैंक में कोई कमी नहीं आ रही है। जो डेथ्स हैं, आज

बच्चा भी आपको वह कहानी सुनाएगा, जो मौके की कहानी है। जो नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत से दूर है।

जनाब, अब जो बजट की बात आई, आप नॉर्मलसी के जो दावे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तरक्की की राह पर है। आज भी 20 परसेंट के करीब जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मजदूरों के साथ, मुलाज़िमीन के साथ, जो सरकार का व्यवहार है, वह अलग ही दास्तान है।

जम्मू-कश्मीर में सीमेंट की एक ही फैक्ट्री है, जो वर्ष 2019 में बंद हुई। आज भी उसके मुलाज़िमीन को तनख्वाह से महरूम किया गया है। हमारे करीब 61 हजार डेलीवेजर्स, कैजुअल वर्कर्स सड़कों पर बैठे हैं। उनके रेग्युलराइजेशन का कोई एहताराम नहीं किया जा रहा है। आज भी जब ये खुशहाल कश्मीर का नेरेटिव बना रहे हैं तो आज भी मिनिम वेजिस डिनाई किए जा रहे हैं, एनिमनल हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, उनके हजारों मुलाज़िमों को डिनाई किया जा रहा है। इस हाउस को किसी ने यह नहीं कहा कि अभी चंद हफ्ते पहले आर्मी के हवाले सिविल इंस्टिट्यूशंस करने पड़े, क्योंकि वहां का जो भी वर्क फोर्स था, वह सारा हड़ताल पर था। तो जनाब यह जो आपकी वसादत से मुल्क को कहना है कि यह जो नेरेटिव है कि सब कुछ ठीक है, यह सारा नेरेटिव ठीक नहीं है। अब इसी बजट को देखें कि जैसे कहा गया 73 परसेंट के करीब इसमें होम पर ही खर्चा हो रहा है। Nearly, 73 per cent of the Budget is being eaten up by the Home Department on security purposes. आप खुद देख लीजिए। अब जल-जीवन मिशन की बात करते हैं, 30 परसेंट से कम आबादी को नल से जल की सुविधा है या सेफ ड्रिंकिंग वॉटर की सुविधा 20 परसेंट के करीब है। मैं पहले मिनिस्टर साहब की नोटिस में भी लाया हूँ कि कोई वारवुड वायर से बिजली चल रही है, नॉर्मल इलैक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन नहीं है। जो रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कम्युनिटी इनफॉर्मेशन सेंटर्स के जो मुलाज़िमीन हैं, वे दस साल से अपने वेतन का, अपनी वेजिस का, अपनी रिप्रेजेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं। यही हाल हर जगह का है। इस पसमंजर में जो आप यह बात कर रहे हैं कि हमने हरेक अचीवमेंट की है। आप कह रहे हैं कि करीब 300 मेंबरान वहां चले गए। आप मुझे बताइए कि जिन फैसिलिटीज़ का फाइनेंस मिनिस्टर या बाकी मिनिस्टर साहिबान ने यूज किया, वे

कब बनी थी? हमारे जितेन्द्र सिंह जी खुद एहताराम करेंगे कि जिस कनवेंशन सेंटर का अपने इस्तेमाल किया, वहां बैठ कर आपने मीटिंग्स की या पहलगाम में गए या गुलमर्ग में गए या जहां आप रहे, वे जगहें कब बनी थीं, जरा खुद से पूछिए। जिस गोल्फ कोर्स में आप गए, गोल्फ खेलने के लिए या सैर करने के लिए गए, वह कब बना था? जम्मू-कश्मीर पहला स्टेट था, जिसने राइट टू हैप्पी चाइल्डहुड रिकॉग्नाइज़ किया।

राइट टू एजुकेशन रिकॉग्नाइज़ किया। जो सारे कवानीन यहां पर प्रोग्रेसिव थे, लेबर लॉज थे, बाकी लॉज थे, वे सबसे जम्मू-कश्मीर में थे, उसके बाद दूसरी जगहा हुए। आप खुद देख लीजिए, खुद एडमिनिस्टर कीजिए। अगर डेवलपमेंट ही सब कुछ है तो आप क्यों जाते हैं, होम मिनिस्टर क्यों जाते हैं मणिपुर में लोगों को वहां बधाई देने के लिए उपहार के तौर पर प्रधान मंत्री जी ने आपको इंडियन एयरलाइन परमिट दे दिया। अगर उसकी जरूरत नहीं थी तो ये सारी चीजें जो आप जम्मू कश्मीर को डिनाई कर रहे हैं, एस्पिरेशंस डिनाई कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स डिनाई कर रहे हैं तो नॉर्थ-ईस्ट में कैसे आप दे रहे हैं। जनाब, बात यह है कि नॉर्मल्सी का यह नेरेटिव बिल्कुल गलत है। मैं बार-बार देख रहा हूं कि जितेन्द्र सिंह जी यहां पर बार-बार पर्सेंटेज की बात करते हैं। जो इलैक्शन में खड़े हो गए, यह उनकी ताकत है और जो बैठे हैं, वे किनके साथ हैं? वे भी उन्हीं के साथ हैं, लेकिन वे आते नहीं हैं, यह वे खुद जानते हैं। आपने भी इलैक्शन लड़े, तीन पर्सेंट वोट ही बीजेपी को डीडीसीए में आए। ... (व्यवधान)

बात यह है कि यह सारा नेरेटिव है, यह मुल्क को धोखा देने के लिए बात कही जा रही है, यह बुना जा रहा है, हकीकत में कोई चीज नहीं है। अब नेशनल हाइवे की बात लीजिए। डॉक्टर साहब जानते हैं कि इन्ही तीन महीनों में तकरीबन डेढ़ महीने नेशनल हाइवे बंद रहा। जम्मू-कश्मीर नेशनल हाइवे, एनएच-44 बंद रहा, क्योंकि यातायात नहीं रहा। जनाब, बात यह है कि यह नॉर्मल्सी पहले की नहीं है। जो एस्प्रेसेशंस हैं, आप उनको एड्रेस कीजिए। हम देश का हिस्सा हैं, देश से बाहर नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि महताब जी कहने लगे कि यह तो पहले होना चाहिए था। वे जानते नहीं हैं। उन्हें इतिहास मालूम नहीं है। वहां की जो कंस्टीट्यूएन्ट असेम्बली बनी, जो कंस्टीट्यूशन बना, वह यहां की कंस्टीट्यूएन्ट असेम्बली की देन थी, 'दिल्ली एग्रीमेंट' की देन थी। मोरारजी भाई ने और सारे देश ने

उस वक्त के जो जम्मू-कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें बधाई दी कि आपने आईन बनाया। वहां जो 'निशान' दिया गया, वह 'निशान' कंस्टीट्यूएन्ट असेम्बली ने दिया, 'दिल्ली एग्रीमेंट' के तहत पार्लियामेंट ने दिया। यह इतिहास है। इससे मुँह न मोड़िए। आप एस्पिरेशन्स की रेस्पेक्ट कीजिए।

दूसरी बात यह है कि जो बजट की बात आई है तो मैंने कहा कि वक्त नहीं दिया गया कि हम इसका पूरा विश्लेषण करते। मुमकिन है कि कई एक गोशे बजट की हैं, जिनकी हम सराहना करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में आपने 310 करोड़ रुपये का इजाफा किया है। यह बहुत अच्छी बात है। एनिमल हस्बैंडरी, फिशरीज में और एलोकेशन होनी चाहिए थी।

हेल्थ और वेलनेस की जो बात है तो इस वक्त सारे कश्मीर में सिर्फ एक 'पेट स्कैन' है। मेरा यह मुतालिबा होगा कि आप साउथ कश्मीर के लिए, जहां करीब 25 लाख लोग रह रहे हैं, वहां पर दयालगाम में 500 बेड्स का एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाने की तजवीज़ है।

सर, मैं कैसे कन्क्लूड कर लूं। यह तो जम्मू-कश्मीर का ही बिल है। मैंने रिक्वेस्ट की है कि साउथ कश्मीर में एम.आर.आई. की सुविधा नहीं है।

आप हर जगह क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारे अवन्तिपुरा में जो एम्स है, वहां भी एम.बी.बी.एस. की क्लासेज शुरू कीजिए। साथ ही, वहां इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। उससे हमारी शुरुआत हो सकती है। आप कहने को कहते हैं कि सब तालीम आम है। आपने यूनिवर्सिटी का साउथ कैम्पस बना दिया। वहां सिर्फ नौ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उनकी 16 फैकल्टीज़ हैं। कहने को तो वह यूनिवर्सिटी बन गई है।

इसी तरह, टूरिज्म और कल्चर के बारे में मेरी यह गुजारिश है कि टूरिज्म तो हमारी बैकबोन है और टूरिज्म में 604 करोड़ रुपये हैं। मुझे लगता है कि इसमें और इजाफा करने की जरूरत है।

एग्रीकल्चर में, जैसा कि जसबीर सिंह जी ने कहा कि हमारी कॉमर्शियल पॉलिसी पर हमें तवज्जो देने की जरूरत होगी और उसकी तरफ आपकी तवज्जो भी होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज को मुस्तहकम करने की जरूरत है। एक लॉ यूनिवर्सिटी की तजवीज़ थी, वह भी अभी नहीं हुई।

हाउसिंग में यह क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता है? 48,000 मकान बनाने थे, जिसमें से सिर्फ 13,000 बने। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन और रूरल है, दोनों में हम पीछे जा रहे हैं।

सोशल सिक्योरिटी में कम एलोकेशन है। ट्राइबल वेलफेयर में भी नहीं है। आपने ट्राइबल माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए सीजनल स्कूल्स बनाए, लेकिन वहां के जो टीचर्स हैं, उनको आप छः महीने के लिए डिस्बैंड करते हैं।

एनवॉयरनमेंट की बात की गई। जम्मू-कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हमारा एक एयरपोर्ट पहले ही है। अवन्तिपुरा का एयरपोर्ट सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ है या ट्रांसफर होने की पोजीशन में है। आप वहां पर परवाजें शुरू कीजिए। श्रीनगर में इस वक्त करीब 41 परवाजें आती हैं और वहां पर उन्हें हैंडल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसकी जरूरत है।

ट्राइबल वेलफेयर में इन टीचर्स को परमानेंट बनाइए और इन्हें स्कूल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कीजिए।

जहां तक फॉरेस्ट एण्ड एनवॉयरनमेंट की बात है तो यह सबसे ज्यादा तक्राजा करता है कि आपकी तवज्जो उस तरफ हो। हमारे यहां करीब 7-8 सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, जिनके एमिशंस 'एमिशन लेवल' से बहुत ऊपर हैं। उससे दाचीगाम में क्या इम्पैक्ट हो रहा है? वहां पर ऑडिट करने की जरूरत है और एनवॉयरनमेंट को और मुस्तहकम करने के लिए और इंतेजामात किए जाएं। हमारे 73 पर्सेंट के करीब का बजट हमारा जो होम डिपार्टमेंट है, वह ईट-अप करता है। 8,000 करोड़ रुपये आप श्रीनगर की सड़कों पर काम रखने के लिए लगाते हैं, इन पर देश का हक है।

देश में जो हेल्थ केयर वाले, एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं, उनका हक है। आप इसे कम करके सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। इसी तरह, पावर में आपने 2,457 करोड़ रुपये रखा है। इसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ट्राइबल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। खासकर, आप एक विशेष प्रोग्राम बनाइए, एक विशेष अभियान चलाइए। 61 हजार कैजुअल वर्कर्स और डेली वेजर्स की हमारी सबसे बड़ी परेशानी है।

HON. CHAIRPERSON: Masoodi ji, please conclude now.

श्री हसनैन मसूदी: सर, मैंने आपसे कहा कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जिन डेली वेजर्स का काम सस्पेंड किया, इसके बारे में डॉक्टर साहब जानते होंगे। उन बिजली स्टेशंस को फौज को देने पड़े। फौज ने एक हफ्ते के लिए बिजली चलायी। इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसके लिए हमें उम्मीदें हैं। हमने इस बजट को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। उसको आप स्पीड अप कीजिएगा।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री हसनैन मसूदी : सर, अब डिलिमिटेशन की बात देखिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि उसका जिक्र नहीं कीजिए, क्योंकि कमर्शियल इदारा है। मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है कि जो भी चीज सुप्रीम कोर्ट में है, उसको अमल में मत लाइए। आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कोई स्टे दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन की कि हम अनडू करने में पावरलेस नहीं हैं। उसका मतलब था कि आपके लिए एक मैसेज था कि आप ऐसी कोई चीज नहीं कीजिए, जो हमें अनडू करना पड़े। उसकी तरफ भी तवज्जो दे दीजिए। देखिए, पॉपुलेशन की चार प्रिंसिपल्स थे। एक कंस्टिटुअन्सी की तजवीज़ दो लाख की है और एक कंस्टिटुअन्सी की तजवीज़ 51 हजार की है। Contiguity, compactness, connectivity and convenience, ये चार मूल मंत्र हैं। उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है।

DR. JITENDRA SINGH: There are bodies like Delimitation Commission. ...
(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: All the hon. Members are supposed to speak on the Budget, but everybody is going beyond the Budget including the hon. Ministers.

श्री हसनैन मसूदी: डॉक्टर साहब, जो मूल मंत्र है, जो कोर कमर्शियल वैल्यू है, वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, जुडिशियल स्कूटनी में कोई कानून है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिए। More so, when the Supreme Court has made an observation that it is not without power. ये सेक्टर्स हैं, जिन पर आपके द्वारा तवज्जो देने की जरूरत है। इसमें बहुत सारे मामले हैं। आपका जो बजट है, उसके बहुत सारे हिस्से सराहना के काबिल हैं, जिनमें आपने अच्छे

एलोकेशंस किए हैं, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं। आपका सारा पैसा होम खा रहा है। जैसा कि आपके 8000 करोड़ रुपये होम में जा रहा है। इन मामलों की तरफ तवज्जो दे दीजिएगा।

HON. CHAIRPERSON: Masoodi ji, please conclude now. I am going to call the next hon. Member to speak.

श्री हसनैन मसूदी: सर, हमें दो मिनट का समय दे दीजिए, क्योंकि हम जम्मू-कश्मीर से हैं। देखिए, आपने इंटरवेंशन पर दो घंटे दे दिया। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have got enough time.

श्री हसनैन मसूदी : मैडम, खासकर टूरिज्म की बात करना चाहूँगा। टूरिज्म में हमारे दो मैटर्स हैं। हमने सुना है कि पाँच लाख रुपये दिए जा रहे हैं।... (व्यवधान) एक तो हमारी एकोमडेशन ही नहीं है, न ही पहलगाम में है और न ही गुलमर्ग में है।... (व्यवधान) देखिए, वहाँ एक मोनोपॉली हो गई है। उस मोनोपॉली को खत्म करने के लिए आपको टूरिज्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है। लेकिन, उतनी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रही है, जितनी होनी चाहिए।

देखिए, एक तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि इस साल रिकॉर्ड टूरिस्ट्स आए हैं। लेकिन, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर दीजिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स का मामला है। यह हर जगह फैला हुआ है। इन सब की तरफ तवज्जोह देने की जरूरत है।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude within half a minute.

श्री हसनैन मसूदी: सर, हम कह रहे हैं कि सब कुछ महान है। इस वक्त 30 हजार के करीब जो मुलाजमीन हैं, उनको मिनिमम वेजेज से कम मिल रहा है। चाहे वह हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में हो, चाहे कॉलेज डेवलपमेंट में हो, चाहे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बैन्ड्री हो, वहाँ 3000 रुपये से कम मिल रहा है। जो मिनिमम वेज है, अगर हमने कानून बनाया है तो उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है?

HON. CHAIRPERSON: Please come to the final point.

श्री हसनैन मसूदी: अगर यू.टी. का बजट यहाँ पेश हो रहा है तो जाहिर-सी बात है कि सारी बातें हम यहीं कहें। अगर बजट वहाँ की असेम्बली में पेश होता तो सारी बातों पर बहस वहीं होती। यह एक डिसकनेक्ट है। जो जमीनी सुरतेहाल है, आप एक और बात देखिए, हमारे जो डिसएबल्ड हैं, स्पेसियली हमारे ऐसे जो लोग हैं, उनको सारे देश में 5000 रुपये की डिसएबिलिटी पेंशन मिल रही है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक हजार रुपये मिल रहा है। यह कैसा खुशहाल कश्मीर है, कैसा नया कश्मीर है? यहाँ दिल्ली में डिसएबिलिटी के लिए 5000 रुपये मिल रहे हैं। इस वक्त वे धरने पर बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारी वेलफेयर स्टेट है और यह नया कश्मीर है। इस वक्त वे जम्मू में 10 दिन से धरने पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब उन धरनों की तरफ नहीं देखते हैं। उनको आप एक लेवल प्ले फील्ड पर लाइए। उनके लिए आप ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि उनको वही मिले, जो दिल्ली में मिल रहा है। उनको मिनिमम वेजेज़ वही मिले जो दिल्ली या बाकी जगहों पर मिल रही है। मेरी गुजारिश है कि इन सारी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जिनका जिक्र जरूरी है। आपने जो बढ़ोत्तरी की है, वह एग्रीकल्चर में की है, जलशक्ति में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी आपने की है, कोई छः हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट में भी अच्छी बढ़ोत्तरी की है, लेकिन जो बाकी सैक्टर्स हैं, जो सोशल सैक्टर है, जो ट्राइबल वेलफेयर है, एग्रीकल्चर है, इनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, ताकि ये भी इस दौड़ में शामिल हो जाएं।

वहां पर, खासकर सबसे ज्यादा परेशानी हेल्थकेयर की है। हेल्थ केयर में मैन पॉवर की कमी है। कई एक जगह पर हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। यह बड़ा अलार्मिंग है कि कैंसर की वजह से मोर्टैलिटी रेट सबसे ज्यादा है। हमें डायग्नोस्टिक मजबूत करना होगा। साउथ कश्मीर में जैसा मैंने कहा कि वहां पर एक प्रपोजल है। स्किम्स में, नामग्याल साहब अभी उधर से बोल रहे थे कि वहां के जो पेशेंट्स हैं, वे भी इसी पर डिपेंड करते हैं। जम्मू से पेशेंट्स आते हैं, वे भी स्किम्स पर डिपेंड करते हैं। वहां के लिए एक खास एलोकेशन होना चाहिए।

एग्रीकल्चर में आप देखिए। आप सेफ्रॉन की बात करते हैं। हमारे यहां सिर्फ 10 पर्सेंट प्रोडक्शन होती है। आपने वहां सिप्रंकलर इरीगेशन का प्लान बनाया है, लेकिन उसका कोई आर्डर नहीं हुआ और

वह हो नहीं रहा है। उसके जो केयरटेकर्स हैं, उनको तीन-तीन साल से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। आपने वहां वेल्स तो बनाये, वहां केयरटेकर्स अपाइंट किए, उन्हें जमीन डोनेट की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इसी तरह से ट्यूबवेल्स के लिए जमीन डोनेट की गई। उन्होंने इस प्रॉमिस पर डोनेट किया कि उन्हें नौकरी दी जाएगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं।

आज तक वे इंतजार कर रहे हैं। आप यह सारा जो नार्मल्सी का नैरेटिव बना रहे हैं, यह सारा फेक है, जमीन पर यह नहीं है। आप यहां पर कितने भी एलोकेशंस दें, लेकिन जमीन पर यह होता नहीं है। जमीन पर इसका अमलाया नहीं होता। हमने जिन भी बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाया, आप उनकी तरफ तवज्जो देंगे। डॉक्टर साहब एस्पिरेशंस एड्रेस करने में अपना रोल अदा करें। इनको खुशी है कि हमारे और भी लोग आ गए, ठीक बात है, लेकिन एस्पिरेशंस एड्रेस करना फंडामेंटल है।

There can be no trade-off between aspirations and development. Aspirations have their own importance and they need to be addressed. ये विभाजन की और बातें न कहें। पीर पंजाल को मिलाइए, पुंछ को मिलाइए, श्रीनगर के साथ, अनंतनाग को मिलाइए उसके साथ, ऐसे आपरेशंस डॉक्टर साहब न करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, additional allocation in the way of Supplementary Demands for Grants is okay. In the case of Jammu & Kashmir also it is the same. But the peculiar situation prevailing in Jammu & Kashmir calls for a critical analysis in this august House.

While we are discussing this issue, everybody is asking the same question as to when statehood would be restored to Jammu & Kashmir. Hon. Home Minister said, "I have given assurance in the Parliament that once the situation becomes normal in Jammu and Kashmir, statehood will be given back". Sir, they themselves admit that normalcy is not prevailing there. When we hear certain speeches from that side saying that everything is calm and quiet there, etc., what does that show? It shows that an abnormal situation is continuing there. How can it be corrected? The abnormal situation was created by the Government at the time of abrogation of Article 370 of the Constitution.

I need not say about the need of an elected Government. It is like a bridge between the people and the Government. You have really spoiled that. Still, what is the position? I was thinking about the sad plight of these people. Kashmir still carries those sorrows and agonies. On 5th August, 2019, what have you stated? You said, "This is to curb terrorism. This is for development of Jammu and Kashmir in a comprehensive manner, for enabling Kashmiri Pandits who wanted to come back to the Valley and involving Jammu and Kashmir people to get due share of the Central Government's schemes which the other States are getting." What is the balance sheet of these three years? Everybody knows that the day-to-day life of the people of Kashmir has remained in grief. The same story of blood

and tears still remains, whether it is before abrogation of Article 370 or after that.

You can see all these things in papers, reports, etc.

Have you ever seen in the history that three former Chief Ministers were under house arrest for months together? Is it not a shame for a country done by a Government with an ulterior motive? It is to be condemned. That is the thing which I would like to say first. What is the Government doing? Their number one enemy is press. They are muzzling the press. It is not only in Kashmir; it is everywhere. Media, an independent body, made a fact-finding report.

That report says that they were forced to evict from the places where they were staying. Even advertisement was denied to the press. Those who say truth were harassed like anything. These kinds of things are going on. Many cases have been filed against journalists. How many journalists are now facing the trial? That kind of thing is going on there. Accreditation of the press also has been cancelled without any reason. My intention is not to question the Government or to blame the Government. But you must think about this. In a democracy like ours – we claim that ours is the biggest democracy in the world – these kinds of things are going on in Kashmir. Internet was suspended for months together. Communication was cut off. Press is muzzled like anything. This kind of a thing should not be allowed to continue. That is why I am saying that this abnormal situation was created by the Government.

We can very well understand what the strategy of the Government is. When you are distributing wealth of the nation, are you doing it in a judicious manner?

That also is not there. You are doing these kinds of things, what is called, according to your will and pleasure. That is going on.

Regarding RTI, what is happening? The Right to Information Act was brought by the UPA Government at that time. That was the most effective tool to ensure transparency in seeing the kind of things. But what is happening? If an ordinary man in Kashmir asks for a reply from a department, they are denying it. That is cut off for them. That is the situation.

Coming to federalism, what is happening? Federalism is a sanctity. It is very much in the Constitution which refers to relationship between the Central Government and the State Governments. Instead of decentralising the power, you are grabbing powers from the States. You are doing it that way. So, what I am saying is that it is an attack on the fundamental principle of the Constitution.

Towards the end, I would like to say only one thing. Government may have an agenda. Your Government may also have an agenda. I am not opposing that. But we have to be very careful about one thing, that is recasting the population equation. If a Government wants to recast it with an ulterior motive, with a bad intention, I warn the Government whether it is in J&K or in Lakshadweep, it is a bad practice. I would humbly request the Government to put an end to these kinds of things. With these few words, I conclude. Thank you very much.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Sir. I stand here to participate in the discussion on behalf of the CPI(M) Party.

If you follow the speeches of the Treasury Benches, you will find that every State is being forced to demand for the President's Rule. If the States could get more funds from the Centre in this way, every State would like the President's Rule to be imposed on it. The whole discussion points towards this situation.

While participating in the discussion, the hon. Minister, Dr. Jitendra Singh ji spoke widely about the voting percentage in the elections of the local bodies of Jammu and Kashmir before abrogation of Article 370. When the Standing Committee on Housing and Urban Development visited Kashmir, local body representatives were present there, and we asked them about the voting percentage in the local body elections. They said that it is less than 20 per cent. It shows that the same situation is continuing even after two-and-a-half years of the abrogation of Article 370. So, there is nothing to feel proud about the percentage of vote in the local body elections.

We have no doubt that Kashmir is an integral part of our country. But we must understand that the founding leaders of Independent India placed Kashmir as a crown on the head of our country. That crown was given a special status in the form of Article 370. The Government has destroyed everything against the will of the Kashmiri people and against the values of the Constitution.

This august House has been forced to spare time to discuss the budgetary provisions for Jammu and Kashmir due to the crookedness shown by this Government in withdrawing the constitutionally mandated special status and

converting it into a Union Territory in 2019. I wish to reiterate that it is a shame that this Government forced this august House to take over the powers of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir by misinterpreting the constitutional provisions in blatant violation of all democratic principles and precedence.

What purpose has the Government achieved by withdrawing the special status and converting it into two Union Territories other than breaching the trust of the people? What have we seen today?

The Government is again violating the rules of procedures and precedence, as pointed out in the morning by Shri Manish Tewari and Shri N.K. Premachandran, by forcing this House to discuss a Budget on the same day of its presentation.

Sir, this Government is again and again making a mockery of this House by imposing autocracy and by labelling it as democracy. For the past two-and-a-half years the Government has been saying that the statehood would be restored at an appropriate time, and when normalcy is back. But, even the Government itself has no definition for these words.

No one knows what does it mean by normalcy and when that auspicious time will arrive. By delaying the restoration of statehood, this Government is betraying the people of Jammu and Kashmir and is acting against their wishes and aspirations. The Government is proud of the present situation in Kashmir only because it has succeeded in preventing the Media to bring out the truth.

I also wish to remind the Government the long history of our country; how the people of this country have defeated such heinous attempts to divide this

country on previous occasions. Under the British regime we saw the 'divide and rule' at its peak but the gains of that never lasted long. Brave people of the country rose and fought back to gain our Independence. In 1970, the Congress met the same fate when it tried to impose draconian policies in the name of national emergency. I may remind you, that fate is waiting for you too. With these words, I conclude. Thank you.

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

During the past two years, the Union Territory of Jammu and Kashmir has been marching on the path of development as a result of the Government's initiatives, which included, various developmental schemes executed under the Prime Minister's Development Package focussing on individual beneficiaries and reviving long-pending projects lying dormant for several decades by removing the obstacles, through ensuring effective and transparent administration.

Without going into details, I would like to ask a few questions to the Government. What steps have been taken by the Government for the revival of businesses as the present businesses in Jammu and Kashmir are not offered a handholding? What special schemes have been announced for the local entrepreneurs of Jammu and Kashmir? What steps have been taken by the Government to boost the demand in the MSME sector?

Jammu and Kashmir's industrial sector requires special packages but the Budget has no roadmap for the industrial sector in Jammu and Kashmir. The existing industry is turning sick in Jammu and Kashmir. There are no measures to tackle the problems of unemployment and inflation which will only increase inequality and leave the largest section of the population, including the unemployed youth, artisans, horticulturalists, transporters, vulnerable than ever.

The Government was expected to announce a waiver on the KCC loans for fruit growers, who are facing acute hardships. The Centre should have come up with a comprehensive economic package and should have given compensation to the orchardists and farmers. The local businesses and trade have reached a

critical stage and demand a comprehensive revival package for the whole Union Territory especially, the Kashmir Division that suffered the most losses since August 5, 2019, when the Centre revoked the special Constitutional position given to Jammu and Kashmir. The KCCI recorded a loss of Rs. 18,000 crore in the wake of the internet blackout and security restrictions after August 5, 2019. The losses jumped up to Rs. 44,000 crore by the end of year 2020. Those losses were inflicted by a situation that was beyond the control of the traders.

It was followed by a series of lockdowns in the face of the pandemic. Exports have also dropped by 45 per cent. We expected the measures and schemes which would have fuelled exports and which would have helped in retaining about three lakh strong workforce working in Kashmir's handicraft sector. Till new investment comes to Kashmir -- which is likely to take a few years --, a few measures should be taken by the Government in this regard.

Jammu and Kashmir currently requires handholding of young entrepreneurs, tax holiday, capital infusion, and amnesty on GST for filing returns. As the businesses, traders, and entrepreneurs have been badly hit by the lockdown imposed after the removal of Articles 370, the Government should have announced a financial package for Jammu and Kashmir to fuel its economic growth.

The Centre should put Jammu and Kashmir in a special category since no economic growth took place after August 5, 2019. Steps such as waiving off interest accumulated since August, 2019, interest subvention scheme, fresh capital on low rate of interest, GST holiday, moratorium of two years on fresh loans,

reservation in tenders at all-India level to local entrepreneurs, are needed. Concrete steps are expected so that we can see the overall growth in business given the exponentially high unemployment rate, rising poverty, inflation, and failing businesses in Jammu and Kashmir.

With these few words, I conclude and support the Budget of the Union Territory of Jammu and Kashmir and at the same time, request the Government to take necessary steps for the overall development of Jammu and Kashmir.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात का आगाज करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा, जिससे जम्मू-कश्मीर की आवाम की उनके जज्बात और उनकी तकलिफ़ की अकासी इस ऐवान में हो सकेगी।

किसी शायर ने कहा है कि-

‘आज वो कश्मीर है महकूम-ओ-मज़बूर-ओ-फ़कीर,
कल जिसे ऐहले नज़र कहते थे ईरान-ए-सगीर,
सीनाए अफ़लाक से उठती है आह-ए-सोज़ नाक़,
मर्द-ए-हक़ होता है जब मरुब-ए-सुल्तान-ओ-अमीर,
कह रहा है दास्तान-बेदारी-ऐ-आयाम की,
कोह के दामन में वे ग़म ख़ान-ए-देहकान-ए-पीर।’

किसी और जगह पर एक शायर ने अच्छा कहा है कि –

‘घात में सय्याद पहलुओं में है खटकता तीर का,
एक पहलू यह भी है कश्मीर की तस्वीर का।’

18.00 hrs

महोदय, मैं यहां पर यह बात साफ और वाज़ह तौर पर कहना चाहूंगा कि एक आरटीआई के जवाब में यह कहा गया कि 30 साल में 1,724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने मारा है या उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ है।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, if the House agrees, the time of the House is extended up to the disposal of financial business relating to Jammu and Kashmir.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes Sir.

श्री असादुद्दीन ओवैसी : महोदय, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडितों के ताल्लुक से बड़े ग़म और आंसू बहाए जाते हैं। मगर हृदयनाथ वंचू के कत्ल के केस में 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने

सजा दी और उसका विटनेस एक कश्मीरी मुसलमान था। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादाना कमीशन को फौरन बनाया जाए, ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

हैरत और अफसोस इस बात का है कि मिलिटेंट्स के द्वारा 1,500 नॉन पंडित हिन्दुओं का भी कत्ल हुआ है। मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता है, उनके बारे में कोई पिक्चर अपनी जेब गरम करने के लिए नहीं बनती है।

महोदय, यहां पर सरकार की तरफ से जो बात कही गई कि जो डीलिटेशन हुआ, असेंबली और पार्लियामानी हल्कों की जो हदबंदी की गई, वह बड़े ही साफ-सुथरे तरीके से किया गया है। यह कितना साफ-सुथरा था, उसको देखिए। उन्होंने अनंतनाग को पुंछ और राजौरी से मिला दिया। यह इतना साफ-सुथरा था। साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका है, जो कंप्लीट एथनिकली कश्मीरी है, आपने उसको पुंछ और राजौरी से मिला दिया। अगर दिसंबर में इंतखाबात होगा, तो मुगल रोड तो बंद होगी, अगर किसी को आना है, तो उसको डोडा, उधमपुर, जम्मू और पुंछ से आना पड़ेगा। वह कितने डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस करेगा, यह आपका साथ-सुथरा मुजाहरा है।

महोदय, तीसरी बात यह है कि जब मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जवाब देंगी, वह उस ऐवान के जरिए पूरे मुल्क को बता दें कि आपने आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कहा था कि हर मर्ज का इलाज हो जाएगा, लेकिन मर्ज का इलाज नहीं हुआ, बल्कि मर्ज बढ़ गया। पहले जो मर्ज नहीं था, अब वह मर्ज बढ़ चुका है।

महोदय, मैं आपके जरिए से मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिब से जानना चाहूंगा कि आप इस ऐवान पर रख दें कि वहां कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। आप एमओयू की बात मत करिए। कागजात तो बहुत निकलेंगे, मगर एमओयू नहीं, बल्कि आपने कश्मीर में कितना पैसा इन्वेस्ट करवाया है, यह बताइए।

महोदय, एक तरफ सरकार बोलती है कि हम पूरे मुल्क में एलआईसी और सब चीजों को प्राइवेटाइज करेंगे। मगर यहां पर हॉर्टिकल्चर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेंकिंग बना दिया गया। जो

कश्मीरी अपना सेब बेचता था, आप उससे कह रहे हैं कि हमने पीएसयू बना दिया है। यह आपकी साफ-सुथरी राह दिखाता है। आपने बर्की को सेन्ट्रल पीएसयू से जोड़ दिया।

चौथी बात यह है कि कश्मीर के लिए आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? यहां पर एक पॉलिसी और वहां पर दूसरी पॉलिसी, कौन-सा कंटिन्यूएशन है? आप तो यहां कुछ और अपना रहे हैं और वहां पर कुछ और रुख अपना रहे हैं। इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। फॉर्मा ट्रेडर्स पर दावे हो गए, उस पर रेड पड़ गई। जो सप्लायर्स हैं, उन पर रेड पड़ गई। आपने टोल पोस्ट खत्म कर दी। 114 राइस मिल बंद करने के किनारे आ गए हैं। इसका जवाब नहीं है। यह सही है या गलत है?

महोदय, मैं एक और बात आपके गोश-गुजार करना चाह रहा हूं कि आप कश्मीरियों के ऊपर इतना इकोनॉमिक डिपेन्डेंस कर दे रहे हैं।... (व्यवधान) आप कल ये बताएंगे कि नहीं-नहीं, हमने तो इतना पैसा दिया था। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? आज कश्मीर में कितनी बेरोजगारी है। आज कश्मीर में 7.2 प्रतिशत बेरोजगारी है। पूरे भारत में भी बेरोजगारी है। आपने आर्टिकल 370 हटाकर क्या किया? वहां बेरोजगारी और बढ़ गई है। मैं आपसे जेकेआईडीसी के बारे में कहना चाहता हूं। आपने वहां पर जेकेआईडीसी नामक एक शैतान को बना दिया है, आपने एक शैतान को क्रिएट कर दिया है। ज़मीन किसी की भी ली जा सकती है, पुलिस साथ रहेगी और उस फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा।

सर, यह जम्हुरीयत है। अगर जम्हुरीयत में गलत फैसला होगा तो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मतलब, आप जमीन किसी की भी ले लेंगे और आफिसर्स पुलिस का साथ देंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हर एतबार से आपने वहां पर गलत पॉलिसी की और अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर यहां बजट पर डिबेट नहीं करनी चाहिए। इस बजट पर तो वहां के मुंतखिबशुदा अवामी नुमाइंदों को बहस करनी चाहिए। यहां पार्लियामेंट में बैठकर हम जम्मू कश्मीर का बजट कैसे पास करेंगे?

यह गैर अखलाकी बात है। यह कन्वेंशन के खिलाफ है। यह आपकी मंशा और मकसद को बताता है। आप यहां पर कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या कश्मीर में लोग नहीं मर रहे हैं? क्या सिविलियन कैजुअल्टीज़ नहीं हो रही है? वहां यह सब बराबर हो रहा है। इसलिए मैं आपसे

अपील कर रहा हूँ कि आप इन हालात को देखिए और आप कश्मीर की जामा-मस्जिद को क्यों नहीं खोलते हैं? आप जामा मस्जिद को खोलिए। वहां लोगों को आने दीजिए। आपने वहां पर जर्नलिस्ट फहद शाह को पकड़ लिया। आपने उन्हें क्यों पकड़ा? आपने उन पर एक नहीं, बल्कि दो-दो यूएपीए केसेज़ लगा दिए।

आप बोलते हैं कि आप दिल और दिमाग को जीतना चाहते हैं। आप दिल और दिमाग को कहां जीत रहे हैं? आप तो वहां पर अपनी जोर और जबर की बुनियाद पर जम्हूरी तरीके से जो आवाजें उठ रही हैं, उनको दबा रहे हैं। मैं इसकी मज़मूमत करता हूँ और मैं इस बजट के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

جناب اسدالدين اويسی (حيدرآباد): محترم اسپيکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج اپنے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ جس سے جموں کشمیر کی عوام کی، ان کے جذبات کی اور ان کی تکالیف کی عکاسی اس ایوان میں ہو سکے گی۔

شاعر نے کہا ہے کہ

آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر
کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر
سینہء افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوز ناک
مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر
کہہ رہا ہے داستاں بیدردی ایام کی
کوہ کے دامن میں وہ غم خانہء دہقان پیر

کسی اور جگہ پر ایک شاعر نے اچھا کہا ہے کہ

گہات میں صیاد ، پہلو میں بے کھٹکا تیر کا
ایک پہلو یہ بھی بے کشمیر کی تصویر کا

جناب، میں یہاں پر یہ بات صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ ایک آرٹی۔آئی۔ کے جواب میں یہ کہا گیا کہ 30 سال میں 1724 ملٹینٹس کو حکومت اور فوج نے مارا ہے یا ان کی موت ہوئی، جس میں سے صرف 89 کشمیری پنڈتوں کا قتل ہوا ہے۔

جناب، حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے تعلق سے بڑے غم اور آنسو بہائے جاتے ہیں۔ مگر بردے ناتھ ونچوں کے قتل کے کیس میں 30 سال میں ایک ہی آدمی کو کورٹ نے سزا دی اور اس کا گواہ ایک کشمیری مسلمان تھا۔ میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آزادانہ کمیشن کو فوراً بنایا جائے۔ تاکہ سچائی اور حقیقت سامنے آجائے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ حیرت اور افسوس اس بات کا ہے کہ ملٹینٹس کے ذریعہ 1500 نان پنڈت ہندوؤں کا بھی قتل ہوا ہے۔ مگر ان کے بارے میں کوئی آنسو نہیں بہایا جاتا ہے، ان کے بارے میں کوئی پکچر اپنی جیب گرم کرنے کے لئے نہیں بنتی ہے۔

جناب، یہاں پر سرکار کی طرف سے جو بات کہی گئی کہ جو ڈیلیمٹیشن ہوا، اسمبلی اور پالیمانی حلقوں کی جو حد بندی کی گئی، وہ بڑے ہی صاف ستھرے طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہ کتنا صاف ستھرا تھا۔ ساؤتھ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے، جو کمپلیٹ ایتھینکلی کشمیری ہے، آپ نے اس کو پونچھ اور راجوری سے ملا دیا۔ اگر دسمبر میں انتخابات ہوں گے تو مغل روڈ تو بند ہوگی، اگر کسی کو آنا ہے تو اس کو ڈوڈا، اُدھم پور، جموں اور پونچھ سے آنا ہوگا۔ وہ کتنے ڈسٹرکٹس کروس کرے گا۔ یہ آپ کا صاف ستھرا مظاہرہ ہے۔

محترم چیرمین صاحب، تیسری بات یہ ہے کہ جب محترمہ فائننس منسٹر صاحبہ جواب دیں گی، وہ اس ایوان کے ذریعہ پورے ملک کو بتا دیں کہ آپ نے آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد کہا تھا کہ ہر مرض کا علاج ہو جائے گا، لیکن مرض کا علاج نہیں ہوا، بلکہ مرض بڑھ گیا۔ پہلے تو مرض نہیں تھا، اب وہ مرض بڑھ چکا ہے۔

چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ محترمہ فائننس منسٹر صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس ایوان پر رکھ دیں کہ وہاں کتنا پیسہ انویسٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آپ ایم۔او۔یو۔ کی بات مت کریں۔ کاغذات تو بہت نکلیں گے مگر ایم۔او۔یو۔ نہیں، بلکہ آپ نے کشمیر میں کتنا پیسہ انویسٹ کراوایا ہے یہ بتائیے۔

جناب، ایک طرف تو سرکار بولتی ہے کہ ہم پورے ملک میں ایل۔آئی۔سی۔ اور سب چیزوں کو پرائیویٹائز کریں گے۔ مگر یہاں پر ہارٹیکلچر کو پبلک سیکٹر انڈرائیکنگ بنا دیا گیا۔ جو کشمیری اپنا سیب بیچتا تھا، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی۔ایس۔یو۔ بنا دیا ہے۔ یہ آپ کی صاف ستھری راہ دکھاتا ہے۔ آپ نے برقی کو سینٹرل پی۔ایس۔یو۔ سے جوڑ دیا۔

چوتھی بات یہ ہے کہ کشمیر کے لئے آپ کی ایکونومک پالیسی کیا ہے؟ یہاں پر ایک پالیسی اور وہاں پر دوسری پالیسی، کونسا کنٹینیوشن ہے؟ آپ تو یہاں کچھ اور اپنا رہے ہیں اور وہاں کچھ اور رُخ اپنا رہے ہیں۔ اس میں کوئی انٹیگریشن نہیں ہے۔ فارما ٹریڈرس پر دعوے ہو گئے، اس پر ریڈ پڑ گئی۔ جو سپلائرس ہیں، ان پر ریڈ پڑ گئی۔ آپ نے ٹول پوسٹ ختم کر دی۔ 114 رائس ملز بند کرنے کے کنارے آگئے ہیں۔ اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ سہی ہے یا غلط ہے؟

چیرمین صاحب، میں ایک بات اور آپ کو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کشمیریوں کے اوپر اتنا ایکونومک ڈیپینڈینس کر دے رہے ہیں (مداخلت)۔ آپ کل یہ

بتائیں گے کہ نہیں نہیں، ہم نے تو اتنا پیسہ دیا تھا۔ آپ کی ایکونومک پالیسی کیا ہے؟ آج کشمیر میں کتنی بے روزگاری ہے۔ آج کشمیر میں 7.2 فیصد بے روزگاری ہے۔ پورے بھارت میں بھی بے روزگاری ہے۔ آپ نے آرٹیکل 370 ہٹا کر کیا کیا؟ وہاں بے روزگاری اور بڑھ گئی ہے۔ میں آپ سے جے۔کے۔آئی۔ڈی۔سی۔ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہاں پر جے۔کے۔آئی۔ڈی۔سی۔ نامک ایک شیطان کو بنا دیا ہے، آپ نے ایک شیطان کو کریپٹ کر دیا ہے۔ زمین کسی کی بھی لی جا سکتی ہے، پولس ساتھ رہے گی اور اس فیصلے کو کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا۔

جناب، یہ جمہوریت ہے۔ اگر جمہوریت میں غلط فیصلہ ہوگا تو کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ مطلب آپ زمین کسی کی بھی لے لیں گے اور آفیسرس پولس کا ساتھ دیں گے۔ اس لئے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے آپ نے وہاں پر غلط پالیسی کی اور اخلاقی طور پر، آئینی طور پر یہاں پر بجٹ پر ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اس بجٹ پر تو وہاں کے منتخب شدہ عوامی نمائندوں کو بحث کرنی چاہیے۔ یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم جموں کشمیر کا بجٹ کیسے پاس کریں گے؟

یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ یہ کنونشن کے خلاف ہے۔ یہ آپ کی منشاء اور مقصد کو بتاتا ہے۔ آپ یہاں پر کٹھ پتلی کی طرح کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کشمیر میں لوگ نہیں مر رہے ہیں؟ کیا سویلین کیڑولٹیز نہیں ہو رہی ہیں؟ وہاں یہ سب برابر ہو رہا ہے۔ اس لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان حالات کو دیکھیے۔ اور آپ کشمیر کی جامع مسجد کو کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ آپ جامع مسجد کو کھولئیے۔ وہاں لوگوں کو آنے دیجیئے۔ آپ نے وہاں پر جرنلسٹ فہد شاہ کو پکڑ لیا۔ آپ نے انہیں کیوں پکڑا؟ آپ نے ان پر ایک نہیں بلکہ دو۔ دو۔ یو۔اے۔پی۔ایز کیسز لگا دیئے۔

آپ بولتے ہیں کہ آپ دل اور دماغ کو جیتنا چاہتے ہیں۔ آپ دل اور دماغ کو کہاں جیت رہے ہیں؟ آپ تو وہاں پر اپنی زور اور جبر کی بنیاد پر جمہوری طریقے سے جو آوازیں اُٹھ رہی ہیں، ان کو دبا رہے ہیں۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور میں اس بجٹ کے خلاف بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔

(ختم شد)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion.

In the morning itself I raised a point of order and also an issue regarding the placement of the Statement of Expenditure and Receipts of Jammu and Kashmir for the financial year 2022-23 and having a discussion on the same day. That issue has already been discussed in the House. I also raised another technical objection and that is about Demands for Grants for Jammu and Kashmir. If we examine the Demands for Grants for Jammu and Kashmir, there are, in total, Demands starting from serial number 1 to 36, up to 'Cooperative Department'. But it is seen that Demand No. 5 is missing. We know that Demand No. 5 is in respect of the Union Territory of Ladakh. But when we omit one Demand from the serial list of Demands for Grants, then that should be re-serialised and corrected. But unfortunately, that has not been done. Demand No. 5 is missing from the list. The same is the position with respect to the Appropriation Bill for which I am seeking an explanation from the hon. Finance Minister.

Sir, with respect to the Demands for Grants, most of the hon. Members have spoken about it and I would not going into the details. The total allocation from the Central Government is Rs. 35,581.44 crore by way of Centre's Assistance, grants, and loans. This is the total amount that has been earmarked for the Union Territory of Jammu and Kashmir. This amount is Rs. 876.98 crore more than that of the previous financial year, 2021-22. That means, there has been a marginal increase in allocation that has been provided for strengthening and development of Union Territory of Jammu and Kashmir.

Sir, when article 370 was abrogated or the powers under article 370 had been limited by the constitutional provisions, it was a historic day, according to the Government, because it was done after so many decades. But that matter is still pending before the Supreme Court. The Constituent Assembly of Jammu and Kashmir has been described as the Legislative Assembly of the Jammu and Kashmir and since the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir is not in existence, taking advantage of that position, the Parliament has enacted a law by which the powers under article 370 have been limited or it has been abrogated. But that matter is pending before the Supreme Court.

I would like to know from the Government, especially from the hon. Finance Minister, what is the present status of Jammu and Kashmir before abrogation of article 370 and after abrogation of article 370. That has to be evaluated when we pass the Budget for the Union Territory of Jammu and Kashmir.

So many observations and criticisms are coming from various quarters. I urge upon the Government to issue a White Paper on the real status of Jammu and Kashmir pre-abrogation of article 370 and post-abrogation of article 370. That is the second point that I would like to make.

I would like to make another important point. The Government is always arguing about it. When Shri Amit Shah was piloting the Bill, at the time of the third reading or the passage of the Bill, I still remember that hon. Home Minister assured the House that after passing this Bill, definitely the industrial investment in the Kashmir Valley will be boosting up like anything and that many entrepreneurs like corporates are ready and willing to invest in the Kashmir Valley. We would like to

know how much investment has taken place so far in the Valley of Kashmir because if you examine the statistical data of industrial development, you may find that it is negligible. About the law and order situation, I do agree and it is being reported that there is a little bit of improvement. But as far as developmental processes are concerned, assurances were given by the Government on Jammu and Kashmir's development, especially, infrastructure development, industrial development and tourism sector development. But it is quite unfortunate to note that even after the abrogation of Article 370, that is, after three years, the development as promised by the Government has not taken place for which we are seeking clarifications from the hon. Minister.

As regards social development, it is a very important fact that mere economic development is not the aspiration of the people of a democracy. How are social as well as democratic aspirations of the people being protected? I do appreciate that the local body elections at the sarpanch level have taken place but the real democratic fabric of the State is the Statehood of Jammu and Kashmir.

Repeatedly the hon. Home Minister, Shri Amit Shah had assured the House that they will immediately bring back Statehood to Jammu and Kashmir when normalcy comes back. That means still, even after three years of the abrogation of Article 370, we are not able to bring back normalcy. It means that that is also an administrative failure on the part of the Presidential rule.

The Government is even claiming that they are able to contain the militancy and cross border terrorism; internal disturbances have come down; stone pelting has come down and the law and order situation has improved. But why are we not

able to declare Statehood to the Union Territory of Jammu and Kashmir and hold elections in the State Assembly? The Government is answerable to this question. That means normalcy has not come back even after three years.

So, I urge upon the Government to declare Statehood because the democratic aspirations of the people of a particular State is very important as far as their civil right is concerned. That civil right is not being conferred upon the people of Jammu and Kashmir. We know that the tradition, the culture and the social values and religious feelings have to be protected and there shall not be any discrimination. But there is still an apprehension that such a discrimination is there.

My suggestion is, the people of Jammu and Kashmir have to be taken into confidence in building the Union Territory of Jammu and Kashmir and Statehood has to be declared, the traditional belief and culture have to be protected. Mere economic development and industrial development do not serve the purpose so as to have prosperity of the State as a whole.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर बजट पर आज बहस चल रही है। जब जम्मू-कश्मीर का नाम ज़ेहन में आता है तो दो चित्र उभरकर आते हैं – एक, जिसमें हिन्दुस्तान का स्वर्ग और दूसरा, खूनखराबा। आज़ादी के बाद लम्बे समय तक देश में शासन करने वाले देश ने राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए जम्मू-कश्मीर के जो हालात बनाए, उसे देश जानता और समझता है। सरकार यह कह रही है कि जम्मू-कश्मीर में सतह पर विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

सभापति महोदय, केन्द्र की वर्तमान सरकार ने अपने सात वर्षों के शासन काल में जो सबसे अच्छा कार्य किया, वह जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाए गए अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के प्रावधानों को निरस्त करने का काम किया। अनुच्छेद 370 हटना ऐतिहासिक कदम था, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिन स्थितियों में सुधार की बात आप लोगों ने की, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? वहां पर स्कूलों का ढांचा विकसित करने और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए सरकार को वहां अभी और कार्य करने की जरूरत है। बादल फटने की सबसे ज्यादा घटनाएं जम्मू-कश्मीर और इसी इलाके में होती हैं। इसके लिए वहां डोपलर रेडार लगाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर के युवाओं को स्थाई रोजगार कैसे मिले, उसके लिए निर्धारित पॉलिसी लाने की जरूरत है। इस संबंध में बहुत बातें सदन के साथी सदस्यों ने कही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश की भावना जम्मू और कश्मीर के साथ है और वहां पर पूर्ण शांति बहाली कैसे हो, किस प्रकार जल्द से जल्द आतंकवाद का खात्मा हो, वहां के लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान हो, उस दिशा में सरकार को और भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे।

मेरी एक मांग है कि जम्मू और कश्मीर में मौसमी शिक्षक लगाए जाते हैं, जो गुर्जर, बकरवाल समाज से आते हैं। उन्हें 6 माह के स्थान पर 12 माह तक रखा जाए और उनकी पोस्टिंग उनके नजदीकी ब्लॉक में देकर वेतन को भी बढ़ाया जाए, ताकि इनके स्थाई रोजगार की व्यवस्था हो सके। जम्मू और कश्मीर में पुंछ – लोरन – सिब- सरा – मोलसर- बड़ा पत्थर-जमियावाली गली से चांगा मार्ग

की सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, मगर बजट के अभाव में इसका कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, 90 के दशक में कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में जम्मू और कश्मीर में जो जुल्म कश्मीरी पंडितों पर हुआ, उसको भुलाया नहीं जा सकता। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए पंडितों पर जुल्म होने दिए, तब इनकी आवाज तक नहीं आई और आज जब धारा 370 हटाई गई, तब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पूरा देश जानता है कि देश के विरोध में लोगों को भड़काने वाले नेताओं को किसने सुरक्षा दी? वे कौन लोग थे, जो जम्मू और कश्मीर की जनता के लिए भेजा जाने वाला बजट बांटकर हजम कर जाते थे? स्वर्ग जैसे कश्मीर में क्या हालत बना दी गई, कांग्रेस को यह बात भूलनी नहीं चाहिए।

महोदय, मैं एक मांग करूंगा कि अभी एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई है। मेरा निवेदन है कि इसको पूरे देश के अंदर टैक्स फ्री किया जाये, जिससे गरीब से गरीब आदमी इसको देख सके। जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए वनाधिकार कानून, 2006 को लागू करने के लिए आंदोलन चल रहा है। राज्य के आदिवासियों में करीब आधे खानाबदोश हैं। राज्य में 12 अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें से आठ लद्दाख और बाकी की चार कश्मीर और जम्मू क्षेत्र में हैं। इनकी आबादी में करीब 90 प्रतिशत गुर्जर, जो करीब 9 लाख हैं और बकरवाल, करीब दो लाख हैं। बकरवाल पूरी तरह खानाबदोश हैं। सामाजिक और आर्थिक पायदान पर वे सबसे नीचे हैं। सालों से उनके अस्तित्व के साधनों पर संकट मंडरा रहा है। राज्य में स्थायी तौर पर बसे लोगों से उन्हें चुनौती तो मिल ही रही है, साथ ही साथ उनके अस्तित्व के लिए जरूरी चारागाह भी साल दर साल तेजी से कम हो रहे हैं। कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार इस शताब्दी की शुरुआत से वर्ष 2014-15 के बीच राज्य 11,000 हेक्टेयर चारागाह खो चुका है। वर्ष 2014 में जारी भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि कानून, 2001 अथवा रोशनी कानूनी मामूली फीस के साथ सरकारी भूमि पर स्वामित्व प्रदान करता है। वर्ष 2000-01 में यह योजना शुरू होने के बाद 17,000 हेक्टेयर जमीन पर निजी स्वामित्व हो गया। खानाबदोशों की दिक्कतें यहीं खत्म नहीं होतीं, बल्कि भूमि और जल जैसे

प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के चलते भी उनका स्थायी निवासियों से संघर्ष हो रहा है। पशुओं को पानी पिलाने के लिए स्थानीय जल स्रोत पर ले जाने पर टकराव के हालात पैदा हो रहे हैं। अगर पशु खेत में घुस जाएं तो बवाल और बढ़ जाता है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर के बजट के साथ-साथ मैं दो मिनट का समय और लूंगा। सदन में आज वर्ष 2021-22 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा हो रही है। सरकार के बजट को लेकर विश्लेषण सहित कई बातों को माननीय साथी सदस्यों ने सदन में रखा। हमने भी उस बजट में भाग लिया था। वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच के तहत 3,73,761 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई थी। मैं अपनी बात किसानों के सामने आ रही समस्या से शुरू करूंगा। आपने उक्त मांगों में उर्वरक सब्सिडी के लिए 58,430 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की बात कही, लेकिन इस वर्ष फसलों की बुवाई से पहले डीएपी की भारी किल्लत और बुवाई के बाद यूरिया की भारी कमी से मेरे राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान जूझ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहां किसान डीएपी और यूरिया मांग रहे हैं। वहां किसानों पर लाठी चार्ज हुआ और खड़ की गोलियां भी चलाई गईं। सरकार को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान उनके बजट भाषण की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ेंगे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आप गैस कनेक्शन दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, लेकिन सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसे वह कैसे वहन कर पाएगा?

आप इसका भी जवाब दीजिए। अंतराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत देखें। ... (व्यवधान) सर, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, क्योंकि टाइम निकल जाएगा। कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, आप मुझे एकाध मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए।

वर्ष 2014 में एनडीए की सरकार के शुरुआत के समय के भाव देखकर तुलना करें तो हम पाएंगे कि भाव आसमान छू रहे हैं और इसका प्रत्यक्ष असर मंहगाई पर पड़ रहा है। सरकार को पेट्रोल, डीजल

और घरेलू गैस की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी आप चार राज्यों में जीत गए हैं तो इस खुशी में घोषणा कर दीजिए और तेल की कीमतें कम कर दीजिए। आप कम से कम 30, 40 या 50 रुपये कम कीजिए, तब जाकर देश के अंदर मैसेज जाएगा। आम आदमी तकलीफ में है।

महोदय, नदी जोड़ो परियोजना को गति देने के लिए 2021-22 की अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में 4,300 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी गई। आप नादियां जोड़ रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन पारम्परिक नदियों के बहाव क्षेत्र की जो हालात है, उसमें सुधार कैसे होगा? उस पर मंथन करने की जरूरत है। आज राजस्थान के लंबित अंतर्राज्यीय जल विवादों के निस्तारण में केंद्र गंभीरता से रुचि नहीं दिखा रहा है। मैं विगत महीनों से जुड़ा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि राजस्थान के नोहर में 200 के स्थान पर 30 क्यूसेक पानी छोड़ा गया क्योंकि हरियाणा ने नोहर फीडर में पानी की आवक अचानक घटा दी। इसका कारण यह था कि पंजाब से नोहर फीडर की माँग के क्रम में आवंटन पानी का नहीं दिया गया और इस कारण से किसानों की बारिया पीट गई...(व्यवधान)

सभापति महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा रेगिस्तानी भाग राजस्थान में ही स्थित है और पानी राज्य के हिस्से में देश में सबसे कम मात्रा में है।...(व्यवधान) सभापति महोदय, आप आसन पर बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि बोलने के लिए एक-दो मिनट एकस्ट्रा मिल जाएं।...(व्यवधान)

राज्य में कृषि व पशुपालन मूल व्यवसाय होने की वजह से यहां पानी की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि यहां सबसे कम वर्षा होने के साथ-साथ यहां का तापमान अधिक रहता है। सारे हालातों के बाद भी राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों का जल-विवाद अशोभनीय है। रावी-व्यास समझौते के अनुसार पंजाब द्वारा राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं देने, भरतपुर जिले में यमुना का पानी कम पहुँचने व अपर यमुना बोर्ड के निर्णय के क्रम में राजस्थान को उसके हिस्से का जल आवंटन नहीं होने जैसे विवादों के कारण राजस्थान को उसके हक का पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण

राजस्थान में आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, किसान बलिदान दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। सभापति महोदय इसमें भी केन्द्र हस्तक्षेप करे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, देश के ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं इनका ध्यान केन्द्र की सौभाग्य योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण योजना है। केन्द्र सरकार इसमें सारा पैसा देगी। देश में जितने भी गांव हैं, जहां लोग रहते हैं।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि उक्त योजना में विद्युतीकरण से वंचित आवासों को बिजली से जोड़ने के लिए दिनांक 13/07/2021 को भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 1022.40 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की। चूंकि, राजस्थान विस्तृत भू-भाग में फैला हुआ है, ऐसे में इस योजना में कार्य पूर्णता की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है, उसे बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 2022 तक की जाए ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर, जोधपुर, बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान में इस योजना के माध्यम से हजारों घर रोशन हो। मंत्री जी, आप इस बात पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो आपकी योजना कागजों में ही रह जाएगी।...(व्यवधान) फिर मैं आपसे मिलूंगा।

* **DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam.

In the year 1951, our revolutionary leader Dr. Ambedkar, among other reasons stated the Kashmir issue as one for resigning from the post of Law Minister. During that period, the total Budget of the country was just Rs. 350 crore. Out of this, more than 50 per cent, i.e. Rs 180 crore were allocated for defence sector. Our rivalry with Pakistan was the reason for spending a major share of our Budget for Defence during that period. The Kashmir issue was the bone of contention for our enmity with Pakistan. As a solution was not found for the Kashmir issue, we were forced to spend a lot on Defence. By saying this, Dr. Ambedkar also gave suggestions for finding a lasting solution to the Kashmir issue. The then Government did not accept the suggestions mooted by Dr. Ambedkar. That is why the Kashmir issue has been continuing for more than 70 years.

According to the present Government, the previous Governments had failed and hence this Government had come forward to abrogate Article 370 and take away the special status given to Kashmir. They said that this was done by the present Government with a view to benefit the people of Jammu and Kashmir. But there has been no Government that was run by the people of Jammu Kashmir in the State. The people of that area are still under the control of the Army. Today, our hon. Prime Minister is engaged in the mediation process between Russia and Ukraine. It is a matter of fun that without resolving the Kashmir issue we are trying to find a solution to an international issue in the world arena.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

The common man of Kashmir is not getting his basic amenities. Even government officials are put behind bars without any reason. It is not only violation of human rights; people do not enjoy civil rights. Even though this Government says that they are allocating funds to the Union Territory of Jammu Kashmir, there is no detailing of how the funds will be spent. There is no civil infrastructure in that territory. Without building the infrastructure how will you spend the allotted funds?

The Government says that elections will be held once the delimitation process is completed. There are some accusations against the Government that the delimitation process is being implemented in J&K with some political motives and in a biased manner. Therefore, I urge that this Government should come forward to find a solution to the Kashmir issue.

After claiming that Kashmir will be developed in a similar fashion like other parts of country, this Government is trying to make other parts of the country similar to Kashmir. By snatching away all the rights given to other States, this Government wishes to make them look like Kashmir. I wish to state that this Government is not concerned about finding a solution to Kashmir issue.

Thank you.

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon. Chairman Sir,
Vanakkam.

This Government has undone the special category status given to Jammu & Kashmir only to fulfill their dream project of “One Country, One Culture”. Dividing the State of Jammu and Kashmir into two territories is a huge Himalayan blunder.

It is an injustice faced by the State of Jammu and Kashmir. This act is unconstitutional and a ... ^{**} of democracy.

The reasons which they had stated here in this august House for dividing this State into two Union Territories have not been fulfilled. Still there exists a military rule.

There is no peace or freedom for the people of that State. There is no protection for them. Still, they are kept under house arrest. Even the media persons do not enjoy freedom.

In such an oppressive situation, this Government wishes to portray that normalcy prevails in that State. This is against the truth.

If as they say normalcy prevails in that area, I wish to put a demand to the Government that a delegation comprising MPs, particularly from the opposition, should be sent immediately to those Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh to assess the situation.

A delegation of MPs visited these places under the chairmanship of the then Home Minister Shri P. Chidambaram in September, 2010. I was also a part of that

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

** Not recorded

delegation. Therefore, I urge that such a Delegation of MPs should be sent immediately to Jammu & Kashmir and Ladakh. This delegation of MPs should be allowed to meet and talk to people directly. I also request that such a delegation of MPs should be constituted soon.

This Government should come forward to conduct a referendum among the people of that area. Let the people say through that referendum that this division of the State is required for the social, economic and industrial development of that area and for providing basic amenities to the people.

If they say so, let this situation be continued. Otherwise as per the wishes of the people, Jammu & Kashmir should retain its Statehood. As per the Article 370 of the Constitution people should be given a special category status.

Jammu & Kashmir State was attached to this country on one condition. They wanted to be a part of this country on the basis of that condition. Their special category status should never be affected in any situation was the condition put forth by them.

If they had desired so, they could have well gone with Pakistan. They did not go with Pakistan. On the basis of trust, they joined us. That trust is broken now.

Their special category status has been snatched away. I wish to once again state that this action of the Government is unconstitutional. Therefore, you should give up your undemocratic dream project of creating "One Country, One Culture".

You should try to run India as one, run by Indians. You should try hard to foster unity and integrity among Indians. You should never engage in making a divide between Hindus and non-Hindus.

You should not also divide Hindus as upper and lower castes. The divide and rule policy of this Government is unconstitutional and undemocratic. Therefore, I strongly condemn this attitude of this Government at this point.

I urge that the State of Jammu & Kashmir should retain its statehood.

Thank you for this opportunity.

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Thank you, Sir. I want to start with a quote of Rahat Indori:

अभी गनीमत है सब्र मेरा,
अभी लबालब भरा नहीं हूं।
वो मुझको मुर्दा समझ रहा है,
उसे कहो मैं मरा नहीं हूं।

वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी,
है उसकी आदत, डरा रहा है,
है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं।

सभापति महोदय, वर्ष 2019 में आर्टिकल-370 हटा दिया गया था, यह सोचकर कि इससे जम्मू कश्मीर का भला होगा, जम्मू कश्मीर मेनस्ट्रीम में आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में विकास का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा? अभी ये जो बजट लेकर आए, आपने जो बजट पेश किया, इस बजट में हेल्थ सेक्टर में 5.47 की डिग्रीज है। अगर जम्मू कश्मीर में विकास की जरूरत है, अगर जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर में विकास करना है, तो वहां 5.47 की डिग्रीज क्यों है? लोक निर्माण विभाग – पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स में 6.90 की डिग्रीज है।

सभापति महोदय, यूपीए के शासन में जो जम्मू-श्रीनगर हाईवे का काम शुरू हुआ था, वह अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। वहां इतना विकास हुआ है। जुगल किशोर जी ने बताया था कि वहां कैजुअल वर्कर्स रेगुलराइजेशन मांग रहे हैं, यह सच बात है। Now, 60,000 casual workers are fighting for regularisation of their jobs. यहां पंचायती राज का जो जिक्र हुआ, पंचायती राज के लिए वर्ष 2021-22 में जो पैसा दिया गया था, अभी तक उसका 30 फीसदी भी खर्चा नहीं हुआ है। अर्बन-लोकल बॉडी के लिए जो पैसा दिया गया, उसका 50 फीसदी खर्चा नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर की यह हालत है। अगर इतना विकास हुआ है, इतना काम हुआ है, तो ये लोग चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? इतना विकास होने से तो जम्मू कश्मीर के लोग इनको

वोट डालेंगे। ये लोग डीलिमिटेशन की बात बोलते हैं। अभी डीलिमिटेशन कमीशन का जो नियम है, उसमें सांसद का भी रीप्रेजेंटेशन रहता है और विधान सभा का भी रीप्रेजेंटेशन रहता है। अभी जो डीलिमिटेशन हो रहा है, उसमें विधान सभा का कोई रीप्रेजेंटेशन नहीं है। यहां गृह मंत्री जी ने बोला था कि वे उस यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? उन्होंने बोला था कि 70 साल नहीं लगेंगे। लेकिन अब दो साल हो चुके हैं, अभी तक उसका जिक्र नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, इन लोगों को जब सुविधा होती है, तो ये अब्दुल्ला जी के साथ सरकार बनाते हैं, तब अब्दुल्ला जी अच्छे हैं? कभी मुफ्ती साहब के साथ सरकार बनाते हैं, तब वे अच्छे हैं? यह आदत बीजेपी की ही नहीं है, उनके फाउंडर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी अनडिवाइडेड बंगाल में श्री फजलुल हक की मिनिस्ट्री में मंत्री रहे। ऐसा क्यों था? तब उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया था। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्री फजलुल हक की मिनिस्ट्री में मंत्री थे।

माननीय सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अब्दुल खालेक: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए यदि हम ट्राइबल मिनिस्ट्री का बजट देखें, तो यह कम भी नहीं किया गया और बढ़ाया भी नहीं गया। मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पॉवरमेंट कमेटी की विजिट पर गया था। मैंने वहां देखा कि यूपीए के समय में जो एकलव्य मॉडल स्कूल शुरू होना था, उसका काम फिनिश नहीं हुआ।

यह काम कब तक पूरा होगा? धारा-370 हटने के बाद 70 केंद्रीय मंत्रियों ने वहां विजिट किया। वहां दो सौ करोड़ रुपये से कम का खर्च नहीं हुआ होगा। मंत्रियों के केवल विजिट करने से कुछ नहीं होगा।

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री अब्दुल खालेक: वहां विकास करना होगा। यह बात ठीक है कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन नफरत की बात दिखाने से क्या होगा? कल यदि कोई असम में वर्ष 1983 में जो कत्लेआम हुआ था, उसके ऊपर कोई मूवी बनाएगा या गोधरा पर कोई मूवी बनाएगा, उससे सोसाइटी में ज्यादा नफरत फैलेगी। ऐसा करके किसी का फायदा नहीं होगा।

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

श्री अब्दुल खालेक : महोदय, हमने बांग्लादेश का जो गोल्डन जुबली सैलिब्रेशन किया, इसके लिए इंदिरा जी को धन्यवाद देना चाहिए था।... (व्यवधान) ...*

श्री मलूक नागर (बिजनौर): महोदय, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कांग्रेस के साथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर रहे हैं, धारा-370 की बात कर रहे हैं। यदि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात करेंगे तो कांस्टीट्यूशन असेम्बली के समय जाना पड़ेगा, जब कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में पास करके सदन में चर्चा नहीं कराती थी। यदि बात जम्मू-कश्मीर की हो रही है, तो बीजेपी वालों को ज्यादा मजबूत करने की पूरी जिम्मेदारी आपको जाती है और लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। आपको विरोध करना है, चाहे कितना भी बढ़िया काम कर दो केवल विरोध करना है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। लोगों में मैसेज यह जाता है कि कांग्रेस के दिमाग का दिवाला निकल गया, ये तो बगैर मतलब की... * करते हैं और खड़े होकर विरोध ही करते हैं, विरोध ही करते हैं, केवल विरोध ही करते हैं।... (व्यवधान)

महोदय, यदि कोई शब्द आपत्तिजनक निकला है, जिस पर आपत्ति है, तो मैं उसे वापस लेता हूँ।

HON. CHAIRPERSON : Malookji, please make your point. Time is very short.

... (Interruptions)

श्री मलूक नागर : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। यदि सच में विश्व के आज के हालात को देखते हुए आज भी हम सभी संसद सदस्य धारा 370 की बात करेंगे और पिछले साल की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में विपक्ष खत्म हो जाएगा और ये अपनी मर्जी से जो चाहे करेंगे। इसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। असलियत में हमें अच्छी चीजों की शुरुआत करनी चाहिए और अच्छी चीजों पर बात रखनी चाहिए। जो सरकार अच्छे काम करे, उसकी यदि अच्छाई या तारीफ न

* Not recorded

करें तो खड़े होकर कम से कम बिना मतलब का विरोध मत करो, जिससे कि पूरा विश्व हमारी तरफ संशय की नजर से देखे। आज यदि कोई पिक्चर 'द कश्मीर फाइल्स' आई है, जिसके बारे में हमारे साथी हनुमान बेनीवाल जी ने भी कहा है। पहले उस डायरेक्टर के पिछले 25 साल के अनुभव को स्टडी करो, उसकी पिछली फिल्मों को देखो। वह चार-पांच साल उस विषय पर रिसर्च करता है और हर क्लिप को उठाकर ज्यों की त्यों अपनी स्टोरी में पिक्चराइज करके रिलीज करते हैं। मैं मांग करता हूं कि इस तरह की पिक्चरों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स फ्री करना चाहिए।

महोदय, यदि जम्मू-कश्मीर को खुशहाल देखना चाहते हैं और जम्मू-कश्मीर को ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं कि यदि कोई धारा-370 की बात करे तो लोग उस पर टूट कर पड़ें, तो जम्मू-कश्मीर में जाकर उसकी पूरी स्टडी करनी पड़ेगी और जम्मू-कश्मीर की पाकिस्तान से लगी पूरी बाउंडरी से लेकर जो इंटिरियर का इलाका है, उसे देखना पड़ेगा।... (व्यवधान)

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। अभी मेरे साथी श्री हनुमान बेनीवाल जी ने बोला है कि वहां के गुज्जर, बक्करवाल, जो देश के लिए लड़ते हैं, जो अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उनकी सुविधा भी देखनी पड़ेगी, उनके लिए एस.ई.जेड. बनाना पड़ेगा। उनका काम गाय, बकरी, भैंसों का है, इसीलिए उन्हें बक्करवाल कहते हैं। उनके जो मौसमी टीचर 6 महीने के लिए होते हैं, उनकी अवधि 1 साल की होनी चाहिए। पिछले दिनों जो तोड़फोड़ हुई थी, उसमें कानूनी प्रक्रिया अधिनियम-2006 को अपनाकर, उन्हें सुविधा दी जानी चाहिए।

सर, जम्मू-कश्मीर के जो गुज्जर, बक्करवाल हैं, उनकी गुज्जरी भाषा को भी मान्यता दी जाए। उनका खान-पान, रहन-सहन बिल्कुल अलग है। ये करीब 29.4 प्रतिशत हैं। अगर इनको ठीक कर दिया गया, तो जम्मू-कश्मीर की सारी चीजें स्वतः ठीक हो जाएंगी तथा धारा-370 पर जो भी चर्चा करेगा, लोग उसका वहीं इलाज कर देंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : चेयरमैन सर, मेरे ख्याल से कई बार भाषा की समझ वाली समस्या आ जाती है। आप चेयर पर विराजमान हैं। यहां पर बहुत सीनियर एमपीज बैठे हुए हैं। अगर इस हाउस में भाषा की मर्यादा नहीं रहेगी, तो यह ठीक बात नहीं है। पूरी दुनिया हमें देख रही है। हम ...* शब्द यूज कर रहे हैं। यह पार्लियामेंट कहां तक गिरेगा? इसकी भाषा की गिरावट कहां तक जाएगी? मैं खास तौर पर पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की खास तौर पर पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह के शब्द सदन में यूज करने हैं और किस तरह के शब्द यूज नहीं करने हैं।

HON. CHAIRPERSON: If any Member has used unparliamentary word, that will be removed immediately.

श्री रवनीत सिंह : सर, मैं होम कमेटी में हूं, इसलिए मुझे कश्मीर जाने का मौका मिला। बहुत विस्तार से सब-कुछ रखा गया है, लेकिन दो-तीन चीजें, जो वहां पर रिप्रेजेंट की गई थीं, खासतौर पर हाउस बोट वालों ने की थीं, जिनकी छोटी-छोटी बातें थीं। उसके लिए वहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चूंकि वे पुराने हो गए हैं, इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं। उसके लिए उन्हें लकड़ी आदि की छोटी-छोटी मदद की आवश्यकता है, जिससे वे दोबारा अपनी हाउस बोट चला सकें।

दूसरा, वहां पर हैंडलूमस और हैंडीक्राफ्ट के इकोनॉमिक जोन्स को जरूर कोई बेनिफिट दिया जाए, ताकि वे दोबारा चल सकें, क्योंकि वे दुनिया भर में मशहूर हैं। वहां की शॉल्स आदि पूरी दुनिया में मशहूर हैं।

सर, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस बहुत अधिक हैं। सेंट्रल फोर्सेस का खर्चा काफी अधिक है। यह ठीक है कि आप काफी खर्चा वहन करते हैं, लेकिन जो 10 परसेंट खर्चा है, वह स्टेट के ऊपर पड़ता है। धारा-370 के बाद वहां पर और अधिक सिक्योरिटी लगाने की जरूरत पड़ी है। यह तो देशहित का काम है, इसलिए जम्मू-कश्मीर सरकार बार-बार यह रिक्वेस्ट करती है कि इस खर्चे का बोझ हम नहीं उठा सकते हैं। अतः इसके लिए हमारी जो सेंट्रल फोर्सेस जैसे

* Not recorded

सीआरपीएफ, बीएसफ, सीआईएसएफ आदि हैं, उनका खर्चा जम्मू-कश्मीर सरकार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां के लोगों हेतु जिन स्कीम्स के अंतर्गत हम पैसा देते हैं, तो इसमें उनका काफी पैसा खर्च हो जाता है। इसका व्यय केन्द्र सरकार को उठाना चाहिए।

अंत में, हमारी जो भी केन्द्रीय स्कीम्स हैं, चाहे जल-शक्ति प्रोग्राम हो, जल-जीवन मिशन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड हो, रिहैबिलिटेशन एंड कन्स्ट्रक्शन हो, पावर डेवलपमेंट हो, सिविल एविएशन हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इन सेंट्रल स्कीम्स का पैसा 27 अक्टूबर, 2021 से रुका हुआ है, क्योंकि कोविड के दौरान वे आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सके। खासतौर पर मनरेगा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कितना हिस्टॉरिकल फॉल्ट मनरेगा में हुआ है। इतना पैसा इसके लिए वहां गया है, उसके बावजूद भी उसमें कई चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करने में कमी हुई है। इसको जरूर देखना चाहिए।

मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडितों की बात बहुत दुखदायी है, हमने पंजाब में भी यह देखा है, कश्मीरी पंडितों के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर बहुत कुछ कर रही है, लेकिन असली बात यह है कि कश्मीरी पंडित वहाँ से आ चुका है। ठीक है, उनके लिए उनके घर, उनकी जमीन, दोबारा उन्हें वहाँ भेजना भी चाहिए, लेकिन मैडम, आज उस स्टेट में अगर कोई माइनोरिटी बची है, तो वे सिख हैं। अगर आप चाहते हैं कि वह माइनोरिटी वहाँ रहे, पीछे सिखों के ऊपर हमले भी हुए हैं, तो जरूर स्पेशल उनके लिए दो बटालियन सिखों की वहाँ खड़ी करनी चाहिए। उसके लिए खास बजट दिया जाए ताकि वह माइनोरिटी सिखों की जम्मू-कश्मीर में रहे। पिछले समय में वहाँ उनके ऊपर अटैक हुए हैं, चाहे वे टीचर थे, मैं उन्हें मिलने भी गया था, वहाँ एक दहशत का माहौल है। हम दोबारा कश्मीरी पंडितों की तरह सिखों के लिए भी वहाँ पर दरवाजे खोलें और इसलिए सिखों के लिए खास स्कीम लाई जाएं। वहाँ पर फौज की दो बटालियन या पैरामिलिट्री फोर्स की दो बटालियन वहाँ खड़ी करनी चाहिए।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you, Sir. Since 2 o'clock, there has been a very interesting discussion. Several hon. Members have gone into great detail in talking about the Jammu and Kashmir Budget. A total of about 22 hon. Members have participated in this discussion and I am very grateful to all of them.

However, to start with, I would like to highlight that today the discussion was to be on four different items. They are listed here – Supplementary Demands for Grants for Government of India for the year ending March, 2022; Supplementary Demands for Grants for Jammu and Kashmir for the year ending March, 2022; Jammu and Kashmir Budget for the year 2022-23; and, Demands for Excess Grants of the Government of India which pertain to the year 2018-19. So, my reply, with your permission, is for all the four, in a way.*(Interruptions)*

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: As per the directions of the hon. Speaker, only Item nos. 24 to 26 should have been taken together.*(Interruptions)*

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Chairperson, Sir, with your permission, Item no.28 relates to the Demands for Excess Grants of 2018-19. It is for the Government of India. That is listed today and, therefore, it is discussed and the reply is also for that.

HON. CHAIRPERSON: Yes, it is listed today.

....*(Interruptions)*

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : It should come on record because it is directed that only Item nos.23 to 26 should be taken up.*(Interruptions)*

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: May I add, with the permission of the hon. Chairperson, if you are referring to that particular footnote, it states, in case sl.no.

23 is adopted, we should take up Item nos. 24 to 26. But Item nos. 27 and 28 are also listed here on which the reply is being given.

So, all the four are being taken up and that is why, for clarity sake, I start my reply saying that there are four items for which today's discussion has happened, and all the four are being taken up in my reply, which is, I repeat, Supplementary Demands for Grants of Government of India for the year ending March, 2022; Supplementary Demands for Grants for Jammu and Kashmir for the year ending March, 2022; Jammu and Kashmir Budget for the year 2022-23, which is the coming year; and, Demands for Excess Grants for Government of India for the year 2018-19, because of some audit related issues.

18.49 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

Thank you, hon. Speaker, Sir. I will start by giving a small explanation regarding the points which Shri N. K. Premachandran raised in the morning – what the hurry is, why we have to do this, why not, etc. I understand his genuine concern. I also appreciate that it is a genuine concern and if we had given more time, there could have been more meaningful participation.

However, with the dates being what they are and some of the Supplementary Demands for Grants, unless they are released before 31st March, 2022, we will be having a problem. Although effectively from 1st April, the new Budget also comes into play and for that also, the House has to clear it before that, but particularly for Supplementary Demands for Grants, I have a little problem in that. It has to get cleared and I still will have to go through the necessary procedure of compliance and also seek the clearance. At least, four, five or six

days will pass before I can even get that Supplementary Demand released before 31st March. So, there has been this sense of urgency because of which, hon. Speaker, Sir, you have been kind enough to allow us to put the motion before the House and the explanation is, therefore, due.

Sir, with that explanation, I just want to move on to the largely debated matter. Although the four things were listed and four things are being discussed, maybe one or two hon. Members spoke about the other items, but genuinely and naturally, understandably, the discussions pertained to matters related to Jammu and Kashmir Budget.

So, first of all, after the removal of Article 370, I want to say that 890 Central laws have now become applicable to Jammu and Kashmir. There are very many hon. Members who asked what the difference is or what happened. I heard hon. Member, Shri Masoodi feeling very emotional about the fact about what had happened and why this happened and that when the matter is in the court, we should not be executing it. Sir, what was denied to the people of Jammu and Kashmir for over 70 years, they are getting it now. Even one of the last speakers, Shri Nagarji was referring to Bakkarwals and SCs and people of that community and asked whether we will be giving them their rights. They were denied rights for 70 years and removal of Article 370 is the one which gives us now the equipment to be able to serve them.

I have heard stories of how after the accession, Valmiki were taken from Punjab and Haryana because they were needed. I hate to say it and I have a sense of shivering within me when I am saying this that they were taken because

they wanted to have them do all the public service. ... (*Interruptions*) Yes. I thought the professor would be very well informed of these sorts of things. Sir, they were taken with a promise that they were going to be a part of the public service. Being taken there, what the rest of the Valmikis in this country had been given by Dr. Ambedkar who gave the Constitution with that sensitivity, did not get those rights which rest of the country's Valmikis got, but not those in Jammu and Kashmir. So, I am very grateful to hon. Member, Shri Nagar who raised it. उनको हक मिलेगा। अभी जरूर मिल रहा है। धारा 370 हटाने के बाद उनको हक मिल रहा है। The removal of Article 370 has enabled that which Dr. Ambedkar has given for the rest of the country for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; it is now available for them, not when Article 370 was in prevalence.

Sir, 890 Central laws, which this august House has, over the decades, discussed have never been applied to Jammu and Kashmir. So, they have become applicable. Unjust and discriminatory laws – again, that is very important to bring in parity – were removed. They existed there under Article 370. I just cannot believe that in this country, repeatedly a lot of Members, with a sense of mocking in their tone, saying that this country has 'एक निशान, एक विधान'. It was a *naara*, it was a slogan with a lot of feeling. This country cannot have two symbols, two Prime Ministers and two Constitutions when we have a Constitution which we respect and we revere. We know the kind of people who have given Constitution to us and, every time, we all respectfully raise the name of Dr. Ambedkar.

If the Constitution given by Dr. Ambedkar is so valuable for the rest of the country, is it not valuable to J&K? There are several Members who asked us this

question. But not a voice was raised as to why we are not being allowed to remove article 370 which is not allowing us to adopt the Constitution given by Dr. Ambedkar in J&K? वह आवाज़ कभी सुनने में नहीं आई। अभी आर्टिकल-370 हटने के बाद पूछ रहे हैं कि क्यों हटाना था क्या? Removal was necessary. It was delayed. I am grateful that as per the repeated manifesto promise of Bharatiya Janata Party, we have fulfilled that promise made to the people of this country.

It is only after that that Dr. Ambedkar's dream is coming true even to the people of Jammu & Kashmir. Unjust laws have been removed; 890 Central laws are reaching them. They did not even have a Human Rights Commission. Till that time, a lot of noise was made and the Supreme Court had to comment on it. Women Commission was not there; SC/ST Commission was not there. So, is this justice or not now? Two-hundred-fifty State laws have been repealed; 130 State laws have been modified. So much of change had to be done to even get them at par with the rest of the country. For 70 years that parity was not there. Now, a whole lot of financial reforms have also been taking place.

I heard Ravneet Singh Ji talking about MGNREGA, and what is happening under it. A sum of Rs. 1,727 crore has been devolved under MGNREGA to J&K. There are 73rd and 74th amendments, Panchayati Raj related amendments, about which we constantly hear the Congress Party saying that Shri Rajiv Gandhi brought it in. I agree. But you did not care to have that brought in J&K. As a result, now, when it has come into J&K, 27 functions have been transferred to the PRIs, and seven departments have been transferred to urban local bodies. It was not there earlier whereas rest of the country was enjoying it. Several financial reforms

have also been taking place. I will get into the details of the number of projects a little later. I just wanted to put the context before you. I just wanted to also highlight the fact that the larger interest of J&K has been well addressed after the removal of article 370.

I will specifically address the issues related to the budget and the budgetary proposals because a lot of hon. Members have raised questions on it. I will particularly start with Shri Manish Tewari who asked about employment, and whether employment figures are improving in J&K or not. I will very quickly give you the figures and get into specifics.

As per CMIE, which monitors the Indian economy, at the end of February, unemployment rate which was 22 per cent years ago has come down to 13.2 per cent. I will just quickly tell you in 2016 it was 20 per cent; in 2017 it was 13 per cent; in 2018 it came down to 12 per cent; in 2019 it went up slightly to 16 per cent; in 2020 it reached 14 per cent; and in 2021, as a whole, it has come down to 15 per cent but at the end of February, it further came down to 13.2 per cent. This is not something which can go unnoticed that the number of unemployed persons was far higher than what it is today. ... (*Interruptions*)

I will give you some of the figures which will be important to understand the levels of newer employments which have been created. In the last one-and-a-half years, 11,000 appointments have been made in various Government Departments in a fair and transparent manner. I will let you know later as to why I need to add the line 'fair and transparent manner' here.

19.00 hrs

Sir, children from disadvantaged and poorer sections have secured jobs on the basis of merit, turning their dreams into reality. That is one thing which has to be noticed in this recruitment process being transparent. That is the benefit which has reached the people from disadvantaged sections.

Sir, 20,322 posts at various levels have been identified and refereed to the J&K Service Selection Board for recruitment. The process has already commenced. Besides this, 1,850 appointments have been made in J&K Bank alone at various levels in a fair and transparent manner again. As many as 1,37,870 youths have been provided assistance in their entrepreneurial ventures under various self-employment schemes and programmes. This is simply only in terms of employment opportunities in J&K.

We also have heard a lot of hon. Members rightly say unless tourism improves and people start going to J&K, it will not create opportunities for employment because after all J&K is very well-known for tourism. I was glad to hear a lot of hon. Members who have visited J&K post Article 370 being removed, and have seen what is prevailing there on their own. I would like to say the highest tourist footfall of 50,33,966 is recorded. That many number of tourists visited J&K Between October 2021 and January, 2022. So, just before the onset of Chillai Kallan, as you call in J&K, between October 2021 and January, 2022, 50,33,966 is the number of tourists who have reached J&K. During December, 2021 alone, and I am talking of the Valley specifically and not Jammu or where there could be

pilgrim tourists, 1.43 lakh tourists visited the Valley alone. That is the highest number in the last seven years.

So, that would not have been possible if the environment was not conducive. Therefore, the impact on hotel occupation and also the tourist operators and everything else is there for all of us to see. There are figures available since August 2021. I do not want to take the hon. House's time on it, but I shall certainly put that on the Table of the House.

There were also questions asked about the investments in J&K. You said only locally resident people are putting money, and nothing is coming from abroad or from the rest of the country. I will just give you how the investor-friendly J&K campaign has paid off. In that, the Government's outlay itself was Rs. 28,400 crore under the new Central Sector Scheme for industrial development in J&K. Investment proposals worth Rs. 44,177 crore have already been received. Employment potential from that is 1.80 lakh. Land for the projects worth Rs. 14,000 crore has already been approved. Out of this, Rs. 5000 crore is for Kashmir division and Rs. 9,000 crore is for the Jammu division. I want this to be placed here and most of these is from the people outside of J&K. So, investment is being attracted and they are coming. There need not be questions which go without any answer. Certainly, these are the kind of figures.

Speed, efficiency and the quality with which developmental projects are getting completed, I certainly want to highlight that. In 2018-19, 9,229 projects were completed. In 2019-20, 12,637 projects were completed. In 2020-21, 21,943 projects got completed. In 2021-22, which is ending this March, 40,000 projects

are being completed and some of them will be completed by the end of March this year. So, that is the difference and the speed with which projects are getting completed.

Now, registration has been brought under the Jammu and Kashmir Public Service Guarantee Act, and as a result since 2019, 1,44,200 registrations have happened and the value of this is Rs. 775.93 crore. So, figures are available. It has all been distributed. So, as for the doubts that are in the minds of hon. MPs about whether it is actually happening, yes, it is happening. The figures are there and they speak for themselves.

There was this concern -- and it is all right -- about terrorism is still on, there is no difference and that is why you are clamping down. I want to give them the true picture : 229 incidents were reported in the year 2021 as against 244 in 2020. There is a 33 per cent drop in the number of police and security personnel martyred from 63 in 2020 to 42 in 2021.

There is a 32 per cent decline in terrorist recruitments. In 2021, 112 youths joined terrorist ranks as against 164 in 2020. Out of those 112 newly recruited terrorists, 72 are eliminated and 22 arrested within a very short span. So, containing terrorists' recruitment and if they are already recruited and they are active, then arresting and eliminating them has also been the highest now.

There is a 33 per cent decrease in infiltration. 34 net infiltrations took place in 2021 and the corresponding figure for 2020 was 51. So, from 51 in a year it has come down to 34.

This is very important. There is a 90 per cent decrease in ceasefire violation; 98 incidents were reported in 2021 as against 937 a year before. It is a drastic difference in the way in which things are improving.

Now, we all read in newspapers about drones coming into J&K. Do we detect them or not? Do they have a payload, etc.? Twelve incidents of weapon payload dropped by drones were reported in 2021. Many of these drops were successfully intercepted by our security forces. So, they were not allowed to drop and do damage as they were intercepted. Seizure of large quantity of arms, ammunition and explosives, and arrest of terror associates have all taken place. So, there is a significant difference in the way in which terrorists are being contained and damage is not being allowed because interception is happening at the right time.

Sir, as regards business loss, again hon. Member, Shri Manish Tewari, while talking about it said that a lot of businesses have lost because of pandemic or because they were not allowed to do their businesses. I just want to highlight that Rs. 1,353 crore have been given as economic revival package by Prime Minister Modi for J&K post 370 removal, and Rs. 750 crore have already been provided to 3.44 lakh account holders as five per cent interest subvention so that their businesses can be carried forward. Besides, 50 per cent waiver is given for six months on their electricity charges and water charges, and that waiver has also been completely cleared.

When we say waiver, they do not pay and the Government pays. It is not as we got to hear in some areas that वेवर के लिए प्रॉमिस करते हैं, वेवर करा देते हैं, मगर पावर

सप्लाई करने वाले का पैसा भरते नहीं हैं। I probably even win votes by saying, “I will give you waiver of electricity, give me votes”, and I will give it when I come to power. They probably allow it. But neither the people who consume electricity nor the Government pays for it whereas here, the Government has ensured six months of waiver and the same has been provided for in the Budget

Repeatedly, we have heard quite a lot of people questioning the Budget's larger component, a significant portion of the Budget is only going to the Home Ministry and so, nothing is reaching the people of J&K. That is not true. Sir, Rs.10,831 crore, which is almost ten per cent of the total Budget is what has been spent on the Home Ministry and the security-related matters, and not 63 or 73 per cent as was pointed out by many people. I would like to correct that figure.

Similarly, the Government of India grant under the MHA to J&K is Rs.35,581.44 crore for this forthcoming year, 2022-23 as against Rs.30,747 crore in the current year, 2021-22. So, that is the grant that goes towards activities in J&K, and in that, 15.69 per cent increase is provided within one year. So, that is not going for security purposes but that is actually the grant given for activities in the State. So, we need to differentiate between the two, and then say, it is all going to the Home Ministry because the money is for security. No. For security, I have given you a figure; and separately, the grant which goes for the development of the State.

Broadly, there was a question on connectivity in J&K. Is it actually improving? What is the kind of things which are happening there? On the connectivity, based on the status of infrastructure projects, I just want to give a

comparison between what was the situation prior to 2019 and what is it currently. As far as road length is concerned, it was 39,345 km. prior to 2019; now, it is 41,141 km. post-Article 370 removal. About percentage of BT roads, prior to 2019, it was 66 per cent; now, it is 74 per cent. About the average of macadamization of roads, earlier it was 6.54 km. per day; now, it is 20.68 km. per day. Where is 6.54 km. and where is 20 km.?

There was no provision or scheme at all for repairing potholes in the roads before 2019. Now, a pothole-free road programme has been initiated and the target for 2021-22, which would be completed now, is to make 5,900 km. of effective roads totally pothole-free. So, movement within Kashmir is going to be far better. In that, 5,900 km., 4,600 km. work is already completed. ... (*Interruptions*)

Under the *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)*, road length achieved in a year, prior to 2019, 1,622 km. is what they did in a year under the PMGSY; now, it is 2,127 km. in a year. पीएमजीएसवाई, नेशनल लेवल रैंकिंग में वर्ष 2019 से पहले 12वीं रैंकिंग पर थे, अभी फोर्थ रैंक पर हैं। जम्मू से डोडा ट्रैवलिंग टाइम, वर्ष 2019 से पहले इसमें साढ़े पांच घंटे लगते थे, अभी साढ़े तीन घंटे लगते हैं। इसमें दो घंटे की बचत हुई है। जम्मू-कश्मीर से किश्तवार का ट्रैवलिंग टाइम वर्ष 2019 से पहले साढ़े सात घंटे लगता था, अभी केवल 5 घंटे लगते हैं। The Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link Project missed several deadlines before 2019. अभी कम्प्लीशन की टारगेट डेट इस साल सितम्बर, 2022 में पूरी हो जाएगी। There are other things on connectivity. सिर्फ तीन चीजें आपके सामने रख रही हूँ। Four national highway projects are being completed during 2022. Execution of Delhi-Amritsar-Katra Expressway is being taken up. Under Bharatmala, the

projects of ten new roads which are also tunnel roads have already been approved by the Ministry of Road Transport and Highways.

मेरे सामने सिर्फ डाटा है, जिसे मैं जरूर रखना चाहती हूं। इसकी ऑलरेडी पिक्चर बता दी है। सीज फॉयर वायलेनशन सबसे ज्यादा 2017 में 971, उससे पहले 2014 में 583, 2013 में 347, जब 100 की संख्या में सीज फॉयर वायलेशन होता था। अभी 2021 में 666 हुआ, मगर उसमें एक भी सिविलियन की मौत नहीं हुई। सिर्फ दो सिविलियन घायल हुए, मगर कोई भी मरा नहीं। इनफिल्ट्रेशन का नम्बर पहले 2489, 277 और 419 था। वर्ष 2021 में सिर्फ 77 इनफिल्ट्रेशन हुआ, उसमें 12 लोगों को मार दिया गया। कुल मिलाकर नेट इनफिल्ट्रेशन आखिर 34 ही हुआ, बाकी समय नाइन्टिज में नम्बर था। मैं हरेक साल का फिगर अभी नहीं पढ़ रही हूं। लॉ एंड आर्डर के बारे में एक विषय रखना चाहती हूं। हर समर में स्टोन पेलटिंग के बारे में हम बहुत दुख से सुनते थे। There were 2794 stone pelting incidents in 2010, 2888 stone pelting incidents in 2012, and 1596 stone pelting incidents in 2013.

सर, वर्ष 2021 में यह आंकड़ा केवल 173 है। उसमें क्या कोई सिविलियन मरा? नहीं, एक भी सिविलियन नहीं मरा बल्कि घायल 48 हुए। क्या सिक्युरिटी फोर्सेज में कोई मरा, नहीं, कोई सिक्युरिटी फोर्सेज में स्टोन पेलटिंग की वजह से शहीद नहीं हुआ। क्या सिक्युरिटी फोर्स में कोई इनजर्ड है? हां, 30 लोग घायल हुए हैं।

जब वर्ष 2010 में 5188 सिक्युरिटी पर्सनल घायल हुआ करते थे, पांच हजार की संख्या में घायल होते थे, लेकिन अभी सिर्फ 30 लोग घायल हुए। कश्मीरी हिन्दुज की हालात 19 जनवरी, 1990 की तारीख को, अगर मैं ठीक से याद कर पा रही हूं। हम लोग हर साल दुख के साथ इस बात को याद करते हैं। लोग इतने भयभीत होकर बाहर चले आए। हमने उनके लिए क्या वायदा किया, मगर उनके लिया क्या किया, इस बारे में सभी लोगों ने प्रश्न पूछा था। I will just give you the specific details. 1025 transit accommodations have already been completed for Kashmiri Hindus and Kashmiri Pandits in Kashmir itself in the valley. 1,488 units are at

different stages of construction, and work on 2,744 units has already been initiated. 4,678 posts for Kashmiri Pandits have been filled in Kashmir Valley itself. जॉब्स में 4678 लोगों को भर्ती किया गया। Cash assistance and food grains are also provided as relief to such people who have been given these units of accommodation and transit accommodation. कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों पर प्रश्न पूछने वाले सब लोगों को हम वादा करते हैं कि हम अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे।

रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत चर्चा हुई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों है? मसूदी साहब जी ने इस बारे में प्रश्न उठाया। The revenue expenditure is high because of major Central schemes, pension, power purchase, Ayushman Bharat Sehat scheme, and also interest. All are covered under the revenue budget. Naturally it is going to be high. However, due to various expenditure reforms that have been undertaken, this is gradually coming down. I remember hon. Member Supriya Sule saying that there has been decrease in allocation. आपने बहुत सारा माइनस पढ़ा है, मैं आपके सामने फिगर्स रखना चाहती हूँ। हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नेगेटिव बहुत दिखा रहे हैं। पब्लिक वर्क्स में -8.76 परसेंट, जलशक्ति में -1.42 परसेंट, हास्पिटेलिटी में -4.72 परसेंट, but capital expenditure has increased in all sectors. जलशक्ति में +282 परसेंट एलोकेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट में 3988 परसेंट प्लस हुआ, इरिगेशन में +60.91 परसेंट हुआ, इंडस्ट्री में 33 परसेंट प्लस हुआ, टूरिज्म में 11 परसेंट प्लस हुआ, रूरल डेवपलमेंट में 8 परसेंट प्लस हुआ। यह सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसके तहत संपत्ति क्रिएट करेंगे, एसेट क्रिएट करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पैसा खर्च होता है लेकिन इससे मल्टीप्लायर कुछ नहीं होता, इसलिए रेवेन्यू कट करके कैपिटल में ज्यादा खर्च उठा रहे हैं।

Sir, questions were raised as to what is happening in AMRUT and Smart City projects. अमृत प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है? स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा है? सुप्रिया जी ने इस

विषय को उठाया। वर्ष 2019 से पहले अमृत में 34 प्रोजेक्ट्स ही कम्पलीट हुए थे। The present status is that 64 projects have been completed under AMRUT.

स्मार्ट सिटी में वर्ष 2019 से पहले 47 कम्पलीट हुए, अब 94 हो गए हैं। हर विषय में डबल रेट दिखा रहे हैं, आप चैक कीजिए। हैल्थ सैक्टर में क्या इनीशिएटिव्स लिए गए, बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: You have completed all that in Jammu & Kashmir?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Of course, only in Jammu & Kashmir. I am responding on Jammu and Kashmir. हैल्थ सैक्टर में इनीशिएटिव्स क्या हैं? Just for Jammu & Kashmir, two AIIMS, seven new medical colleges, two cancer institutes, 15 nursing colleges, Rs.881 crore released under PMDP, and 600 MBBS seats, 68 PG seats, and 140 DNB seats are added newly. यह सब हैल्थ का ही है। 'आयुष्मान भारत' के विषय पर हमारे लद्दाख के मेम्बर ने बहुत अच्छे से बोला। मैं उसको दोबारा याद दिलाना चाहती हूँ। जम्मू-कश्मीर में 'आयुष्मान भारत' हर नागरिक को एक्सटेंड किया गया है। हंड्रेड परसेंट कवरेज किया गया है।

सर, एंबुलेंस सर्विस जो 102 और 108 नम्बर्स से चलती है, उसमें 211 नयी एंबुलेंस जोड़ी गई हैं। कोविड वैक्सिनेशन का काम हंड्रेड परसेंट कवर हो चुका है। डॉ.भारती यहां पर बैठी हैं। वहां डीआरडीओ द्वारा 500 बेड्स के दो हॉस्पिटल्स स्थापित किये जा चुके हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी आप बैठे-बैठे अलग संसद चलाने लग जाते हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, कई बार यह प्रश्न भी उठाया गया कि कहीं-कहीं हेल्थ में एलोकेशन कम है। मैं क्लीयरली इस विषय को सामने रखना चाहती हूँ। प्रीवियस ईयर्स में हेल्थ सेक्टर में एक एन्क्रिज्ड एलोकेशन था, in view of PMDP and COVID mitigation efforts. वह मिटिगेशन फंड्स मिला था। More than Rs.300 crore were raised from the World Bank as well.

Now, this funding under the PMDP World Bank fund has been stopped. Therefore, you find that under that heading, there is a decrease. But that was utilised and that is complete. Similarly, in PMGSY Phase II, the funding was completed. Therefore, the allocation is less in Public Works Department (PWD) sector. So, if you have raised that question as to why it is low here, there is a clear reason. It is not that the allocation is being reduced, but the project is completed.

I cannot see the Member here, but Member Sreenivasulu Reddy from YSRCP had asked this question as to what is happening to the Dal Lake. Are you doing something about it?

The Western Foreshore Road along Dal Lake is to be constructed. The work has started on it. More indigenous lake cleaning machines are to be procured; 1.5 sq. kilometre area is to be cleared of all those weeds which have grown and that will be done during 2022-23. De-weeding and dredging will be conducted along the shore line in 1.5 sq. kilometre area during 2022-23. There will be dredging of acquired land near the western side of the lake for 60,000 sq. metres in 2022-23 which is also to be converted as a part of the Lake. उसकी जमीन खरीदकर वह झील बन जाएगी ।

सर, एक प्रश्न यह भी सामने आया कि क्या आप हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम को प्रोत्साहन दे रहे हैं? Artisan Credit Card facility has been extended with seven per cent interest subvention. अगर, वे आठ परसेंट इंटरेस्ट पर लोन लेंगे तो सात परसेंट इंटरेस्ट सरकार देगी और हैंडीक्राफ्ट्स वालों को केवल एक परसेंट देना है । There is enhancement of loan slab from Rs.1 lakh to Rs.2 lakh. जिनको 1 लाख रुपये तक का लोन मिलता था, अभी हम उनको 2 लाख

रुपये तक का लोन देने का प्रावधान कर चुके हैं। No export subsidy, with incentive of 10 per cent of total volume of handloom, is being given.

Seven crafts including Pashmina शॉल के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई है। Seven crafts, including Pashmina and carpet, have been registered under the GI, which is a very good indicator of the geographical area in which they are being made. Anything else being called Pashmina will not be acceptable. उनको ही जीआई मार्क मिला है। उसके लिए सरकार ने हर कोशिश की है। छः और क्रॉफ्ट्स के साथ पश्मीना का भी जीआई रजिस्ट्रेशन हो गया है।

महोदय, 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के अंतर्गत पूरे देश भर में 44 करोड़ कस्टमर्स हैं, जिनके जन-धन योजना के तहत खाते खुले हैं। उसके तहत जम्मू-कश्मीर में 25 लाख खाते हैं। पहले लगभग 15 लाख खाते थे, लेकिन अभी वह 25 लाख खातों तक पहुंच गया है। उन जन-धन खातों में 1,445 लाख करोड़ रुपये जमा हुए हैं। पूरे देश में 44 करोड़ खाते हैं, जिनमें 1.484 लाख करोड़ रुपये उनके खाते में जमा हैं। वहां 25 लाख खाते हैं। जम्मू-कश्मीर में वह योजना भी आगे बढ़ रही है।

I remember Bhartruhari Mahtab ji was talking about DBT. जम्मू-कश्मीर में डीबीटी सफलतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए कुल अमाउंट 9,487 करोड़ रुपये है, जो कि संचयी फिगर है, वह अमाउंट ऑलरेडी डीबीटी के द्वारा उन खातों में चला गया है। 892 करोड़ रुपये करेन्ट इयर में गए हैं। उससे पहले का अमाउंट संचयी है। जम्मू-कश्मीर में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत 1.83 लाख किसानों को 1,083 करोड़ रुपये मिले हैं।

महोदय, पूरे देश में स्टार्ट-अप्स का माहौल काफी उत्साह से बढ़ रहा है और जम्मू-कश्मीर में भी बढ़ रहा है। 1,198 startups have been registered in J&K. More than 200 startups have been funded already. Funding to startups has been to the tune of approximately Rs.250 crore.

महोदय, 'इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' के तहत भी जम्मू-कश्मीर में कोविड के समय एमएसएमई यूनिट्स के लिए बैंक क्रेडिट दिया गया। 1,843 करोड़ रुपये एमएसएमई के लिए कोविड के समय उनके खातों में भेजा गया और उसका डिस्बर्समेंट भी हो गया है।

महोदय, मेरे पास 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना', 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' इत्यादि की डिटेल्स हैं। मैं हर एक के डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, मगर उसका डेटा उपलब्ध है। हॉर्टिकल्चर के ऊपर माननीय सांसद जसबीर सिंह गिल जी ने बहुत चिंता व्यक्त की है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यहां पर जो भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं, मैंने उसको गंभीरता से लिया है। वे बोलकर चले जाते हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। आप उनका जवाब भी मत दीजिए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदय, ठीक है, मैं उस विषय को छोड़ देती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मैं उन माननीय सदस्यों की पार्टी से भी कहूंगा कि आइंदा उनको वक्ता भी न बनाया जाए। सुरेश जी, ठीक है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, N.K. Premachandran ji had raised the issue about missing of Demand No.5 and what we are doing about it. Demand No.5 pertains to Ladakh. Presently, we do not have a reply to address the issue of why that has been left. चूँकि, हम यह एकाउंटेंट जनरल के द्वारा एडवाइस ले कर ही करते हैं। हम उसके ऊपर ध्यान दिलाएंगे, लेकिन if that serial number is adjusted below 5, 6, 7, 8 and so on क्योंकि 5 नहीं है तो 6, 5 हो जाएगा या 7, 6 हो जाएगा, यह नार्मल लॉजिकल अण्डरस्टैंडिंग है। But if that is done, there would be a bit of a correlation problem when you are comparing it with earlier reports. So, between the previous account and the future accounts, there should not arise any difficulty. So, this is presented as it is with '5' being left open. But we will certainly talk to the Accountant General

and see how best we can reconcile this. You have highlighted this point and I have taken note of this.

I cannot say about MGNREGA because the hon. Member is not present here.

सर, मैं दुख के साथ एकाध विषय सदन के सामने रखना चाहती हूँ। हसनैन मसूदी जी बोल रहे थे कि 2019 के बाद यह एक फेक नॉर्मलसी है। यह फेक नॉर्मलसी नहीं है। पूरे देश में सन् 1947 के बाद नॉर्मलसी धीरे-धीरे आ रही थी, उसमें जम्मू-कश्मीर शामिल नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 370 की वजह से कुछ भी नॉर्मल नहीं था, लेकिन हमें यहां से देखने में वह नॉर्मलसी लग रही थी। हसनैन मसूदी जी, वह फेक नॉर्मलसी थी। आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन फेक नॉर्मलसी अब नहीं है। 370 को हटाने से पहले जो था वह फेक नॉर्मल था। मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैं उसे क्यों फेक नॉर्मल बोल रही हूँ, क्योंकि वहां पर भारत का संविधान लागू नहीं था। So, that was fake normalcy and all of us kept quiet and quiet and quiet. But BJP was saying that इसमें आर्टिकल 370 एक स्पीड ब्रेकर है। नॉर्मलसी अचीव करने के लिए, टू इंटीग्रेशन करने के लिए आर्टिकल 370 एक स्पीड ब्रेकर था। हसनैन मसूदी जी, अब फेक नॉर्मलसी नहीं है। अब टू नॉर्मलसी है। फेक नॉर्मलसी तब थी।

Hasnain Masoodi Ji, if I have heard you correctly, you said, 'Right to Happy Childhood'. You talked about 'Right to Happy Childhood', which was there in J&K. अभी क्या हो रहा है, उसके बारे में भी मैं दुख के साथ बोलना चाहती हूँ।

That right was only reserved for some families; a few families which were wielding political power. The children of other families were all in their respective little *gaon*, not even having a right to proper education and not even having a right of getting elected through democratic means. अब सारे युवा पंचायत के इलेक्शन में भाग

लेने के लिए आ रहे हैं । That right to happiness was only for some families. ...

(Interruptions)

SHRI HASNAIN MASOODI: 'Right to Happy Childhood'.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, 'Right to Happy Childhood'. It is a very good thought but हैप्पी चाइल्ड हुड, किसका? Who has got that Right to Happy Childhood? It is only for those selected elite families.

Now, I come to 'three Parivars'. I have been rightly reminded of that. You had a lot of things to say about the Constituent Assembly, Delhi Agreement, PMAY, teachers, colleges, Awantipora Airport, etc. I just want to say one thing. You are mentioning all these things now. You were in power till before August, 2019. You were in power and you could have done all these things. आप अभी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि टीचर्स के लिए क्या कर रहे हैं, कॉलेजेस के लिए क्या कर रहे हैं तो अगर यह सब आप करते तो हमें यह करने की आवश्यकता नहीं होती और आपको पूछने की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन आपने नहीं किया इसलिए अभी हम कर रहे हैं ।

सर, मैं जब एम्प्लॉइमेंट के बारे में बात कर रही थी तो मैं बार-बार फेयर एंड ट्रांसपेरेंट शब्द का प्रयोग कर रही थी । Why is that? Illegal recruitments have been the norm before the abrogation of Article 370. रिक्रूटमेंट्स होती थी, मगर पता नहीं किसकी भर्ती होती थी, किसकी नहीं होती थी? भर्ती होने के बाद कौन जॉब में आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था? इललीगल रिक्रूटमेंट्स भी हुई हैं । Illegal recruitments have been the norm prior to the abrogation of Article 370. बैकडोर अपाइंटमेंट, किसी का चाचा, किसी का बेटा, किसी का दामाद, इन सबका अपॉइंटमेंट लगातार जम्मू-कश्मीर में होता था ।

After the abrogation of Article 370, recruitment जिसके नम्बर्स मैंने पढ़े, उसमें अभी तक जो-जो वर्ग वंचित रहे, उन सबको जॉब मिली । ट्रांसपेरेंट तरीके से यह रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है,

इसीलिए जॉब मिल रही है । Backdoor appointments are not encouraged now. We stopped it. Daily wagers have also been engaged without any rule or due process during that time. इसलिए, किस वर्ग की आपको चिन्ता थी? डेलीवेजेज वर्कर्स का भी न्याय से इम्प्लायमेंट नहीं हुआ, उनको बेनिफिट्स भी नहीं मिले, इसीलिए उस समय की, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से पहले के समय की बातों को मैं अभी याद दिलाना भी नहीं चाहती हूं, क्योंकि अभी सिस्टम बेहतर हो रहा है ।

सर, मैं अभी दोबारा दो-तीन कड़वे सच को बोलना चाहती हूं ।... (व्यवधान) कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करने वाले, उसके खिलाफ बात करने वाले कह रहे थे कि नहीं, नहीं, 100 या 200 घटनाएं ही हुईं, आप इसके ऊपर क्यों इतनी चिन्ताजनक बात कर रहे हो ।

सर, उस समय की दो-तीन सच्चाइयां हमें याद करना चाहिए । जब इतना जबर्दस्त अत्याचार हिन्दुओं के ऊपर हो रहे थे, लोग कैसे बाहर निकले वह भी उनको मालूम नहीं था और मैं बोलना नहीं चाहती, there was no difference between mother and daughter. हर्बैंड के सामने वाइफ का... You will understand, Sir. We cannot even utter this. People were threatened to convert or else, they will not be alive. यह हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के समय हर बार कुछ न कुछ अड़ंगा लगाया गया । नहीं, नहीं, that did not happen. उसकी डिनायल हुई । आज भी डिनायल हो रही है । जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेम्बर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेम्बर्स ने उसके ऊपर बात की । अभी भी, मैं दुख के साथ कहूंगी, यहां कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल के ट्वीट्स लगातार आए और यह भी बोला गया कि कश्मीरी पण्डित खुद कश्मीर से चले गए । वे खुद की मर्जी से कश्मीर से चले गए, न कि वहां कुछ हुआ था । डिनायल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से हुआ ।

उस हैंडल से यह भी बोला गया कि अपने आप चले गए और हमारी पार्टी का बिलीफ है कि यह टेरेरिस्ट का काम था, कुछ काम था, पता नहीं । उनको दिल्ली में कुछ बेनिफिट्स मिले रहे थे, जॉब्स मिल रही थीं, रिजर्वेशन मिल रहा था, उसके लिए वे निकल गए ।

यह भी बोला गया कि कांग्रेस पार्टी का यह बिलीफ है कि यह सेपरेटिस्ट्स का and those who stand for India के बीच एक लॉग बैटल है, मतलब जो लोग भारत के लिए हैं, उनके और सेपरेटिस्ट्स के बीच में झगड़ा है, इसकी वजह से वहां दुख हुआ। मगर मैं सच्चाई बोलूं तो उस समय नेशनल कांग्रेस पार्टी की, हसनैन मसूदी जी यहां हैं, उनकी पार्टी की सरकार थी जम्मू-कश्मीर में और उसमें पार्टनर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं दुख के साथ यह भी कह रही हूं, किसी का नाम नहीं ले रही हूं, तब के चीफ मिनिस्टर हिन्दुओं को उनका अपना नसीब देख लो भइया कहकर विदेश चले गए। यह भी सच है। जम्मू-कश्मीर की तब की सरकार के चीफ मिनिस्टर हिन्दुओं को उनके नसीब पर छोड़कर विदेश चले गए। ये लोग वहां मरे, रेप हुआ और उन सबको बाद में बाहर कहा कि बदनसीबी उनके ऊपर आई। आज भी कांग्रेस कल के ट्वीट्स के द्वारा डिनाई कर रही है। वह बोल रहे हैं कि यह सेपरेटिस्ट और देश के साथ खड़े होने वालों के आमने-सामने की लड़ाई है। अगर कांग्रेस की यह बात सच है तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जे एण्ड के के एक सेपरेटिस्ट ने इण्डियन एयर फोर्स के ऑफिसर को खुलेआम उसके बीवी-बच्चों के सामने मरवाया और कांग्रेस के एक प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाकर हैण्ड शेक किया।

जो सेपरेटिस्ट है, उसको कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया। आज कांग्रेस बयान दे रही है कि सेपरेटिस्ट्स और भारत देश के खिलाफ झगड़ा है। अगर वह सच है तो क्यों आपने सेपरेटिस्ट को बुलाकर प्रधान मंत्री से हैण्ड शेक करवाया और उसको इनवाइट किया। क्या सच है? आप एक समय बोल रहे हैं कि यह नहीं हुआ, दूसरे समय में आपके चीफ मिनिस्टर देश छोड़कर भाग गए। ये लोग दिल्ली आकर अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, फिर कल सुबह कांग्रेस के ट्वीट में यह आ रहा है कि सेपरेटिस्ट्स और भारत में झगड़ा हो रहा है। यह सेपरेटिस्ट्स वर्सेज भारत देश की लड़ाई है। अगर वह सच है तो फिर क्यों सेपरेटिस्ट को प्रधान मंत्री जी के पास लेकर गए, जिसने हमारे एयर फोर्स के लोगों को मारा। ... (व्यवधान)

सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मगर प्रधान मंत्री जी के पास गए या नहीं गए? क्या कल का ट्वीट सच है या नहीं है? ... (व्यवधान) आप सुन लीजिए। ये सेपरेटिस्ट ने एक विदेशी टेलीविजन

चैनल में जाकर कंसीड किया, माना कि हां, मैंने एयर फोर्स के अधिकारी को मरवाया । ... (व्यवधान) सर, मैं आपकी अनुमति से यह बात बोल रही हूँ । यह सब हुआ और आज हमसे पूछ रहे हैं । ... (व्यवधान) ये ट्वीट क्यों हुआ? यह ट्वीट आपके ऑफिशियल हैंडल से क्यों हुआ? मैं अपनी बात खत्म करना चाह रही हूँ । आज भी जम्मू और कश्मीर तथा उसके डेवलपमेंट के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं । वह भारत का अंग है । बहुत सारे एमपीज़ ने बहुत बातें बोली हैं कि पीओके के लिए अगले साल खर्च करना । जम्मू और कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार और प्रधान मंत्री मोदी जी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं । धन्यवाद ।

19.49 hrs

At this stage, Shri Manish Tewari, Prof. Sougata Ray, Shrimati Supriya Sadanand Sule and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है:

“कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 4 तथा 6 से 36 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगें पारित हुईं ।

अब मैं वर्ष 2021-22 के लिए के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 3, 8, 15 से 19, 26, 30, 32 और 36 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : वर्ष 2021-22 के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगें पारित हुईं।

अब मैं वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें तृतीय बैच सभा सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 13, 15, 17 से 27, 29, 31, 33 से 36, 39 से 44, 46, 50 से 54, 56 से 59, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 75 से 78, 80, 84 से 94 और 96 से 101 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनपूरक मांगें तृतीय बैच पारित हुईं।

अब मैं वर्ष 2018-19 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 20 और 21 के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : वर्ष 2018-19 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें पारित हुईं।

19.54 hrs

GOVERNMENT BILLS –Introduced

(i) Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill, 2022^{*}

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2022-23.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce^{**} the Bill.

Sir, I beg to move:

“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2022-23, be taken into consideration.”

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 14.3.2022

^{**} Introduced with the recommendation of President.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

19.56 hrs

(ii) Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022^{*}

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2021-22.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce^{**} the Bill.

Sir, I beg to move:

“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2021-22, be taken into consideration.”

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 14.3.2022

^{**} Introduced with the recommendation of President.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

19.58 hrs

(iii) Appropriation (No.3) Bill, 2022*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2021-2022.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce** the Bill.

20.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 28F

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2021-2022, be taken into consideration.”

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 14.3.2022

** Introduced with the recommendation of President.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

20.01 hrs

(iv) Appropriation (No. 2) Bill, 2022*

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 28G

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2019, in excess of the amounts granted for those services and for that year.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई राशियों, जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए अनुदत्त राशियों के अतिरिक्त हैं, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce** the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 28H

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 14.3.2022

** Introduced with the recommendation of President.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2019, in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई राशियों, जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए अनुदत्त राशियों के अतिरिक्त हैं, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही, मंगलवार, 15 मार्च, 2022 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

20.03 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Tuesday, March 15, 2022/Phalguna 24, 1943 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.